

राजपाल एण्ड सन्ज कश्मीरी गेट, दिल्ली

इन्दिरा गांधी का पतन

इमर्जेन्सी की लोमहर्षक कहानी

डी० आर० मानकेकर
कमला मानकेकर

मूल्य सोलह रुपये 16 00 (अजिल्द)

प्रथम संस्करण 1977
INDIRA GANDHI KA PATAN EMERGENCY KI LOMHARSHAK KAHANI (Hindi version of Decline and Fall of Indira Gandhi 19 Months of Emergency) by D R Mankekar and Kamala Mankekar

जयप्रकाश नारायण
को समर्पित
जो अकम्पित भाव से
हमे अधकार से प्रकाश मे
ले आये

भूमिका

विभाजन की तरह आपातस्थिति भी हमारे देश के जीवन मे एक युगान्तरकारी घटना घटी है और कहानी एव निबंध, अनेका पुस्तकों के लेखन को प्रेरित कर रही है।

त्रासदी, भयानक आघात, पराकाष्ठा एव प्रतिकाष्ठा—लम्बी अंधेरी रात जिसने अचानक घुलकर जीवनदायी उत्फुल्ल दिन को स्थान दे दिया—उसके नायक और नायिकाए और उसके खलनायक और हा, विदूषक भी—यह सब ऐसी भरी-पूरी सामग्री है कि इससे एक दूसरा महाभारत लिखा जा सकता है, और उसमे इसके अपने दुर्योधन और दु शासन और अजुन और कृष्ण होंगे।

यह वह मिट्टी है, जिसे हाथ मे लेने के लिए और अपने अपने भाव के अनुकूल, उनकी कला का शिल्प जैसा कहे वैसा रूप उसे देने के लिए पत्रकार उपन्यासकार, कवि, नाटकार और फिल्म निर्माता कसमसाते हैं।

यह पुस्तक आपातस्थिति पर लिखे जाने वाले ढेर से साहित्य को एक पत्रकार का योगदान है। प्रस्तुत विषय म विवरण देने, आज के विशिष्ट इतिहास का विवेचन करने और महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित उठाने की बडी भारी सामर्थ्य है और आने वाले लम्बे समय तक लेखक इन सबसे जूझेंगे।

यह पुस्तक एक ग्रीक दुखान्त नाटक की नियति की, उस अभेद्य चमत्कार की दृश्यावली प्रस्तुत करती है, जिसने इस देश के भाग्य को और उस अक्खड, आत्मतुष्ट शासक के भाग्य का मोड दिया, जो अपनी अमोघता, लोकप्रियता एव अनश्वरता के बारे मे पूरी तरह आश्वस्त थी और अन्त मे जिसने अपने पतन की दिशा मे स्वय अपना कदम बढाया। इस नाटक के उपसहार मे सचमुच ही रेचन के तत्व हैं।

एक कठोर अन्तिम तिथि को धन्यवाद कि जो राष्ट्रीय घटनाए इस विवरण म उल्लिखित हुई हैं, उन्ह अनिवार्यत राजधानी मे बैठकर ही परखा निरखा जा सका है। अधिक समय मिले तो इस विषय पर अधिक बडे कनवास पर और अधिक विस्तृत ढग से लिखा जा सकता है और पूरे देश म, अर्थात् आसाम और पश्चिमी बगाल मे, काश्मीर और उडीसा मे, केरल और कर्नाटक म, (अब जाकर यह प्रकट हुआ है कि कर्नाटक ने आपातस्थिति के दौरान सबसे अधिक नजरबन्दी जेलो मे भेजे थे) चले अत्याचार के विरुद्ध जनता के शानदार सघर्ष की विवरणपूर्ण झाकी, जिसे एक राक्षसी सेंसर ने दबा दिया था, प्रस्तुत की जा सकती है।

—डी० आर० मानकेकर

—कमला मानकेकर

क्रम

1
पर्दा उठता है

यह नाटक एक ग्रीक त्रासदी (दुखान्त नाटक) ही है। इसमें प्रखर गति से बहने वाला घटना प्रवाह अपनी निश्चित परिणति की ओर लपकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।

त्रासकारी उन्नीस महीनों के कम न होने वाले अंधकार के बाद अचानक पौ फटती है और नीचे झुके घने बादलों को भेदकर सूर्य एक बार फिर चमक उठता है। अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त कर लेती है। भारतीय लोकतन्त्र अपना जोर दिखाता है और उस निरंकुश सत्तावाद को उलट देता और उखाड़ फेंकता है, जिसके सदा-सदा के लिए हमारे बीच टिक रहने का खतरा बन उठा था।

पर्दा 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद न्यायालय के एक कमरे में उठता है। कमरा उत्सुक दर्शकों से खचाखच भरा है। मौसम में बड़ी ही उमस और घुटन है। न्यायालय के वातावरण में तनाव है और उत्कंठा की सरसराहट है।

इन्दिरा गांधी के लिए यह फैसले का दिन है। उस चुनाव याचिका का फैसला होने ही वाला है, जिसे 1971 के चुनावों में रायबरेली के चुनाव-संघर्ष के बाद उनके अपराजेय प्रतिद्वन्द्वी राजनारायण ने उनके विरुद्ध दाखिल की थी। मुकदमा लगभग पूरे तीन वर्षों तक घिसटता रहा है एक कायस्थगन से दूसरे कायस्थगन तक और एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश तक।

दस बजने के ठीक पहले साफ बेदाग कपड़ा में सज्जित पेशकार अदालत के कमरे में प्रकट होता है और वहां उपस्थित लोगों को न्यायाधीश महोदय का एक सन्देश सुनाता है। सन्देश में लोगों को चेतावनी दी गई है कि जब न्यायाधीश महोदय अपना फैसला सुना रहे हों तब कोई प्रदर्शन अथवा नारेबाजी न की जाए। यह विशिष्ट चेतावनी अदालत में पहले से ही वर्तमान तनाव को और भी बढ़ा देती है।

ठीक दस बजते ही न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा पिछले द्वार से न्यायालय में प्रवेश करते हैं और मंच पर अपनी कुर्सी ग्रहण करते हैं। सभी वकील और दर्शक उठकर खड़े हो जाते हैं। न्यायालय में गहरी खामोशी छा जाती है।

न्यायाधीश महोदय अपने सामने उपस्थित जन-समूह पर जल्दी से एक नज़र डालते हैं और तब घोषणा करते हैं

' मैं इस मुकदमे के विभिन्न मुद्दो पर अपने निष्कर्षों को ही इस समय पढ़ूगा पूरा फसला (यह 259 फुलस्केप पष्ठो म था।) नही।"

पूण स्तब्धता के बीच न्यायाधीश महोदय बोलना शुरू करते है याचिका स्वीकार की जाती है। ' और उनकी चेतावनी के बावजूद और उन्हें भारी उलझन मे डालते हुए भी उपस्थित दशक तालिया पीट उठते हैं।

और अब वह महत्त्वपूण घोषणा होती है प्रधानमन्त्री को छ वर्षों के लिए मताधिकार स वचित किया जाता है।" यायाधीश महोदय के बाकी शब्द शोर म डूब जाते है। अदालत के कमरे म इतना कोलाहल होता है कि नियन्त्रण से बाहर हो जाता है। दशक उत्तेजना से पागल हो उठे हैं। उन पर दौरा-सा आ गया है। यहा तक कि सदा गम्भीर रहने वाले सवाददाता और वकील भी उसम शामिल हो जाते है।

न्यायमूर्ति सिन्हा को अपना फसला पढने म पाच मिनट से भी कम लगे। तब वे अपने कक्ष म वापिस चले गए। अब जो थोड़ी-बहुत रोक थी वह भी हट गई और दशक एकदम बे-काबू हो गए। भारी गुल गपाडा मच उठा। लोग नारे लगाने लगे नाचने लगे एक-दूसरे से गले मिलने लगे। सभी एक-दूसरे को बधाइया दे रहे थ और अविश्वास विस्मय और हैरानी म अपन सिर हिला रहे थे।

राजनारायण के वकील शान्तिभूषण अपने इस गौरव का आन द लेने के लिए वहा नही है। अनिवाय व्यावसायिक काम से वे कही और गए हैं। उनके स्थान पर उनका सहायक खडा है। श्रीमती गाधी के वकील एस०सी० खरे भौंचक और स्त ■ दीख पड रहे है। उनके चेहरे का सारा रग उड गया है। खरे अपन को सभालते है और रास्ता बनाते हुए अदालत स बाहर निकलते हैं और न्यायमूर्ति सिन्हा के कक्ष म प्रवेश करत हैं फैसले पर काय-स्थगन के हेतु आवेदन प्रस्तुत करन के लिए। न्यायाधीश महोदय तत्क्षण बीस दिना के लिए पूण स्थगन की मजूरी दे देते हैं।

फसले के अनुसार श्रीमती गाधी को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (7) के अधीन निम्न दो मुद्दा पर भ्रष्ट साधन अपनान का दोषी करार दिया गया

(क) 1 फरवरी तथा 25 फरवरी 1971 को श्रीमती गाधी द्वारा रायबरेली म सम्बोधित सभाओ के लिए मच बनाने और लाउडस्पीकरो को बिजली देने के लिए सरकारी अधिकारियो का सहयोग प्राप्त करना, तथा

(ख) 7 जनवरी 1971 से 24 जनवरी 1971 के बीच की अवधि म श्रीमती गाधी के चुनाव प्रचार को आगे बढान के लिए श्री यशपाल कपूर का सहयोग उपलब्ध किया जाना, जबकि इस अवधि मे श्री यशपाल कपूर भारत

सरकार की सेवा में एक पंजीकृत अधिकारी थे और प्रधान मन्त्री कार्यालय में विशेष अधिकारी के पद पर थे।

न्यायाधीश महोदय ने श्रीमती गांधी को श्री राजनारायण द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए अन्य आरोपों से बरी कर दिया। न्यायाधीश महोदय ने माना कि श्रीमती गांधी ने चुनाव खर्च की निश्चित अधिकतम सीमा से ज्यादा खर्च नहीं किया और न ही उन्होंने उपहार आदि के रूप में, और मुफ्त यातायात की सुविधा के रूप में मतदाताओं को रिश्वतें दी। चुनाव यात्राओं के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलीकाप्टरों के श्रीमती गांधी द्वारा इस्तेमाल को भी उन्होंने भ्रष्ट आचरण नहीं माना। उन्होंने इस आरोप को भी रद्द कर दिया कि गाय और बछड़े के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं से गलत लाभ उठाना था और इसलिए यह एक भ्रष्ट आचरण था।

श्रीमती गांधी को उपयुक्त दो मुद्दों पर दोषी करार देते हुए न्यायाधीश महोदय ने याचिका को स्वीकार किया और श्रीमती गांधी के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 अ के अनुसार इस फैसले की तिथि से आरम्भ करके छः वर्षों की अवधि तक के लिए उनकी अर्हता समाप्त कर दी।

इलाहाबाद में दिया गया यह फैसला भारत के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना माना जायेगा। इसने भारतीय राजनीति को एक गहरा मोड़ दिया घटनाओं की गति को एक नई व्यग्रता प्रदान की और भिन्न मापदंडों एवं मूल्यों वाली पूरी तरह से एक नई शासन पद्धति का देश में सूत्रपात किया।

600 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी नई दिल्ली में इलाहाबाद में दिए गए फैसले की खबर एक स्तब्धकारी आघात की तरह पहुंचा है। प्रधानमन्त्री को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है—इस अविश्वसनीय खबर ने पूरे देश को ही जैसे मथ डाला है। नम्बर 1 सफदरजंग मार्ग पर सुरक्षा प्रबन्ध कस दिए जाते हैं। ट्रकों में भरकर लाए गए पुलिस के सिपाही उतर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में हर कहीं तैनात किए जा रहे हैं। दल के नेता और कानूनी विशेषज्ञ आ रहे हैं और जा रहे हैं क्योंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी गहरी चर्चाओं में डूबी हैं। इन्दिरा के समर्थन में संगठित प्रदर्शन बाहर अभी से शुरू हो गए हैं। 13 जून के दिन—कांग्रेस संगठन की मशीन अब तक पूरी तरह हलचल में आ चुकी है। दिल्ली परिवहन की 1400 बसों में से कुल 380 सड़कों पर हैं शेष को भीड़ की भीड़ लोगों को जन प्रदर्शनों के लिए प्रधानमन्त्री निवास के बाहर पहुंचाने के काम पर लगा दिया गया है।

चुनाव के समय किए गए सरकारी वायदे पूरे नहीं हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार ज्वार की तरह बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। कीमतें आसमान को छू रही हैं। आम आदमी की हालत दिन पर दिन असह्य

बनती जा रही है। पूरा उत्तरी और पश्चिमी भारत एक राजनीतिक विप्लव की स्थिति में है। जयप्रकाश का आन्दोलन गुजरात और बिहार से बढ़कर देश के अन्य हिस्सों में फैलता जा रहा है और जोर पकड़ता जा रहा है। इस नाज़ुक वातावरण में इलाहाबाद से आई यह खबर जीने की फांस पर आ टिकी मेहराब की तरह सबको दीखी।

सबसे पहले सुभद्रा जोशी श्रीमती गांधी से मिलने पहुंचीं। सुभद्रा के सामने उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की और कहा अब मेरी कौन सुनेगा? इलाहाबाद के फैसले की श्रीमती गांधी पर यह पहली छाप थी। लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने को संभाल लिया। वास्तव द्विविधा के शूल पर वे पड़ी थीं। कुछ मित्रों और हितचिन्तकों ने उन्हें सलाह दी कि वे इस फैसले के आगे सिर झुका दें और उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय प्राप्त होने तक अस्थाई रूप से पद-त्याग कर दें। वे इन पर और इनके सुझाव पर मुस्कराती हैं। ये मित्र यह सोचते हुए चले जाते हैं कि श्रीमती गांधी ने उनका सुझाव मान लिया है।

कुछ अन्य मित्र और हितचिन्तक भी आते हैं और परामर्श देते हैं कि उन्हें जमे रहना चाहिए और पदत्याग नहीं करना चाहिए। उनके प्रति भी वे बस मुस्कराती हैं। वे लोग भी आश्वस्त हो जाते हैं कि उनकी सलाह मान ली गई है। इन बातों के लोगों में पी०एन० हक्सर हैं जो यह खबर सुनते ही नम्बर 1 सफदरजंग मार्ग की ओर दौड़ पड़े थे। वे श्रीमती गांधी को आश्वासन देते हैं कि उनके विचार के अनुसार उन्हें इलाहाबाद के इस फसले की उपेक्षा कर देनी चाहिए और पद पर डटे रहना चाहिए।

लोग तो यह या वह परामर्श देंगे ही पर निर्णय तो श्रीमती गांधी को ही लेना है। यह लड़ाई वे अकेले ही लड़ रही हैं। जो भी निर्णय वे लेती हैं परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी होंगे। उनके दिमाग में जब संघर्ष मचा होता है तभी संजय भागकर मां के पास आता है और डटे रहने के लिए मां को उत्साहित करता है। वह कहता है हम यह लड़ाई मिलकर लड़ेंगे।' श्रीमती गांधी के आपातकाल के इस भयानक संकट के समय संजय उनके लिए एक शक्ति-स्तम्भ तथा परामर्श एवं साहस स्रोत सिद्ध होता है। बाद में दिए गए अपने एक वक्तव्य में श्रीमती गांधी ने यह बात स्वयं मानी है।

यहां तक कि श्रीमती गांधी पद त्याग न करने के अपने फैसले के पक्ष में आचार्य विनोबा भावे तक का आशीर्वाद प्राप्त कर लेती हैं। वर्धा से मिले समाचार के अनुसार विनोबा इस समय अपने आश्रम में गम्भीर रूप से बीमार पड़े थे। उनकी शिष्या निर्मला देशपांडे ने बिस्तर पर पड़े विनोबा जी की आंखों के सामने कागज़ का एक टुकड़ा सरकाया जिस पर ये शब्द लिखे थे— इंदिरा पद-त्याग करें या डटी रहें? 'विनोबा ने उस कागज पर लिख दिया डटी रहें।" निर्मला

देशपांडे अब दिल्ली की ओर भागी और उन्होंने विनोबाजी का यह संदेश अपने हाथ से श्रीमती गांधी को दिया।

प्राप्त अकाट्य साक्षी से पता लगता है कि उस अवसर पर प्रकाशित समाचारों के विपरीत, इलाहाबाद के फैसले की घोषणा के बाद स्थाई अथवा अस्थाई रूप में प्रधानमन्त्री पद से इस्तीफा देने की बात पर श्रीमती गांधी ने एक बार भी गम्भीरता से विचार नहीं किया था। असल में इसके प्रमाण मिले हैं कि एक महीना पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय उलटा पड़ जाने की हालत में एक आपात योजना पर विचार किया गया था। एक विश्वासभाजन ने तो आवश्यकता पड़ने पर संविधान तक को भंग कर देने की बात की थी। आन्तरिक आपातस्थिति लागू कर देने तक की संभावना पर विचार किया गया था।

न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा की अदालत में मुकदमे का जो रुख दीख पड़ रहा था उसने प्रधानमन्त्री के शिविर में कइयों के मनों में घबराहट पैदा कर दी थी और आपात योजनाओं की बातें इसीलिए की गई थीं। यदि अस्थाई अथवा स्थाई पद त्याग का हलके से हलका विचार भी उस समय या बाद में रहा होता तो आपात योजना अथवा संविधान के स्थगन जैसी निराशाजनक भाषा का प्रयोग न किया गया होता।

श्रीमती गांधी के जो मित्र और हितचिंतक यह छाप लेकर गए थे कि पद त्याग की उनकी सलाह को स्वीकार कर लिया गया है, उन्होंने उनके उत्तराधिकारी के बारे में भी चिन्तन किया था। इस प्रकार सिद्धार्थशंकर राय, स्वर्णसिंह और देवकांत बरुआ के नामों पर बारी बारी से विचार किया गया था और जब श्री जगजीवनराम की सम्भावित प्रतिकूल प्रतिक्रिया का ख्याल किया गया तो ये नाम रद्द कर दिए गए थे।

जहां तक श्रीमती गांधी का संबंध है उनके दिमाग में निर्णय बन चुका था और वह साफ था। 11 जून की रात से नम्बर 1 सफदरजंग लेन के चारों ओर जो सुरक्षा प्रबंध आरम्भ किए गए थे और इलाहाबाद के फैसले के नई दिल्ली पहुंचने से बहुत पहले ही 12 जून की सुबह प्रधानमंत्री निवास पर पुलिस के उच्चतम अधिकारियों का जो सम्मेलन किया गया था उससे इस धारणा को और भी बल मिलता है।

संजय पहल करता है और आदेश देता है और यशपाल कपूर और अर्जुनदास मैदान में उतर पड़ते हैं। और उसी दिन संध्या तक प्रधानमंत्री निवास के बाहर स्वयं प्रेरित प्रदर्शन आरम्भ हो जाते हैं। कार्यक्रम यह है कि पांच प्रदर्शन प्रति दिन किए जाएं। यह निर्णय किया जाता है कि लोगों की भीड़ों को लाने के लिए दिल्ली परिवहन की बसों को नियुक्त किया जाए। दिल्ली कांग्रेस की पूरी मशीन को चालू कर दिया जाता है। इस सबके पीछे मौजूद संगठनकारी प्रतिभा, तथा

जिस गति और कुशलता से यह सब किया गया उसकी प्रशंसा करनी ही पडता है।

उस दिन 12 जून 1975 को वातावरण में छाया राजनीतिक तनाव गुजरात राज्य के चुनाव परिणाम निकल जाने के फलस्वरूप और भी बढ जाता है क्योंकि ये परिणाम कांग्रेस के विरुद्ध गए हैं। और इसी सुबह दिल्ली में श्री डी० पी० धर की मृत्यु हो जाती है। वे मास्को न जाकर यहीं ठहर गए थे जिससे कि इस संकट के समय वे श्रीमती गांधी के साथ रह सकें। और इलाहाबाद के फैसले के आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस क्षण श्रीमती गांधी की आत्म संरक्षण की प्रसिद्ध प्रवृत्ति ने नाटकीय ढंग से अपना जोर दिखाया और हर अन्य विचार को उन्होंने अपने सामने से हटा दिया।

एक बार पहले भी 1969 में जब कांग्रेस दल के पुराने महारथियों ने उन्हें लगाम पहनानी चाही थी—और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो महारथियों ने उन्हें दल से निकाल देने की धमकी दी थी—तब भी श्रीमती गांधी ने पूरी तरह घिर कर भी जवाबी वार करने की अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया था और वे लड़ाई को शत्रु के शिविर में खींच ले गई थीं। उस समय अस्तित्व रक्षा की राजनीति में वे परम दक्ष सिद्ध हुई थीं।

उदार अहिंसक और पुरानी पद्धति के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष निज लिंगप्पा उनके तीखे आक्रामक तरीकों के सामने ठहर नहीं सके थे। श्रीमती गांधी ने कुछ ही महीने पहले कांग्रेस का अध्यक्ष पद इन पर थोपा था। ये इस समय बीमार थे और एक अनिच्छुक योद्धा थे और हर बार जैसे ही श्रीमती गांधी एक दांव इनसे जीततीं था इनका रक्तचाप बढ जाता था। सिंडीकेट के बाकी सदस्य भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध में श्रीमती गांधी की दक्षता से वे बौखला उठे थे यहां तक कि उनकी चालों की प्रशंसा तक वे कर उठते थे। लेकिन युद्ध में नैतिक तरीकों का पूर्ण अभाव जो वे दिखा रही थीं उससे उन्हें पीड़ा होती थी। वे सोचते थे यह क्रिकेट का खेल नहीं है और इसमें अब तक के उनके साथी उनके विरोधी हैं।

श्रीमती गांधी ने उन्हें पराजित कर दिया और देखते देखते उनके समर्थकों को उखाड़ फेंका और तब उन्होंने अपनी राजनैतिक नौका को वामपंथी हवा के अनुकूल मोड़ दिया। उनकी सरकार के अल्पमत में रह जाने के कारण अपनी सरकार की रक्षा के लिए उन्हें नये साथियों की जरूरत थी। और उन्होंने प्रयास पूर्वक पेशकश की कि लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें समर्थन दे और वह उन्होंने प्राप्त कर लिया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ उन्होंने आम बीमे का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया और काफी धूमधड़ाके के साथ वे राजाओं की

प्रिवी पर्सों की समाप्ति का विधेयक भी ले आई। यद्यपि कांग्रेस दल में इस भारी दरार के पड़ने से पहले वे अधिक उदार एवं कानून के पक्ष में थीं, जिसके अनुसार राजाओं के सिर्फ विशेषाधिकार ही समाप्त किए जाने थे।

ऐसे जनवादी और वामपंथी उपायों से उन्होंने लोकसभा के कम्युनिस्ट और वामोन्मुख सदस्यों को खुश किया और अगला आम चुनाव होने तक अपनी अल्पमत सरकार को स्थिति को बड़ी चालाकी से स्थिर बनाए रखा। 1971 के चुनाव में वे भारी बहुमत के साथ आईं और तब उन्होंने उस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर अपनी शर्तें आरोपित करनी शुरू कीं जिस पर पिछली लोकसभा में अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने दीनतापूर्वक निर्भर किया था।

अब 1975 में एक बार फिर उनकी पीठ दीवार से लग गई है और आत्म संरक्षण की उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह उभर कर ऊपर आ गई है। वस्तुतः इस बार तो उन्होंने अपनी ही पहल में करतबों तक को पीछे छोड़ दिया है और एक दुर्दम्य साहस और अस्तित्वरक्षा के क्रोधोन्मत्त दृढ़निश्चय के साथ ऐसा जवाबी आक्रमण व कर रही हैं जिसने उनके राजनीतिक विरोधियों को सन्न कर डाला है।

इलाहाबाद के फैसले की खबर दिल्ली में प्रातः 10.15 पर पहुंचती है। उसी दिन सन्ध्या को आठ बजे तक श्रीमती गांधी इस निश्चय पर पहुंच जाती हैं कि चाहे कुछ भी हो उन्हें अपने पद पर डटे रहना है। इसके बाद तो पीछे मुड़कर देखना नहीं है। पासा फेंका जा चुका है। उनका भीतरी गुट बैठता है और रात में बहुत देर तक उन विभिन्न सम्भावनाओं पर विचार करता है जो डटे रहने के निर्णय में से पैदा होती हैं।

इस स्तर पर उनके सलाहकारों में प्रमुख हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थशंकर राय और बम्बई प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख रजनी पटेल। पूरी तरह से नई युद्धनीति बनाई जाती है। इस साहसिक षड्यंत्र की मूल बात है देश में आतरिक आपात स्थिति का लागू किया जाना। यह विचार सिद्धार्थशंकर राय के उपजाऊ मस्तिष्क में पैदा हुआ था और रजनी पटेल ने इसका पूरी तरह समर्थन किया था।

इस समय तक कानून मंत्री श्री एच० आर० गोखले को इस गम्भीर निर्णय के बारे में पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। बाद में यह भी समाचार मिला कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस उलझन भरी स्थिति से उबरने के ऐसे आसान तरीके अर्थात आतरिक आपात स्थिति लागू करने की सम्भावना को खोज निकालने में विफल रहने के लिए श्री गोखले की भर्त्सना भी की थी क्योंकि विधिमंत्री होने के नाते यह काम तो उन्हीं का था। वस्तुतः प्रधानमंत्री के इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण एकपक्षीय निर्णय के बारे में पूरे मंत्रिमंडल को तो कोई भान नहीं था।

प्रधानमंत्री का नम्बर 1 सफदरजंग मार्ग स्थित बंगला एक घिरे हुए किले का

रूप ग्रहण कर लेता है। फौलादी पाइपों के दुहरे अवरोध पास के विशाल गोल चक्कर के चारों ओर लगा दिए जाते हैं। यही चक्कर जन प्रदर्शनों का स्थल था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस, हरियाणा और दिल्ली की सशस्त्र पुलिस के लोगों के साथ साथ सकड़ों सफदपोश पुलिस वाले भी इस पूरे क्षेत्र में बिखरा दिए गए। वे नम्बर 1 सफदरजंग मार्ग की ओर जाने वाले हर मार्ग और हर चौराहे पर पहरा देने लगे। नेहरू ब्रिगेड के द्वारा उपहार में दिया गया श्रीमती गांधी का एक आदमकद चित्र इस दृश्य का निरीक्षण कर रहा था।

समाचारपत्रों में यह भी छपा था कि इलाहाबाद के फसले की घोषणा से एक घंटा पहले दिल्ली की पुलिस के सभी सर्वोच्च अधिकारी प्रधानमंत्री निवास पर इकट्ठे हुए थे। कारण यह कि दिल्ली में इस बात का पहले ही आभास हो गया था कि फसला श्रीमती गांधी के विरुद्ध होगा। इस दशा में पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया क्या होगी यह सोचने का कठिन काय इन अधिकारियों के सामने था और ऐसी किसी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए एक कार्यक्रम उन्हें तयार करना था। अमल में पिछली रात में ही पुलिस को सचेत कर दिया गया था और बाजारों सार्वजनिक चौक चौराहों और अन्य नाजुक जगहों पर पुलिस-दल तनात कर दिए गए थे।

उसी सध्या को ससद के कांग्रेस सदस्य मोटरों का एक जुलूस बनाकर प्रधानमंत्री निवास पर जाते है और अपनी नेता श्रीमती गांधी के प्रति अपनी सगठित शक्ति और वफादारी का प्रदर्शन करते है। उसी सध्या को श्रीमती गांधी न्याय मूर्ति सिन्हा द्वारा प्रदान किए गए बीस दिन के स्थगन आदेश के आधार पर अपने पद पर बने रहने का निणय घोषित करती है। तत्काल ही कांग्रेस ससदीय बोर्ड इस फसले का समथन कर देता है।

अब मोर्चाबन्दी हो चुकी है। इलाहाबाद के फसले के एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण पटना में गरज उठते हैं उच्चतम न्यायालय के फैसले के सामने श्रीमती गांधी का न झुकना न सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सम्मत कानून के विरुद्ध है बल्कि वह सभी सार्वजनिक मर्यादाओं एव लोकतंत्रीय आचारों के भी विपरीत है। उसी रात को विरोधी दल के नेता राष्ट्रपति भवन के बाहर एक धरना शुरू करते है और माग करते हैं कि श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। राष्ट्रपति काशमीर गए हैं। धरना 16 जून तक चलता रहता है। राष्ट्रपति राजधानी में वापिस आते हैं। वे सत्याग्रहियों से मिलते हैं और उनकी माग सुनते हैं, पर जवाब में कुछ विशेष कहने के लिए उनके पास नहीं है।

कांग्रेस के प्रचार यंत्र पूरे जोर शोर से काम में जुट जाते हैं। ट्रक भर भरकर लाए गए किराये के लोग प्रधानमंत्री के घर के सामने उनके प्रति जनसमथन का

प्रदशन करत हैं। लाग उनकी ओर हार फेंकते हैं और बहुत कुछ असगत रूप म गात हैं लाठी गोली खायेंगे पर आपको बचायेंगे।"

14 जून को अपने निवास के सामने एक सभा के समक्ष बोलत हुए श्रीमती गाधी घोषणा करती हैं, 'यह भुला नही दिया जाना चाहिए कि चुनौतिया का ठढ दिमाग से मुकाबला करने की मुझे आदत है।' विरोधी दलो द्वारा उन पर प्रक्षिप्त 'अपमानो एव दोषारोपो' का हवाला देत हुए वे घोषणा करती हैं कि विरोधी दल मुझे खत्म कर डालना चाहते हैं" लेकिन मैंने कभी इस बात की परवाह नही की है। वे कहती हैं कि उनकी शक्ति उन्ह जनता से प्राप्त होती है।

15 जून को अखबारो म एक समाचार छपता है जो इस प्रकार है 'आधिकारिक रूप से पता लगा है कि श्रीमती गाधी तब तक अपने पद पर बनी रहेगी जब तक उच्चतम न्यायालय उनकी अपील पर अतिम निणय नही दे देता।' अब क्योंकि श्रीमती गाधी पक्का फसला कर चुकी हैं इसलिए वे शात और स्थिर प्रतीत होती हैं।

लगभग सभी समाचारपत्र श्रीमती गाधी को सलाह देते हैं कि वे अदालत के फैसले को मानकर इस्तीफा द दें। विरोधी दलो ने पहले ही इसके लिए आदोलन शुरू कर दिया है।

काग्रेस ससदीय दल की बठक बहुत जल्दबाजी म 18 जून को आयोजित की जाती है। इसम 494 मे से 450 सदस्य भाग लेते हैं। य एक प्रस्ताव स्वीकार करते हैं जिसके अनुसार श्रीमती गाधी म पूणतम विश्वास' की पुष्टि की जाती है और यह घोषणा की जाती है कि प्रधानमत्री के रूप म उनका अविच्छिन्न नतृत्व राष्ट्र के लिए अपरिहाय है। इस प्रस्ताव को श्री जगजीवनराम पेश करत है और श्री यशवतराव चह्वाण इसका अनुमादन करत हैं।

काग्रेस अध्यक्ष बरुआ घोषणा करते हैं यह फसला किसी भी रूप मे प्रधान मत्री की नतिक सत्ता का कम नही करता और यह भी कि लोगो की दढ इच्छा उनके पद पर बने रहने को सगति प्रदान करती है। 'हमने एक लडाई हारी है, हम अब महायुद्ध जीतने की तैयारी करनी चाहिए। —यह है लडाई का वह नारा जो काग्रेस अध्यक्ष अपने दल के लोगो को और साथ ही आम जनता को देत हैं और दल एव जनता इन दोनो के बीच का फक तेजी से मिटता जा रहा है क्योंकि इन्दिरा ही भारत का रूप ग्रहण कर रही हैं।

इसी बठक म काग्रेस अध्यक्ष श्री देवकात बरुआ न यह प्रसिद्ध उक्ति गढी थी भारत ही इन्दिरा है और इन्दिरा ही भारत है। इस बठक को सम्बोधित करते हुए श्रीमती गाधी घोषणा करती हैं मेरा पद पर बने रहना इस बात पर निभर नही करता कि विरोधी दल क्या चाहत हैं बल्कि इस पर करता है कि मेरा अपना दल और आम जनता क्या चाहती है।'

जयप्रकाश जवाब मे कहते हैं 'मुद्दा यह नही है कि कांग्रेस के सासद-सदस्य श्रीमती गांधी के नेतृत्व म विश्वास रखते हैं या नही बल्कि यह है कि क्या देश म कानून का शासन है ? क्या वह ऊंचे अथवा नीचे सब पर एक समान लागू होता है ?" लडाई की गति बढती जाती है।

अब कांग्रेस दल अपने आन्दोलन के सबसे विराट धमाके की, इतिहास म अब तक के सबसे विशाल प्रदशन की एक इंदिरा समथक भव्य महासभा की एक अखिल भारतीय वृहद रली की तयारी म लग जाता है। इस 20 जून को नई दिल्ली म किया जाना है और इसका उद्देश्य है ससार को और विरोधी दलो को अपनी शक्ति प्रदर्शित करना।

उन्हें आशा है कि इस रली म देश के सभी हिस्सो स कम से कम दस लाख व्यक्ति राजधानी म एकत्र होंगे और श्रीमती गांधी के प्रति अपना समथन व्यक्त करेंगे। विरोधी दल ऑकते हैं कि इस तमाशे पर देश का एक करोड से कम रुपया खच नही होगा।

बीस जून को राजधानी की सभी सडकें बोट क्लब की ओर जाने वाले लोगो स भरी है। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण भारत स आने वाली इंदिरा स्पेशलें दिल्ली पहुच रही हैं। सिफ पजाब से ही नारे लगाते और छुट्टी के माहौल मे शोर मचाते (पूरी तरह मुफ्त सर के लिए निकले) स्त्री-पुरुषो से भरी एक हजार बसें यहा पहुची। लोग ट्रक्टरो निजी कारो सावजनिक बसो और ट्रको म आए। भीड को नियन्त्रित करने के लिए सीमा सुरक्षा दल की एक दजन बटालियनें लाई गई और केन्द्रीय रिजव पुलिस के जवानो का हर कही तनात किया गया।

12 फुट ऊंचा एक विशाल मच बनाया गया जिसे श्रीमती गांधी के चित्रो वाले पोस्टरो स सजाया गया था। कहा जाता है कि उपराज्यपाल किशनचन्द ने व्यक्तिगत रूप स उपस्थित रहकर प्रबन्ध का निरीक्षण किया था। दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियो का एक दल वहा चौबीस घटे तनात रहा था जिससे कि रली को विराट रूप म सफल बनाया जा सके। पूरे सरकारी यन्त्र को रली क सगठन के लिए इस्तेमाल किया गया था। सजय गांधी प्रबन्ध का निरीक्षण करने के लिए आते हैं और उसकी प्रशसा करते हैं। यह देखकर सगठनकर्ता खुशी से झूम उठते है।

जब श्रीमती गांधी माइक के सामने पहुचती है तो भीड गगनभेदी नारो से अभिवादन करती है और जिंदाबाद चिल्लाती है। श्रीमती गांधी बडे ही सतोष के साथ अपने सामने फले मानवता के विराट सागर का सर्वेक्षण करती है। (दल के व्यवस्थापक इस भीड को पन्द्रह लाख से ऊपर कूतते है।) अपने भाषण म वे एक बार फिर विरोधी दलो द्वारा चलाए जा रहे गाली गलौज भरे निन्दा आदोलन का जिक्र करती ह और अपना यह आरोप दुहराती हैं कि उन्हे हटा देने के लिए

आंदोलन" किया जा रहा है और देश के भीतर भी और बाहर भी कुछ शक्तिशाली तत्व एक षडयन्त्र रच रहे हैं।" बड़ी ताकत उनका तख्ता उलट देने के लिए और उन्हें नष्ट कर डालने के लिए कोशिश कर रही हैं। वे आगे कहती हैं कि "इन विरोधी दलों को समाचारपत्रों का समर्थन प्राप्त है और 'तथ्यों को बिगाड़ने और सफेद झूठ फलाने की इन्हें अनोखी आजादी है।' अब अपनी आवाज को नाटकीय ढंग से ऊंचा करते हुए वे जोश के साथ बोलती हैं सवाल यह नहीं है कि मैं जीवित रहती हूं या मर जाती हूं, सवाल राष्ट्र के हित का है।"

एक कांग्रेस सचिव ने रैली की राष्ट्रीय प्रकृति पर बहुत जोर दिया। वे कहती हैं 'काश्मीर से लेकर केरल तक और आसाम से लेकर पंजाब तक के लोग हजारों मीलों का सफर करके अपनी प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए यहां आए हैं।" एक अखबार का संवाददाता अपनी रपट में दावा करता है कि स्त्रियों के एक ऐसे दल में जिन्हें आसाम से आया बताया गया और जो तिनकों के कोनदार टोप पहने हुए थीं कुछ स्थानीय चेहरे साफ दीख पड़ रहे थे।

दिल्ली दूरदर्शन ने रैली का पच्चीस मिनट लम्बा सीधा प्रसारण प्रस्तुत किया। इलाहाबाद के फैसले के बाद के दस दिनों के दौरान दिल्ली दूरदर्शन ने इन्दिरा-समर्थक प्रदर्शनों पर 21000 फुट लम्बी फिल्म खींची। (100 फुट लम्बी फिल्म पर 33 रुपया खर्च आता है।)

इसी बीच 23 जून को श्रीमती गांधी ने अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय मूर्ति कृष्ण अय्यर के सामने पूर्णस्थगन के आदेश के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया ताकि जब तक उच्चतम न्यायालय उनकी अपील पर फैसला दे तब तक वे प्रधान मंत्री पद को और संसद में अपने स्थान को सुरक्षित रख सकें। न्यायमूर्ति अय्यर ने अगले ही दिन अपने निर्देशों की घोषणा कर दी। निर्देशों के अनुसार श्रीमती गांधी को सशर्त स्थगन ही मिल पाया। उन्हें अनुमति दी गई कि व अपने प्रधान मंत्रित्व को बरकरार रखें और इस रूप में संसद को भी सम्बोधित करती रहें, पर वे संसत्सदस्य के रूप में न मत देंगी और न ही सदस्यता का वेतन प्राप्त करेंगी। इन आदेशों ने उनकी स्थिति में सुधार लाने के बदले उसे और बिगाड़ दिया तथा उसे और अधिक अपमानजनक बना दिया।

न्यायमूर्ति अय्यर कहते हैं मैं तत्वत उन्हीं आधारों पर स्थगन का निर्देश देना चाहता हूं जिन पर समान मामलों में पहले भी स्थगन निर्देश दिया जा चुका है। हां, प्रस्तुत मामले की बाध्यताओं का अन्तर जरूर पड़ेगा।' पहले वे उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत पूर्णस्थगन को ही और लम्बा करना चाहते थे। लेकिन अधिक विस्तृत चिंतन के बाद इस मार्ग को अपनाने में वे हिचकिचाए क्योंकि 'उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतत वह कितना ही लचर क्यों न साबित

हो, तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि उसे बदल ही न दिया जाए।' अपील का निपटारा चूंकि दो या तीन महीनो के भीतर हो जाने की सम्भावना थी इसलिए उसी टोली को बरकरार रखना लाभप्रद था जो मन्त्रिमडल के केन्द्रीय व्यक्तित्व की उपस्थिति से अनुप्राणित थी। इससे अन्य आदेश का अर्थ श्रीमती गाधी के लिए दारुण परिणाम पैदा करना होता क्योंकि भले ही उच्चतम न्यायालय अन्त मे उन्हे बरी कर दे किन्तु राजनीति मे आवश्यक नही होता कि खोई हुई सत्ता कानूनी विजय के बाद पुन प्राप्त हो ही जाए।'

उस सध्या को कम्युनिस्ट पार्टी को छोड सभी विरोधी दलो के नेताओ ने एक सात सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। इसमे यह शामिल था कि विरोधी दल के ससदसदस्य राष्ट्रपति से मिलें और प्रधान मन्त्री के त्यागपत्र की माग करें। 15 जून से 22 जून तक त्यागपत्र माग सप्ताह मनाने की भी घोषणा की गई।

2
लक्ष्मण-रेखा पार कर ली गई

25 जून की सध्या को जब श्रीमती गाधी का आतरिक गुट नम्बर 1 सफदर जग मार्ग म बैठकर देश पर कठोर आपात स्थिति लागू करने का षडयत्र रच रहा था, उस समय श्री जयप्रकाश नारायण रामलीला मैदान म एक विराट ऐतिहासिक सभा के सामने भाषण दे रहे थे।

श्री जयप्रकाश नारायण ने राजधानी म और देश के अय नगरों मे एक सविनय अवज्ञा कायक्रम की घोषणा जनता के सामने की। पुलिस और सेना के प्रति अपने इस सदेश को उन्होंने दुहराया कि वे गरकानूनी आदेशो का पालन न करें। उहोन छात्रो से अनुरोध किया कि वे, कक्षाओ से निकल आयें और जेलों को भर दें।'

उन्होंने भारत के मुख्य यायाधीश श्री ए० एन० राय को सुझाव दिया कि श्रीमती गाधी की अपील की सुनवाई के लिए गठित उच्चतम यायालय के खण्ड-पीठ म सम्मिलित होना उनक व्यक्तिगत हित म नहीं होगा क्योंकि व अपनी नियुक्ति के लिए प्रधानमत्री क अहसानमद हैं।

उहोंने कहा कि जनता को यह बात जाननी चाहिए कि अदालत म अपनी गवाही के दौरान श्रीमती गाधी ने कम से कम 27 झूठ बाल अर्थात हर 15 मिनट बाद एक झूठ बोला।

उन्होंने माग की कि पुलिस के पुनगठन की सिफारिश करने वाली खोसला समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए।

उहोंने कहा कि यदि श्रीमती गाधी महसूस करती हैं कि मैं उनक विरुद्ध राजद्रोह का उपदेश दे रहा हू तो उह आज़ादी है कि वे मुझ पर राजद्रोह के आरोप लगायें और मुकदमा चलायें।

श्री जयप्रकाश ने घोषणा की यह भारत है। यहा कोई मुजीब पनप नहीं सकता (यह सकत बगला देश म मुजीब की उस कायवाही की ओर था जिसके अनुसार उन्हाने सविधान को बदलकर ससदीय प्रणाली क स्थान पर राष्ट्रपतिक प्रणाली और एकदलीय शासन लागू कर दिया था।) श्री जयप्रकाश ने कहा कि भारत म ऐस लोगों को सहन नहीं किया जाएगा।

इसी बीच जब अधेरा घिर रहा था, लगभग 8 30 बजे श्री सिद्धाथशकर राय के साथ श्रीमती गाधी राष्ट्रपति भवन गइ और अनौपचारिक रूप से

राष्ट्रपति को बताया कि उन्होंने आंतरिक आपातस्थिति लागू करने का महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। इस असाधारण कदम के बारे में श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने कुछ कहा या नहीं यह अभी तक पता नहीं लगा है।

लगभग 11 बजे गृहमंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को प्रधानमंत्री निवास पर बुलाया गया और उन्हें इस निर्णय के बारे में बताया गया। आध घंटे बाद एक विशेष उच्चाधिकार प्राप्त संदेशवाहक दस्तावेज लेकर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास गया। क्योंकि उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था इसलिए श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने उस पर सहज रूप में हस्ताक्षर कर दिए। विशेष बात यह है कि इस घोषणा पत्र पर कोई तिथि नहीं पड़ी है।

अंतरंग विश्वासभाजन श्री ओम मेहता को छोड़कर किसी भी अन्य मंत्री को उस रात इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

पहले यह घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री 23 जून को राष्ट्र के प्रति संदेश देंगी पर बाद में इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इस बात को लेकर उस तनावपूर्ण वातावरण में कितने ही उत्तेजनापूर्ण अनुमान लगाए गए। आखिर राष्ट्र से वे क्या कहना चाहती थीं? अंतिम क्षण पर उन्होंने अपना विचार क्या बदल दिया?

श्रीमती गांधी के समर्थन में संगठित अनेकों रैलियों में से एक के सामने बोलते हुए प्रधान मंत्री ने यह अनिष्टसूचक घोषणा की थी "हमने बहुत काफी सहन किया है। कोई सरकार ऐसी बातों को सहन नहीं करेगी। (विदेशी मित्रों में) प्रत्येक मुझसे पूछता है—आप यह सब बर्दाश्त क्यों करती हैं? अब हम यह सब बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

विरोधी दल और आम जनता सभी ने इस वक्तव्य को बहुत भयपूर्ण माना। इसके कुछ ही दिन बाद आपातस्थिति लागू कर दी गई।

अगली सुबह 6 बजे मंत्रिमण्डल की बैठक की गई और देश में आपातस्थिति की घोषणा के बारे में मंत्रियों को बताया गया। इससे बहुत पहले आधी रात से ही और कुछ मामलों में उससे भी पहले से विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया गया था। श्री जयप्रकाश नारायण और श्री मोरारजी देसाई को रात में 3 बजे सोते से जगाया गया। 26 जून को दिन में बहुत बाद तक गिरफ्तारियां चलती रहीं।

प्रातः पांच बजे मंत्रियों के घरों में टेलीफोन की घंटियां बजीं और उन्हें बिस्तर छोड़कर 6 बजे मंत्रिमण्डल की बैठक में आने के आदेश दिए गए। डाक्टर कर्णसिंह बैठक में देर से पहुंचे। उनके शयनकक्ष में टेलीफोन नहीं था इसलिए सूचना उन्हें तत्काल नहीं मिल सकी थी।

प्रधानमंत्री निवास की ओर जाते हुए मंत्रिगण इतनी जल्दबाजी में की गई

इस बैठक के कारणों के बारे में व्यग्र अनुमान लगा रहे थे। कुछ ने सोचा कि शायद इस बैठक का सम्बन्ध जयप्रकाश नारायण द्वारा पिछली सन्ध्या को रामलीला मैदान की सभा में दी गई धमकी के जवाबी उपाय सोचने से है। धमकी यह थी कि इलाहाबाद के फैसले के बाद विरोधी दलों द्वारा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की माग को बल देने के लिए उनके निवास का घेराव किया जाएगा।

मन्त्रिमण्डल की बैठक कुल 15 मिनट में समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री का चेहरा गम्भीर और तनावपूर्ण था और उन्होंने सक्षेप में घोषणा की कि राष्ट्रपति द्वारा उसी रात हस्ताक्षर कर देने के बाद आपातस्थिति लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हालात हाथ से निकलते जा रहे थे और आपातस्थिति की घोषणा अनिवार्य थी। तब उन्होंने गृहसचिव खुराना से कहा कि वे घोषणापत्र को पढ़कर सुना दें और गृहराज्यमंत्री ओम मेहता पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें।

वहा एकत्र मन्त्रीगण को इससे गहरा धक्का लगा। किसी के मुह से भी आवाज नहीं निकली। विरोध करना तो दूर किसी ने प्रश्न तक नहीं पूछा। कुछ मिनट बाद श्री स्वर्ण सिंह ने अपना होश सभाला और कुछ स्पष्टीकरण चाहे। बाह्य आपातस्थिति का विधान पहले ही है। क्या सरकार उसके अधीन इच्छित कदम नहीं उठा सकती थी? क्या इस एक और आपातस्थिति की घोषणा की जरूरत थी? प्रधानमंत्री इन प्रतिबन्धों को कितनी देर तक लागू रखना चाहती हैं?

प्रधानमंत्री ने सख्त आवाज में श्री स्वर्ण सिंह का ध्यान पिछली सन्ध्या के श्री जयप्रकाश नारायण के भाषण की ओर आकर्षित किया जिसमें उनके निवास का घेराव करने की धमकी दी गई थी। श्रीमती गाधी ने मत्रिमण्डल को यह भी बताया कि देश में कठोर सेंसर लागू किया जाएगा।

जब मन्त्रिमण्डल की बैठक चल रही थी तो सजय गाधी सुरक्षा अधिकारियों के साथ कक्ष के बाहर चहलकदमी कर रहे थे जैसे कि मत्रिमण्डल की बैठक में मत्रियों के व्यवहार पर नजर रख रहे हों।

बताया गया है कि उस रात लगभग 400 वारण्टों पर हस्ताक्षर किए गए। आपातस्थिति के घोषणा पत्र पर क्योंकि पिछली सन्ध्या को 8 30 पर हस्ताक्षर हो गए थे इसलिए इस विशाल देश भर में विरोधी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश जल्दी से जल्दी 10 बजे तक भेजे जा सके थे।

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि आपातस्थिति के घोषणा पत्र पर मत्रिमण्डल की सहमति से पहले ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके थे और इस प्रकार संविधान की धारा 74 का भग किया गया था। इस दृष्टि से यह घोषणा गैरकानूनी और असंवैधानिक थी।

चुनावों में अपनी हार और अपने दल की पूर्ण पराजय के बाद श्रीमती गाधी

ने यह तर्क दिया कि उन्होंने मंत्रिमण्डल से पहले ही परामर्श इसलिए नहीं किया था क्योंकि वे इस निर्णय को गुप्त रखना चाहती थीं। इस तर्क से मंत्रिमण्डल के अपने साथियों के प्रति उनकी अवज्ञा और निश्चित संवैधानिक कार्यविधि के प्रति उनकी अल्प सम्मान भावना ही व्यक्त होती है।

अब उनके दल के जनसम्पर्क प्रबन्धकों ने अपना दिमाग इस बात पर केन्द्रित किया कि ऐसा अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए जिसमें श्रीमती गांधी कानून अथवा संविधान अथवा राजनीतिक विरोध किसी भी दिशा से किसी भी बाधा अथवा विघ्न से निश्चिन्त होकर देश का शासन चला सकें। इलाहाबाद के फैसले के फौरन बाद प्रचार का जो आधार निश्चित किया गया था उसे ही जनता की रैलियों के और सभी प्रचार माध्यमों के द्वारा बृहद रूप में और पद्धतिबद्ध ढंग से प्रसार दिया गया।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को कोलाहलपूर्वक एक व्यक्ति की पूजा का साधन बना दिया गया और श्रीमती गांधी (जिन्हें अब से आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मात्र प्रधानमंत्री के स्थान पर हमारी प्रधानमंत्री कहा जाने लगा) को भारत को मुक्ति दिलाने वाली कहा जाने लगा—मुक्ति उस अराजकता से जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगी देश को झोंकना चाहते थे। शीघ्र ही समाचार एजेंसी को भी इस काम में जोत दिया गया।

प्रचार के हर माध्यम द्वारा जिस मंत्र को बार बार दोहराया जाने लगा वह था—देश के सामने उपस्थित इस अभूतपूर्व संकट के समय श्रीमती गांधी उसके लिए अपरिहार्य हैं और वही हैं जो इस वर्तमान संकट में से देश को निकाल सकती हैं। संवैधानिक और कानूनी पाबंदियों से मुक्त अब वे ही देश को तेजी से समाजवाद सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति की ओर ले जाने में समर्थ हैं।

इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक बहुत ही जोरदार जनवादी कार्यक्रम लागू किया गया। प्रातः से संध्या तक प्रधानमंत्री निवास की ओर जाते रहने वाले, नारे लगाते शानदार जुलूसों के अतिरिक्त नम्बर 1 सफदरजंग मार्ग पर और राजधानी में सब कहीं सार्वजनिक रैलियों के सिलसिले हर दिन की बात हो गए। कार्यक्रम में रोटी और सरकस दोनों ही शामिल किए जाने लगे।

नगर के सभी भागों से तथा गुड़गांव सोनीपत एवं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अन्य पड़ोसी नगरों से लोगों की भीड़ों को लाने के लिए दिल्ली परिवहन की बसों को लगाया गया। लोगों को दो घंटे के लिए प्रति व्यक्ति पांच या दस रुपये के हिसाब से इकट्ठा किया गया। टैक्सी चालकों को प्रेरित किया गया कि वे अपनी टैक्सियों में पैट्रोल भरें और रैलियों के लिए लोगों को लाकर चालीस से पचास रुपये दैनिक कमाएं। हिसाब लगाया गया है कि इस प्रयोजन के लिए बसें देकर दिल्ली परिवहन ने चार लाख का घाटा उठाया था।

इन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमन्त्री के प्रति जनता के पक्के समर्थन के गीत चीख चीखकर गाए और उनमे देश की निहित आस्था को वाणी दी और उनसे प्रार्थना की कि वे प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहें। उन्होंने शोर मचाकर दावा किया कि जनता उच्चतम न्यायालय से कहीं ऊंची है और इसलिए उच्चतम न्यायालय को जनता की इच्छाओं की उपेक्षा करने का साहस नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मजदूरों किसानों वकीलों अध्यापकों लेखकों ट्रक चालकों टैक्सी चालकों स्कूटर चालकों और विद्यार्थियों के सगठित समूह नम्बर 1 सफदरजंग मार्ग गए और उन्होंने श्रीमती गांधी को प्रेरित किया कि वे डटी रहें और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सब उनके पीछे हैं।

इन रैलियों के स्थलों पर चाहे वह नम्बर 1 सफदरजंग मार्ग हो या बोट क्लब मैदान या रामलीला मैदान बर्फ का ठंडा पानी प्यासों को और छोले-पूड़ी भूखों को बांटी जाती थी। आइसक्रीम बेचने वालों को भीड़ के बीच घूमने की पूरी आजादी थी। पुलिस चारों ओर घेरा डाले रहती थी और देखती रहती थी सब कुछ अनुशासन मे चल रहा है। वस्तुत एक सगठित विशाल पिकनिक का वातावरण ऐसी जगहों पर रहता था।

ऐसी ही एक रैली में न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा का पुतला जलाया गया। नगर में पोस्टर लगाए गए जिनमें कहा गया था कि न्यायाधीश महोदय और सी० आई० ए० के बीच साठ गांठ है। जब आंख से देखने वाले सवाद दाताओं ने यह सब बताया तो श्रीमती गांधी ने जोरदार शब्दों में इससे इन्कार किया।

26 जून का दिन प्रधानमंत्री के लिए एक व्यस्त दिन था। प्रात छ बजे मन्त्रिमंडल की बैठक के बाद आठ बजे उन्हें आकाशवाणी पर राष्ट्र के नाम सन्देश देना था।

उन्होंने अपना सन्देश इस आश्वासन के साथ शुरू किया राष्ट्रपति ने आपातस्थिति की घोषणा कर दी है। इसमें आतंकित होने की कोई बात नहीं है।" तब उन्होंने उस गहरे और व्यापक षड्यन्त्र की ओर सकेत किया जो तभी से पनप रहा था जब से उन्होंने 'भारत के सामान्य स्त्री पुरुषों की भलाई के लिए कुछ प्रगतिशील कानून लागू करने शुरू किए थे।'

आपातस्थिति की घोषणा को संगत ठहराने के लिए जो कारण उन्होंने दिए उनमें से कुछ इस प्रकार थे लोकतन्त्र के नाम पर लोकतान्त्रिक गतिविधियों को ही समाप्त करने का षड्यन्त्र की गई है। विधिपूर्वक चुनी गई सरकारों को काम करने नहीं दिया गया है और कुछ मामलों में तो कानूनी ढंग से निर्वाचित विधान सभाओं को भंग कराने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफे के लिए बलपूर्वक मजबूर किया गया है। आन्दोलनों से वातावरण में ऐसी उत्तेजना फैल गई है कि हिंसक

घटनाएं घट रही हैं। मन्त्रिमंडल म मेरे सहयोगी श्री एल०एन० मिश्र की क्रूर हत्या स पूरे देश को गहरा धक्का लगा है। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कायरतापूर्ण हमल की भी कठोर निन्दा करत हैं। कुछ लोग तो हमारी सशस्त्र सनाओं को विद्रोह क लिए और पुलिस को बगावत के लिए उकसाने की सीमा तक आग बढ गए हैं। यह तथ्य है कि हमारी सुरक्षा सेनाएं और पुलिस दल अनुशासित एवं अत्यन्त देशभक्त हैं और वे उकसान म नहीं आयेंगे फिर भी इससे इन उत्तजनात्मक कार्यवाहियों की गम्भीरता कम नहीं होती। विघटनकारी तत्व अपने पूरे जोर पर है। साम्प्रदायिक भावनाएं भडकाई जा रही हैं और इसस हमारी एकता खतरे म पड गई है।

इसक बाद श्रीमती गांधी ने उनक विरुद्ध लगाए गए "झूठे आरोपों" का हवाला दिया और कहा "मैं प्रधानमन्त्री रहती हू या नहीं यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। लकिन प्रधानमन्त्री की सस्था का महत्त्व है और इसे बदनाम करने के जानते बूझत जो राजनीतिक प्रयत्न किए गए हैं वे लोकतन्त्र अथवा राष्ट्र किसी के हित म नहीं हैं।

उन्होंने कहा हमने बहुत लम्बे अरस तक अधिकतम धय के साथ इन गति विधियों को सहन किया है। (इस हम स शाही हम की गन्ध आती है) अब हमें सामान्य कायकलाप को अस्तव्यस्त करन के उद्देश्य स कानून और अनुशासन को चुनौती देन क एक नय कार्यक्रम का पता चला है। कोई भी सरकार, जिसम जरा भी तत्व है, कसे यह सब देखती रह सकती है और कसे देश की स्थिरता को खतरे म पडने द सकती है? थोड से लोगो क काम विराट बहुमत के अधिकारों को सकट म डाल रहे हैं। कोई भी स्थिति जो देश के भीतर निर्णायक ढंग से काम करन की राष्ट्रीय सरकार की क्षमता को कमजोर बनाती है बाहरी खतरों को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित करती है। हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है कि हम एकता और स्थिरता की रक्षा करें। राष्ट्र की अखंडता की माग है कि सख्त कार्यवाही की जाए।

अगले ही दिन श्रीमती गांधी ने दूसरा प्रसारण किया और इसम एक बार फिर उन्होंने आपातस्थिति की घोषणा को सगत ठहराने के लिए कहा कि हिंसा और घृणा का वातावरण पैदा किया गया था, जिसके फलस्वरूप एक केबिनेट मन्त्री की हत्या की गई और भारत के मुख्य न्यायाधीश का जीवन लेने का प्रयास किया गया।

उन्होंने केन्द्रीय सरकार को पंगु बनाने के उद्देश्य से देश भर म बन्द घेराव, आन्दोलन तोड फोड के तथा औद्योगिक मजदूरों पुलिस एवं सुरक्षा सेनाओं के सिपाहियों को भडकाने के प्रस्तावित कार्यक्रम का जिक्र किया। तब उन्होंने घोषणा की यह अच्छी तरह समझ लिया जाना चाहिए कि लोकतन्त्र म भी कुछ

सीमाएं होती हैं जिन्हें लांघा नहीं जा सकता। हिंसात्मक कार्यवाही और अर्थहीन सत्याग्रह उस पूरे आधार को ही तोड़-फोड़ देंगे जो वर्षों के बीच अत्यन्त परिश्रमपूर्वक और अनेकों आशाओं के साथ निर्मित किया गया है।'

आगे उन्होंने देश पर सेंसर लागू किये जाने को संगत ठहराते हुए कहा 'आप जानते हैं कि समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता में मेरा सदा ही विश्वास रहा है और अब भी है। लेकिन अन्य सभी स्वतन्त्रताओं की तरह ही इसका इस्तेमाल भी जिम्मेदारी और संयम के साथ ही किया जाना चाहिए। आंतरिक गड़बड़ियों की स्थिति में वे चाहे भाषाई ढंग रहे हों या साम्प्रदायिक अनुत्तरदायी लेखन के माध्यम से गम्भीर शरारतें की गई हैं।

हम ऐसी स्थिति को रोकना ही था। कुछ अरसे में कुछ समाचारपत्र जान-बूझ कर खबरों को बिगाड़ते रहे हैं और निन्दापूर्ण एवं उत्तेजनात्मक टिप्पणियां लिखते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि शांति और स्थिरता की स्थिति लाई जाए। सेंसर लगाने का मतलब है फिर से विश्वास का वातावरण पैदा करना।

पूर्ण सेंसरशिप ने और बड़ी संख्या में लोगों को जेलों में डाल दिए जाने ने ठीक जवाब देने के अवसर से विरोधी पक्ष को महरूम कर दिया। सभी प्रचार माध्यमों को, आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार एजेंसी तथा सारे के सारे प्रेस को सरकारी आदेश से विरोधी पक्ष पर कीचड़ उछालने के काम पर लगा दिया गया। श्री जयप्रकाश नारायण ने जेल से लिखे एक पत्र में उनके और अन्य विरोधी नेताओं के ऊपर श्रीमती गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर दिया था लेकिन यह पत्र उन्नीस महीने बाद जनवरी 1977 में आम चुनावों की घोषणा तक और सेंसरशिप के उठाए जाने तक प्रकाशित नहीं हो पाया।

इस पत्र में उन्होंने कहा था कि श्रीमती गांधी के भाषणों और भेंट वार्ताओं के जो विवरण पत्रों में छपे हैं, उनसे वे आतंकित हो उठे हैं। उन्होंने आगे कहा था यह तथ्य कि अपनी कार्यवाही को संगत ठहराने के लिए आपको हर दिन कुछ न कुछ कहना पड़ता है इस बात का सूचक है कि आप में एक अपराध चेतना काम कर रही है।'

पत्र में कहा गया था समाचारपत्रों का और हर प्रकार की सार्वजनिक असहमति का गला घोटकर आप आलोचना अथवा विरोध के डर से मुक्त रह कर तथ्यों को विकृत करती और लगातार झूठ बोलती जा रही हैं। यदि आप सोचती हैं कि इस प्रकार आप जनता की दृष्टि में अपने को संगत सिद्ध कर सकेंगी और विरोधी दलों को राजनीतिक मृत्युदण्ड की ओर धकेल सकेंगी तो आप गलती पर हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण ने इस आरोप से साफ इंकार किया कि सरकार को पंगु बनाने की कोई योजना थी। उन्होंने अपनी इस मान्यता को दुहराया कि

नोकतंत्र में जनता को यह अधिकार है कि यदि उनकी निर्वाचित सरकार भ्रष्ट हो जाए और कुशासन करने लगे तो वे उससे त्यागपत्र देने के लिए कहें। यदि कोई विधानमंडल ऐसी सरकार का समर्थन करते रहने की जिद करता है तो उसे भी भंग कर दिया जाना चाहिए जिससे कि जनता अधिक अच्छे प्रतिनिधि चुन सके।

उन्होंने कहा, जहां तक बिहार का सम्बन्ध है पटना में हुई विराट सभाएं और निकाले गए जलूस पूरे राज्य में की गई हजारों क्षेत्रीय सभाएं तीन दिन का बिहार बंद 4 नवम्बर की स्मरणीय घटनाएं तथा 18 नवम्बर को गांधी मैदान में हुई विराटतम सभा—ये सब बातें जनता की मर्जी की ओर दृढ संकेत करती हैं।

श्री जयप्रकाश की मान्यता थी कि बिहार में सरकार को मौका दिया गया था कि वह बातचीत के द्वारा मामलों को तय कर ले। विद्यार्थियों की कोई भी मांग अनुचित अथवा समझौते से परे नहीं थी। लेकिन बिहार सरकार ने संघर्ष के तरीके को अर्थात अप्रतिम दमन को चुना। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। दोनों ही जगह सरकार ने बातचीत के और मेज पर बैठकर मुद्दों को तय करने के रास्ते को रद्द कर दिया और संघर्ष के मार्ग को चुना।

सर्वोदय नेता ने जोर देकर कहा बिहार को छोड़कर भारत के किसी भी अन्य राज्य में आन्दोलन जैसी कोई भी चीज नहीं थी। अतः सरकार का पंगु बनाने की जिस योजना की बात आप करती हैं वह केवल आपकी कल्पना का करिश्मा है और इसे आपने अपने निरंकुश कार्यों को संगत ठहराने के लिए सोच निकाला है।

उन्होंने कहा कि अगर कोई योजना थी भी तो वह एक साधारण निर्दोष और कम अवधि की योजना थी जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा आपकी अपील पर फैसला होने तक चलाया जाना था। इसी योजना की 25 जून को रामलीला मैदान में घोषणा की गई थी और उस संध्या के उनके भाषण का विषय भी यही था। कार्यक्रम यह था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती गांधी की अपील पर फैसला किए जाने तक के लिए वे पद से अलग रहें और इस मांग के समर्थन में कुछ चुने हुए लोग उनके निवास के सामने या उसके निकट सत्याग्रह करें। कार्यक्रम था कि सात दिनों तक दिल्ली में ऐसा किया जाए और इसके बाद इसे राज्यों में चलाया जाए। मैं नहीं समझ पाता कि इसमें ध्वंसात्मक या खतरनाक क्या है। किसी भी लोकतन्त्र में सविनय अवज्ञा का पक्का अधिकार नागरिक को होता है। जब भी वह देखे कि शिकायतें दूर करने अथवा सुधार लाने के अन्य माध्यम बन्द हो चुके हैं वह ऐसा कर सकता है।

श्री जयप्रकाश ने आगे कहा कि सत्याग्रह का यह कार्यक्रम विरोधी पक्ष को

सूझता ही नही   यदि आपने अपने पद से चुपचाप चिपके रहने तक ही सन्तोष किया होता। लेकिन आपने ऐसा नही किया। अपने समर्थको के द्वारा आपने अपने निवास के बाहर रलिया और प्रदर्शन आयोजित कराए जिनमे आपसे प्राथना की गई कि आप इस्तीफा न दें। आप इन जन समूहो के सामने बोली और अपने पक्ष को सगत ठहराने के लिए आपने मिथ्या तक पेश किये और विरोधी पक्ष को लाछनों स लाद दिया। जब एसी निन्दनीय घटनाए हर दिन हाने लगी तो इस शरारत का जवाब दने के सिवाय और कोई चारा विरोधी पक्ष के पास न रहा। और ऐसा किस ढग से करने का फसला उन्हाने किया ? गुडागर्दी के द्वारा नही बल्कि अनुशासित सत्याग्रह के द्वारा आत्म बलिदान के द्वारा।'

इस आरोप का जवाब दत हुए कि सशस्त्र सेनाओ म एव पुलिस म विद्रोह के बीज बोने की कोशिश उन्हान की श्री जयप्रकाश ने कहा कि उन्होने केवल यह किया था कि सेनाओ और पुलिस के सिपाहियो और अफसरो को उनके कतव्यों और जिम्मेदारियो के प्रति सचेत किया था। इस बारे म जो कुछ भी उन्हाने कहा था वह कानून सविधान सना विधेयक और पुलिस विधेयक के अन्तगत था।

पत्र को समाप्त करते हुए उन्हाने लिखा 'ऐसा लगता है जब आपकी व्यक्तिगत स्थिति को खतरा होता है   तभी आप तेजी स और नाटकीय ढग स काम कर पाती हैं। जसे ही आपकी स्थिति निर्विघ्न होती है आपका रुख पुन बदल जाता है। इन्दिरा जी   कृपा करके अपने का राष्ट्र के साथ एकरूप मत करिए। आप अनश्वर नही है   भारत अनश्वर है।'

सघष समिति ने कायवाही का जो कायक्रम सोचा था, उसम यह शामिल था कि 27 जून स 7 जुलाई तक जिला   नगर   और राज्य स्तरो पर सब कही जन सभाए की जाए और प्रधानमन्त्री पद से श्रीमती गाधी के त्यागपत्र की माग करते हुए प्रस्ताव पास किए जाए। 6 जुलाई को नेताओ को स्थिति का जायजा लेना था और अगल कदम के बारे म तय करना था। 25 26 जून को देश मे आपात स्थिति लागू कर दी गई और विरोधी नेताओ को पकड लिया गया और इस प्रकार आन्दोलन के प्रस्तावित कायक्रम के लिए शक्ति सगठित करने का अवसर ही नही मिला।

यह बात ध्यान म रखने की है कि श्रीमती गाधी ने देश पर आपातस्थिति उस क्षण लागू की जब जयप्रकाश का आदोलन मद पड रहा था। असल मे विरोधी पक्ष किसी भी सघष के लिए तयार नही था यह तथ्य उस समय स्पष्ट उभरा जब 26 जून का सामूहिक गिरफ्तारिया के बाद लम्बे समय तक   तब तक स्तब्धता रही जब तक कि छुपे हुए नेताओ न एक दूसरे स सम्पक नही कर लिया और थाडी बहुत प्रभावशाली गतिविधि के लिए एक सगठन की शक्ल निर्मित नही कर ली।

सत्य यह है कि नेताओं ने यह सोचा भी नहीं था कि पूरे देश में विरोधी पक्ष के नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी जैसे चरम तरीके को श्रीमती गांधी अपनाएंगी और इसीलिए वह स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में किसी भी जवाबी कार्यवाही के लिए उन्होंने अपने को अप्रस्तुत पाया।

असल में जिस दिन न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने श्रीमती गांधी के आवेदन पर अपना फैसला दिया उस 24 जून को कृष्ण मेनन मार्ग स्थित श्री मोरारजी देसाई के निवास पर विरोधी नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें उन्होंने न्यायमूर्ति अय्यर के फैसले से पैदा होने वाली बातों का अध्ययन किया था और श्रीमती गांधी के पद-त्याग न करने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाएं यह तय किया था। सर्वश्री जयप्रकाश नारायण राजनारायण और लालकृष्ण आडवानी इस बैठक में थे। चारों दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले चालीस नेताओं ने इसमें भाग लिया था।

श्री जयप्रकाश को अगली सुबह दिल्ली से पटना जाना था। उनसे प्रार्थना की गई थी कि वे अपना जाना एक दिन के लिए स्थगित कर दें और अगले दिन दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा में सामने बोलें। जयप्रकाश ठहर जाने के लिए तैयार हो गए थे बशर्ते कि नेताओं को यह विश्वास हो कि इतने थोड़े समय में वे एक सार्वजनिक सभा का आयोजन कर सकेंगे। नेताओं ने इसका जिम्मा लिया। तभी यह भी तय किया गया कि श्रीमती गांधी के निवास पर 29 जून से सत्याग्रह शुरू किया जाए। सत्याग्रहियों को नम्बर 1 सफदरजंग मार्ग और नम्बर 1 अकबर रोड वाले गोल चक्कर पर इकट्ठा होना था नारे लगाने थे और गिरफ्तार होना था। सत्याग्रह 15 दिन तक चलना था।

है। निराश स्वर में वे कह उठे कि जयप्रकाश जी के लिए इतने सारे स्वयंसेवक व कहां से पैदा करेंगे। स्पष्ट था कि चारों दलों में से कोई भी एक वृहद्स्तरीय राजनीतिक संघर्ष के लिए न मन से तैयार था और न ही साधनों से।

यह भी स्पष्ट था कि श्रीमती गांधी के गुप्तचर विभागों रा (RAW) और सी० आई० बी० ने उन्हें बता दिया था कि प्रधानमंत्री निवास अथवा राष्ट्रपति भवन के बाहर धरना देने से अधिक सरकार के लिए कोई गंभीर परेशानी पैदा करने में विरोधी पक्ष अक्षम था। फिर भी श्रीमती गांधी अपने सार्वजनिक भाषणों में यही लकीर पीटती रहीं कि विरोधी दल सरकार को पंगु बनाने और देश में अराजकता पैदा करने का षड्यन्त्र रच रहे हैं।

सत्य यह है कि नेताओ ने यह सोचा भी नही था कि पूरे देश म विरोधी पक्ष क नताओ की सामूहिक गिरफ्तारी जसे चरम तरीके को श्रीमती गाधी अपनाएगी और इसीलिए वहद स्तर पर सविनय अवज्ञा आदोलन के रूप म किसी भी जवाबी कायवा_ही के लिए उन्होने अपने को अप्रस्तुत पाया।

असल म जिस न्नि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने श्रीमती गाधी के आवेन्न पर अपना फसला न्यि उस 24 जून को कृष्ण मेनन माग स्थित श्री मोरारजी देसाई के निवास पर विरोधी नताओ की बठक हुई थी। इसम उन्होने न्यायमूर्ति अय्यर के फसल स पदा होने वाली बाता का अध्ययन किया था और श्रीमती गाधी के पद-त्याग न करने की स्थिति मे क्या कदम उठाए जाए यह तय किया था। सवश्री जयप्रकाश नारायण राजनारायण और लालकृष्ण अडवानी इस बैठक म थ। चारो दला का प्रतिनिधित्व करने वाल चालीस नताओ ने इसम भाग लिया था।

श्री जयप्रकाश को अगली सुबह दिल्ली से पटना जाना था। उनम प्राथना की गई थी कि व अपना जाना एक दिन क लिए स्थगित कर दें और अगले न्नि न्लिली म एक सावजनिक सभा के सामने बोलें। जयप्रकाश ठहर जाने क लिए तयार हो गए थे बशर्ते कि नेताओ को यह विश्वास हो कि इतने थोड समय म व एक सावजनिक सभा का आयाजन कर सकगे। नताओं न इसका जिम्मा लिया। तभी यह भी तय किया गया कि श्रीमती गाधी के निवास पर 29 जून स सत्याग्रह शुरु किया जाए। सत्याग्रहिया को नम्बर 1 सफदरजग माग और नम्बर 1 अकबर रोड वाले गोल चक्कर पर इकट्ठा होना था नारे लगान थे और गिरफ्तार होना था। सत्याग्रह 15 दिन तक चलना था।

कायक्रम क विवरणो पर विचार करत हुए श्री जयप्रकाश न उपस्थित नेताओ स यह आश्वासन चाहा था कि सत्याग्रह 15 दिनो तक जारी रखा जाएगा। जब नेताओ न उन्ह आश्वासन दिया तब जयप्रकाश न माग की "मुझे आदमी दो! कौन सा दल कितने स्वयसवक दगा और कितने न्नो तक ?

बिना अधिक सोचे विचारे और बिना कोई तयारी किए चारो दलो क प्रतिनिधियो न जो सख्याए दी वे 500 से 1000 स्वयसवको के बीच कुछ भी मानी जा सकती थी। इस आधार पर यह माना गया कि वे कुल मिलाकर पद्रह हजार स ऊपर स्वयसवक देंग। श्री जयप्रकाश बहुत ही सन्तुष्ट और खुश नजर आए।

न्स बठक म उपस्थित एक व्यक्ति क अनुसार श्री जयप्रकाश क जाने क बान नता लोग आपस म झगडने लग और श्री जयप्रकाश को अत्युक्तिपूण सख्याए देन का दोष एक दूसरे पर मन्न लगे। उ होन स्वीकार किया कि जितने स्वयसवक दने का वचन व लोग न बठ हैं उतन स्वयसवक उनम स कोई भी जुटा नही पाएगा क्योंकि अभी तो अपने अनुयायियो को उन्होन सगठित तक नही किया

है। निराश स्वर में वे कह उठे कि जयप्रकाश जी के लिए इतने सारे स्वयंसेवक वे कहा से पदा करेंगे। स्पष्ट था कि चारो दलो में से कोई भी एक बहदस्तरीय राजनीतिक सघप के लिए न मन से तैयार था और न ही साधनो से।

यह भी स्पष्ट था कि श्रीमती गाधी के गुप्तचर विभागो रा (RAW) और सी० आई० डी० ने उन्हें बता दिया था कि प्रधानमंत्री निवास अथवा राष्ट्रपति भवन के बाहर धरना देने से अधिक सरकार के लिए कोई गभीर परेशानी पदा करने में विरोधी पक्ष अक्षम था। फिर भी श्रीमती गाधी अपने सावजनिक भाषणो में यही लकीर पीटती रही कि विरोधी दल सरकार को पगु बनाने और देश में अराजकता पदा करने का षडयन्त्र रच रहे हैं।

3
श्रीमतीजी की कार्यविधि

व्यक्तियों और प्रश्नों से बरतने के श्रीमती गांधी के बहुत कुछ चक्करदार तरीके को उन्होंने मंत्रिमंडलीय साथियों ने नाम दे रखा था — 'श्रीमतीजी की कार्यविधि'। वे 'क' के प्रति अत्यन्त मित्रतापूर्ण एवं निकट होतीं लेकिन यदि कोई विवादास्पद प्रस्ताव या कोई आलोचना उन तक पहुंचाना वे चाहतीं तो 'क' से सीधे कुछ न कहतीं बल्कि 'ख' के माध्यम से उन्हें सूचित करतीं। दूसरी ओर यदि 'ख' की किसी विशेष गतिविधि के बारे में अपने विचार वे उन तक पहुंचाना चाहतीं तो सीधे 'ख' से मुद्दे पर विचार विमर्श करने के बजाय यह काम 'क' को सौंपतीं। अपनी राजनीतिक गतिविधि का वे संदेशवाहकों के माध्यम से चलाती थीं। यही उनका तरीका था।

जब श्रीमती गांधी ने मोइनुल हक चौधरी को अपनी मन्त्रि परिषद से हटाने का फैसला किया तो उन्होंने यह बुरी खबर अस्पताल में पड़े श्री चौधरी के पास श्री यशपाल कपूर के माध्यम से भेजी। जब श्री राजबहादुर को मन्त्रिमंडल से अलग किया गया तो इन्हीं यशपाल कपूर के हाथ यह समाचार भेजा गया। लगता है यशपाल कपूर बुरी खबरें पहुंचाने की कला के विशेषज्ञ बन गए थे। वित्तमन्त्री के पद से बर्खास्त किए जाने की सूचना श्री मोरारजी देसाई को पी० टी० आई० के टेलीप्रिंटर से मिली थी।

ये तरीके क्यों इस्तेमाल किए जाते थे, इसके स्पष्टीकरण में मुझे यह बताया गया कि इस प्रकार श्रीमती गांधी काफी उलझनों से बच जाती थीं। बाद में यदि मामला बिगड़ जाए और उनकी पसंद का विफल हो जाए तो वे साफ बच निकलती थीं और उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं रहता था। वह बात तब उनके दिमाग की उपज बिलकुल नहीं रहती थी। लेकिन यदि सब ठीक हो जाए तब प्रेरणा उन्हीं की मानी जाती थी और वे उसका यश लेती थीं।

अपने आसपास के लोगों पर वे यह छाप छोड़ती हैं कि वे सबसे अलग-थलग और दूर दूर हैं। अपने विचार वे अपने तक ही रखती हैं। वे कभी अपनी मुट्ठी खुलने नहीं देतीं और अपने पत्तों को अपनी छाती में छुपाए रहती हैं। मित्रों और सलाहकारों की बात वे ठंडे दिमाग से सुनती हैं लेकिन करती वही हैं जो वे खुद चाहती हैं।

एक बार, जब स्वर्गीय, डा० डी० आर० गाडगिल (उस समय योजना आयोग

के उपाध्यक्ष) को श्रीमती गांधी ने तत्कालीन पंचवर्षीय योजना के बारे में उनके विचार जानने के लिए बुलाया। इस मामले में उन्होंने जो रुचि दिखाई उससे डा० गाडगिल बहुत ही प्रोत्साहित हुए। सभी तथ्यों और आंकड़ों से सज्जित होकर वे उनके दफ्तर में पहुंचे। वे लगभग चालीस मिनट तक अपनी बात कहते रहे। यह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि इस बीच श्रीमती गांधी अपनी मेज पर झुकी सामने रखे पैड पर बहुत तत्परता से लिखे चली जा रही थीं। जब अचानक उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची करके देखा तो यह देखकर वे खीज उठे कि प्रधान मन्त्री के सामने रखा कागज टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से भरा हुआ था।

अपने मन्त्रिमंडल को वे कभी अपने विश्वास में नहीं लेती थीं। वे सदा एक चौकड़ी के माध्यम से ही काम चलाती थीं। मन्त्रिमंडल की बैठकों में कभी-कभी ही ऐसा होता था कि कोई अर्थपूर्ण बहस या विचार विनिमय हो। अधिक से अधिक राजनीतिक मामलों की समिति में कुछ विचार विमर्श हो पाता था।

दो वरिष्ठ मन्त्रियों को वे कभी परस्पर निकट नहीं आने देती थीं। भेद डालो और शासन करो की नीति में वे दक्ष थीं। अपने मन्त्रियों को एक दूसरे से भिड़ाकर उन्हें अपना गुलाम बनाए रखने की इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम की प्रतिभा का वे अच्छा प्रदर्शन करती थीं। उनके अक्खड़पन और अधिकार की प्यास ने उन्हें कितने ही लोगों से काट दिया। घाघ और हिसाबी होने के कारण उनमें उदारता की कमी थी और अक्सर वे प्रतिहिंसात्मक बन जाती थीं।

एक समय उनके अंतरंग सलाहकारों में प्रमुख थे—सर्वश्री दिनेशसिंह, पी० एन० हक्सर, इन्द्र गुजराल और रमेश थापर। एक के बाद एक ये नजरों से गिरते गए। इनके स्थान पर दूसरा गुट आ गया जिसमें प्रमुख थे—डी० पी० धर। कुछ समय के बाद इनका रंग भी उड़ गया। इनके बाद सिद्धार्थशंकर राय और रजनी पटेल की बारी आई।

अन्त में संजय की चौकड़ी का शासन देश पर लागू हुआ और अच्छे के लिए या बुरे के लिए उन्होंने आपत्कालीन तंत्र का रूप और आकार दिया। इस चौकड़ी में संजय गांधी के अतिरिक्त सुरक्षा मन्त्री बंसीलाल, सूचना और प्रसारण मन्त्री विद्याचरण शुक्ल, गृह राज्य मन्त्री ओम मेहता और राजकुमार धवन थे।

यह व्यक्ति जब प्रधान मन्त्री के कार्यालय में लाया गया, उस समय रक्षा विभाग में एक मुख्य लिपिक मात्र था। यह राजमहल के एक महत्त्वपूर्ण दरबारी यशपाल कपूर का भांजा था और यश कपूर ही इसे प्रधान मन्त्री के मन्त्रालय में लाया था। धवन अब नम्बर 1 सफदरजंग मार्ग का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर रहकर वह प्रधान मन्त्री के दफ्तर में राजनीतिक मामलों को देखने लगा। बिना उसकी अनुमति या जानकारी के पत्ता भी जमीन पर नहीं गिरता था।

वह संजय गांधी का बड़ा ही मुंहलगा और श्रीमती गांधी का विश्वासपात्र था। इसीलिए राजनीति प्रशासन उद्योग एवं व्यापार के शक्तिशाली लोग उसके आगे-पीछे घूमते थे और उसकी खुशामद करते थे। इस गठन की अजीब बात यह थी कि शुक्ल और ओम मेहता जैसे मन्त्री भी संजय का प्रसाद प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से होड़ लगाए रहते थे।

श्रीमती गांधी के इस ढंग में शाहीपन हो या न हो धृष्टता जरूर है। वे इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि अपने मित्रों और सलाहकारों को तेजी से बदलती रहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दूसरों पर बहुत अधिक और बहुत देर तक विश्वास नहीं करतीं। मामूली से मामूली मतभेद भी उन्हें नाराज कर देता है और वे मित्र या सलाहकार को अपने से तोड़ फेंकती हैं और इसके बाद कभी उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखतीं।

एक समय दिनेश सिंह उनके बड़े स्नेहभाजन और विशिष्ट मन्त्री थे। उन्हें मन्त्रिमण्डल से अलग कर दिया गया और एक गर्म अंगारे की तरह निजी मित्रों के घेरे से बहिष्कृत कर दिया गया। पी०एन० हक्सर काफी दिन चले, लेकिन अचानक वे भी नजरों से गिर गए। बताया जाता है कि इस समय जहां तक श्रीमती गांधी का सम्बन्ध है यशपाल कपूर को बाहर कर दिया गया है।

1975 के मध्य जून में अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट के समय सिद्धार्थशंकर राय एक चट्टान की तरह श्रीमती गांधी के साथ रहे और नैतिक एवं कानूनी समर्थन देते रहे। फिर भी कठिनाई से एक साल बीता था कि बिना किसी संकोच के श्रीमती गांधी ने उन्हें काट फेंकने का फैसला ले लिया। यह दूसरी बात है कि एक आकस्मिक परिस्थिति के कारण श्री राय बच गए।

अपने रास्ते में रोड़ा बनने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को वे कठिनाई से ही भूलतीं अथवा माफ करती हैं। अपने आसपास अति कुशल एवं महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों को वे सहन नहीं करतीं। जिस क्षण भी वे ऐसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं वे इनके पंख कुतर देती हैं अथवा निकाल बाहर करती हैं। इस ढंग से उन्होंने सिर्फ हां हां करने वालों से अपने को घेर लिया था। यहां तक कि चुनाव में भारी पराजय के बाद जब कांग्रेस दल ने अपने आपको संभालना शुरू किया और उस व्यक्तित्व की खोज आरम्भ की जो श्रीमती गांधी के स्थान पर दल का नेतृत्व संभाल सके, तब यशवंतराव चह्वाण के अतिरिक्त कोई भी आवश्यक ऊंचाई वाला व्यक्ति दीख नहीं पड़ा। श्रीमती गांधी सिर्फ बौनों और चमचों से घिरी थीं।

श्रीमती गांधी के बारे में यह बात बिलकुल सच है कि उनके केवल स्थाई हित थे स्थाई मित्र बिलकुल नहीं थे। स्वर्गीय पद्मजा नायडू ही इसका एक अपवाद थीं। वे श्रीमती गांधी की घनिष्ठ मित्र मार्गदर्शक एवं परामर्शक भी थीं। जब से पद्मजा

मरी श्रीमती गाधी अकेली पड गई। इसके बाद कभी-कभी वे अपने दूसरे बेटे सजय स अपने मन की बातें कर लेती। और बाद म तो सलाह और मानसिक चन के लिए वे उसी पर अधिकाधिक निभर होती गई।

मनोविश्लषक इस अविश्वास ने बहुत-कुछ एकान्त भय क मूल को असुरक्षा की उस निहित भावना मे खोजत ह जो उस समय उनम पनपी जब आरम्भ के अपन बच्चे दिनो म उन्हें एकाकी जीवन बिताना पडा। उनके माता पिता लम्बी अवधियों के लिए उनसे दूर चले जाते थे। उनकी माता बहुत जल्दी ही मर गई थी और पिता का अधिकतर समय जेल जाने आन म ही बीतता था। अपनी बुआओं से भी उनके सम्बन्ध बिलकुल स्नेहपूण नही थे।

नेहरू जी ने अपने नीचे के लोगों से सम्मान और पूजा प्राप्त की थी। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने अधीन लोगा का स्नेह पाया था। श्रीमती गाधी उनम भय का सचार करती थीं।

श्रीमती गाधी प्रकृति से ही एक प्रतिष्ठित महिला हैं और जब वे चाहे तब अपने व्यक्तित्व को अत्यन्त मनोहर बना पाने म समथ हैं यद्यपि उनकी मुस्कान म अक्सर एक पेंच छुपा रहता है। पर्याप्त आकषण स युक्त उनका व्यक्तित्व उनकी बहुत बडी सम्पत्ति है। इसका उन्होने भरपूर लाभ उठाया है। एक मन्त्री ने कहा था पत्थर स पत्थर दिल को भी व एक मुस्कान से पिघला सकती है।" जब भी कोई केबिनट स्तर का मन्त्री प्रधान मन्त्री क पास स लौटता था तो उसकी पत्नी का पहला सवाल उससे यही होता था 'उनके चेहरे पर मुस्कान थी या भवें टेढी थी !" मन्त्री का दिन इसी हिसाब से बन या बिगड जाता था। अपने इस आकषण का उपयोग व बहुत चुनाव के साथ करती थी और इसी से पुरुषों और स्त्रियों, दोनो का ही दिल व जीत लेती थी। जब रायबरेली मे वे असम्मानपूवक हार गइ तो जिन लोगो ने उनक विरुद्ध मत दिया था उनम अनेक सच्चे दिल से कह उठे थे, 'हाय ! लकिन उन्हे हराया नही जाना चाहिए था।'

पिछल दस वर्षों म उनम एक करिश्मा पैदा हो गया था। इस क्षण भी, जब कि 1977 क चुनावो म काग्रेस की बदनाम हार के लिए व पूरी तरह जिम्मेदार हैं कितने ही काग्रेसिया पर उनका जादू ज्यों का त्यो है और वे उनके भक्त है।

1969 म घरेलू राजनीतिक युद्ध म श्रीमती गाधी द्वारा अपनी लक्ष्यपूर्ति के लिए प्रयुक्त राजनीतिक चालबाजी और क्रूरता का काफी स्वाद सिंडीकेट अर्थात काग्रेस दल क पुरान महारथियो को चखना पडा था।

1969 म जब श्रीमती गाधी त्रस्त निर्जालगप्पा क विरुद्ध दाव पर दाव जीतती जा रही थीं तब नई दिल्ली म अमेरिका क राजदूत भूतपूव सीनेटर जान कीटिंग न इन पक्तियो के लेखक स कहा था मैं इस महिला का अभिवादन करता

किया वह सब इस अवधि के बीच उनकी मन स्थिति की ओर सकेत कर रहा था।

जिस समय श्रीमती गाधी के विरुद्ध श्री राजनारायण की चुनाव-याचिका पर न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने अपना फैसला दिया उस समय नम्बर 1 सफदरजग मार्ग पर और देशभर में ऐसा ही तनावपूर्ण वातावरण था। वे पहले ही किनारे पर झूल रही थी। इस फैसले ने उन्हें एकदम सिरे पर ला खडा किया। आरभिक डगमगाहट के बाद शीघ्र ही उन्होंने अपने मन को दृढ किया और अपनी निरकुशता की कामना को व्यवहार रूप देने और भारत के इतिहास में एक यश प्रवण महान नारी कहलाने के इस अवसर से पूरा लाभ उठाने का निश्चय किया।

1969 में काग्रेस के पुराने महारथियों के विरुद्ध जो अत्यत दक्ष राजनीतिक युद्धकौशल उन्होंने प्रदर्शित किया था और देश की विदेश नीति के सदर्भ में जो बारीक सूझबूझ उन्होंने दिखाई थी उससे पूरी दुनिया की प्रशसा उन्हें मिली थी। पाकिस्तान पर उन्होंने उल्लेखनीय सैनिक विजय प्राप्त की थी जिसके फलस्वरूप उस देश के दो टुकडे हो गए थे और बगला देश को मुक्ति मिल गई थी।

लदन इकानामिस्ट में उन्हें भारत की साम्राज्ञी कहा गया था और लगता है जैसे वे इस पर विश्वास कर बैठी थी। कुछ भी हो इस कथन ने उनके दिमाग में कुछ विचार जरूर डाले थे। उनके मन में इस बात में कोई सदेह नहीं था कि घरेलू क्षेत्र में भी ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था जिसे वे उपलब्ध न कर सकती हो। बस लोकतत्रीय प्रणाली द्वारा लागू कुछ प्रतिबन्ध ही रुकावट बन रहे थे। वे थे अभिव्यक्ति की स्वतत्रता और कानूनसम्मत रहने पर जोर। उन्हें अब घर में अनुकूल स्थितिया निर्मित करने की दिशा में अपनी शक्ति लगानी चाहिए उन्हें सवधानिक और लोकतत्रीय सभी रुकावटो को मार्ग में से हटा देना चाहिए।

इलाहाबाद के फसले के तुरत बाद जो स्थिति सामने आ खडी हुई थी, उसने श्री जयप्रकाश नारायण के बढते हुए आदोलन के साथ मिलकर उन तरीको को लागू करने की आवश्यक प्रेरणा और बहाने उन्हें प्रदान कर दिए जिन्हें सामान्य समय में लागू करने का साहस वे नहीं कर सकती थी। आपातस्थिति लागू करके एक हमले में उन्होंने विरोधी दलो की बकवास से छुट्टी पा ली थी और पत्रो का गला घोट दिया था। श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई सम्पूर्ण क्राति की धमकी ने इस असाधारण कदम की सगति उन्हें प्रदान कर दी। इस सब सामग्री को लेकर सरकार द्वारा नियत्रित प्रचार साधनो के माध्यम से जनता के समक्ष अपने अनुकूल एक मजबूत पक्ष वे अब निर्मित कर सकती थी। अब आकाशवाणी और दूरदर्शन के अतिरिक्त समाचार एजेंसी और एक दब्बू व आज्ञाकारी प्रेस भी उनके अगूठे के नीचे था।

सब प्रकार के विरोध को इस तरह चुप कर देने के बाद अब वे कठोर निर्णय ले सकती थी और अलोकप्रिय, लेकिन आवश्यक, नीतियो को लागू कर सकती थी।

वे त्वरित परिणाम न्दिा सक्ती थी और जनता के मन को जीत सकती थी। इसके बा" द देश क सामन जा सक्ती थी और भारी बहुमत स जीतकर सत्ता फिर से प्राप्त कर सकती थी और इस प्रकार काम सिद्ध करन वाल अधिक प्रभावी एक निरंकुश शासन के पक्ष म साफ-सीधा लोकमत प्राप्त कर सक्ती थी। सार्वजनिक प्रचार साधन उनके साथ थ और दुनिया म क्या था जो वे उपलब्ध नही कर सकती थी!

आपातस्थिति न निरकुशता क माग पर जानबूझकर कदम बढ़ाती सरकार के रास्त क सभी कानूनी और सवधानिक अवरोधो को अनायास ही समाप्त कर दिया। मूलभूत अधिकार यहा तक कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार भी स्थगित कर दिया गया। साम्राज्यवादी अग्रजो के राज्य म भी जसा देखन को नही मिला था वसा निष्ठुर समर प्रम पर लगा दिया गया। इस सेंसर का लागू करने क तरीके न माफिया को भी पीछ फेंक दिया। जानबूझकर स्थापित किए गए आतकवादी शासन क द्वारा अधाधुध गिरफ्तारियो और नजरबन्दियो तथा शक्ति के नग्न प्रदशन द्वारा देश म भय की एक मानसिकता पैदा कर दी गई जिसन लोगो को भेड-बकरी बना दिया।

27 जून को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने एक अध्यादेश जारी किया जिसक अनुसार कानून क समान सरक्षण क जीवन एव व्यक्तिगत स्वतत्रता की रक्षा क तथा अपनी आजादी क लिए बिना वारण्ट की गिरफ्तारी एव नजरबंदी के विरुद्ध सरक्षण क नजरबदो के सवधानिक अधिकार समाप्त कर दिए।

दो दिन बाद एक और अध्यादेश जारी करके आतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) म सशोधन किया गया और इस अपक्षा को समाप्त कर दिया गया कि विशिष्ट अवधि म नजरबन्दी के कारणो की सूचना नजरबन्द को अवश्य दी जानी चाहिए।

सिर्फ दिल्ली म 25/26 जून 19 5 की रात क पहल फेरे म 83 व्यक्तियो को पकड़ा गया। 26/27 जून क दूसर फर म 250 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। 25 जून 1975 (जिस रात राष्ट्रपति न घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए) स लेकर 18 माच 1977 (जिस दिन आपातस्थिति समाप्त की गई) तक मीसा के अत र्गत पूरे दश म पकड़े जान वाल व्यक्तियो की कुल सख्या 34630 पहुच गई। इनम कुल 6244 नजरबद हा सामान्य मीसा कानून क अतगत पकड़ गए थ जब कि शेष 28386 मीसा के आपत्कालीन उपबध धारा 16 अ क अतगत बदी बनाए गय थ।

माच 1977 म चुनावो क समय सभी जेलो म 17000 राजनीतिक नजरबद थे जबकि तत्कालीन केन्द्रीय सरकार क प्रवक्ता ने जोर देकर कहा था कि सभी राजनीतिक नजरबदो को रिहा कर दिया गया है। आपातस्थिति के दौरान

नज़रबंदों के मामले में बिहार सूची म सबसे ऊपर रहा । यहा 2116 लोग पकडे गए थे । 1805 की सख्या वाला गुजरात दूसरा था । इसके बाद आध्र प्रदेश के 1078 और दिल्ली के 1011 व्यक्ति पकडे गए।

इसके बावजूद एक जोरदार भूमिगत आन्दोलन जारी रखा गया । गैर कानूनी सूचनाए साइक्लोस्टाइल की जाती छापी जाती और बाटी जाती । दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सो म सत्याग्रह किए जाते । इस आदोलन की रीढ राष्टीय स्वय सेवक सघ के कायकता थे जिन्ह उच्चकोटि की सैद्धातिक शिक्षा मिली थी । इनके पास अपना गतिविधियो क लिए कामचलाऊ यत्र क रूप म पहल स ही तैयार एक सगठन था । इन लोगो न सरकार के नशस दमन क बावजूद हिम्मत हारने से इकार कर दिया और आन्दोलन को जीवित रखा । राष्टीय स्वय सवक सघ क 25000 से अधिक कायकर्ता मीसा और डी० आई० आर० के अधीन गिरफ्तार किए गए और 100000 ने सत्याग्रह किया । लगभग 70 व्यक्ति जेला म अथवा भूमिगत काय करत हुए मृत्यु की भेंट चढ गए।

सूचना और प्रसारण मत्रालय के उदार स्वभाव वाल सुसस्कृत म त्री इन्दर गुजराल को जिनका अपराध यही था कि व पत्रकारो के साथ तालमल रखते थ भोडे ढग से हटाकर उद्दड और अक्खड स्वभाव के विद्याचरण शुक्ल को ल आया गया जो श्रीमती इन्दिरा गाधी के इस नय अवतार के एक शानदार शस्त्र साबित हुए ।

21 जुलाई को लोकसभा का आपत्कालीन अधिवेशन बुलाया गया जो 19 दिनो तक चला । विरोधी पक्ष न इसका बहिष्कार किया । इस अधिवशन ने आपात स्थिति की घोषणा पर निष्ठापूवक अपनी सही कर दी और विधि सग्रह को प्रति गामी विधयको के पुनि दो स दूषित कर दिया ।

लाकसभा के दोनो सदनो म पहला काम यह किया गया कि कायविधि के सामान्य नियमो को स्थगित कर दिया गया । प्रश्नोत्तर काल पर और गैर सरकारी सदस्यो क प्रस्तावो पर रोक लगा दी गई जिसस कि इस अधिवेशन के दौरान सिर्फ सरकारी काम-काज ही किया जा सक । लोकसभा क इस आपत्कालीन अधिवशन म ही सविधान का 39वा सशोधन विधेयक स्वीकार किया गया जिसक अनुसार आपातस्थिति लागू करने के राष्ट्रपति के कारणा को किसी अदालत म चुनौती नहीं दी जा सकती थी और यह भी कि राष्ट्रपति कोई घोपणापत्र पहल से जारी किया गया हो या नही, अलग-अलग आधारो पर अलग अलग घोषणापत्र जारी कर सकत थे ।

लाकसभा ने सविधान का 41वा सशोधन विधेयक भी स्वीकार किया जिसम यह विधान था कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अथवा राज्यपाल है या रहा है उसक विरुद्ध इस पद पर आन स पहले अथवा इस पद पर रहने की अवधि म,

वे त्वरित परिणाम दिखा सकती थी और जनता के मन को जीत सकती थी। इसके बाद व देश के सामने जा सकती थी और भारी बहुमत से जीतकर सत्ता फिर से प्राप्त कर सकती थी और इस प्रकार काम सिद्ध करने वाले अधिक प्रभावी एक निरंकुश शासन के पक्ष में साफ-सीधा लोकमत प्राप्त कर सकती थी। सार्वजनिक प्रचार-साधन उनके साथ थे और दुनिया में क्या था जो व उपलब्ध नहीं कर सकती थी।

आपातस्थिति ने निरंकुशता के मार्ग पर जानबूझकर कदम बढ़ाती सरकार के रास्ते के सभी कानूनी और संवैधानिक अवरोधों को अनायास ही समाप्त कर दिया। मूलभूत अधिकार यहां तक कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार भी स्थगित कर दिया गया। साम्राज्यवादी अंग्रेजों के राज्य में भी जैसा देखने को नहीं मिला था वैसा निष्ठुर संसर प्रेस पर लगा दिया गया। इस सेंसर को लागू करने के तरीके ने माफिया को भी पीछे कर दिया। जानबूझकर स्थापित किए गए आतंकवादी शासन के द्वारा अंधाधुंध गिरफ्तारियां और नजरबन्दियों तथा शक्ति के नंगे प्रदर्शन द्वारा देश में भय की एक मानसिकता पैदा कर दी गई जिसने लोगों को भेड़-बकरी बना दिया।

27 जून को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार कानून के समान संरक्षण के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के तथा अपनी आजादी के लिए बिना वारण्ट की गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण के नजरबंदों के संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए।

दो दिन बाद एक और अध्यादेश जारी करके आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) में संशोधन किया गया और इस अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया कि विशिष्ट अवधि में नजरबन्दी के कारणों की सूचना नजरबन्द को अवश्य दी जानी चाहिए।

सिर्फ दिल्ली में 25/26 जून 19 5 की रात के पहले फेरे में 83 व्यक्तियों को पकड़ा गया। 26/27 जून के दूसरे फेरे में 250 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। 25 जून 1975 (जिस रात राष्ट्रपति ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए) से लेकर 18 मार्च 1977 (जिस दिन आपातस्थिति समाप्त की गई) तक मीसा के अंतर्गत पूरे देश में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 34630 पहुंच गई। इनमें कुल 6244 नजरबंद हो सामान्य मीसा कानून के अंतर्गत पकड़े गए थे जब कि शेष 28386 मीसा के आपत्कालीन उपबंध धारा 16 अ के अंतर्गत बंदी बनाए गये थे।

मार्च 1977 में चुनावों के समय सभी जेलों में 17000 राजनीतिक नजरबंद थे जबकि तत्कालीन केन्द्रीय सरकार के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा था कि सभी राजनीतिक नजरबंदों को रिहा कर दिया गया है। आपातस्थिति के दौरान

नजरबन्दों के मामले में बिहार सूची में सबसे ऊपर रहा। यहां 2116 लोग पकड़े गए थे। 1805 की संख्या वाला गुजरात दूसरा था। इसके बाद आंध्र प्रदेश के 1078 और दिल्ली के 1011 व्यक्ति पकड़े गए।

इसके बावजूद एक जोरदार भूमिगत आन्दोलन जारी रखा गया। गैर कानूनी सूचनाएं साइक्लोस्टाइल की जाकर अथवा छापी जाती और बांटी जाती। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सत्याग्रह किए जाते। इस आन्दोलन की रीढ़ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता थे जिन्हें उच्चकोटि की सैद्धान्तिक शिक्षा मिली थी। इनके पास अपनी गतिविधियों के लिए कामचलाऊ यन्त्र के रूप में पहले से ही तैयार एक संगठन था। इन लोगों ने सरकार के नृशंस दमन के बावजूद हिम्मत हारने से इन्कार कर दिया और आन्दोलन को जीवित रखा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 25000 से अधिक कार्यकर्ता मीसा और डी० आई० आर० के अधीन गिरफ्तार किए गए और 100000 ने सत्याग्रह किया। लगभग 70 व्यक्ति जेलों में अथवा भूमिगत कार्य करते हुए मृत्यु की भेंट चढ़ गए।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के उदार स्वभाव वाले सुसंस्कृत मन्त्री इन्द्र गुजराल को जिनका अपराध यही था कि वे पत्रकारों के साथ तालमेल रखते थे, भाड़े इस से हटाकर उद्दंड और अक्खड़ स्वभाव के विद्याचरण शुक्ल को ले आया गया जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के इस नये अवतार के एक शानदार शस्त्र साबित हुए।

21 जुलाई को लोकसभा का आपत्कालीन अधिवेशन बुलाया गया जो 19 दिनों तक चला। विरोधी पक्ष ने इसका बहिष्कार किया। इस अधिवेशन ने आपात स्थिति की घोषणा पर निष्ठापूर्वक अपनी सम्मति दे दी और विधि संग्रह को प्रतिगामी विधेयकों के पुलिन्दों से दूषित कर दिया।

लोकसभा के दोनों सदनों में पहला काम यह किया गया कि कार्यविधि के सामान्य नियमों को स्थगित कर दिया गया। प्रश्नोत्तर काल पर और गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर रोक लगा दी गई जिससे कि इस अधिवेशन के दौरान सिर्फ सरकारी काम-काज ही किया जा सके। लोकसभा के इस आपत्कालीन अधिवेशन में ही संविधान का 39वां संशोधन विधेयक स्वीकार किया गया जिसके अनुसार आपातस्थिति लागू करने के राष्ट्रपति के कारणों को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी और यह भी कि राष्ट्रपति कोई घोषणापत्र पहले से जारी किया गया हो या नहीं, अलग-अलग आधारों पर अलग अलग घोषणापत्र जारी कर सकते थे।

लोकसभा ने संविधान का 41वां संशोधन विधेयक भी स्वीकार किया जिसमें यह विधान था कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अथवा राज्यपाल है या रहा है उसके विरुद्ध इस पद पर आने से पहले अथवा इस पद पर रहने की अवधि में,

जो भी कार्य उसने किया हो उसको लेकर किसी अदालत में कोई फौजदारी मुकदमा न दायर किया जा सकता है और न जारी रखा जा सकता है और इसी प्रकार इसमे किसी व्यक्ति के विरुद्ध पद पर आने से पहले अथवा उसके बाद व्यक्तिगत स्तर पर किए गए किसी भी कार्य को लेकर कोई दीवानी मुकदमा भी दायर नहीं किया जा सकता।

इस लोकसभा द्वारा स्वीकृत एक विशिष्ट विधेयक (39वें संशोधन) के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल श्री राजनारायण की याचिका में उठाए गए चारों मुद्दों को भी निरस्त कर दिया गया और नई धाराओं को पूर्वव्याप्ति सहित लागू माना गया। नई धाराएं इस प्रकार थी (क) कि चुनाव के खर्चों एवं अन्य प्रयोजनों के अर्थ किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी जैसा कि 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून में निर्धारित है तब से नहीं मानी जाएगी जबसे कि चुनाव के उपस्थित होने पर उसने स्वयं को भावी उम्मीदवार मानना शुरू कर दिया हो बल्कि तब से मानी जाएगी जबसे कि उसे उम्मीदवार बनाया गया हो (ख) कि चुनाव आयुक्त द्वारा दिया गया कोई भी चिह्न धार्मिक या राष्ट्रीय चिह्न नहीं माना जाएगा (ग) कि 1951 के जनप्रतिनिधित्व विधेयक की वह धारा जो उम्मीदवारों को अपनी चुनाव-सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी अफसरों की सहायता प्राप्त करने में मना करती है उस कार्य पर लागू नहीं होगी जिसे सरकारी अफसर ने अपने सरकारी कर्त्तव्य की पूर्ति के दौरान किया हो तथा (घ) कि सरकारी गजट में प्रकाशित सूचना केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी सेवक की नियुक्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति अथवा उसके हटाए जाने का अथवा जिस तिथि से यह लागू हो रहा हो उसका अन्तिम प्रमाण होगी।

विधि मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने इसी अधिवेशन में एक और विधेयक रखा जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री से सम्बन्धित सभी मामले संसद द्वारा स्थापित एक नये अधिकरण के सामने रखे जायें। इस कानून को किसी अदालत के सामने चुनौती नहीं दी जा सकती थी और वर्तमान कानूनों के आधार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध जो भी मामले चल रहे हों वे समाप्त माने जायेंगे।

जब उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने श्रीमती गांधी की अपील पर 11 अगस्त को सुनवाई आरम्भ की तो प्रधान मंत्री के वकील अशोक सेन ने अदालत में कहा कि 39वें संशोधन (इस पहले ही दिन अर्थात 10 अगस्त को ही अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया था) ने क्योंकि इसने केस को खत्म कर दिया है इसलिए इस आधार पर सजा को फौरन समाप्त कर दिया जाए। श्री राजनारायण के वकील श्री शांतिभूषण का कथन था कि न्यायालय पहले यह तय करे कि क्या संशोधन संवैधानिक है। उन्होंने याद दिलाया कि उच्चतम न्यायालय ने 1973 में

यह स्थापना दी थी कि समन संविधान के मूल ढांचे अथवा आकार का दमन नहीं सकता। अटार्नी जनरल श्री नीरन दे ने इस तर्क का जवाब यह कहकर दिया कि चुनाव से सम्बंधित झगड़े का फैसला संविधान के मूलभूत ढांचे अथवा आकार की धारणा के अन्तर्गत नहीं आता।

7 नवम्बर को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने जिसमें मुख्य न्यायाधीश श्री ए० एन० राय के अतिरिक्त सर्व श्री एच० आर० खन्ना, के० मैथ्यू, एम० एच० बेग तथा वाई० वी० चन्द्रचूड थे, एकमत से रायबरेली क्षेत्र से श्रीमती गांधी के चुनाव को वैध ठहरा दिया तथा 39वें संशोधन को पूरी तरह गैर कानूनी करार देते हुए भी आपातकालीन अधिवेशन में स्वीकार किए गए चुनाव नियम संशोधन विधेयक 1975 को वैधता को मान्यता दे दी।

इस घटना चक्र पर पीछे से दृष्टि डालें तो यह पूरा घटिया प्रयास अवांछित महंगा और अनिवार्यतः शर्मनाक प्रतीत होता है, क्योंकि श्री राजनारायण की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती गांधी को निर्दोष करार दे दिया। जैसा कि श्रीमती गांधी को उनके मित्रों एवं आलोचकों ने इस बीच की अवधि में परामर्श दिया था, वे अस्थायी रूप से पद से उतर सकती थीं और चार महीने बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी अपील पर निर्णय हो जाने पर अपने पद पर वापिस लौट सकती थीं और तब उनकी प्रतिष्ठा और लोकतन्त्रीय मूल्यों के प्रति सम्मान अक्षुण्ण रह जाता और साथ ही उनके विरोधियों की तोपें भी बेकार हो जातीं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यदि वे जनवादी सार्वजनिक प्रदर्शन न किए गए होते और आपातस्थिति के लागू किए जाने में तथा लोकसभा के आपातकालीन अधिवेशन द्वारा नये चुनाव नियम स्वीकार किए जाने में जो स्थितियां पैदा हुई थीं न हुई होतीं तब एक भिन्न वातावरण में क्या उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती गांधी को दोषमुक्त करार दिया होता?

टक्कर के स्थान पर बातचीत यह काम कर सकती थी, लेकिन किसी भी लोकतन्त्र में इसके लिए पहल सरकार को ही करनी होती है। वस्तुतः देश के सामने उपस्थित विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में श्री जयप्रकाश जो चाहते थे और श्रीमती गांधी जो करना चाहती थीं उसमें कोई विशेष सैद्धान्तिक अन्तर नहीं था। लेकिन श्रीमती गांधी की अकड़ और निरंकुश मनोवृत्ति ने उन्हें सहज नहीं बनने दिया। फलतः यह हुआ कि राष्ट्र को आपातस्थिति के उन्नीस महीनों के घोर त्रास में से गुजरना पड़ा और इसके ठीक बाद ही श्रीमती गांधी के शासन को अपमानपूर्वक उलट दिया गया और भारतीय जनता ने लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्रता के अपने अधिकार को नाटकीय ढंग से पुनः स्थापित कर दिया।

आपातस्थिति का पहला असर तो भारतीय जनता पर ठीक वैसा ही एक अनुकूल असर पड़ा जैसा कि बीस वर्ष पहले जब अयूब ने पाकिस्तान पर ताना

शाही लागू की थी तो पाकिस्तानियों पर पड़ा था। उत्साही अफसरों ने दिल्ली की पटरियों को साफ कर डाला, मुनाफाखोरी को कठोरता से दबा दिया, अन्न और आवश्यक चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण किया और सामाजिक एवं औद्योगिक अनुशासन को लागू किया। औद्योगिक उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन बढ़ गया। एक रात के भीतर छात्रों की गुंडागर्दी खत्म हो गई और कक्षाएं भर उठीं। आम आदमी ने इस सब का स्वागत किया। अनुकूल मानसून ने देश में अन्न की स्थिति को सहज कर दिया और मुद्रास्फीति का नियंत्रण में ला दिया गया। मामले सुधरे हुए नज़र आने लगे। पहले छः महीनों तक हर बात जैसे स्वतः होती चली गई। पर इसके बाद दरारें पड़नी शुरू हो गई।

आपातस्थिति के दौरान भारी आर्थिक प्रगति का जो शोरशराबा देश भर में मचा उसके पीछे से कुछ नग्न तथ्य झांक रहे थे। ये थे कि भ्रष्टाचार अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया था। बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई थी। गरीबी के स्तर से नीचे जाने वालों की संख्या 27 करोड़ से 42 करोड़ हो गई थी। अनाज, वनस्पति, चाय, जूते, कपड़ा, घर, रेल के डिब्बों में जगह, दूध और अंडे आदि की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 30 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गई थी (ये आंकड़े सरकारी आंकड़ों के अनुसार हैं)।

संजय की चौकड़ी ने अब घटनाओं को रूप देने में भारी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। प्रेस का गला घुट गया था। कितनी भी सही क्यों न हो अधिकारियों की आलोचना एकदम बंद थी। अफसरों में दुराचार, भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग की घटनाओं से वातावरण भर उठा था। स्थानीय कारिंदों ने सब पर धौंस जमानी शुरू कर दी थी।

किसी खास सड़क पर अपनी जगह पर खड़े सिपाही से लेकर बिक्री कर के इंस्पेक्टर तक हर तुच्छ अधिकारी ने दूकानदारों, रिक्शेवालों और खोमचेवालों से चौथ वसूलनी शुरू कर दी थी। इन नये गैरकानूनी कानूनों के माध्यम से अपने निजी बदले लिए जाते थे। जिन अधिकारियों और व्यापारियों ने सरकार में ऊंचे पद रखने वालों को कभी नाराज कर दिया था उनके घरों पर आयकर विभाग के अथवा बिक्रीकर विभाग के अफसरों द्वारा अक्सर गढ़े गए आरोपों को लेकर अंधाधुंध छापे मारे गए।

इस देश से कानून का राज्य व्यवहारतः बहिष्कृत हो गया था। बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कारपस) का अधिकार स्थगित हो जाने के साथ साथ पुलिस का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया और अनेकों निर्दोष लोगों को आतंकित किया गया। छात्रमध्य का पृष्ठभूमि वाले युवकों को सबसे अधिक यातनाएं झेलनी पड़ीं। उन्हें कालिजों के बाहर, बस स्टापों पर अथवा उनके घरों के बरामदों में धर दबाया

जाता पकड़ ले जाया जाता और यारोपित, भूमिगत ध्वंसात्मक गतिविधियों के बारे में सूचनाएं निकालने के नाम पर उन्हें यातनाएं दी जाती।

उनकी गिरफ्तारी के बारे में उनके माता पिताओं को कभी कोई खबर न दी जाती और वे बेचारे उनके बारे में अन्दाजे ही लगाते रहते। कुछ मामलों में तो माता पिताओं और रिश्तेदारों तक को तंग किया गया थानों में ले जाकर उन्हें बन्द कर दिया गया सताया गया और घंटों पूछताछ की गई। उद्देश्य यह था कि लोगों के दिलों में डर बैठा दिया जाए। और इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत पुलिस अफसरों की परपीडन वृत्ति (साडिज्म) एवं विकृतियों को खुलकर खेलने का अवसर मिला।

नगर को साफ करने और सुन्दर बनाने के नाम पर झुग्गी झोपडी वालों को उनके घरों से उखाड़ फेंका गया और कई मील दूर एक स्थान पर डाल दिया गया जहां वे अपनी चिन्ता स्वयं करें। परिवार नियोजन लागू करने के नाम पर दिल्ली में और पूरे उत्तरी भारत में गांवों और नगरों के गरीब लोगों पर जो अत्याचार किए गए और उन पर जिस क्रूर ताकत का इस्तेमाल किया गया उससे बेहतर तो ईदी अमीन के देश में भी नहीं किया जा सकता था। असल में, यह विश्वास करने में कठिनाई होती थी कि हमारे अधिकारी इतनी क्रूरता और कट्टरता दिखाने की सामर्थ्य रखते हैं और आज जब भी यह लेखक सड़क पर किसी पुलिस थाने के पास से गुजरता है एक वितृष्णा की भावना अनायास ही पैदा हो जाती है। इस राक्षसी व्यवहार को न सह पाकर पूरे के पूरे ग्रामों ने अफसरशाही के विरुद्ध विद्रोह किया और बदले में उन पर लाठियां बरसाई गई और गोलियां चलाई गई। नसबंदी कार्यक्रम के अन्तर्गत पुलिस के छापों से बचने के लिए पूरे के पूरे ग्रामों के वयस्क पुरुषों के कितने ही दिनों और रातों तक जंगलों में पड़े रहने के उदाहरण बड़े ही आम थे।

कठोर सेंसर को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उसने अत्याचारों की सभी कहानियों को पूरी तरह दबा दिया था जिसके फलस्वरूप राजधानी अफवाहों का एक विशाल कारखाना बन गई थी जहां अक्सर सच्चाई कहानी से भी अधिक अजीब प्रतीत होती थी। जल्द ही तथ्य और कहानी के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई क्योंकि विश्वास के अयोग्य और एक रोगी कल्पना की उपज मान जाने वाले अत्याचारों की कहानियां सत्य-कथाएं सिद्ध होने लगीं। अखबारों में छपी बातों में कोई किसी भी दशा में विश्वास नहीं करता था क्योंकि हर कोई जानता था कि उनके कालमों में छपी खबरें सरकार द्वारा पकाई जाकर ही परोसी गई हैं। इस प्रकार दो अवसरों पर ऐसा हुआ कि घटना के अनेक दिनों बाद तुर्कमान गेट की घटना और मुजफ्फरनगर के दंगों के क्षीण विवरण सरकार ने प्रकाशित कराए जिसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि अंधाधुंध अफवाहों को रोका

जा सके। इन अफवाहो म से अधिकतर बाद म सच निकली और असल म सरकार ह्। भयानक तथ्यो को हलका बनाकर उन्हे कृत्रिम रूप दे रही थी।

पाकिस्तान म अयूब शासन का पुराना नाटक ही भारत म खेला जा रहा था। कराची म सेना क जवान कप्तानो और मेजरो न कराची की सडको पर घूम घूमकर पटरियो पर बठे भिखारियो और शरणार्थियो को डडो क जोर से वहा स हटाया था। लेकिन जल्द ही वे सब भ्रष्ट हो गए और आम लोगो से पैसे वसूलने और उनसे बेगार लेने लग और उन्ह आतकित करने लगे।

और भी उल्लेखनीय समानता यह रही कि पाकिस्तानी तानाशाह का भी बेटा ही अपने पिता के विनाश का कारण बना जसे सजय श्रीमती गाधी के राजनीतिक पतन के लिए मुख्यत जिम्मेदार है। दोनो ने ही छलाग लगाती अपनी महत्त्वाकाक्षा को पूरा करने और जल्द ही अमीर बनने क लिए विशेष स्थिति का लाभ उठाने का फसला किया था। यह एक अजीब तथ्य है कि इतिहास ने अपने को दोहराया है।

एक दूसरा पाठ जिसे बाद म श्रीमती गाधी के अनुभव ने भी पुष्ट किया और जिसे अयूब खा न भयानक कीमत देकर सीखा यह है कि तानाशाही तक अपने निजी हित की दृष्टि से भी एक स्वतत्र और निष्पक्ष प्रेस के बिना काम नही चला सकती। इन लोगो न समाचार पत्रो का गला घोटा और खबरो को अपनी मर्जी के अनुसार ही छपने दिया और इस प्रकार इस महत्त्वपूर्ण जानकारी स अपने को महरूम रखा कि जनता उनक बारे म क्या सोचती है और सच सच क्या कहती है। इसक बाद इन लोगो न अपने दरबारियो और चापलूसो म कारुणिक विश्वास करना शुरू किया जिन्होने उन्ह आश्वस्त किया कि वे कभी गलती नही कर सकते वे अपरिहार्य है और लोकप्रिय है। और जस ही उन्होने चुनाव क आदेश दिए उनका अत आ गया और उन्हे एक तिरस्कारपूर्ण पराजय का सामना करना पडा।

सत्ता भ्रष्ट बनाती है और असीमित सत्ता असीमित रूप म भ्रष्ट बनाती है। लॉर्ड एक्टन का यह प्रसिद्ध उक्ति इन्दिरा की आपातस्थिति म जितनी अच्छी तरह चित्रित हुई है उतनी पहले कहा नहीं हुई थी।

आपातस्थिति लागू होते ही पहले कुछ नाजुक सप्ताहो क दौरान पुलिस और प्रशासन के अफसरो न आदेशो का ऐसे पालन किया जसे कि वे आदमी यहा तक कि मशीनें से भी खारिज गए हो। ऐसा लगता था जसे लोगो न स्वय सोचना बद कर दिया था और बिना इस बात की परवाह किए कि आदेश कानूनी अथवा न्यायसम्मत हैं या नही और कौन उन्हे द रहा है वे बस उनका पालन करत गए। इस स दभ म श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा पुलिस और सना को दिया गया प्रबोधन कि जिस वे न्यायरहित और गर कानूनी समझ उसका पालन न करें गम्भीर रूप म समत सिद्ध होता है।

श्रीमती गांधी ने चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया ? यह सौ करोड़ रुपये की कीमत का एक प्रश्न है। वे आश्वस्त थीं कि उस समय यदि चुनाव कराया गया तो वे सौ फीसदी जीतेंगी और भारी बहुमत लेकर लोकसभा में लौटेंगी। उन्होंने अपने इस फैसले को अपनी अनन्य राजनीतिक गुप्तचर सेवा रॉ (RAW) के अफसरों तथा अन्य सरकारी सूत्रों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित किया था। लेकिन प्रधानमंत्री को अरुचिकर तथ्य देने के बारे में रॉ एवं अन्य सरकारी संगठनों के अधिकारियों में इतना अधिक डर पैदा हो गया था कि उन्होंने भी वही तथ्य उन्हें दिए जिन्हें सुनना वे पसंद करती थीं। और यही श्रीमती गांधी के लिए शोक का कारण बन गया।

और भी विश्वसनीय कारण थे कम से कम उस समय वे विश्वसनीय लगे थे, जिन्होंने श्रीमती गांधी को प्रेरित किया कि वे समय से एक वर्ष पहले ही चुनाव करा लें। अभी हाल ही में संविधान में संशोधन करके संघीय संसद की कार्यावधि में एक वर्ष बढ़ाया गया था।

उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों में शासक दल में गम्भीर दरारें पैदा हो गई थीं और तत्काल आवश्यक हो गया था कि कांग्रेस में आंतरिक एकता लाने के लिए एक उत्साहवर्धक एवं उत्प्रेरक स्थिति पैदा की जाए जिससे क्षरण को फौरन रोका जा सके। एक शिखर पर पहुंचकर देश की आर्थिक स्थिति ने फिर नीचे गिरना शुरू कर दिया था। कीमतें फिर से बढ़ने लगी थीं और मुद्रा स्फीति अपना घृणित सिर उठा रही थी। दो अच्छे मानसूनों के बाद आगामी वर्ष बुरे मानसून की आशंका थी।

सभी अपशकुन श्रीमती गांधी को प्रेरित कर रहे थे कि वे सीधे जनता के पास जायें और कल्याण की उस भ्रांति का लाभ उठाएं जो धीमे धीमे मिटती जा रही थी, और एक बहुमत लेकर संसद में लौटें और दावा करें कि जनता ने उनकी नीतियों पर और शासन के उनके ढंग पर मुहर लगा दी है और तब वे एक अधिक स्थाई एवं स्वेच्छ निरंकुश शासन को देश के ऊपर थोप दें।

समय से पूर्व चुनावों की घोषणा के पीछे क्या विदेशी दबाव किसी भी रूप में रहे हैं ? जिस रूप में लोग सोचते हैं उस रूप में नहीं। श्रीमती गांधी इतनी स्वाभिमानिनी हैं कि वाशिंगटन अथवा कहीं के भी सरकारी दबाव के सामने झुकती नहीं। लेकिन यह कहना एकदम गलत नहीं होगा कि अप्रत्यक्ष दबावों का असर रहा जरूर। पांडु संजय गांधी की औद्योगिक महत्त्वाकांक्षाओं ने उसे प्रेरित किया था कि वह सुदूर पश्चिम की ओर दृष्टि फेरे। पश्चिम के बहुराष्ट्रियों विशेषकर अमरीकियों के साथ मतभेद दूर करने का प्रयास वह करता रहा है।

पश्चिम के प्रति उन्मुखता का फल यह हुआ कि संजय अचानक ही पश्चिम का स्नेहभाजन भारतीय गगन का उठता हुआ नक्षत्र बन गया। संजय ने अपने

जा सके। इन अफवाहों में से अधिकतर बाद में सच निकलीं और असल में सरकार ही भयानक तथ्यों को हलका बनाकर उन्हें कृत्रिम रूप दे रही थी।

पाकिस्तान में अयूब शासन का पुराना नाटक ही भारत में खेला जा रहा था। कराची में सेना के जवान कप्तानों और मेजरों ने कराची की सड़कों पर घूम घूमकर पटरियों पर बैठे भिखारियों और शरणार्थियों को डंडे के जोर से वहां से हटाया था। लेकिन जल्द ही वे सब भ्रष्ट हो गए और आम लोगों से पैसे वसूलने और उनसे बेगार लेने लगे और उन्हें आतंकित करने लगे।

और भी उल्लेखनीय समानता यह रही कि पाकिस्तानी तानाशाह का भी बेटा ही अपने पिता के विनाश का कारण बना, जैसे संजय श्रीमती गांधी के राजनीतिक पतन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। दोनों ने ही छलांग लगाती अपनी महत्त्वाकांक्षा को पूरा करने और जल्द ही अमीर बनने के लिए विशेष स्थिति का लाभ उठाने का फैसला किया था। यह एक अजीब तथ्य है कि इतिहास ने अपने को दोहराया है।

एक दूसरा पाठ, जिसे बाद में श्रीमती गांधी के अनुभव ने भी पुष्ट किया और जिसे अयूब खां ने भयानक कीमत देकर सीखा, यह है कि तानाशाही तक अपने निजी हित की दृष्टि से भी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के बिना काम नहीं चला सकती। इन लोगों ने समाचार पत्रों का गला घोंटा और खबरों को अपनी मर्जी के अनुसार ही छपने दिया और इस प्रकार इस महत्त्वपूर्ण जानकारी से अपने को महरूम रखा कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है और सब सच क्या कहती है। इसके बाद इन लोगों ने अपने दरबारियों और चापलूसों में वास्तविक विश्वास करना शुरू किया, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि वे कभी गलती नहीं कर सकते, वे अपरिहार्य हैं और लोकप्रिय हैं। और जब इन्होंने चुनाव के आदेश दिए, उनका अंत आ गया और उन्हें एक तिरस्कारपूर्ण पराजय का सामना करना पड़ा।

सत्ता भ्रष्ट बनाती है और असीमित सत्ता असीमित रूप में भ्रष्ट बनाती है। लार्ड एक्टन की यह प्रसिद्ध उक्ति इंदिरा की आपातस्थिति में जितनी अच्छी तरह चित्रित हुई है, उतनी पहले कहीं नहीं हुई थी।

आपातस्थिति लागू होते ही पहले कुछ नाजुक सप्ताहों के दौरान पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने आदेशों का ऐसे पालन किया जैसे कि वे आत्मा, यहां तक कि मस्तिष्क से भी खारिज यंत्र हों। ऐसा लगता था जैसे लोगों ने स्वयं सोचना बंद कर दिया था और बिना इस बात की परवाह किए कि आदेश कानूनी अथवा न्यायसम्मत है या नहीं और कौन उन्हें दे रहा है, वे बस उनका पालन करते गए। इस संदर्भ में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा पुलिस और सेना को दिया गया प्रबोधन कि जिस बात को न्यायरहित और गैर कानूनी समझें उसका पालन न करें, गम्भीर रूप से संगत सिद्ध होता है।

श्रीमती गांधी ने चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया ? यह सौ करोड़ रुपये की कीमत का एक प्रश्न है। वे आश्वस्त थीं कि उस समय यदि चुनाव कराया गया तो वे सौ फीसदी जीतेंगी और भारी बहुमत लेकर लोकसभा में लौटेंगी। उन्होंने अपने इस फैसले को अपनी अन्य राजनीतिक गुप्तचर सेवा रॉ (RAW) के अफसरों तथा अन्य सरकारी सूत्रों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित किया था। लेकिन प्रधानमंत्री को अरुचिकर तथ्य देने के बारे में रॉ एवं अन्य सरकारी संगठनों के अधिकारियों में इतना अधिक डर पैदा हो गया था कि उन्होंने भी वही तथ्य उन्हें दिए जिन्हें सुनना वे पसंद करती थीं। और यही श्रीमती गांधी के लिए शोक का कारण बन गया।

और भी विश्वसनीय कारण थे कम से कम उस समय वे विश्वसनीय लगे थे, जिन्होंने श्रीमती गांधी को प्रेरित किया कि वे समय से एक वर्ष पहले ही चुनाव करा लें। तभी हाल ही में संविधान में संशोधन करके संघीय संसद की कार्यावधि में एक वर्ष बढ़ाया गया था।

उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों में शासक दल में गम्भीर दरारें पैदा हो गई थीं और तत्काल आवश्यक हो गया था कि कांग्रेस में आंतरिक एकता लाने के लिए एक उत्साहवर्धक एवं उत्प्रेरक स्थिति पैदा की जाए जिससे क्षरण को फौरन रोका जा सके। एक शिखर पर पहुंचकर देश की आर्थिक स्थिति ने फिर नीचे गिरना शुरू कर दिया था। कीमतें फिर से बढ़ने लगी थीं और मुद्रा स्फीति अपना घृणित सिर उठा रही थी। दो अच्छे मानसूनों के बाद आगामी वर्ष बुरे मानसून की आशंका थी।

सभी अपशकुन श्रीमती गांधी को प्रेरित कर रहे थे कि वे सीधे जनता के पास जायें और कल्याण की उस भ्रान्ति का लाभ उठाएं जो धीमे धीमे मिटती जा रही थी, और एक बहुमत लेकर संसद में लौटें और दावा करें कि जनता ने उनकी नीतियों पर और शासन के उनके ढंग पर मुहर लगा दी है, और तब वे एक अधिक स्थाई एक दलीय निरंकुश शासन को देश के ऊपर थोप दें।

समय से पूर्व चुनावों की घोषणा के पीछे क्या विदेशी दबाव किसी भी रूप में रहे हैं ? जिस रूप में लोग सोचते हैं उस रूप में नहीं। श्रीमती गांधी इतनी स्वाभिमानिनी हैं कि वाशिंगटन अथवा कहीं से भी सरकारी दबाव के सामने झुकती नहीं। लेकिन यह कहना एकदम गलत नहीं होगा कि अप्रत्यक्ष दबावों का असर रहा जरूर। पाद संजय गांधी की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें प्रेरित किया था कि वह सुदूर पश्चिम की ओर दृष्टि करें। पश्चिम के बहुराष्ट्रियों विशेषकर अमरीकियों के साथ मतभेद दूर करने का प्रयास वह करता रहा है।

पश्चिम के प्रति उन्मुखता का फल यह हुआ कि संजय अचानक ही पश्चिम का स्नेहभाजन भारतीय गगन का उठता हुआ नक्षत्र बन गया। संजय ने अपने

साम्यवाद विरोध तथा स्वतन्त्र उद्योग के प्रति अपने पक्षपात को गुप्त नहीं रखा। इस प्रकार हाल के महीनों में हमने देखा कि अमरीकी एवं पश्चिमी समाचार पत्रों ने श्रीमती गांधी के शासन का विरोध करना बन्द कर दिया था और अधिक सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां उनमें प्रकाशित होने लगी थीं।

भारतीय पूंजीवादी संजय की ओर अनन्त आशा के साथ और पश्चिमी बहुराष्ट्रिकों की ओर सांभकर महभाग का यानिर देखने लगे थे और वे अपनी भारी धनियां लेकर संजय के चारों ओर इकट्ठे होने लगे थे। उन्हें इसमें निराशा भी नहीं हुई थी। जब इस सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों में एक निश्चित दक्षिणपंथी झुकाव दीख पड़ने लगा था। उनके हिसाब से हर चीज बहुत ही बढ़िया चल रही थी। दुर्भाग्यवश तभी चुनाव आ गए जिन्होंने भारतीय राजनीति के आडम्बरपूर्ण बहाव को एक प्रचण्ड मोड़ दे दिया।

जैसे ही चुनावों की घोषणा की गई और आपातस्थिति एवं सेंसर में ढील दी गई तथा विरोधी नेताओं को छोड़ा गया, संसार ने आश्चर्य के साथ देखा कि भारत के राजनैतिक दृश्य में एक बहुरंगी परिवर्तन आ गया है। जगजीवनराम द्वारा कांग्रेस दल से अलग हो जाना श्रीमती गांधी के लिए वज्रपात जैसा सिद्ध हुआ। वह एक ऐसा भूचाल था जिसने दल को भयानक रूप से हिला दिया और इन्दिरा विरोधी लहर को बहुत तेज कर दिया।

4

एक लम्बी रात की शुरुआत............

25 जून 1975 की रात के नौ बजे हैं। श्री जयप्रकाश नारायण विरोधी दलों द्वारा आयोजित रामलीला मैदान की सभा से अभी अभी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित गांधी शांति संस्थान में लौटे हैं। वे यद्यपि शरीर से बहुत क्लान्त हैं पर भीतर ही भीतर बहुत अधिक आह्लादित हैं।

अनेक सप्ताहों से वे भ्रमण करते रहे हैं 12 से 14 घंटे तक प्रतिदिन व्यस्त रहे हैं। सार्वजनिक सभाओं, अन्तरंग वाद विवादों तथा कार्यकर्ताओं एवं दलीय नेताओं से बातचीत—इस सबने उन्हें थका दिया है।

लेकिन इस सन्ध्या को वे बहुत हल्के दीख पड रहे हैं। तृप्ति की एक मुस्कान उनके होठों पर है। लोगों की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है। रामलीला मैदान की सभा अत्यन्त उत्साहवर्धक थी। श्री जयप्रकाश नारायण को अब विश्वास हो गया है कि जनता सरकार को बदल डालने के लिए व्यग्र है।

वस्तुतः पिछले तीन या चार महीनों से उनकी यही आस्था रही है। उन्होंने विभिन्न राज्यों के विस्तृत दौरे किए हैं। बडी सभाओं और छोटे समूहों दोनों के सामने वे बोले हैं। हर कहीं लोगों के बीच उन्होंने आश्चर्यजनक जागृति देखी है।

लेकिन विरोधी दलों के नेता जनता की इस मनःस्थिति को समझने में विफल रहे हैं। वे अपनी अलग अलग सत्ताओं को एक संयुक्त दल में विलीन कर देने में अभी भी हिचकिचा रहे हैं। उन्हें यह भी विश्वास नहीं है कि इस समय छेड़ा गया कोई भी आन्दोलन सफल हो सकता है। जयप्रकाश बार बार सोचते हैं कि जनता तो राजी है पर दल नहीं हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण श्री जगजीवनराम के सम्पर्क में रहे हैं और उनसे अनुरोध करते रहे हैं कि वे कांग्रेस के उस वर्ग का नेतृत्व करें जो सरकारी नीतियों का विरोधी है। लेकिन श्री जगजीवनराम असमंजस में हैं कि इस कदम के लिए ठीक समय अभी है या नहीं। श्री जयप्रकाश और मध्यस्थ श्री चन्द्रशेखर के साथ 23 और 24 जून को अनेक बैठकें हुई हैं। 25 की रात को लगभग 10 बजे श्री जयप्रकाश ने चन्द्रशेखर को फिर श्री जगजीवनराम के पास भेजा और उनसे प्रार्थना की कि उस विलम्बित घडी में भी वे कुछ करें। बाबूजी को अपने संदेश में उन्होंने जोर देकर कहा "इस सन्ध्या को लोगों की प्रतिक्रिया हमने देखी है।

कुछ करने के लिए अभी भी समय है।' लेकिन अब भी वे कोई निर्णय नहीं ले पाते है।

श्री जयप्रकाश को बहुत सुबह ही विमान से पटना जाना है इसलिए उनके समर्पित मित्र और सहयोगी राधाकृष्ण लगभग 11 बजे उनसे कहते है कि उन्हें अब लेट जाना चाहिए जिससे प्रात विमान पकडने से पहले कुछ नींद और आराम उन्हे मिल सके।

लगभग डेढ बजे बाहर खुले मे सो रहा श्री राधाकृष्ण का पुत्र चन्द्रहास आता है और अपने पिता को जगाकर सहमी हुई फुसफुसाहट मे कहता है पुलिस गिरफ्तारी के वारन्ट लेकर आई है। राधाकृष्ण बाहर आते हैं। पुलिस अफसर और उसके साथी क्षमा सी मागते हैं। वे श्री जयप्रकाश का वारट दिखाते है।

श्री राधाकृष्ण के अनुसार श्री जयप्रकाश के दल मे अथवा विरोधी नेताओ मे किसी ने भी यह आशा नही की थी कि सरकार ऐसी चरम कार्यवाही करेगी।

अब राधाकृष्ण की पहली चिन्ता यह थी कि उस आधी रात के समय श्री जयप्रकाश को जगाने से कैसे बचा जाए? इसलिए वे पुलिस अधिकारी से पूछते है— क्या वे कुछ समय तक कम से कम तीन या चार बजे तक रुक सकेंगे? क्योंकि उस समय तो विमान पकडने के लिए तयार होने के उद्देश्य से उन्हे उठना ही होगा। श्री जयप्रकाश बहुत थके हुए है और उन्हे कुछ आराम चाहिए। यह वे पुलिस अफसर को समझाते है। पुलिस वाले मान जाते है।

इसके बाद राधाकृष्ण सो नही पाते। जब ऐसा हो ही गया है तब इस समय तत्काल उन्हे क्या करना चाहिए वे उसी भवन मे रह रही टेलीफोन आपरेटर को जगाते हैं और आदेश देते है कि जितने मित्रो से सम्भव हो सके सम्पर्क स्थापित करो। बम्बई मद्रास बगलौर पटना को तथा चन्द्रशेखर कृष्णकात मोरारजी देसाई समेत दिल्ली के विभिन्न लोगों को टेलीफोन किए जाते हैं। उस रात मे उनको से सम्पर्क करना आसान नही था। मोरारजी के घर से उन्हे सूचना मिलती है कि उनकी भी गिरफ्तारी के आदेश लेकर पुलिस वहा पहुच चुकी है।

तीन बजे अधीर पुलिस वाले राधाकृष्ण के दरवाजे को फिर खटखटाते हैं। वे पूछते है कि क्या अब आप श्री जयप्रकाश को जगा सकेंगे? उन्हे वायरलेस पर बार बार निर्देश मिल रहे है और पूछा जा रहा है कि क्या वे अभी तक जयप्रकाश नारायण को पुलिस स्टेशन नही ला सके हैं।

राधाकृष्ण तब भीतर जाते है और श्री जयप्रकाश को गहरी नींद मे सोया पाते है। वे धीमे से उन्हे जगाते हैं और खबर देते है और जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार द्वारा हस्ताक्षरित वारट उन्हे पढकर सुनाते हैं। श्री जयप्रकाश अचकचा उठते है। तब राधाकृष्ण पूछते है कि क्या उन्हे अपनी गिरफ्तारी का

कोई अनुमान था ? जयप्रकाश स्वीकार करते है कि उन्हें प्रत्याशा नही थी कि सरकार ऐसा कदम उठाएगी। तभी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त पुलिस अफसर भीतर आ जाता है। वह कहता है माफ कीजिए श्रीमन हमारे पास आदेश है कि आपको अपने साथ ले जाए।' श्री जयप्रकाश सिर हिलाते है और कहते हैं, मुझे तयार होने के लिए आधा घंटा दो।

राधाकृष्ण हड़बड़ाहट के साथ क्षण गिन रहे है और इतजार कर रहे हैं कि कम से कम उनके कुछ मित्र विशेषकर चद्रशेखर तो आ जाए। जब जयप्रकाश तयार हो जाते हैं तो राधाकृष्ण एक प्याला चाय पीने का अनुरोध करते हैं। इसमे दस मिनट और लग जाते है। चद्रशेखर का अभी भी कोई चिन्ह नही। अब श्री जयप्रकाश कहते हैं देर क्यो की जाए अब चलें ! गाधी शांति सस्थान के भवन से दस मील की कूच से पहले ही टलीफोन आता है और पता लगता है कि राजनारायण पकड़ लिए गए है।

राधाकृष्ण के साथ श्री जयप्रकाश बाहर आते हैं तो आश्चर्यपूर्वक देखते हैं कि पूरा क्षेत्र पुलिस के सिपाहियो से भरा हुआ है। कम से कम तीन लारिया भरकर पुलिस आई है और उन्होंने गाधी शांति सस्थान भवन के चारो ओर घेरा डाल लिया है। जसे ही जयप्रकाश पुलिस की गाडी मे बठते है एक तेज आती हुई टक्सी रुकती है और चद्रशेखर बाहर निकलते है। चद्रशेखर का अभिवादन करने से अधिक जयप्रकाश कुछ नहीं कर पाते क्योंकि जिसमे वे बठे है पुलिस की वह गाडी तेजी से चल देती है। राधाकृष्ण के साथ चद्रशेखर अपनी गाडी मे श्री जयप्रकाश के पीछे पीछे जाते है। श्री जयप्रकाश को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। एस० पी० और डी० एस० पी० सभी श्री जयप्रकाश के प्रति अत्यन्त विनम्र हैं।

जिन्हें हालात के बारे मे टेलीफोन पर बताया गया है उनमे से कुछ ने आगे दूसरो को खबर कर दी है। इतनी सुबह भी एक छोटी सी भीड़ और थाड़े मे सवाददाता पुलिस-स्टेशन के सामने इकट्ठे हो गए है। पुलिस ने उन्हें कुछ दूरी पर रोक दिया है।

श्री जयप्रकाश को बिठाकर पुलिस सुपरिन्टेंडेंट एक मिनट के लिए क्षमा मागता है और दूसरे कमरे मे जाता है। एक पल मे ही वह वापस आता है और श्री चद्रशेखर को एक ओर ले जाकर कहता है 'श्रीमन ! बात यह है कि एक दूसरा दल आपको लाने के लिए आपके घर गया है। चद्रशेखर मुस्कुराते है और उत्तर देते हैं अब क्योकि मैं यहां हू तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। और पुलिस वसा ही करता है। इससे श्री जयप्रकाश को आश्चर्य होता है।

उन्होंने सोचा था कि विरोधी पक्ष के कुछ चोटी के नेताओं को ही पकड़ा गया है। अब स्पष्ट है कि सरकार ने काफी विस्तृत जाल फैंका है।

पुलिस अफसर जयप्रकाश और चन्द्रशेखर का साथ निभाता है। जब चन्द्रशेखर पूछते हैं कि श्री जयप्रकाश को कहां ले जाया जा रहा है तब श्री जयप्रकाश का लक्ष्य स्थान बताने से पुलिस इन्कार कर देती है। राधाकृष्ण पुलिस अफसर से पूछते हैं—श्री जयप्रकाश की तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है इसलिए क्या उनके व्यक्तिगत सेवक को साथ जाने दिया जाएगा? यह प्रार्थना भी ठुकरा दी जाती है। श्री जयप्रकाश राधाकृष्ण से कहते हैं 'ठीक है। हो सके तो कुछ किताबें मेरे पास भेज देना।'

राधाकृष्ण तब श्री जयप्रकाश से पूछते हैं कि क्या जनता के लिए कोई सन्देश आप देना चाहेंगे? 'संवाददाता हमारे पास आएंगे और हमारे कार्यकर्ता भी जानना चाहेंगे। क्या उनके लिए कुछ कहना आप पसन्द करेंगे?'

श्री जयप्रकाश आधा पल सोचते हैं। तब राधाकृष्ण की ओर सीधे देखते हैं और कहते हैं 'विनाश काले विपरीत बुद्धि।' वे कहते हैं 'यही मेरा सन्देश है।'

और इस तरह यह लम्बी रात शुरू होती है। आपातस्थिति अपने सहयोगियों आतंक और सेंसर के साथ एक चोर की तरह रात के अंधेरे में देश में घुस आती है। पिछली अर्धरात्रि और 26 जून को प्रातः 6.30 बजे तक विरोधी पक्ष के 83 शीर्षस्थ नेताओं को पकड़ लिया गया है। अनेक जिनके विरुद्ध वारंट हैं भूमिगत हो जाते हैं और बारा दूरा गतिविधियों के एक विरोध के लिए एक संगठन जैसा कुछ निर्मित करने की कोशिश करते हैं। पुलिस लाठियों बेंत की ढालों और लोहे की टोपों के साथ सड़कों पर उतर पड़ी है। पूरी तरह सशस्त्र कितने ही अन्य लारियों में भरे हुए और घोड़ों की पीठों पर चढ़े हुए चौराहों पर खड़े हैं। दिल्ली की फ्लीट स्ट्रीट बहादुरशाह जफर मार्ग की बिजली काट दी गई है जिससे कि सुबह कोई भी अखबार न निकल सके। नगर के अन्य हिस्सों में स्थित अन्य अखबारों के साथ ऐसा नहीं किया गया है और वे बिजली काटे दिए जाने से बच गए हैं।

रहस्यमय मनःस्थिति लिए लोग जागते हैं और घंटों बाद तक भी देश में घट गई गम्भीर घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जान पाते। अन्त में दस उसकी फुसफुसाहट के माध्यम से ही उन्हें यह गम्भीर समाचार मिलता है।

पार्लियामेंट स्ट्रीट से श्री जयप्रकाश नारायण को हरियाणा सीमा के पार सीधे सोहना ले जाया जाता है। जैसे ही उनकी कार लक्ष्य पर पहुंचती है लगभग ठीक उसी क्षण एक दूसरी कार आती है और श्री मोरारजी देसाई उसमें से बाहर निकलते हैं। दोनों नेता एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। मोरारजी भाई सिर्फ

इतना कहते हैं "जो भगवान की मर्जी!" यद्यपि दोनों नेता एक ही भवन में रखे जाते है फिर भी खाने के समय पर भी उन्हें मिलने की इजाजत नहीं है। वे अलग रखे गए हैं और उनकी जरूरतें अलग ही पूरी की जाती हैं। तीन दिन बाद श्री जयप्रकाश नारायण को नई दिल्ली के आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में ले जाया गया क्योंकि उनके पेट में बहुत तेज दर्द उठ आया था।

राधाकृष्ण पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से घर लौट आए और सोचने लगे कि वे स्वयं कितनी देर तक मुक्त रह सकेंगे। पुलिस किसी भी क्षण उन्हें ले जा सकती है। इसलिए दोपहर तक वे भूमिगत हो गए। शीघ्र ही उन्होंने अन्य कार्यकर्ताओं से सम्बन्ध स्थापित किया। यह बड़ा ही कठिन काम था, क्योंकि हर एक ही भूमिगत था और उनके पते अज्ञात थे।

लोक संघर्ष समिति के महासचिव श्री नानाजी देशमुख रानी झांसी मार्ग पर स्थित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान भवन की छठी मंजिल पर अपने कमरे में सो रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। लगातार बजती टेलीफोन की घंटी ने नानाजी को रिसीवर उठाने के लिए मजबूर किया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब एक स्त्री की आवाज ने उन्हें चेतावनी दी कि ठीक एक बजे आपकी जगह को पुलिस घेर लेगी और बच भागने के लिए आपके पास एक घंटे से भी कम समय है।

नानाजी ने कुर्ता और धोती एक थैले में डाल और बाहर खिसक लिए और दस मील दूर एक बंगले में पहुंच गए। इस बीच टेलीफोन और व्यक्तिगत संदेश वाहक इस उस को इशारा करने के लिए लगातार व्यस्त रहे। सुबह दिन निकलने तक आधा दर्जन सहयोगी दस मील दूर के उस बंगले में पहुंच चुके हैं। उनमें जनसंघ के एम० एल० खुराना और सुब्रह्मण्यम स्वामी संगठन कांग्रेस के रवीन्द्र वर्मा भारतीय मजदूर संघ के दत्तोपन्त ठेंगड़ी हैं। शीघ्र ही गांधी शांति संस्थान के राधाकृष्ण सोशलिस्ट पार्टी के सुरेन्द्र मोहन जनसंघ के सुन्दर सिंह भंडारी और दिल्ली के भूतपूर्व मेयर केदारनाथ साहनी भी समूह में शामिल हो जाते हैं।

इन नेताओं ने मिलकर बातचीत की और प्रतिरोध की गतिविधि को प्रेरित करने और चलाने के लिए भूमिगत संगठन निर्मित किया।

अगस्त 1975 में बम्बई में की गई लोक संघर्ष समिति की बैठक में देश के सभी हिस्सों से कार्यकर्ता आए और यहां गतिविधि का एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया। बैठक में योजना बनाई गई कि (1) 14 नवम्बर 1975 से 26

जनवरी 1976 तक राज्यों की राजधानियों और जिला-केन्द्रों में सत्याग्रह किए जाएं। (2) पुलिस गतिविधियों के लिए तथा जेल में बंद कार्यकर्ताओं के परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए धन-संग्रह किया जाए। (3) जेल में बंद साथियों से सम्पर्क किया जाए। (4) देश और विदेश में प्रचार संगठित किया जाए तथा (5) आन्दोलन को अहिंसक बनाए रखा जाए।

लोक संघर्ष समिति ने श्री सुब्रह्मण्यम् स्वामी, एक गुजराती मंत्री श्री मकरन्द देसाई, श्रीमती [illegible], श्री आर० [illegible] । इनका [illegible] कोठारी, श्रीमती [illegible] फर्नांडीज तथा श्री [illegible] के नाम भी [illegible] उनकी सेवाएं प्राप्त थीं।

विभिन्न संगठनों द्वारा देश के भिन्न-भिन्न भाग निश्चित किए गए और उनके बीच काम विभाजित कर लिया गया। श्री राधाकृष्ण को दक्षिण राज्यों का काम सौंपा गया जहां उन्होंने लोक समिति और गतिविधियों को संगठित किया। यह नहीं कि अधिक कुछ किया जा सका लेकिन इस स्तर पर उनका जोर आन्दोलन को जीवित रखने पर ही रहा ताकि जिस रूप में जनता को जकड़ लिया था वह उसे पूरी तरह जड़ न बना सके। कार्यक्रम यह था कि विरोध के विविध अहिंसक कार्यों से प्रतिरोध को बनाए रखा जाए। जनता तक सूचनाएं पहुंचाई जाएं और और लोगों को बताया जाए कि समिति का संघर्ष चल रहा है जिससे लोग यह जानें कि आत्मा कुचली नहीं जा सकी है और कार्यवाही की तथा भावी परिवर्तन की सम्भावनाएं अभी हैं।

श्री राधाकृष्ण के घर पर पुलिस उनके परिवार को तंग कर रही थी। उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके थे और पुलिस लगातार उनके घर जा रही थी और निगरानी रख रही थी। उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और उनकी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया गया था। पुलिस उनका फर्नीचर, टेलीविज़न सेट, रसोई के बर्तन और यहां तक कि खाना बनाने की गैस का सिलिंडर तक उठा ले गई थी।

जो पुलिस अधिकारी आदेश पालन के लिए आया था उसने बहुत कुछ शर्म से लाल होकर श्रीमती राधाकृष्ण से कहा था, बहन जी मैं क्या कर सकता हूं! आदेश ऐसा ही है। लेकिन अपने घर से अपना गैस सिलिंडर मैं भिजवा दूंगा। श्रीमती राधाकृष्ण ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा था कि तब शायद आपको यह दूसरा सिलिंडर ले जाने के लिए फिर से आना पड़ेगा।

एक गांधीवादी कार्यकर्ता ने संयोगवश प्रधानमंत्री को बताया कि श्रीमती राधाकृष्ण को भारी तंगी उठानी पड़ी क्योंकि पुलिस उनकी रसोई का सामान तक उठा ले गई। कहा जाता है कि श्रीमती गांधी जवाब में पत्थर की तरह चुप

हो गइ। अत म कुछ मित्रो के कहने पर अगस्त 1975 मे श्री राधाकृष्ण अपने परिवार को बम्बई म एक मित्र के घर ले गए। राधाकृष्ण बगलौर, मद्रास और बम्बई से ही काम कर रहे थे। प्रचार सामग्री छापने और बाटने के लिए प्रबध कर लिए गए थे और कायकर्ताओ का सगठन किया जा चुका था।

6 सितम्बर 1975 को श्री राधाकृष्ण ने पुलिस के सामने आत्म-समपण कर दिया। इस आत्म-समपण का कारण परिवार को तग किया जाना अथवा व्यक्तिगत कष्ट नही था। ऐसा उन्होंने गाधी शान्ति सस्थान के अध्यक्ष श्री आर० आर० दिवाकर की प्रेरणा से किया था। श्री दिवाकर ने उनसे कहा था कि एक सच्चे गाधीवादी को गुप्त रूप से नही, खुले म काम करना चाहिए। उनका विश्वास था कि भूमिगत गतिविधि गाधी दशन की आत्मा के विरुद्ध है, और यह भी कि गाधी शान्ति-सस्थान अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति म उलझता जा रहा है और इस प्रकार सस्थान को हानि पहुच रही है। श्री राधाकृष्ण ने कहा कि यदि उनकी भूमिगत गतिविधि से, जिसके वे सेवक है उस सस्थान को हानि पहुचती है तो वे स्वय को गिरफ्तार करा देंगे।

गिरफ्तार होने पर श्री राधाकृष्ण तिहाड जेल म रखे गए। लेकिन फरवरी 1976 म जेल से आने के बाद भी पुलिस उन्ह परेशान करती रही। गाधी शान्ति सस्थान के दफ्तर पर दो बार छापे मारे गए। सरकार का कहना था कि गाधी शान्ति सस्थान को विदेशी सूत्रो से पसा मिलता है और इसका प्रमाण खोज निकालने के लिए ही वे सस्थान के भवन म घुस हैं। सरकार यह भी मालूम करना चाहती थी कि सस्थान का धन राजनीतिक गतिविधि के लिए तो नही दिया जा रहा है। उन्हे इस बात का भी कोई प्रमाण नहा मिला लकिन फिर भी सस्थान की सहायता राशि रोक दी गई और तग किया जाना जारी रहा।

नानाजी जुलाई 1975 मे पकडे गए और उनका स्थान श्री रवीन्द्र वर्मा ने लिया। जब ये भी दिसम्बर 1975 मे गिरफ्तार हो गए तो श्री ठेंगडी इनकी जगह आए। आपातकाल के 19 महीनो क दौरान भूमिगत गतिविधि का लक्ष्य यही रहा कि आपातस्थिति के विरुद्ध सघष का झडा लहराता रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सूचना पत्रक, बुलेटिन जारी किए जाते थ, जिनम भूमिगत आन्दोलन की खबरें होती थी और पूरे देश मे घटने वाली घटनाओ का ब्यौरा रहता था। पूण सेंसर के कारण सरकारी सूचनाओ के अतिरिक्त और कोई खबर जनता को नही मिल पाती थी। इस आन्दोलन म दो दौर सत्याग्रह के भी शामिल किए गए थ। पहला दिल्ली और अन्य नगरो म जून 1975 म एक पखवाडे तक चलना था और दूसरा इतनी ही अवधि तक नवम्बर 1975 म किया जाना था।

भूमिगत कार्यकर्ताओ ने अपने को और अपनी सामग्री को सचरित करने के बडे ही कुशल तरीके निकाले थे। अक्सर गैर कानूनी साहित्य को वितरण के लिए ले जाने का काम जवान लडकियो और स्त्रिया से लिया जाता था। जब भूमिगत पुरुष यहा से वहा जाते थे तो वेश बदल लेने के साथ साथ वे अपने साथ कोई स्त्री और हो सके तो बच्चा गोदी मे लिए स्त्री रखते थे। ऐसे पारिवारिक समूह पर कठिनाई से ही शक हो पाता था।

छापने और साइक्लोस्टाइल करने की बहुत छोटी और हल्की मशीनें इस्तेमाल मे लाई जाती थी। शक न पड़े इसलिए स्टेन्सिल अधिकतर हिन्दी जानने वाली किसी बगाली या दक्षिण भारतीय लडकी द्वारा हाथ से काटे जाते थे और इन लडकियो को बार-बार बदल दिया जाता था। कार्यकर्ता कभी टैक्सी मे सफर नही करते थे। वे सावजनिक परिवहन की बस या स्कूटर ही लेते थे।

भूमिगत आन्दोलन की प्रमुख गतिविधि बुलेटिन पैम्फ्लेट सूचना पत्रक आदि तैयार करना और जनता मे सचरित करना था। हर राज्य पखवाडे मे एक बार एक हरकारा दिल्ली भेजता था जो खबरें इकट्ठी करके लाता था और हर बुलेटिन 20000 लोगो को डाक से भेजा जाता था। सत्य समाचार एक पाक्षिक था जो हर महीने की बारहवी और छब्बीसवी तारीख को दिल्ली से जारी किया जाता था। यह पाक्षिक छ महीने तक प्रभावी ढग से काम करता रहा और तब पुलिस ने इसके भूमिगत कार्यालय पर छापा मारा। इसके हर अक मे फुलस्केप आकार के टाइप और साइक्लोस्टाइल किए हुए 16 से 20 तक पृष्ठ रहते थे। इनमे श्री जयप्रकाश के सन्देश जेल मे मर जाने वाले शहीदो की सूची और बन्दीगृहो मे पड़े और बाहर कायरत कार्यकर्ताओ के उत्साह को बनाए रखने के उद्देश्य से आन्दोलन की गतिविधियो के बारे मे विशेष सूचनाए दी जाती थी। इस पत्रक का सम्पादन आर्गनाइजर के सम्पादक श्री वी० पी० भाटिया तब तक करते रहे जब तक इसे बन्द ही न कर दिया गया। राज्यो से निकलने वाले अन्य प्रसिद्ध बुलेटिन ये थे—दिल्ली से जनवाणी और मशाल वाराणसी से दर्पण हैदराबाद से वज्रयुग बम्बई से असली समाचार तथा गोहाटी से सत्यव्रत। जार्ज फर्नेंडीस अपने गुप्त स्थान से अपना निजी पत्रक निकालते थे जिसमे साहित्यिक और काव्यात्मक स्वाद बहुत अधिक रहता था। इसे नियमित रूप से श्रीमती गाधी को भेजा जाता था।

भूमिगत साहित्य को सचरित करने के अपराध मे 7000 कार्यकर्ता पकडे गए थे। दो महीने के सत्याग्रह मे 80000 गिरफ्तार हुए—कर्नाटक मे 15000 केरल मे 9000 बिहार और उत्तर प्रदेश प्रत्येक मे 8000 और दिल्ली मे 5000। 300 जिलो मे सत्याग्रह सगठित किया गया। सब तरह के राजनीतिक बदियो की कुल सख्या 140000 थी।

गर कानूनी साहित्य चौपन्ने पर्चे और साइक्लोस्टाइल किए हुए पत्रक अक्सर सरकारी प्रेषण कार्यालयों के माध्यम से सरकारी प्रेषण-गाड़ियों में सरकारी प्रचार सामग्री के बण्डलों के बीच छुपाकर और कभी कभी परिवार नियोजन के फोल्डरों और चौपन्नों के लिए बने लिफाफों में भेजे जाते थे।

लेकिन सरकार ने भूमिगत कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जो भयानक दमन चक्र चला रखा था और पकड़े जाने पर उन पर जो क्रूरताएं की जाती थी, उन्होंने इस संघर्ष को दूसरे स्वतन्त्रता युद्ध के स्तर तक ऊंचा उठा दिया था। इस संघर्ष ने भी अनेक महान शहीदों और वीर पुरुषों को जन्म दिया। इनमें अधिकतर अनजाने और अनगाए ही रह गए।

पार्टी के नेताओं के साथ आम तौर से कुछ शिष्टता बरती जाती थी और जेल में भी उन्हें कुछ मूलभूत सुविधायें दी जाती थी। यह तो अनाम निश्चल कार्यकर्ता ही थे जिन्हें सरकारी दमन का अधिकतर बोझा ढोना पड़ा। सिर्फ उन्हें ही नहीं उनके माता पिताओं और सम्बन्धियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा। राजनीतिक बन्दियों पर की गई अधिकतर नृशंसताएं और क्रूरताएं पुलिस की हवालातों में ही की गई। एक बार जब बन्दियों को नियमित जेलों में भेज दिया जाता था तो उनके साथ अधिक अच्छा बर्ताव किया जाता था। युवकों और विशेषकर छात्रों ने संघर्ष को सबसे विशद और सबसे कीमती योगदान दिया और झंडे को ऊंचा रखा।

इन बहादुर कार्यकर्ताओं में हेमन्तकुमार बिश्नोई का नाम 1975 76 के स्वतन्त्रता समर के दौरान साहसपूर्ण कार्यों के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जब हेमन्तकुमार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का मंत्री चुना गया था तभी वह अधिकारियों की नजरों में आ गया था। वह छात्रों के एक उग्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकट रूप में सम्बन्धित था जिसने विश्वविद्यालय के छात्र संघों के 70 प्रतिशत स्थानों पर कब्जा कर लिया था। इसलिए परिषद सरकार की निगरानी का लक्ष्य बन गई थी। हेमन्त और विद्यार्थी परिषद के उसके साथियों ने राज्यों में साफ सुथरे प्रशासन के लिए श्री जयप्रकाश के आन्दोलन से सम्बन्धित मुद्दों को आधार बनाकर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा था और उसे जीता था।

बीच के कद और हल्की मूछों वाला सौम्य प्रकृति का युवक हेमन्त ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उसकी त्वचा के नीचे फौलाद भरी है। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य था और वाणिज्य अर्थशास्त्र का स्नातकोत्तर छात्र था। वह एक मध्यवर्गीय शिक्षाविद परिवार से सम्बन्ध रखता था जो यमुना-पार की एक सादी बस्ती में रहता था। हेमन्त के पिता डा० देवेन्द्र कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय में

पढाते है। वे स्वतन्त्रता से पहले के दिनो के राष्ट्रवादी हैं और आजादी के लिए काग्रेस आन्दोलन मे उन्होने सत्याग्रह किया था।

जून 1975 मे अपने अन्य कार्यकर्ता साथियो के साथ हेमन्तकुमार हरियाणा राज्य के रोहतक नगर मे एक छात्र शिविर मे भाग ले रहा था। शिविर को महीने के अन्त तक चलना था लेकिन हेमन्त को 14 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय की एक परीक्षा मे बैठना था। इसलिए वह एक दिन के लिए राजधानी लौट आया था।

जब वह दिल्ली पहुंचा तो नगर इलाहाबाद के फैसले से तथा प्रधान मन्त्री सहित सरकार और देश पर इसकी प्रतिक्रियाओ के अनुमानो से भरा हुआ था। उसने वातावरण को तनावपूर्ण पाया। परीक्षा केन्द्र तक पहुचने के लिए उसे लम्बी दूरी पैदल तय करनी पडी, क्योकि दिल्ली परिवहन की बहुत ही थोडी बसें सडकों पर थी। बसो से प्रधान मन्त्री निवास के सामने श्रीमती गाधी के समर्थन मे जन प्रिय प्रदर्शनो के लिए लोगो को ढोने का काम लिया जा रहा था। अगले दिन हेमन्त छात्र शिविर मे रोहतक लौट गया।

जब 26 जून को आपातस्थिति की घोषणा हुई तब हेमन्त रोहतक मे ही था। शिविर को 30 जून को समाप्त होना था लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने लडको से कहा कि वे इसे जल्द ही खत्म कर दें। 28 जून को शिविर समेट दिया गया और हेमन्त दिल्ली लौट आया।

इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र सघ के अध्यक्ष अरुण जेटली को पुलिस पकड ले गई थी। पुलिस जेटली के घर पहुची और उसके बारे मे पूछा। व्यवसाय से वकील उसके पिता ने बताया कि अरुण घर पर नही है। इस पर पुलिस ने तलाशी लेने के लिए घर मे घुसना चाहा। अरुण के पिता ने तलाशी के वारट के बिना उन्हे घर मे नही घुसने दिया और ऐसा वारट पुलिस के पास था नही। अब पुलिस उसके पिता को ही थाने ले गई और उन्हे वहा रोके रखा।

अगले दिन अरुण ने श्री जयप्रकाश की गिरफ्तारी के विरोध मे छात्रो का एक जलूस निकला। वह कुछ लडको को इकट्ठा करने मे सफल हो गया था। जलूस नारे लगाता हुआ विश्वविद्यालय क्षेत्र मे चारो ओर घूमा। इसके बाद अरुण विश्वविद्यालय के काफी हाउस मे आ बैठा। कुछ पलो के भीतर ही पुलिस ने काफी हाउस को घेर लिया और मीसा के अन्तर्गत अरुण को गिरफ्तार करके ले गई और उसे तिहाड जेल मे रख छोडा।

अरुण जेटली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हेमन्त विश्नोई की खोज मे जुटी। जब हेमन्त दिल्ली लौटा तो वह घर नही गया। अपनी वापसी के बारे मे घरवालो को उसने बस खबर कर दी। अधिकतर नेता भूमिगत हो गए थे और कोई नही जानता था कि कौन कहा है। पहले से ही निश्चित कोई कार्यक्रम अथवा कार्यवाही

की कोई योजना मौजूद नहीं थी। वह नहीं जानता था कि साथी छात्र कार्यकर्ताओं से वह कहां सम्पर्क करे। अपने साथियों व परिवारों को टेलीफोन करने का साहस वह नहीं कर सकता था।

उसके दिमाग में वैसे यह पक्का निश्चय था कि आम गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए किसी तरह का कोई आन्दोलन आरम्भ अवश्य किया जाना चाहिए। इस बीच वह अपने उन मित्रों के यहां ठहरता रहा जिनका छात्र-आन्दोलन से सीधा सम्बन्ध नहीं था। और इसलिए उन पर कोई शक नहीं किया जा सकता था। क्रमशः उसने संघर्ष समिति से और अभी तक मुक्त एवं भूमिगत अन्य साथियों से सम्पर्क स्थापित कर लिया।

वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव आर० के० भाटिया से मिलने में सफल हो गया और उनके माध्यम से वह कुछ अन्य कार्यकर्ताओं से भी मिला। इन सबने कार्यवाही की एक मोटी योजना बनाई। योजना यह थी कि पहले छात्रों के आम समुदाय से सम्बन्ध स्थापित किया जाए और तब दलों के नेता नियुक्त किए जायें जिन्हें प्रचार का और साथी छात्रों के साथ विचार विनिमय एवं बातचीत का काम सौंपा जाए।

हेमन्त का विभिन्न कालेजों में काफी विस्तृत मेलजोल था। इसलिए सब जगह जाकर दलीय नेता चुनने का आरम्भिक काम उसे ही सौंपा गया। इसके बाद दरियागंज में एक कार्यालय बना लिया गया जहां सब लोग मिलने लगे, समस्याओं पर विचार करने लगे और गतिविधियों के कार्यक्रम तैयार करने लगे। 10 जुलाई को पुलिस ने इस कार्यालय पर छापा मारा। इस जगह किये गये एक टेलीफोन को और दिल्ली पहुंचने की सूचना देते हुए बम्बई विद्यार्थी परिषद के एक नेता के तार को पुलिस ने पकड़ लिया था। दरियागंज के कार्यालय में पहुंच कर पुलिस ने आर० के० भाटिया, नरेश गौड़ और दो अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।

अगली सुबह हेमन्त ने दरियागंज कार्यालय को टेलीफोन किया। उसे पिछली रात की घटना का कोई ज्ञान न था। टेलीफोन पर उसे उल्टे सीधे जवाब मिले। उसे शक हो गया और इसके बाद वह दरियागंज से दूर दूर ही रहा। लगभग आधे दर्जन कार्यकर्ता पुलिस के जाल में फंस गये।

छापा पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने मारा था। गिरफ्तार लोगों को शाहदरा थाना ले जाया गया। आठ दिनों तक उन्हें हवालात में रखा गया। भाटिया से सूचनाएं प्राप्त करने के लिये उसे हवालात में 36 घंटों तक लगातार खड़े रखा गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कोहली को भी पकड़कर हवालात में बंद कर

लिया गया था। कोहली पोलियो के शिकार हैं और एक टांग से लगड़े हैं। फिर भी एक पूरे दिन और रात उन्हें खड़े रखा गया। पुलिस ने उर्दू में लिखे एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें मजबूर करने की कोशिश की। कोहली ने तब तक हस्ताक्षर करने से इकार कर दिया जब तक वक्तव्य उन्हें पढ़कर नहीं सुना दिया जाता। इस पर पुलिस ने उन्हें ठोकरों और थप्पड़ों से मारा। जब अब भी उन्होंने वैसा करने से इकार किया तो थानेदार ने उन्हें दूसरे कमरे में चलने के लिए कहा। जब भी कोहली बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि अगले ही कमरे में डी० एस० पी० बैठा है। उन्हें आशा हुई कि डी० एस० पी० शायद अधिक युक्ति संगत होगा और वे झपटकर उसके कमरे में पहुंच गए और थानेदार की शिकायत उससे की। डा० एस० पी० यू० एन० बी० राव ने सख्ती से कहा 'तब तुम उस वक्तव्य पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर देते ?' कोहली ने कहा कि जब तक उस वक्तव्य में क्या है यह मुझे नहीं बताया जायेगा मैं उस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। इस पर डी० एस० पी० ने अकड़कर उत्तर दिया 'मैं देखूंगा कि तुम हस्ताक्षर करने से कब तक इकार करते हो।' और कोहली को उसने थानेदार को सौंप दिया। अब कोहली को दूसरे कमरे में ले जाया गया और निर्दयता से पीटा गया। सौभाग्यवश मीसा के अंतर्गत उनके वारंट जारी हो चुके थे और उन्हें जेल ले जाया ही जाना था क्योंकि हवालात में और उन्हें अधिक रोका नहीं जा सकता था।

हेमन्त विश्नोई अब शिकारियों से घिरा जीवन जीने लगा। खाने काम करने और सोने का उसका कोई निश्चित स्थान नहीं रहा। पुलिस उसकी सूंघ पर थी और वह दो लगातार रातों तक एक ही जगह नहीं सोता था। अपने साथियों से वह यहां वहां के चायघरों में मिलता था और तब वे लोग अगली योजनाओं पर बातें करते हुए पैदल निकल पड़ते थे।

अब तक छात्र नेताओं ने एक काफी सुसगठित जाल तैयार कर लिया था। उनकी अपनी गुप्त भाषा थी। अधिकारियों की एक मीनारनुमा शृंखला तैयार कर ली गई थी, जिसकी अलग-अलग मंजिलों को ठीक उतनी ही सूचना दी जाती थी, जितनी उनकी अपनी गतिविधि के लिए आवश्यक होती थी। इस प्रकार पकड़े जाने पर वे अधिक सूचना देने में असमर्थ रहते थे।

16 जुलाई को विश्वविद्यालय को खुलना था। 13 और 14 जुलाई की रात को पुलिस ने ऐसे लगभग 50 छात्र नेताओं को पकड़ लिया जिनका उनके कालेजों में कुछ भी प्रभाव था।

संघर्ष समिति ने एक पम्फ्लेट तैयार कराया जिसमें गिरफ्तारियों की निंदा की गई थी और छात्रों से अनुरोध किया गया था कि वे इस दमन के खिलाफ लड़ें। छात्रों से कहा गया था कि 25 जुलाई का दिन वे मांग दिवस के रूप में

मनायें और विश्वविद्यालय को बंद कराए। हेमन्त ने पैम्पलेट की छापों के बीच बहुत विस्तृत रूप में बंटवाया।

पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। लेकिन वे पम्पलेट छापने और वितरित करने वालों पर हाथ नहीं डाल सके। अतः उन्होंने उन लोगों के परिवारों, बुजुर्ग माता पिताओं, भाइयों यहां तक कि बच्चों तक को तंग करना शुरू कर दिया। हेमन्त के पिता को धमकी दी गई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायगा और घर पर सील लगा दी जायेगी। उन्हें बताया गया कि उनका बेटा जहां दीखे वहीं उसे गोली मार देने के आदेश पुलिस के पास हैं।

जब पुलिस ने उनके घर को सील करने का फैसला लिया तो उन्हें पहले ही पता लग गया और उन्होंने पुलिस का ऐसा करने से रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दे दी। उनका तर्क था कि घर हेमन्त का नहीं है और वह अपने पिता पर आश्रित मात्र है।

25 और 26 जुलाई के दिन विश्वविद्यालय में आतंक के दिन थे। इन दो दिनों में विश्वविद्यालय क्षेत्र में छात्रों से अधिक पुलिस के सिपाही रहे, अध्यापकों को दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के सदस्यों को और विद्यार्थी-परिषद से जिसका किसी भी समय सम्पर्क रहा उसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 186 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 120 विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के तो विभागाध्यक्ष समेत लगभग सभी अध्यापकों को पकड़ लिया गया। यहां तक कि विभाग में पढ़ाई स्थगित कर देनी पड़ी।

एक अध्यापक श्री गणेशशंकर पालीवाल अपने बगीचे में पानी दे रहे थे। उनकी पत्नी रिश्तेदारों के यहां गई थी और दो छोटे बच्चों को पति के पास छोड़ गई थी। पुलिस उनके घर आई और उस घर की दिशा में भाग आए एक चोर को ढूंढने का बहाना लेकर घर में घुस गई। पालीवाल भी उनके पीछे पीछे घर में आये। अब पुलिस ने उनका नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम बताया। पुलिस ने उनसे प्रार्थना की कि वे एक मिनट के लिए बाहर आ जाएं। जब वे बाहर आए तो उन्हें धकेलकर सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया और गाड़ी चल दी। वे अपने पड़ोसियों तक को खबर नहीं कर सके। जब बाद में उनके बच्चों ने रोना शुरू किया तब पड़ोसी आए।

इस सबने विश्वविद्यालय समाज में एक भय और आतंक पैदा कर दिया और यही चाहा भी गया था। गिरफ्तार अध्यापकों के परिवारों को घोर आर्थिक कष्ट सहना पड़ा क्योंकि अपने साधारण वेतनों के बल पर वे बस गुजारा ही कर पाते थे। रिश्तेदार भी उनकी मदद करने में डरते थे। कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। पड़ोसी भी उनसे बात करने से बचते थे।

हेमन्त पुलिस की आखों में धूल झोंकता रहा और छात्र वर्ग में अपना काम करता रहा। कुछ कालिजों में वह गया भी और छात्रों के सामने बोला भी। आत्माराम सनातन धर्म कालेज में उसने पर्चे बांटे। पुलिस सनातन धर्म कालेज संघ के मंत्री मदन भाटिया को पकड़ ले गई। उसके साथ जो बर्ताव किया गया वह अमानवीय था। मदन के पास समिति द्वारा तैयार किए गए कुछ पर्चे पाए गए थे। पुलिस मदन से यह जानना चाहती थी कि ये पर्चे उसे कहां से मिले और ये कहां और किसके द्वारा छापे गए हैं।

जब पुलिस मनचाही सूचना उससे नहीं निकाल सकी तो वह लड़के को उसके घर ले गई और उसके पिता के सामने उसे पीटा। किसी में यहां तक कि पड़ोसियों में भी यह साहस नहीं हुआ कि वे निंदा अथवा विरोध के रूप में एक उंगली भी उठा सकें। वे सिर्फ इतना ही कर सके कि नमें ही पुलिस को आते देखा अपने अपने घरों में घुस गए और अपने दरवाजे बन्द कर लिए। पुलिस का पड़ोस में आना ऐसा आतंक लोगों के दिलों में पैदा कर देता था।

कहानी का अंत यहीं नहीं हो गया। मदन को छावनी के पुलिस थाने में लाया गया जो अपने क्रूर तीसरे दर्जे के तरीकों के लिए बदनाम था। वहां उसे कोठरी में बंद कर दिया गया और उसके शरीर के बालों पर जलती मोमबत्ती लगाई गई। असहनीय पीड़ा से चीख उठा। लेकिन चीखकर जो उसने कहा वह था : ईश्वर कसम यदि मैं जिन्दा बचा तो इस अपमान का बदला लूंगा। वह चिल्लाकर बोला : तुम भी मेरी तरह ही जानते हो कि यह शासन सदा टिकने वाला नहीं है। कुछ दिन बाद मदन को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया जहां उसके साथी कार्यकर्ता उसकी हालत देखकर रो पड़े और उसे उत्साहित करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया।

हेमन्त विश्नोई ने 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन की वर्षगांठ 9 अगस्त के दिन कुछ कालिजों में जाने की योजना बनाई थी। श्री निवासपुरी के डी० ए० वी० कालिज को उसने चुना। पुलिस कालेज के बाहर बड़ी संख्या में पड़ी थी। पुलिस के पूरे बंदोबस्त के बावजूद हेमन्त कालेज में घुस गया और एक कक्षा में जाकर अध्यापक को उसने अपना परिचय यूनियन के एक नेता के रूप में दिया और कुछ मिनट छात्रों के सामने बोलने की अनुमति चाही। यह एक आम तरीका है और ऐसी अनुमति सामान्य रूप से दे दी जाती है।

हेमन्त कुछ मिनटों तक छात्रों के सामने बोला। उसने उनसे कहा : यदि आप लोग बंगला देश का कत्लेआम यहां दोहराया जाना नहीं चाहते तो आपको इस दमन का विरोध करना चाहिए। छात्रों ने उत्तर में नारे लगाये : जयप्रकाश जिन्दाबाद ! संघर्ष समिति जिन्दाबाद ! अब दूसरी कक्षाओं से भी लड़के वहां आ गये और उन्होंने हेमन्त को चारों ओर से घेर लिया। कालिज का

प्रिंसिपल भी उस स्थल पर पहुच गया। जब प्रिंसिपल ने महसूस किया कि क्या हो रहा है तो उसने पुलिस को टेलीफोन कर दिया।

पुलिस तो आने के लिए हर समय तैयार थी ही। कालेज भवन के ठीक सामने पडी पुलिस भीतर की ओर भागी। लेकिन उन्हें देर हो गई। हमन्त उनकी मुट्ठी म आकर भी निकल भागा यद्यपि कालज क भवन को चारा ओर स उन्होन घेर रखा था और वहा आने जान वाल हर व्यक्ति पर उनकी कडी नजर थी। हमन्त और उसके साथी अपन स्कूटरो पर भाग निकल थे।

15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस क उत्सव स कुछ गिरफ्तारिया पुलिस न की। भूमिगत कायकर्ताओ क कुछ स्कूटरो क नम्बर पुलिस का मिल गए थे। इनम से एक को उसन लालकिल क पास खड देखा और इस पहचान क आधार पर गिरफ्तारिया कर ली गई।

इसक शीघ्र बाद ही भूमिगत साहित्य लिए हुए कुछ और कायकर्त्ता भी पकड गय। सताए जान पर कुछ लडकों न हिम्मत हार दी और स्वीकार कर लिया कि यह साहित्य उन्ह आर० के० भाटिया न दिया है। इस पर पुलिस न भाटिया क परिवार क सभी पुरुषो को पकड लिया और उन्ह पीटा और कितने ही दिन तक हवालात म रखा।

रजत शर्मा एक पतला सूखा सा लडका था। जब वह भी पकडा गया तो कितनो को ही डर हुआ कि पुलिस के चगुल स वह जीवित नही लौटेगा। लेकिन आश्चय की बात कि पुलिस न पीट-पीट कर रजत को नीला कर दिया लेकिन एक शब्द भी उसस निकाल नही सकी।

सितम्बर क आरम्भ म सघष-समिति ने अपन कायकर्ताओ का एक अखिल भारतीय सम्मेलन अहमदाबाद म किया। इस सम्मेलन म 22 प्रतिनिधियो न अर्थात हर राज्य से एक न हिस्सा लिया। सम्मेलन म आगे का कायक्रम बनाया गया और अ तरराष्ट्रीय सम्पक-सूत्र स्थापित किये गय। यह योजना बनी कि नवम्बर म एक देशव्यापी सत्याग्रह किया जाय।

राज्यो के प्रतिनिधि अपन-अपन क्षेत्रो म सत्याग्रह क सगठन क बारे म निर्देश लकर लौटे। लकिन जिलो म कायकर्त्ताओं स सम्पक करना अधिकाधिक कठिन और खतरनाक बनता जा रहा था। जनसघ क सगठनकर्त्ताओ न एक दूसरे स मिलन क लिए एक नया तरीका निकाला। व सावजनिक पार्कों जसे खुले स्थानो पर पिकनिक आयाजित करत जहा कायकता लडक और लडकिया क समूह परस्पर मिलन क लिए आत। एस अवसरो पर भूमिगत कायकर्त्ता भी पहुच जात और अय भाग लन वालो स मिलत सूचनाए देते-लत और आगे के काम क लिए निर्देश प्राप्त करत।

एसी ही एक पिकनिक 15 अक्तूबर को बुद्ध जयती पाक म आयोजित की

गई थी, जिसमें लगभग 50 नवयुवकों और नवयुवतियों ने हिस्सा लिया था। पुलिस को इसकी हवा लग गई। सक्रिय कार्यकर्त्ता भी जान गए कि खबर फूट गई है। लेकिन उन्हें यह पता बहुत देर से लगा अतः वे सगठनकर्ताओं से सम्पर्क करके पिकनिक को रद्द नहीं कर सके।

हेमन्त विश्नोई उनमें था जिसे खबर के फूट जाने का कोई ज्ञान नहीं था। बुद्ध जयंती पार्क की ओर जाते हुए सरदार पटेल मार्ग पर उसे पुलिस की जीपों का एक जमघट दीख पड़ा। उसे फौरन किसी गड़बड़ी की आशंका हो गई और पिकनिक वालों को खतरे से सावधान करने के लिए वह उद्यान की तरफ भागा। उद्यान के द्वार पर हेमन्त ने एक बस खड़ी देखी, जिस पर मेडिकल कालेज अमृतसर लिखा कपड़ा चून रहा था। बस के भीतर अनेक स्त्रियां बैठी थीं जो बाद में महिला पुलिस अफसर और सिपाही निकलीं जिनको राजेन्द्र नगर और रामकृष्णपुरम पुलिस थानों से सब छ था।

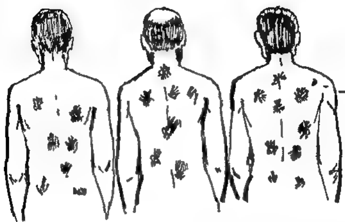
जब हेमन्त पिकनिक स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां एक तनाव महसूस किया। पुलिस ने पिकनिक पर आए दल को घेर रक्खा था और सबको आदेश था कि ताश और दूसरे खेल जो वे खेल रहे थे खेलते रहें जिससे कि आने वाले छात्र नेता धोखे में आ सकें।

हेमन्त स्थिति की गम्भीरता को पूरी तरह नहीं समझ पाया और उसने एक छात्र कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश की। तत्काल एक पुलिस अफसर पास आ गया और उसने पूछा कि वह कौन है? स्थिति को अब समझकर हेमन्त ने उसे चक्कर में डालना चाहा। उसने पुलिस अफसर को बताया कि वह पिकनिक के लिए खाना लाया है और पूछ रहा था कि खाना किसको दिया जाय। पुलिस अफसर को विश्वास नहीं आया। उसने हेमन्त को आदेश दिया कि वह यहीं ठहरे। हेमन्त ने तर्क किया कि उसे जाने दिया जाए जिससे वह द्वार पर रखा सामान यहां ला सके। पुलिस अफसर चिल्ला पड़ा चुप रहो और बैठ जाओ।

पुलिस अफसर के चिल्लाने से वहां घबड़ाहट फैल गई और लड़के लड़कियां बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस पर पुलिस ने हवा में कुछ फायर किए और पूरा पुलिस दल उस समूह को घेरकर करीब आया। लड़कों से कहा गया कि वे अपनी कमीज उतार दें और उन कमीजों से उनके हाथ पीठ पीछे बांध दिए गए। लड़कियों की चुन्नियां छीन ली गई और उनके हाथ भी पीछे बांध दिए गए।

हेमन्त विश्नोई ने अपना नाम बता दिया और उसे पुलिस की एक जीप में धकेल दिया गया। अन्य लड़के-लड़कियों को प्रतीक्षा करती बस में भर दिया गया और उन सबको छावनी पुलिस थाने में ले जाकर हवालात में बन्द कर दिया गया।

बंदियों पर ढाए गए अत्याचार



सिगरेट के टुकड़ों तथा मोमबत्तियों से पीठों पर पड़े हुए निशान



कंधे पकड़कर घुटनों से कमर में आघात पहुंचाना

गई थी जिसमे लगभग 50 नवयुवको और नवयुवतियो ने हिस्सा लिया था। पुलिस को इसकी हवा लग गई। सक्रिय कार्यकर्ता भी जान गए कि खबर फूट गई है। लेकिन उन्हें यह पता बहुत देर से लगा अत वे सगठनकर्ताओ से सम्पर्क करके पिकनिक को रद्द नही कर सके।

हेमन्त विश्नोई उनमे था जिसे खबर के फूट जाने का कोई ज्ञान नही था। बुद्ध जयती पार्क की ओर जाते हुए सरदार पटेल मार्ग पर उसे पुलिस की जीपो का एक जमघट दीख पडा। उसे फौरन किसी गडबडी की आशका हो गई और पिकनिक वालो को खतरे से सावधान करने के लिए वह उद्यान की तरफ भागा। उद्यान के द्वार पर हेमन्त ने एक बस खडी देखी जिस पर मॉडर्न कानज अमतसर लिखा कपडा झूल रहा था। बस के भीतर अनेक स्त्रिया बैठी थी जो बाद मे महिला पुलिस अफसर और सिपाही निकली जिनका राजेन्द्र नगर और रामकृष्णपुरम पुलिस थानो से सबध था।

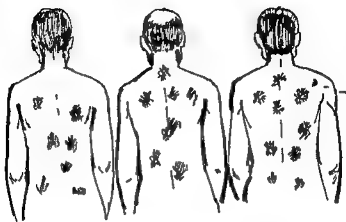
जब हेमन्त पिकनिक स्थल पर पहुचा तो उसने वहा एक तनाव महसूस किया। पुलिस ने पिकनिक पर आए दल को घेर रखा था और सबको आदेश था कि ताश और दूसरे खेल जो वे खेल रहे थे खेलते रहे जिससे कि आने वाले छात्र नेता धोखे मे आ सके।

हेमन्त स्थिति की गम्भीरता का पूरी तरह नही समझ पाया और उसने एक छात्र कायकर्ता से बात करने की कोशिश की। तत्काल एक पुलिस अफसर पास आ गया और उसने पूछा कि वह कौन है? स्थिति को अब समझकर हेमन्त ने उसे चक्कर मे डालना चाहा। उसने पुलिस अफसर को बताया कि वह पिकनिक के लिए खाना लाया है और पूछ रहा था कि खाना किसको दिया जाये। पुलिस अफसर को विश्वास नही आया। उसने हेमन्त को आदेश दिया कि वह यही ठहरे। हेमन्त ने तक किया कि उसे जाने दिया जाए जिससे वह द्वार पर रखा सामान यहा ला सके। पुलिस अफसर चिल्ला पडा चुप रहो और बैठ जाओ।

पुलिस अफसर के चिल्लाने से वहा घबराहट फैल गई और लडके लडकिया बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस पर पुलिस ने हवा मे कुछ फायर किए और पूरा पुलिस दल उस समूह को घेरकर कस आया। लडको से कहा गया कि वे अपनी कमीज उतार दे और उन कमीजो से उनके हाथ पीठ पीछे बाध दिए गए। लडकियो की चुन्निया छीन ली गइ और उनके हाथ भी पीछे बाध दिए गए।

हेमन्त विश्नोई ने अपना नाम बता दिया और उसे पुलिस की एक जीप मे धकेल दिया गया। अन्य नेताओ की प्रतीक्षा करना व्यर्थ समझ मे आ गया और उन सबको छावनी पुलिस थाने मे ले जाकर हवालात मे बन्द कर दिया गया।

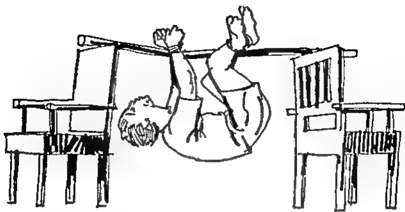
बंदियों पर ढाए गए अत्याचार



सिगरेट के टुकडों तथा मोमबत्तियों स पीठों पर पडे हुए निशान



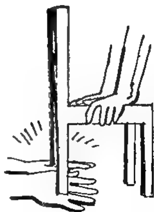
कधे पकडकर घुटनों से कमर में आघात पहुचाना



दो कुर्सियों के बीच लटकाना



रस्सी से बांधकर लटकाना



कुर्सी के नीचे उंगलियां रखकर दबाना

सन्ध्या समय हमन्त को थानेदार के कमरे म लाया गया जहा शाहदरे का एस० पी० आर० एस० सहाय और डी० आई० जी० प्रीतम सिंह भिन्दर बठे थे। उन्होंने उससे सवाल पूछने शुरू किए। उसने कुछ सवालों के जवाब दिए लेकिन जब उन्होंने जानना चाहा कि रात म वह कहा गया था तो उसने जवाब देने से इकार कर दिया। उसपर कुछ भी गुजरे वह उन मित्रा के नाम बतान के लिए तयार नही था जिन्होंने उसे शरण दी थी। पूछताछ इस मुद्दे पर अटक गई। अब डी० आई० जी० भिन्दर ने उससे कहा हम जानते हैं यह बात तुमसे कस निकलवाई जाए। अब जाकर लेट जाओ और सोचो। तुमसे फिर मिलेंगे।

अगले दिन हमन्त को शाहदरा पुलिस थाने भेज दिया गया। वहा वही प्रश्न उससे फिर किया गया। उसन वही जवाब दोहराया। तब उसे बताया गया कि विजयकुमार मल्होत्रा और एम० एल० खुराना तक ने जो कुछ व जानते थे सब बता दिया है तो आम सघ के एक मामूली कायकर्ता होते हुए भी तुम क्यों नही सब कुछ उगल सकते। हमन्त अब भी चुप रहा।

तब ठीक है। सहाय बोला अब तुम्हे गम किया ही जाए। उसने दो हट्टे-कट्टे सिपाहियो को बुलाया और हमन्त को उन्हे सौंप दिया। व उसे दूसरे कमरे म ले गए जहा उन दोनो ने उसकी पीठ पर घूसे बरसाये।

हमन्त अब याद करता है कि जब वह शिकारियो द्वारा पीछा किए जाते एक पशु का-सा जीवन जी रहा था तब उसने अपने साथी कायकर्ताओ पर पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए तीसरे दर्जे के तरीकों की दिल दहला देने वाली कहानिया सुनी थी। उसे स्वय क्या सहना पडा तब इस विचार से वह कांप-कांप उठा था। तभी गुप्तचरी के आरोप म पाकिस्तानी जेल म बन्दी रख गए एक भारतीय द्वारा लिखित पुस्तक पाकिस्तानी जेलो म तीन वर्ष उसके हाथ पड गई। इस पुस्तक म लेखक ने लिखा था कि यातना का भय स्वय यातना से बदतर होता है। हमन्त ने यह भी पढा था कि प्राचीन काल म धार्मिक आधारो पर दडित लोग पीडा और भय पर काबू पाने के लिए चीख-चीखकर भगवान की स्तुति गाया करते थे। तब उसने तय किया कि यन्त्रणा दिए जाने पर वह चिल्लाएगा नही बल्कि जब पीडा असह्य हो जाएगी तब लोकनायक की जय जसे नारे लगाएगा।

शाहदरा थाने मे हमन्त की पिटाई और पूछ-ताछ साथ साथ चली। व उससे यही सवाल पूछते रहे कि भूमिगत रहते हुए रातो म वह कहा सोया करता था। उन्हे वही एक जवाब उससे मिला। उसने इस विषय पर बात करने से पक्का इकार कर दिया। हमन्त जानता था कि यदि एक बार पुलिस इस मुद्दे पर उसे तोड गई तो उसका विरोध सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।

अब हमन्त से कहा गया कि वह लेट जाए और अपनी टागें ऊपर उठा ले।

दो मजबूत सिपाहियों ने उसके पैरों के तलुवों पर डंडे बरसाए। इससे उसके पैर इतने सूज गये कि कितने ही दिनों तक वह कठिनाई से ही पैर रख पाया। जब यह उपाय भी उसे बुलवाने में विफल रहा तो उन्होंने कपड़े उतरवा कर उसे पेट के बल लिटा दिया और सीधे किए गए रबड़ के टायरों से उसे पीटा।

जब यह भी बेकार रहा तो उन्होंने एक नई तरकीब इस्तेमाल की। दो कुर्सियां कुछ दूरी पर रख दी गई और बैठी हुई स्थिति में उसके शरीर को और पैरों को बांध दिया गया। तब एक बांस उसके घुटनों के नीचे से गुज़ारा गया और उसे उस स्थिति में ऊंचा उठाया गया। अब बांस को दोनों कुर्सियों के हत्थों से कस दिया गया और उस बांस पर उसे बार बार चक्कर दिए गए ठीक वैसे ही जैसे भूनने के स्वयचालित यन्त्र पर चूजे को घुमाकर भूना जाता है। इसका भी कोई फल नहीं निकला।

तीसरे दर्जे का सहाय का अंतिम उपाय था बदनाम पानी का उपाय। उन्होंने उसे उलटा लटका दिया और उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाला। लड़का सांस लेने के लिए तड़पता रहा लेकिन बोला नहीं। तब एस० पी० ने इस तरीके में अपनी एक निजी ईजाद और जोड़ी। उसने कुछ पिसी हुई मिर्चे मंगाई और उन्हें पानी में मिला दिया। यह पानी लड़के के नथनों में डाला गया। हेमन्त अब बेहोश हो गया। अब जाकर उस परपीड़नवादी ने तौलिया दिया।

अगली सुबह घायल सूजा हुआ खून से तर मिर्चों से जलती हुई आंखें और गला लिए उस लड़के को वापस छावनी के थाने में भेज दिया गया। एस० पी० सहाय ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। वहां से उसे राजेन्द्र नगर भेजा गया। वहां भी एक थानेदार ने सूचनाएं निकालने के उद्देश्य से हेमन्त पर अपना हाथ आजमाया।

हेमन्त कठिनाई से ही बोल पा रहा था। लेकिन वह जोश के साथ चीखा "तुम भी जितनी चाहे यन्त्रणाएं मुझे दे लो लेकिन कुछ मुझसे ले नहीं पाओगे।" और तब वह फर्श पर लुढ़क गया।

अगले दिन जब हेमन्त को भारत सुरक्षा कानून के अधीन अदालत में पेश किया गया तब वह लगभग अधमरा था। वह कठिनाई से खड़ा हो पा रहा था बोल पा रहा था। उसका शरीर नीला पड़ा था और सूजा हुआ था। उसकी आंखें फूली हुई थीं लाल थीं और आधी मुंदी हुई थीं। लेकिन मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर एक नजर तक नहीं डाली और उसे जेल ले जाने के आदेश दे दिये। हेमन्त ने चैन की सांस ली। वह अभी तक जीवित था और पुलिस के पंजों से छूट चुका था। अब वह जीवित रह सकेगा।

इन लड़कों का हमारा अभिनन्दन! कितनी भी क्रूरता और तीसरे दर्जे का

अत्याचार इन्हें बालने पर विवश नहीं कर सका। ऐसे लड़के बहुत कम निकले जो यातना को सह नहीं सके और बोल गये।

अनेक सरकारी अफसर यहां तक कि पुलिस के अफसर भी सहानुभूतिपूर्ण और सहायक रहे। लेकिन वे अपवाद ही थे, जो नियम को ही सिद्ध करते थे और वसा अक्सर दोनों के बीच की निजी तालमेल पर निर्भर करता था। निम्न पदों के बेचेहरा लोगों पर यह लागू नहीं होता था क्योंकि उन्हें तो सदा कड़ाई और रूखेपन का ही व्यवहार मिलता है। 26 जून को प्रात 8 बजे सुब्रह्मण्यम् स्वामी को किसी ने टेलीफोन पर कहा, "मैं आपके घर आपसे मिलने आऊंगा। यदि आप घर नहीं होंगे तब मैं चिन्ता नहीं करूंगा।" स्वामी को सूचना मिल गई और वे गायब हो गये।

जब दिल्ली में पकड़ा धकड़ी हुई तब श्री वी० के० मल्होत्रा मसूरी में थे। दिल्ली से एक टेलीफोन उन्हें मिला जिसने पहले ही उन्हें सूचित कर दिया कि उन्हें पकड़ने के लिए एक पुलिस दल मसूरी के लिए चल चुका है। यदि वे चाहते तो भूमिगत हो जाते लेकिन उन्होंने वसा नहीं चाहा। पुलिस 27 जून को मसूरी पहुंच गई।

जब श्रीमती मल्होत्रा मसूरी से दिल्ली लौटीं, तो वे यह मालूम करने के लिए गई कि उनके पति को कहां ले जाया गया है जिससे उनकी दवाइयां उन्हें भेजी जा सकें। (उन दिनों श्री मल्होत्रा बीमार थे और उस पहाड़ी स्थान पर आराम कर रहे थे।) पुलिस अफसर ने कहा 'ठीक है आप कल मुझे टेलीफोन करें और किसी भी जगह का नाम, जहां आप जाना चाहें ले दें।' अगली सुबह श्रीमती मल्होत्रा ने उसे टेलीफोन किया और कहा "मेरी योजना चण्डीगढ़ जाने की है।" पुलिस अफसर ने उत्तर दिया 'मैं समझता हूं आप अम्बाला जा रही है।' श्रीमती मल्होत्रा ने इशारा समझ लिया और फौरन अम्बाला के लिए चल दीं जहां उनके पति रखे गए थे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 200 अध्यापक और कुछ सौ छात्र आपत्काल के दौरान पकड़े गए थे। कुलपति और उपकुलपति को छोड़कर विश्वविद्यालय में महत्व रखने वाला कठिनाई से ही कोई व्यक्ति बचा था, जिस पर शक न किया गया हो।

5

ईदी अमीन को भी मात दे दी

पुलिस ने लारेंस फर्नेंडीस के साथ जो बर्बर व्यवहार किया और उस पर जो अत्याचार किए वह एक लहूलुहान कहानी है। लारेंस उन दिनों [illegible] जार्ज फर्नेंडीस का भाई है। जार्ज भूमिगत हो गया था और पुलिस [illegible] की कोशिश में थी कि वह कहां है।

एक संध्या को जब धुंधलका छा रहा था पुलिस लारेंस के घर आई। उसे बाहर बुलाया और पकड़ ले गई। उसे सी० ओ० डी० (गुप्तचर विभाग अर्थात् दूसरे शब्दों में बंगलौर पुलिस के यातना गृह में) ले जाया गया। जैसे ही वह कमरे में घुसा अकस्मात् एक मजबूत हाथ के थप्पड़ से उसका स्वागत किया गया। [illegible] के लिए तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसने देखा कि पुलिस ने उसे नंगा कर दिया है। अब सात सिपाहियों ने लाठियों से इतने जोर से उसे पीटना शुरू किया कि एक के बाद एक लाठियां टूटती गईं।

[illegible] ने लारेंस को बताया [illegible] फर्श पर पानी में [illegible] रहा था। मैं गिड़गिड़ाता था, चिल्लाता था और फिर गिड़गिड़ाता था और [illegible] फुटबाल की तरह मुझे ठोकरों से मार रहे थे। वह फर्श पर ढेर हो गया। उस समय रात के तीन बज रहे थे। जब वह जागा तब उसे भयानक प्यास लगी थी। लारेंस ने पानी मांगा। एक अफसर ने एक सिपाही से कहा, 'इसके मुंह में पेशाब कर दो।' लेकिन सिपाही ने ऐसा करके बस नहीं किया। तब उन्होंने दो [illegible] से इसका [illegible] कर दिया। अपने भाई और भाभी के बारे में जो कुछ वह जानता था उसने सब बता दिया था लेकिन इससे पुलिस को संतोष ही नहीं हुआ था।

अब तक लारेंस की हालत इतनी शोचनीय हो गई थी कि पुलिस डर उठी कि कहीं वह मर न जाए। एक अफसर ने एक जीप तैयार करने का आदेश सिपाहियों को दिया और लारेंस ने अफसर को यह कहते सुना, 'हम इस चलती रेल के सामने फेंक देंगे और कहेंगे कि इसने आत्महत्या कर ली है।' जीप से उसे [illegible] पुलिस थाने ले जाया गया और अगले दिन फिर सी० ओ० डी० में ले आया गया। यहां पहली बार लारेंस ने एक परिचित महिला का स्वर सुना। यह स्नेहलता रेड्डी के रोने का स्वर था।

लारेंस ने बताया कि अब पुलिस ने उसके घायल शरीर की मालिश के लिए एक मालिश करने वाले को बुलाया। उसने उसके हाथ पैरों पर तेल लगाया पर जल्द ही यह कहकर हाथ खींच लिया कि लारेंस की मदद करना, उसके वश से बाहर है। उसने अफसरों को सलाह दी कि इसे अस्पताल पहुंचा दिया जाए। उसकी हालत इतनी खराब थी कि शौच आदि के लिए भी सिपाही उसे उठाकर ले जाते थे।

कुछ समय बाद एक अफसर उसे कार में डाल कर कहीं ले चला। लारेंस जोर जोर से रो उठा। अफसरों ने कहा कि हवालात में जो कुछ उसके साथ किया गया उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। इस समय तो उनका कर्तव्य यह सिद्ध करना है कि उसे यहां से 150 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में गिरफ्तार किया गया है।

उसे दवनगिरि ले जाया गया। उससे कहा गया कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उस मजिस्ट्रेट से यह कहना होगा कि उसे उसी दिन बस स्टैंड पर पकड़ा गया है। वहां उसे एक कोठरी में डाल दिया गया जो खटमलों और तिलचट्टों से भरी थी। तभी दो स्थानीय इंस्पेक्टर आए और उन्होंने धमकी दी कि यदि पुलिस की यातनाओं के बारे में उसने मजिस्ट्रेट से कुछ भी कहा तो उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। उसकी टांग सूजकर सामान्य से दुगुनी मोटी हो गई थी, फिर भी उसे मजबूर किया गया कि वह टांग पर चलकर मजिस्ट्रेट के घर तक जाए।

11 मई को लारेंस को वापिस बंगलौर लाया गया। उसकी हालत बहुत ही शोचनीय थी इसलिए उसे अस्पताल ले जाना ही पड़ा। डाक्टर ने एक्स रे के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने एक्स रे की अनुमति नहीं दी। इस पर डाक्टर ने गहरी सांस छोड़ी और बोला 'फर्नेंडीस, मैं मजबूर हूं। एक ईश्वर ही तुम्हें बचा सकता है।'

अब पुलिस ने उसे नशीली चीजें देना शुरू किया जिससे उसे पेचिश हो गई जो लगातार तीन दिनों तक चली। पुलिस ने अब जाकर उसे दवाई दी क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले वे उसे कुछ बेहतर हालत में लाना चाहते थे। जब वह मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा तो वहां कोई उसकी जमानत देने वाला नहीं था। इसलिए उसे वापस पुलिस हिरासत में ले जाया गया। फिर भी लारेंस ने मजिस्ट्रेट से शिकायत कर दी कि पुलिस हिरासत में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अब केन्द्रीय जेल की एक अंधेरी, बदबूदार कोठरी में उसे बंद कर दिया गया।

जब वह आधी बेहोशी की सी हालत में उस गन्दी कोठरी में पड़ा था तब उसने सुना कि कोई उसे बार-बार पुकार रहा है। आवाजें चारों ओर से आ रही

थीं। लारेंस ने सोचा कि उसे व्यामोह हो गया है लेकिन शीघ्र ही उसने समाजवादी नेता और अब जनता सरकार के रेलमन्त्री मधु दंडवते की आवाज पहचान ली। मधु ने चिल्लाकर पूछा लारेंस क्या यह तुम हो ? मुझे जवाब दो। क्या तुम्हें यत्रणा दी गई है ?

लारेंस ने बहुत कमजोर आवाज म हा कहा और बाहर एक हलचल मच उठी। मधु और दूसरे मीसाबन्दियो ने यह माग करते हुए भूख हडताल कर दी कि लारेंस को इस काल कोठरी से निकाला जाए और बेहतर जगह दी जाए। लारेंस का भाई माइकेल भी उसी जेल म था लेकिन दोनो भाइयो को एक-दूसरे से मिलन नही दिया जाता था। एक बेहतर कोठरी की और एकात कैद की समाप्ति की माग करते हुए लारेंस ने दो दिनो तक भूख हडताल की। लकिन, अब तक वह एक ढाचा बन चुका था और उसका वजन बीस किलो घट गया था।

छूटने से कुछ दिन पहल स जेल क अफमर लारेंस के प्रति कुछ अधिक ही उदार हो गए थ और उन्होने उसे नारियल का पानी तक पीने को दिया था।

इस दूसरे स्वातत्र्य सग्राम की एक और शहीद है—स्नेहलता रेड्डी जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी और कन्नड फिल्म संस्कार की नायिका थी। उसकी आत्मा लम्बे समय तक कर्नाटक पुलिस पर मडराती रहेगी।

स्नेहलता का अपराध यही था कि उसके परिवार की फर्नेंडीस परिवार से मित्रता थी। थियेटर मे और बगलौर के बुद्धिजीवी वग मे स्नेहलता एक प्रमुख व्यक्ति थी। कमलादेवी चट्टोपाध्याय उनके बारे म लिखती हैं स्नेहलता एक बडी ही भद्र और अनुभूतिशील महिला थी। व एक ऊचे दर्जे की कलाकार थी और किसी भी समय सक्रिय राजनीति म कोई हिस्सा उन्होंने नहीं लिया था। अनेकों कलाकारो की तरह वे भी अपन घर को उन्मुक्त रखती थीं जहा सभी व्यवसायो के लोगो का आना-जाना था।

1976 की गर्मियो के आरम्भ म श्री और श्रीमती रेड्डी मद्रास गए हुए थ। तभी पुलिस उनके बटे कोणाक को उठा ल गई। पुलिस ने आधी रात क समय उनके घर पर छापा मारा और सुबह तक पूरे घर को छानती रही। इस बीच उसने स्नेहलता क 84 वर्षीय बूढे पिता को पूछताछ क लिए जगाए रखा। रेड्डी दम्पति यह सब सुनकर वापस बगलौर भागे और पुलिस उनके पीछे-पीछे रही।

अपने बटे का ठौर ठिकाना न जानन के कारण स्नहलता फिक्र से पहले ही पागल हुई जा रही थी और तभी पुलिस ने उनस पूछताछ शुरू कर दी। मानसिक और शारीरिक रूप स जजर व रो पडी और यदि पुलिस उनके बच्चों और पति को वापस उन्ह मिला द तो व सब कुछ बता देन क लिए तयार हो गइ।

लकिन बतान क लिए उनक पास बहुत ही कम था। पुलिस उमस सतुष्ट नही थी। पुलिस उन्ह जल ल गई और उन्हें आठ महीनो तक बद रखा। पहल

उन पर भारतीय दण्ड विधान के अन्तगत आरोप लगाया गया और बाद मे उन पर मीसा लागू किया गया। उन्ह सी दर्जा दिया गया और उनस बडा ही अपमान जनक व्यवहार किया गया। उनकी हिम्मत टूट गई। दम की मरीज व पहले ही थी, अब उन्ह न्लि की बीमारी भी हो गई।

जेल क उन दिना के दौरान जिस घोर निराशा को उन्ह सहना पडा उसकी साक्षी उनकी वह डायरी है जो उन्होने उस बीच लिखी थी। 26 जुलाई को उन्होंने लिखा क्या मुझे छोडा नही जा सकता या स्वास्थ्य के आधार पर कुछ दिनो की परोल नही दी जा सकती ? यहा की हालत से मैं लगभग मर ही चुकी हू। मेरा दमा पहल कभी इतना लिर तर और उग्र नही रहा है। इजेक्शना के बावजूद यहा मैं कभी ठीक नही हो पाऊगी। मेरा स्नायविक विभग (नवस ब्रेकडाउन) हाने ही वाला है। मैं उस दिशा म बढ रही हू। मैं घर जाना और अपने लोगो के साथ रहना चाहती हू। दया करक मुझे जल्द ही यहा से निकालो, कोणाक क जाने से पहल (वह अध्ययन क लिए विदेश जाने वाला था)।"

29 जुलाई को उन्होन घरेलू मामला के कमिश्नर और राज्य के गृह विभाग के सचिव को लिखा ' एक रात मुझ दमे का दौरा पडा और एक डाक्टर एक घटे के बाद ही आ सका। इसक बाद मेरी परीक्षा के लिए चार सजनो को लाया गया। उन सबने घोषणा की कि मुझ फौरन अस्पताल भेज दिया जाना चाहिए क्योकि यहा का वातावरण एलर्जी से भरा है और सब कुछ घिरा घुटा है। यहा इनका रोग कम नही होगा। बीस दिन बाद अधिकारिया ने बताया कि एक भी डाक्टर ने अस्पताल भजने की सिफारिश नही की है।'

जेल अधिकारियो से व बार-बार अनुरोध करती रही कि उनके परिवार को उनस मिलने दिया जाए। उनकी डायरी म एक जगह लिखा है, मैं बार-बार पूछती हू कि वे (परिवार) क्यो नही आए है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मैंने इन्तजार की और इन्तज़ार करती रही। डाक्टर आया और उसने मुझे मानसिक व्यथा म पाया। लेकिन कुछ नही किया गया। उसने बताया कि सुपरिटेन्डट ने मेरी मिलाइया रद्द कर दी है क्योकि मैंने आई० जी० क सामने उससे दुव्यवहार किया था।'

उन्हाने लिखा है छबलानी (जेल का सुपरिटेन्डट) नीचतम स्तर का एक परपीडनवादी (साडिस्ट) है। वह कायर भी है और झूठा भी। ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नही देखा है। उसकी आदतें गन्दी हैं वह भोडा और विकृत मन है। शब्द सख्त है लेकिन हर शब्द सच है। उसी क कारण मुझे घोरतम निराशा और जडता का सामना करना पडा है। मरे सभी रास्ते बन्द हो गए थ। मेरे विचारो का गला घुट गया था और मैं बेबस हो उठी थी।'

एक जगह लिखा है सी वग के कदियो क साथ यहा मुझे बन्द करने का

कोई मतलब ही नहीं था। यहां हवा नहीं है, एक खिड़की तक नहीं है जहां से जेल के अहाते ही में झांका जा सके।

एक दूसरी जगह लिखा है : ये लोग मीसा बंदियों के निकट एक कमरा मुझे दे सकते थे। ए या बी श्रेणी की कोई शर्त मेरी नहीं थी। यहां तो पुरुष या स्त्री किसी का भी कोई संग नहीं है, मरने की जगह नहीं है, ताजी हवा नहीं है और किसी से सम्पर्क नहीं है। मैं जानती हूं कि मीसा के नियम उदार और उचित हैं। लेकिन इस आदमी ने खर्च बचाने के लिए या सिर्फ मुझे सताने के लिए यह फंसाया है। असल में प्रयोजनपूर्वक ही उसने मुझे यह मालूम नहीं होने दिया कि मेरे अधिकार क्या हैं, जिससे वह मुझे सता सके। यदि वह मुझे मीसा वालों के साथ रखता तो वह जानता था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह निश्चय ही विकृतमन है। तभी उसने जान बूझकर मुझे यहां रखा है और मुझे सताया है। हे ईश्वर, हर सुबह जागते हुए मुझे डर लगता है। मुझे सताने का कौन-सा नया तरीका वे आज ढूंढ़ लाएंगे।

पहली अगस्त को उसने लिखा : जानते बूझते उपेक्षा की जा रही है। मैं यहां धीमे धीमे मर जाऊंगी अतीत के एक भूले हुए गीत की तरह। क्यों ये लोग गैरों के बीच मर जाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं?

स्नेहलता का स्वास्थ्य गिरता गया। उनका दमा बढ़ता गया और उसका दौरा लगभग अविराम पड़ने लगा। उनके निजी डाक्टर को उनके पास नहीं जाने दिया गया और उन्हें खतरनाक कार्टिजान दिया गया। अन्त में उन्हें एक महीने के परोल पर छोड़ा गया। परोल के अंतिम दिन उन्हें बताया गया कि उन्हें पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। खुशी के मारे वे लगभग पागल हो उठीं। कोई नहीं जानता था कि जेल में दिल की बीमारी भी उन्हें लग गई है।

छूटने के पांच दिन बाद 27 जनवरी को अर्थात चुनावों की घोषणा के 7 दिन बाद स्नेहलता को बड़े जोर का दिल का दौरा पड़ा और वे मर गईं। कमलादेवी के अनुसार स्नेहलता एक छरहरी यौवनपूर्ण व्यक्ति थीं। लेकिन जब स्नेहलता जेल से निकलीं तो भारी असामान्य रूप से फूली हुई जर्जर और प्रौढ़ लग रही थीं।

यह जानते हुए भी कि श्री जयप्रकाश रोगग्रस्त हैं नजरबंदी के दौरान उनके साथ जो व्यवहार किया गया वह अवांछित रूप से सख्त था। ऐसा लगता था जैसे सरकार उन सब परेशानियों के लिए उन्हें सजा दे रही थी जो कुशासन के विरुद्ध लड़ाई के लिए जनता को उत्तेजित करके उन्होंने सरकार के लिए पैदा की थीं।

नजरबंदी के 130 दिनों के दौरान जिन हालातों में वे रहे उनका वर्णन करते हुए श्री जयप्रकाश ने (मित्रों को लिखे गए एक पत्र में) लिखा है : 'मुझे

पूरी तरह अलग (एकान्त कमरे में) रखा गया। यह पूरी तरह अकेले रहना मुझे बहुत पीड़ा देता था। ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वे मुक्त भाव से बात कर सकते। इस अकेलेपन ने उन्हें एक प्रकार की मानसिक यन्त्रणा दी।

श्री जयप्रकाश ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि हजारों गिरफ्तार लोगों में से किसी एक को उनके साथ रख लिया जाय, जिससे नजरबन्दी के दौरान विचार विनिमय करने के लिए एक उचित साथी उन्हें मिल जाए। लेकिन सरकार ने इस प्रार्थना को ठुकरा दिया। अन्त में यह छूट दी गई कि जयप्रकाश का निजी नौकर गुलाब चन्द नजरबन्दी के दौरान उनके साथ रह सकेगा। लेकिन श्री जयप्रकाश को निजी नौकर की नहीं, एक साथी की जरूरत थी।

उनके कमरे के हर तरफ सशस्त्र सन्तरी तैनात किये गये थे। उन्हें उस में थोड़ी चहलकदमी करने तक की इजाजत नहीं थी। ऐसा करना उनके दिल के लिए लाभदायक रहता। ऐसा वे तभी कर सके जब चण्डीगढ़ स्थित डाक्टरी शिक्षा एवं शोध के स्नातकोत्तर संस्थान के हाते में स्थित अस्पताल के विश्राम गृह में उन्हें भेज दिया गया।

अन्त में सरकार ने श्री जयप्रकाश को तब छोड़ा जब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि जो रोग उन्हें है उसका निदान नहीं किया जा सका है और मेरे बचने के आसार बहुत ही कम हैं। तब भी सरकार ने घोषणा यह की कि उन्हें परोल पर छोड़ा जा रहा है जो एक झूठा वक्तव्य था क्योंकि उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया गया था।

चण्डीगढ़ में नजरबन्दी के दौरान श्री जयप्रकाश पर जो क्रूर अकेलापन थोपा गया था उस पर एक शोकप्रद प्रकाश स्नातकोत्तर संस्थान अस्पताल के विश्राम गृह में नजरबन्दी के बीच उनके साथ रहे एक नौकर की उस मानसिक हालत से पड़ता है जिस हालत को वह पहुंचा दिया गया था।

कठोरता पूर्वक और बार बार उस सेवक को चेतावनी दी गई थी कि वह श्री जयप्रकाश से अथवा उनके आस पास के किसी भी आदमी से बिलकुल न बोले, नहीं तो उसे कड़े से कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। इससे वह नौकर एकदम जड़ हो उठा। वह गम्भीर चेहरा लिए होठों को सिए अपना काम करता रहता था। अपने परिवार के लोगों में भी वह बिलकुल नहीं बोलता था। अगर कोई उससे बोलने की कोशिश करता भी तो वह उसे एकदम यह कहकर रोक देता 'बात मत करिये, सरकार खत्म हो जाएगी।'

श्री जयप्रकाश के स्नातकोत्तर संस्थान से छूट जाने और उस नौकर की इस कठिन काम से मुक्ति हो जाने के बाद भी वह बदल नहीं सका और जो भी उसे विश्वास दिलाता कि अब वह श्री जयप्रकाश की सेवा में नियुक्त नहीं है और अब वह मुक्त रूप से बात कर सकता है, तो वह यही कहता, 'नहीं श्रीमान्! कभी

नही ।" वह बडबडाता ' मैं कभी बात नही करूगा । मैं भगवान की कसम खाकर कहता हू मैं कभी नही बोलूगा । सरकार खत्म हो जाएगी, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा । नही नही । ' तब वह अधीनता प्रदर्शित करते हुए अपने कानो को हाथ लगाता । अ त म उस आदमी को मानसिक चिकित्सा के लिए भेजना पडा ।

त्रिवेद्रम म एक सकरी गली म एक बहुत विस्तृत पर सबस अलग थलग एक दुमजिला भवन है। यह देश के सबस अधिक बदनाम यन्त्रणा गहो म से एक प्रसिद्ध हो गया है । यह करल पुलिस की भयावह अपराध शाखा का मुख्यालय है । यहा की दीवारो पर क्रूर हत्याओ हाथ पर कटे शरीरो धडो से कटे खून चूते सिरो और मतको की सूनी दृष्टि वाली खुली आखो क बहुत बडे बडे चित्र लगे हुए है । गन्दी और अधेरी काठरिया इसक यन्त्रणा-कक्ष हैं ।

एक सीढी ऊपर एक लम्बे चौडे कार्यालय मे पहुचती है जहा एक युवक आई० पी० एस० अफसर जयराम पडिक्कल बठता है जो नीचे की मजिल के नरक का निदेशक है । इस कमरे म कई टेलीफोन और विविध प्रकार के इलक्ट्रानिक यन्त्र रखे हैं जिनसे कमरे म एक आडम्बरपूर्ण लकिन भयजनक वातावरण की सष्टि होती है । वहा एक निकट सर्किट का टलीविजन भी रखा है जिसम नीचे यन्त्रणा कक्षो म बबस बन्दियो पर किए जात भयावह अत्याचारो के शानदार दश्य वह दख सकता है । न सिर्फ यह कि जयराम इन राक्षसी कृत्यो को अदश्य रहकर देख सकता था बल्कि इनका निर्देशन भी कर सकता था ।

जा व्यक्ति इस भयावह भवन म एक बार घुस गया वह सही सलामत वापस नही लौटा । उसे अपग बना दिया गया उसके स्नायु तोड दिए गए और उसका जीवन सदा क लिए बर्बाद कर दिया गया । पिटाई लोगो की टागो को छडो से बाधकर उन्ह लटका दिया जाना और घटा घटो लटकाए रखना यह सब खास किस्म की उन यन्त्रणाओ के मुकाबल कुछ भी नही था जिन्ह जयराम और उसके अफसरो ने सोच निकाला था । इनम सबसे अधिक प्रसिद्ध एव बबर था बेलन का तरीका । इसम आदमी का एक बच पर इस तरह बाध दिया जाता था कि उसका सिर एक सिरे पर लटक जाए । तब लकडी क लम्बे और भारी एक बेलन को उस की टागो पर रखा जाता था । दो पुलिस वाल बलन के दोनो सिरो पर बठ जात थे अथवा छत स लटकी रस्सियो को पकडकर खडे हो जात थे और बेलन को टागो पर फिराते थे । इससे अक्सर हड्डियो के स्नायु टट जाते थ और हड्डिया चटख उठती थी । कमर स नीचे का शरीर एकदम पिलपिला हो उठता था । तेज पीडा से आदमी चीख भी नही सकता था क्योकि बच पर लिटाने के लिए नगा करने के बाद कच्छा आदि का उसक मुह म ठूस दिया जाता था । अक्सर यह कार्यवाही शुरु होने के एकदम बाद ही आदमी बेहोश हो जाता था । लेकिन पुलिस

अपना काम पूरा करने म विश्वास रखती थी और उसके बाद उस अचेत शरीर को कोठरी मे फेंक दिया जाता था।

त्रिवेन्द्रम के यन्त्रणा गृह का एक दूसरा राक्षसी खिलवाड था आदमी के गले की कठमणि को दो उगलियो से जकडना और उसे खीचना। इस उपाय के बाद आदमी कई दिना तक पानी भी नही निगल सकता था।

जिन लोगो को पकडकर अपराध शाखा के इस यन्त्रणा गृह म ले जाया गया उनके बारे म अक्सर फिर कभी कुछ पता नही लगा। वे एकदम गायब ही हो गये। ऐसे दो उदाहरण अब सामने आये हैं और उन्होने जनता म एक बवडर पैदा कर दिया है। ये पी० राजन और विजयन नायर नाम के दो नवयुवको के उदाहरण हैं।

राजन कालीकट के प्रादेशिक इजीनियरिंग कालिज का छात्र था। 1 मार्च 1976 की सुबह होस्टल पर छापा मारकर अपराध शाखा उसे पकड ले गई थी। इसके बाद राजन का कुछ पता नही चला।

केरल पुलिस अपराध शाखा का मुख्यालय एक और लुप्त व्यक्ति, बारकल म किताबो की दुकान चलाने वाले एक पुरुषोत्तमन पिल्लई के पुत्र विजयन नायर के मामले म भी उलझा हुआ है। विजयन को त्रिवेन्द्रम नगर के व्यस्त ईस्ट फोर्ट बस स्टाप से भरे दिन मे पुलिस हिरासत म लिया गया था। यह घटना 5 मार्च 1976 को घटी थी। विजयन को इसी बदनाम मुख्यालय म ले आया गया और लगभग 10 दिनो तक उसे 5 अन्यो के साथ एक कोठरी म रखा गया।

कोठरी के इन साथियो म से एक ने एक सवाददाता को बाद म बताया कि विजयन को इतनी बुरी तरह यन्त्रणा दी गई थी और उसका शरीर इतना क्षत विक्षत कर दिया गया था कि जनता के सामने उसे प्रस्तुत करने म पुलिस को बहुत परेशानी होती।

विभिन्न राज्यो की लोक सघर्ष समितियो ने जो विवरण सम्पादित किए हैं, उनसे राजनीतिक बदियो पर पुलिस द्वारा की गई क्रूरताओं का एक स्वरूप उभरता है। जब सत्याग्रहियो को पुलिस हिरासत म लिया जाता था तो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नही किया जाता था। कुछ दिनो तक उन्हे गैर कानूनी कैद म रखा जाता था और इस दौरान उन्हे निम्न प्रकार की शारीरिक यातनाए दी जाती थीं —

1 नगे शरीर पर हील वाले जूते पहनकर जोर जोर से चलना।
2 परो के तलुवों पर बेंतो से मार लगाना।
3 टागो पर एक भारी बेलन रखकर और इसके दोनो सिरो पर एक-एक पुलिस वाला बिठाकर उसे फिराना।
4 आदमी को घण्टों Z की स्थिति म बनाकर स्थिर रखना।

5 रीढ़ की हड्डी पर मार लगाना।
6 हाथों को प्यालानुमा करके उनसे दोनों कानों पर तब तक चोट करना जब तक कि खून न बहने लगे और व्यक्ति अचेत न हो जाये।
7 बंदूक के कुन्दों से पीटना।
8 शरीर के छिद्रों में करेंट वाले तार प्रवेश कराना।
9 व्यक्ति को नंगा करके उसे बर्फ की सिल्लियों पर लिटाना।
10 व्यक्ति के शरीर को जलती सिगरेट से एवं मोमबत्ती की लौ से दागना।
11 व्यक्ति को भोजन पानी न देना और नींद न आने देना और तब उसे अपना ही पेशाब पीने के लिए मजबूर करना।
12 व्यक्ति को नंगा करके उसका चेहरा काला करके उसे सार्वजनिक स्थानों में घुमाना।
13 कलाइयों से बांधकर लटका देना।
14 व्यक्ति को विमान पर चढ़ाना अर्थात् उसके हाथों को एक लम्बी रस्सी से पीठ पीछे बांध देना और रस्सी को ऊपर एक गरारी पर डालकर खींचना। इस प्रकार व्यक्ति बीच हवा में झूलता रह जाता है।

हरियाणा, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश की पुलिस ने ऐसे पर्पीड़नवादी आचरण में विशेष रुचि दिखाई। केन्द्र की अथवा राज्यों की सरकार इन नृशंस सत्ताओं के बारे में न जानने का दावा नहीं कर सकती क्योंकि इन सभी सरकारों को इस विषय पर बार बार आवेदन दिए गए। लेकिन वे बहरी बनी रहीं। इतना ही नहीं उन्होंने विरोध और प्रतिरोध मिटा डालने की आशा में ऐसे तरीकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन भी दिया।

गिरफ्तार लोगों की पिटाई मामूली बात है और यह कोई खबर नहीं है और सवाल के योग्य भी नहीं है। इसलिए हमने इन विवरणों में से सिर्फ असामान्य मामलों को ही छांटा है।

विमान पर चढ़ाना लगता है कर्नाटक पुलिस का एक बड़ा ही प्रिय खिलवाड़ था। विवरणों में कहा गया है कि गिरफ्तार सत्याग्रहियों में से लगभग हर तीसरे को निर्दयता से पीटा गया, अन्न-जल नहीं दिया गया और विमान पर चढ़ाया गया। केरल पुलिस का शौक था कि कैदी का कच्छा तक उतारकर नंगा कर दिया जाए और दस से बारह तक की सिपाहियों का दल उसे एक साथ पीटे। हिरासत में रहते हुए उन्हें कोई खाना नहीं दिया जाता था। यदि उनके शरीरों पर पिटाई के चिह्न बहुत प्रकट दीखते थे तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह बदला जाता रहता था। मध्यप्रदेश घमंड कर सकता है कि उसने अधिकतम लोगों को राजनीतिक बंदी बनाया और उनके साथ बर्बरतम व्यवहार किया। भोपाल में पोलियो की मरीज एक सात साल

की लड़की को बंधक के रूप में हिरासत में ले लिया गया जिससे उसकी मां भूमिगत श्रीमती रुक्मणी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सके। श्रीमती रुक्मणी ने स्वयं को गिरफ्तार करा दिया लेकिन उनकी बेटी को फिर भी नहीं छोड़ा गया। ग्वालियर जिला जेल में राजनीतिक नजरबंदियों को बदनाम डाकुओं के साथ रखा गया और उनसे उन्हें गालियां दिलायी गयी।

देवास में आठ सत्याग्रहियों को पुलिस थाने ले जाकर उनके कपड़े उतार दिए गए और लकड़ी के डंडे उनके शरीरों के विवरों में डाल गए। उन्हें मजबूर किया गया कि वे एक दूसरे के साथ गुदा मैथुन एवं मुख मैथुन करें और पुलिस वालों ने इस दृश्य से अपना मनोरंजन किया। बाद में उन्हें हुक्म दिया गया कि वे जनसंघ और उसके नेताओं के विरुद्ध नारे लगायें और इन से इस्तीफे पर हस्ताक्षर करें नहीं तो उनकी बेटियों पर उन्हीं के द्वारा बलात्कार कराया जाएगा।

रात के 11 बजे कैदियों के लिए जमानतें दाखिल की गई लेकिन इस पर भी उन्हें छोड़ा नहीं गया। चार बजे सुबह उन्हें जगाया गया और मीलों दूर ले जाकर मसाद के जंगल में छोड़ दिया गया जिससे अगली सुबह वे अदालत में पेश न हो सकें और इस प्रकार उनकी जमानतें जब्त हो जायें। मध्य प्रदेश संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री, संघीय गृहमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को लिखित विरोधपत्र दिए पर सब बेकार।

पश्चिमी बंगाल में सत्याग्रहियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया और सिलीगुड़ी, अलीपुर, मिदनापुर और बांकुरा में उन्हें अपराधियों के साथ रखा गया।

राजस्थान की खासियत थी सख्त पिटाई के साथ-साथ राजनीतिक नजरबंदियों को बिजली के झटके देना।

बंसीलाल की रियासत हरियाणा सहज परपीड़न के मामले में सबसे आगे निकल गया। गिरफ्तार सत्याग्रहियों को उनके जूते उनके सिरों पर रखकर बाजारों में घुमाया जाता था। उन्हें डंडों से पीटा जाता था। ठोकरें मारी जाती थीं और अपमानित किया जाता था। एक स्थानीय स्कूल शिक्षक जयप्रकाश का मामला इसमें विशेष है। उसे सर्दी के दिनों में रात भर खेत में नंगा खड़ा रखा गया और साथ ही बाल्टियां भर भरकर पानी उस पर डाला गया। पूरी रात उसे सोने नहीं दिया गया। बाद में उसे रस्सियों से बांधा गया और मुंह काला करके एक साइकिल रिक्शा पर बिठाकर नगर भर में घुमाया गया। पुलिसवाले उसे पीटते और उसके ऊपर थूकते उसके साथ चले। करनाल में तीन गिरफ्तार सत्याग्रहियों को पहले नंगा करके पीटा गया और फिर उन्हें लिटा दिया गया और तीन सिपाही उनके शरीरों पर उछले कूदे।

उत्तर प्रदेश भी क्रूरता में पीछे नहीं रहा यद्यपि उसने बहुत थोड़ी मौलिकता

प्रदर्शित की। यहा अधिकतर पिटाई ही की गई। एक मामले म एक सत्याग्रही की उगलियों को एक तख्त क नीचे रखकर कुचल दिया गया।

भारतीय पुलिस के तीसरे दर्जे के तरीके पुराने और उजड्ड हैं और ये मुगलो क समय से उन्हे विरासत म मिले है। भारतीय पुलिस लगता है यत्रणा के क्षेत्र मे आधुनिक तकनीकी तरीको और कदी से सूचनाए निकालने के परिष्कृत उपायों से पूरी तरह अनजान है। स्पष्ट है कि इस कला से अमरीका यूरोप और सोवियत रूस म जो नये सुधार किए गए हैं उनके बारे म इन्होने सुना तक नहीं है। इनका आदर्श शायद युगाडा का ईदी अमीन है।

आपातस्थिति के दौरान सरकार की किसी कार्यवाही ने कानून के शासन और सभ्य आचरण के स्थापित मापदण्डो को उतना जर्जर नहीं किया जितना कि बदी प्रत्यक्षीकरण के नागरिक अधिकार के स्थगन ने किया। इसने पुलिस को पूरी छूट दे दी कि वे राजनीतिक आधार पर गिरफ्तार लोगो को जितनी देर उनकी सनक की अथवा परपीडन वत्ति की तुष्टि के लिए आवश्यक हो हवालात म रखें। गिरफ्तार लोगों के प्रति पुलिस क दुराचार की अदालत द्वारा जाच से इस तरह पुलिस मुक्त हो गई।

इस प्रतिष्ठित सूची म दिल्ली ने चालीस स्त्रिया सहित 2409 व्यक्ति जोडे। इनम से तीन प्राकृतिक कारणो से जल म मर गए। भारतीय जेलो की जसी हालत है उसे देखते हुए तिहाड म वासियो को कोई गम्भीर शिकायत नही रही। खाना अधिक अच्छा दिया जा सकता था लेकिन पुराना जेल नियम इसी की इजाजत देता था। पहले 5 महीनो म हालत काफी खराब रही लेकिन बाद म उसमे सुधार हो गया।

महिला राजनीतिक बन्दिया को प्रमुखत घिचपिच के कारण कष्ट उठाने पडे। जेल म स्त्रियो का केवल एक वाड है और वेश्याओ तथा अपराधिनियो समेत सब प्रकार की स्त्रिया उसी म रखी जाती हैं। ग्वालियर की राजमाता विजयराजे और जयपुर की राजमाता गायत्री देवी को भी उसी वाड म रखा गया था यद्यपि उन्हे केबिन द दिए गए थे और अपना खाना स्वय पकाने की अनुमति भी उन्हे थी।

इस द्वितीय स्वतत्रता सघष न एक और उत्साहवधक दृश्य उपस्थित किया। आपातस्थिति न जो दमघोट अवस्थाए पदा की उनसे विषपक्र अभिव्यक्ति की स्वतत्रता के अपहरण स रुष्ट होकर लेखक नाटककार और कवि अपने एकान्त कोने से निकल पडे और उन्होने घणित आपातस्थिति के विरुद्ध आवाज़ उठाई।

इसका शानदार उदाहरण महाराष्ट्र से मिला है। प्रसिद्ध मराठी लेखिका 68 वर्षीया कुमारी दुर्गा भागवत दो वष पहले तक राजनीति म बिल्कुल भी रुचि नही रखती थी और अपने समाजवज्ञानिक शोध एव साहित्य म गहरी डूबी थी।

लोगो पर छा रही भय की मानसिकता न और आपातस्थिति द्वारा देश म

पन्न की गई कब्रगाह की शांति ने कुमारी भागवत को बुरी तरह झकझोड डाला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगी रोक ने तो जैसे उनका सांस ही रुध दिया हो। उन्होंने अपने मित्रो के बीच घोषणा की, अपनी आत्मा को रुध दन की अपेक्षा मैं मर जाना अधिक पसद करूंगी।' अपने होठों पर ऐसे ज्वालापूर्ण शब्द लिए उन्होंने उन असह्य स्थितियों के विरुद्ध एक अकेली स्त्री का युद्ध छेड दिया।

सितम्बर 1976 म मराठी साहित्य सम्मेलन ने कुमारी भागवत को एक वर्ष क लिए अपना अध्यक्ष चुना। महाराष्ट्र म यह सम्मान बडा ही काम्य माना जाता है। अधिवेशन यशवतराव चह्वाण के नगर कराड म होना तय हुआ था और स्वय यशवतराव स्वागत समिति के अध्यक्ष थ।

सम्मेलन का अधिवेशन जुलाई मे हुआ। लगभग 10 हजार व्यक्ति इस त्रिदिवसीय समारोह म शामिल हुए। दुर्गा ने अपने उद्गार प्रकट करने के लिए यही अवसर चुना। उन्होंने बिना किसी भय या सकोच के आपातस्थिति और देश पर लगे सेंसर की निन्दा की। उन्होंने यहा तक योजना बनाई कि विशेषकर आपात स्थिति की एव सामान्यत सरकारी नीतियो की निंदा करते हुए एक अध्यक्षीय प्रस्ताव पेश किया जाए। उन्ह इस पेशकश स मनाकर रोका गया जिससे मेजबान श्री चह्वाण परेशानी से बच सकें।

इस पर उन्होंने एक चाल का सहारा लिया। उन्होंने अध्यक्ष की ओर स एक प्रस्ताव पश किया जिसम बम्बई म उस समय गम्भीर रूप स बीमार पडे महान देशभक्त श्री जयप्रकाश नारायण की शीघ्र रोगमुक्ति के लिए ईश्वर से प्राथना की गई थी और यह सुझाव दिया गया था कि उनके स्वास्थ्य की कामना क लिए श्रोता दो मिनट तक खडे होकर प्रार्थना करें।

श्री यशवतराव चह्वाण समेत सभी श्रोता प्रस्ताव स प्रेरित होकर खडे हो गए। कुमारी भागवत अपनी बात कह गई थी। बाद म श्री चह्वाण ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके विश्वास के अनुसार आपात स्थिति आवश्यक है और कुछ भी हो इंदिरा गाधी उनकी नेता है और वे उनकी नीतियो को स्वीकार करत हैं।

अब पूरी तरह उत्तेजित दुर्गा सिर्फ एक साहित्यकार या शोध विदुषी नहीं रह गई थी। आपातस्थिति क विरुद्ध और उसक नाम पर की गई नृशसताओ के विरुद्ध व एक धर्मयोद्धा बन गई थीं। जहा भी वे जाती और बोलने क लिए उन्हें बुलाया जाता व घोषणा करती साहित्यकार दुर्गा को भूल जाओ। वह मर चुकी है। मैं तो अब नागरिक स्वतत्रता का लौटाया जाना देखने के लिए ही जिन्दा हू।

अगस्त सितम्बर 1976 म कुछ घटनाए घटीं जिन्होंने कुमारी भागवत और महाराष्ट्र सरकार क बीच मामला बहुत तनावपूर्ण कर दिया। अब तक सरकार

उन्हें छूने तक में हिचकिचा रही थी क्योंकि महाराष्ट्र के लोग उन्हें भारी सम्मान और प्रशंसा प्रदान करते हैं।

अगस्त में ऐलफिन्स्टन कालिज के छात्रों ने बम्बई में अपने कालिज के एक समारोह में उन्हें निमंत्रित किया। उन्होंने छात्र संगठन-कर्त्ताओं से पहले ही साफ कह दिया कि उनके भाषण का उनका विषय घोषित आपातस्थिति ही रहेगा। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि इस निमंत्रण के बारे में वे अपने प्रधानाचार्य से अनुमति ले लें। संगठन कर्त्ताओं ने कुमारी भागवत को बुलाने की अनुमति प्रधानाचार्य से ले ली लेकिन जो भागवत जी ने उनसे कहा था वह ज्यों का त्यों उन्होंने प्रधानाचार्य को नहीं बताया। सामान्य रूप में अनुमति दे दी गई।

कुमारी भागवत समारोह में आईं और वे आपातस्थिति में किए गए अपमानों और अपनी ही जनता के विरुद्ध सरकार द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों के बारे में बोलीं। अधिकारियों ने घोषणा की कि यह भाषण सरकार के विरुद्ध छात्रों को भड़काने की कार्यवाही से तनिक भी कम नहीं है।

दूसरा अवसर बम्बई में जवाहर मंदिर में गणेश उत्सव पर आयोजित एक समारोह था। इस उत्सव को लोकमान्य तिलक ने एक महान स्वाभिमानपूर्ण राष्ट्रीय उत्सव बना दिया था। यहां दुर्गा जी ने एक मार्मिक भाषण दिया और खुले रूप में लोगों को प्रेरित किया कि वे स्मरण के सामने न झुकें और संविधान ने जो अधिकार उन्हें दिए हैं उनके लिए लड़ें। आमतौर से दुर्गा जी उत्तम वक्ता नहीं हैं लेकिन इस अवसर पर उनका भाषण भावना और उत्तेजना से ऐसा भरा हुआ था कि श्रोता उसमें बह गए। सरकार की निंदा करते हुए लोगों ने नारे लगाए और गरजे इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद।

यह चरम सीमा थी। राज्य सरकार को अब कुछ न कुछ करना ही था। अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

आम चुनाव में जनता पार्टी की विजय के बाद उस समय तक छोड़ दी गई दुर्गा भागवत को महात्मा गांधी की समाधि पर हुए शपथ-समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। लंबी दूरी से चलकर वे दिल्ली आईं। जब वे नई दिल्ली स्टेशन पर उतरीं तो उन्होंने देखा कि उन्हें लेने के लिए कोई भी नहीं आया है। दिल्ली में वे अजनबी थीं और कहां जाना है यह भी नहीं जानती थीं। सौभाग्य से एक महाराष्ट्री सज्जन प्लेटफार्म पर थे जिन्होंने उन्हें पहचान लिया और अपने घर चलने के लिए निमंत्रित किया। राजधानी के महत्त्वपूर्ण समारोह में दुर्गा जी ने भाग लिया।

एक जाने माने मराठी लेखक को भी जिन्होंने आपातस्थिति के और कांग्रेस सरकार के कुशासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी बम्बई में चुनावों में मिली विजय को मनाने के लिए किए गए समारोह में निमन्त्रित किया गया था। लेकिन

उन्होंने जाने से इंकार कर दिया था। उनका कहना था कि वे राजनीतिज्ञ नहीं हैं। न कभी रहे हैं और न कभी रहेंगे। वे इस पाप से लड़ने के लिए अपने घर से बाहर वक्ती तौर पर ही निकले थे। अब क्योंकि दानव मारा जा चुका है इसलिए उनके विचार से उनका काम खत्म हो चुका है और अब वे अपनी मेज पर वापिस लौट रहे हैं। ये थे मराठी के प्रसिद्ध नाटककार एवं व्यंग्यकार श्री पी० एल० देशपांडे जिन्होंने चुनावों के दौरान बम्बई एवं पूना में जनता उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया और अपने परिहास एवं वक्रता से श्रोताओं का मनोरंजन किया तथा जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए लाखों मत प्राप्त किए।

एक अन्य साहित्यिक सन्यासी, जिन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और जिन्होंने स्वयं को अपने साहित्यिक कार्य तक सीमित कर रखा था बिहार के श्री फणीश्वरनाथ रेणु थे। वे राज्य सरकार के कुशासन, अकुशलता एवं भ्रष्टाचार के विरोध में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में राज्य में आरम्भ किए गए आन्दोलन में कूद पड़े थे। श्री जयप्रकाश के नेतृत्व में निकाले गए ऐतिहासिक विराट जुलूस में ये भी शामिल थे और इन्होंने लाठियों का और अश्रु गैस का सामना किया था और जेल गए थे।

मैला आंचल, तीसरी कसम और अनेक महान उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रेणु उस समय रोग ग्रस्त थे। उन्हें कई बीमारियां थीं और पेट में कैंसर का फोड़ा उनमें से एक था। लेकिन वे इतने अधिक उद्वेलित हो उठे थे कि उन्होंने अपनी एकान्त साधना छोड़कर बाहर आने और श्री जयप्रकाश द्वारा घोषित महान लक्ष्य के लिए लड़ने का फैसला किया। कौन जानता है कि जेल निवास और राजनीतिक संघर्ष के बीच जो खतरे उन्हें उठाने पड़े उन्हीं के कारण 56 वर्ष की आयु में अप्रैल 1977 में उनकी अकाल मृत्यु हुई।

आपातस्थिति और सरकारी दमन के विरोध में रेणु ने केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए पदम श्री को लौटा दिया था और बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली 250 रु० मासिक की पेंशन को लेने से इन्कार कर दिया था।

उस लम्बी अंधेरी रात में भारत के आकाश में अनेक अन्य नक्षत्र ऐसे निश्चय ही चमके होंगे जिन्हें इस अध्याय में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन इस पुस्तक को तैयार करने के लिए इतना कम समय मिला है कि इस विशाल देश में उन सब नक्षत्रों को ढूंढ निकालने का काम और उनके बारे में लिखने का काम लगभग असम्भव है।

पूरे देश में कुल मिलाकर 150000 लोग जेलों में ठूंस दिए। इनमें 40000 नजरबन्दी थे (जिन्हें बिना किसी विशेष आरोप के पकड़ लिया गया था)। शेष सत्याग्रही थे जिन्होंने स्वयं को गिरफ्तार कराया था। 000 अकाली भी इनमें शामिल हैं।

6
शुक्ल की दादागीरी

योजना मन्त्रालय में श्री विद्याचरण शुक्ल का काम एकदम उल्लेखनीय नहीं था। अच्छा होता वे सुरक्षा उत्पादन मन्त्रालय में ही बने रहते जहां उनके उद्यमी व्यक्तित्व को अधिक सम्भावनाएं मिलती। उन्हें अपना सही काम सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में मिला जहां आपातस्थिति की घोषणा होते ही श्रीमती गांधी ने उन्हें श्री इन्द्र गुजराल के स्थान पर भेज दिया था। यह उनके दिल का काम था। यहां नामवरी काफी थी और फिल्म स्टारों विशेषकर नायिकाओं का चहचहाता सम्पर्क था। आपत्कालीन स्थितियों के आते ही जन सम्पर्क के साधनों पर नियन्त्रण सबसे अधिक जरूरी हो उठा था और जैसे ही उन्होंने रीढ़ रहित पत्रकार उद्योग और फिल्मी दुनिया के कमजोर व्यक्तित्वों पर अपना वजन डालना शुरू किया उन्होंने देखा कि वे तो वस्तुतः बने ही इसी काम के लिए थे।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में शुक्ल ने किसी को जरा सिर तक नहीं उठाने दिया। 28 जून शनिवार को दोपहरी के समय उन्होंने कार्यभार सम्भाला और प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रमुख सूचनाधिकारी डा० ए० आर० बाजी दो बजे के लगभग दिल्ली के बड़े समाचार पत्रों के सम्पादकों को उसी दिन चार बजे नये मन्त्री के साथ बैठक की सूचना दे रहे थे।

यह बैठक एकत्र सम्पादकों को सदा याद रहेगी। इस नई बैठक ने बता दिया कि आगे सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की नई कार्यपद्धति क्या रहेगी। जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया उनमें थे— इंडियन एक्सप्रेस के श्री एस० मुलगावकर हिन्दुस्तान टाइम्स के श्री जार्ज वर्गीज टाइम्स आफ इंडिया के श्री गिरिलाल जैन स्टेट्समैन के श्री सुरिन्दर निहालसिंह तथा पैट्रियट के श्री विश्वनाथ। नेशनल हेरल्ड के श्री एम० चलपति राव उसमें नहीं थे।

तीन दिन के अंधेरे के बाद समाचार पत्रों को बिजली अभी-अभी ही दी गई थी। सैंसर ने पूरा नियन्त्रण लागू कर दिया था और तीन दिनों तक न छपने के बाद अखबार फिर से निकले थे। लेकिन सभी के हाथ पर कट चुके थे और वे क्षत विक्षत थे। कुछ ने सम्पादकीय कालमों को खाली छोड़ दिया था कुछ ने सेंसर द्वारा काटे गए हिस्सों पर चिप्पियां चिपकाकर खबरों को छापा था। सम्पादकों ने टैगोर की कविताओं को फिर से याद किया था। फाइनेन्शियल एक्सप्रेस ने सम्पादकीय कालम में टैगोर की इस प्रसिद्ध कविता को प्रकाशित किया था

जहां मन भयरहित हो,
और सिर ऊंचा उठा रहे,
जहां ज्ञान उन्मुक्त हो,
जहां संसार को संकरी घरेलू दीवारों से
खण्डों में तोड़ा न गया हो,
जहां शब्द सत्य की गहनता में से निकलते हों,
जहां अनथक प्रयास पूर्णता की ओर
अपनी बांह फैलाता हो,
जहां विवेक की साफ धारा
रूढ़ स्वभाव की नीरस रेगिस्तानी रेती में
अपना रास्ता खो न बैठी हो,
जहां तुम सतत विस्तृत होते
विचार और कर्म में मन का नेतृत्व करते हो,
हे पिता! स्वतंत्रता के इस स्वर्ग में
मेरा यह देश जागे।

'मनस्ट्रीम' के श्री निखिल चक्रवर्ती ने अपने सम्पादकीय लेख के स्थान पर टैगोर की एक अन्य कविता को 'आज के लिए टैगोर' शीर्षक देकर छापा :

"मेरी मातृभूमि भय से मुक्ति ही वह स्वतंत्रता है जिसकी मांग मैं तुम्हारे लिए करता हूं—भय जो ऐसा छाया दैत्य है जिसे तुम्हारे अपने अवरुद्ध सपनों ने रूप दिया है।

युगों के बोझ से मुक्ति—बोझ जो तुम्हारे सिर को झुकाए हुए है, तुम्हारी कमर को तोड़ रहा है और भविष्य की पुकार के प्रति तुम्हारी आंखों को अंधा किए हुए है।

गहरी नींद की जंजीरों से मुक्ति—नींद जिसमें तुमने रात की स्तब्धता में स्वयं को जकड़ रखा है और सत्य के साहसिक पथ का संकेत करने वाले नक्षत्र का अविश्वास तुम कर रही हो।

नियति की अराजकता से मुक्ति—नियति, जिसके कमजोर बादबान अंधी, अनिश्चित हवाओं की मुट्ठी में है और जिसकी पतवार मृत्यु जैसे कठोर और ठंडे हाथ में है।

कठपुतलियों के संसार में रहने के अपमान से मुक्ति—उस संसार में जहां गतिविधि मस्तिष्क रहित तारों से संचालित की जाती है, विवेकशून्य स्वभाव से सब दोहराया जाता है, जहां पुतलियां [illegible] जीवन में उतरने के लिए खेल संचालक की आज्ञा की धैर्य-पूर्वक प्रतीक्षा करती हैं।

अपने दफ्तर मे जब मंत्री महोदय सपादकों के सामने बोल रहे थे तो वातावरण के तनाव का साफ महसूस किया जा सकता था। सम्पादकों न पाया कि यह शुक्ल अतीत म उनके जाने पहचाने शुक्ल से भिन्न था और पहले जैसा मिलनसार और मित्रतापूर्ण नहीं था। यह एकदम एक दूसरा अवतार था। यह डाक्टर जकिल नहीं, अब मि० हाइड था और एकदम ठंडा गम्भीर और निरकुश था। क्या वह अभिनय कर रहा था ?

एकदम आरम्भ म ही शुक्ल ने साफ शब्दों म स्पष्ट कर दिया कि सरकार सम्पादकों के काम स खुश नहीं है और उन्ह अपने तरीको को बदलना पडगा। उन्होंने कहा कि जो हो चुका है (अर्थात आपातस्थिति का लागू किया जाना) उसके बारे म उनके निजी मत हो सकते है लकिन सरकार को कार्यवाही करनी है आपातस्थिति को लागू करना है और उसके लक्ष्यों का पूरा करना है। उन्होंने सम्पादकों को कठोर चेतावनी दी कि आग से खाली स्थान नहीं छोडे जायेंगे और टगोर से हो या नेहरू से कोई उद्धरण नहीं दिए जायेंगे। उनका कहना था कि आज के सदर्भ मे ये उद्धरण अप्रासगिक हैं।

श्री मुलगावकर उनमे एक थे, जिन्होंने पूर्ण सेंसर के विरोध म सम्पादकीय कालम को खाली छोड दिया था। उन्होंने अपनी बात को मगत सिद्ध करना चाहा। शुक्ल ने यह कहकर उन्ह चुप करा दिया कि उन्ह ऐसा नहीं करने दिया जाएगा।

श्री जाज वर्गीज ने उन तीन दिनों का जिक्र किया जब बिजली कट गई थी और अखबार नहीं निकल सके थ। शुक्ल ने इस बात स इकार नहीं किया कि बिजली सरकार के इशारे पर काटी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरीक का सहारा सरकार को इसलिए लेना पडा क्योंकि उनका सेंसर का प्रबंध अभी पूरा नहीं हुआ था और सरकार न महसूस किया था कि जब तक प्रबंध पूरे न हो जायें अखबारों का बद कर देना ही उत्तम रहेगा।

एक सम्पादक बोल उठे ऐसी तानाशाही को स्वीकार करना उनके लिए असम्भव है। तब ठीक है मंत्रीजी न उत्तर दिया हम देखेंगे कि आपका अखबार स कैसे बरता जाए।

मंत्रीजी के वचनों न एकत्र सम्पादकों को स न कर दिया। तब श्री गिरिलाल न बहस करनी चाही। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिबंध तो अंग्रेजी शासन म भी नहीं लगाए गए थ। शुक्ल न बीच म ही उन्ह काट दिया यह अंग्रेजी शासन नहीं है। यह राष्ट्रीय आपातस्थिति है।

इसके साथ ही सवाद भग हो गया और कमरे म एक स्तब्ध खामोशी छा गई। बैठक बर्खास्त हो गई और सम्पादकगण क्षुब्ध और उद्वेलित दीख पडने लगे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय म शुक्ल एक पराकाष्ठावादी सिद्ध हुए।

उन्होंने तत्काल अपनी शक्तियां को इस बात में लगाया कि देश के विविध जनसम्पर्क माध्यमों को सरकार के और दल के प्रचार के एकान्तिक मशिनष्ट शक्तिशाली यंत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने वर्तमान चार समाचार एजेंसियों को उनके मंत्रालय द्वारा निर्देशित एक अकेली इकाई में एकरूप कर देने का विचार उठाया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सरकार के कोलाहलपूर्ण प्रचारयंत्र बन गए। इन दोनों ने व्यक्ति पूजा के प्रचार का उपक्रम तक किया जो 'फ्यूहरर' की पूजा का प्रचार करने वाले नाजी जर्मनी के गायबल रेडियो की क्षोभकर याद दिलाता है।

इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने समाचार पत्रों विशेषकर विशाल महानगरीय अखबारों को भी अपनी इच्छा के अनुरूप एक स्वरूप में ढालने की कोशिश की जिससे कि सभी जनसम्पर्क माध्यम मंत्रालय के संचालन में एक आर्केस्ट्रा की तरह काम कर सकें। जिन पत्रों ने झुकने से इंकार किया उन्हें सरकारी विज्ञापन न देकर दण्डित किया गया। ऐसे दण्डित अखबार लगभग सौ थे।

अखबारों की बांह मरोड़ने का काम पूरे जोश से शुरू कर दिया गया। आमतौर से मालिक अथवा मुख्य व्यवस्थापक की बांह ही मरोड़ी जाती थी सम्पादक की नहीं क्योंकि उसका बहुत त्वरित परिणाम निकलता था। सरकार की नजरों में सम्पादकों की कोई गिनती नहीं थी।

हिन्दुस्तान टाइम्स के मामले में कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि इसके मालिक श्री०के०के० बिरला हर तरह तैयार थे। आपातस्थिति के पहले ही दिन हिन्दुस्तान टाइम्स के सूचना पटट पर यह लिखकर लगाया गया था कि सब कर्मचारी आपातस्थिति के आदेशों का मन वचन कर्म से पालन करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से समर्थित पत्र का कर्मचारी यूनियन ने प्रबन्धकों के साथ मिलकर यह ध्यान रखा कि आपातस्थिति पूरी तरह लागू की जाती है।

हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक श्री जार्ज वर्गीज को दुहरे सेंसर के नीचे काम करना पड़ा क्योंकि सरकारी सेंसर के अतिरिक्त पत्र में प्रकाशित खबरों और अभिमतों पर प्रबंधकों ने अपने निजी बंधन भी लागू किए थे। जब खबरें फीचर और लेख कम्पोज होने के लिए नीचे जाते थे तो कम्पोजीटर उस सामग्री पर कड़ी नजर रखते थे और प्रबंधकों को इशारा कर देते थे। तब प्रबंधक उस सामग्री को बिना सम्पादक को बताए सीधे सेंसर के पास मंजूरी के लिए भेज देते थे।

स्टेट्समैन ट्रिब्यून के ट्रस्ट ने स्वतंत्रता की कीमत इस रूप में चुकाई कि उसके सरकारी विज्ञापन रोक दिए गए और अन्य तरीकों से उसे तंग किया गया। उस पर दबाव डाला गया कि वह वर्तमान सम्पादक को बदलकर सरकार की दृष्टि

से अधिक अनुकूल अन्य कोई व्यक्ति नियुक्त करे। मद्रास का 'हिन्दू' और श्री तुषारकान्ति घोष की 'अमृत बाजार पत्रिका' पहले ही सरकारी हथेली को चाट रहे थे और कोई समस्या नहीं थी। यही हालत कलकत्ता के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' और 'आनन्द बाजार पत्रिका' तथा बम्बई के फ्री प्रेस जर्नल' की थी।

वामपंथी 'पेट्रियट' को सरकारी और अन्य विज्ञापनों की दृष्टि से सूची से निकाल दिया गया था, क्योंकि यह पत्र संजय को एक महान नेता बनाने के अभियान में हिस्सा नहीं ले रहा था और इसने उसे अपने पहले पृष्ठ से दूर ही रखा था। 'मदरलैंड' को तो ठीक आरम्भ में ही कुचल दिया गया था। दिल्ली के हिन्दी और उर्दू के समाचारपत्रों में 'मिलाप' और 'तेज' सरकारी संरक्षण में थे। लेकिन 'प्रताप' पूर्व-सेंसर की दो अवधियों और सरकारी एवं स्थानीय विज्ञापनों की मनाही के कारण डगमगाता बढ़ रहा था।

पंजाब के समाचारपत्रों के केन्द्र जालन्धर से खबर आई थी कि उस सुबह के आरम्भिक घण्टों में ही पुलिस ने अखबारों के दफ्तरों पर छापे मारे थे, प्रेसों को बन्द कर दिया था और अखबारों की छप चुकी प्रतियों को जब्त कर लिया था। बाहर के स्थानों को भेजे जाने के लिए तैयार प्रातःकालीन संस्करणों से लदी टैक्सियों को भी रोक लिया गया था। एक घण्टे बाद अधिकारियों ने अखबारों की जब्त प्रतियों को मुक्त कर दिया और प्रकाशकों को अनुमति दे दी कि वे आगे छापें और भेजें।

चण्डीगढ़ में पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने यह स्पष्टीकरण दिया कि जालन्धर के समाचारपत्रों पर इसलिए छापा मारा गया था क्योंकि सरकार को सूचना मिली थी कि पत्र सेनाओं के लिए जारी की गई सरकारी आदेश न मानने से सम्बन्धित श्री जयप्रकाश की अपील को छाप रहे हैं।

इन्दौर से प्राप्त सूचना में बताया गया कि उस नगर में आधी रात से कुछ ही बाद अखबारों की बिजली काट दी गई थी और सुबह का कोई अखबार प्रकाशित नहीं हो सका था।

'स्टेट्समैन' के श्री सी० आर० ईरानी और 'एक्सप्रेस' के श्री रामनाथ गोयनका ने काबू आने से इन्कार कर दिया था और इसके बाद से गुवल की फरेबी चालों और दमनकारी तरीकों को इन दोनों समाचारपत्रों के विरुद्ध प्रेरित कर दिया गया।

गुवल ने पहले यह कोशिश की कि परेशान करने वाले पत्रों के निदेशक बोर्डों पर सरकारी प्रतिनिधि थोपे जाएं। कुछ समय के लिए 'इण्डियन एक्सप्रेस' बोर्ड में सरकार के अपने प्रतिनिधि रख भी गए। लेकिन 'स्टेट्समैन' के श्री ईरानी ने इस पेशकश का अन्त तक जमकर विरोध किया। माफिया गुण्डागीरी की हर चाल आजमाई गई। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए अदालतों में साहसपूर्ण संघर्ष

किया और सरकार के लहू सने हाथों को अपने से दूर रखा।

जब समाचार पत्रों का 'टाइम्स आफ इण्डिया' समूह अगस्त में जैनों को वापिस किया गया तो मालिक श्री अशोक जैन को शुक्ल ने बुलाया और सुझाव दिया कि वे अपने नये बोर्ड में संजय गांधी के प्रतिनिधि को रखें। अब अशोक जैन श्रीमती गांधी से मिले और उनसे पूछा कि क्या कोई विशेष कदम उठाए जाने हैं? तो उनका उत्तर था 'जैसा ठीक समझो करो।' थोड़ा रुककर उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें संजय से मिल लेना चाहिए और इस बारे में बात कर लेनी चाहिए।

13 जुलाई को हिंदुस्तान टाइम्स पर पूर्व सेंसर लागू किया गया। वर्गीज का अनुमान था कि सम्भवतः ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि (क) राजनीतिक बंदियों को छोड़ने और आपातस्थिति में ढील देने के बारे में श्री बलराज मधोक का एक पत्र, (ख) आपातस्थिति एवं सरकार की आलोचना करते हुए आचार्य कृपलानी का एक पत्र और (ग) उच्चतम न्यायालय में श्रीमती गांधी के आवेदन पर सुनवाई के स्वीकृत अभिलेख प्रेस ट्रस्ट के विवरण के स्थान पर निजी संवाददाता की रपट हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी थी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की रपट का जहां तक संबंध है वर्गीज ने मुख्य सेंसर अधिकारी हैरी डि पेन्हा की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। बाद में पेन्हा ने अपनी राय बदल दी। लेकिन वर्गीज ने पेन्हा के परिवर्तित निर्देशों की उपेक्षा कर दी क्योंकि रपट में सिर्फ कार्य-पद्धति विषयक बहस थी और कोई तर्क नहीं थे।

कुछ भी हो इसे हिंदुस्तान टाइम्स पर पूर्व सेंसर लागू करने का बहाना बना लिया गया। श्री वर्गीज ने इस आदेश को चुनौती दी और बताए जाने की मांग की कि उन्होंने सेंसर संबंधी नियमों अथवा निर्देशों की किस धारा को तोड़ा है जिससे पूर्व सेंसर लागू करना पड़ा है।

अब तक शुक्ल ने समाचार पत्रों से बरतने का एक आश्चर्यजनक तरीका विकसित कर लिया था जिसे उन्होंने कठोरता के साथ और नैतिकता के पूर्ण अभाव के साथ इस्तेमाल किया। इन तरीकों को पर्याप्त उचित ढंग से लागू करने के लिए अपने मंत्रालय में वे एक पुलिस अफसर के० एन० प्रसाद को विशेष अधिकारी बनाकर ले आए। बाद में इस अफसर की असाधारण सेवाओं की प्रशंसा में पदोन्नति करके उसे अतिरिक्त सचिव बना दिया गया। पुलिस का आदमी काम कराने का सिर्फ एक ही प्रभावी तरीका जानता है और वह है तीसरे दर्जे का तरीका एवं ताकत और हर मामले में उसने उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया। उसकी जबान उसके तरीकों की तरह ही अक्खड़ थी।

दोषदर्शन, मंगल भाषण और दो मुंही बात—ये ऐसे जहर थे जिन्होंने सरकार के वक्तव्यों और आचरणों की विश्वसनीयता को पूरी तरह दूषित कर

डाला। शब्दों के शब्दकोश में दिए अर्थों में विपरीत अर्थ निकाले जाने लगे।

उदाहरण के लिए जब सूचना मंत्री ने लोकसभा में इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि देश की चार समाचार एजेंसियां अपनी इच्छा से परस्पर मिलकर एक समाचार एजेंसी बन गई हैं तो श्रोताओं ने जान लिया कि मंत्री जानते हैं कि वे सब जानते हैं कि मंत्री ने चार समाचार एजेंसियों के निदेशकों की पीठों पर पिस्तौलें लगाकर यह विलय उनसे कराया है और चिह्नित जगह पर उनसे हस्ताक्षर करा लिए हैं।

जब शुक्ल कसम खाकर लोक सभा में यह कह रहे थे कि देश में पूर्व-सेंसर अब नहीं रहा है उस समय बम्बई उच्च न्यायालय में सेंसर के विरुद्ध एक आवेदन की सुनवाई चल रही थी जिसमें यह आरोप था कि एक समाचार पत्र को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उसने छापने से पहले एतराज किए गए लेख को पूर्व सेंसर के सामने पेश नहीं किया था।

ऐसे उदाहरण हैं जब किसी समाचार की रपट को अथवा लेख को सेंसर द्वारा औपचारिक रूप में स्वीकार कर लिया गया और फिर टेलीफोन पर जबानी आदेश देकर उसे छपने से रोक दिया गया। एक सेंसर द्वारा मंजूर एक खबर आगे एक दूसरे सेंसर द्वारा काटी छांटी जाती थी। सेंसर की शक्तियों का दुरुपयोग कांग्रेस दल के भीतरी झगड़ों से सम्बन्धित खबरों को दबाने में भी किया जाता था यद्यपि इनका राष्ट्र की आंतरिक अथवा बाह्य सुरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं था। मंत्रियों के व्यक्तिगत मित्रों की रक्षा में और उनसे सम्बन्धित भद्दी खबरों को दबाने में भी इसका गलत इस्तेमाल किया जाता था।

जब यह देख लिया गया कि दैनिक समाचार पत्र सेंसर के आदेशों के सामने भीगी बिल्ली बन चुके हैं तब सरकार ने एक दूसरी योजना चलाई जिसे 'आत्म सेंसर' कहा गया। इस योजना के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्रों के संपादकों से यह आशा की जाती थी कि वे जो छाप रहे हैं उसका सेंसरशिप आदेश के नियमों एवं मार्ग निर्देशों के अनुसार स्वयं सेंसर करें। इन मार्ग निर्देशों की कोई कानूनी मान्यता नहीं थी लेकिन दैनिक समाचार पत्रों ने इन्हें नम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया था। सरकार के दृष्टिकोण से यह योजना बहुत बढ़िया चल रही थी क्योंकि सरकार अब दावा कर सकती थी कि देश में कोई सेंसर नहीं है और जो प्रतिबंध लागू हैं वे संपादकों ने स्वयं अपने ऊपर लगाए हैं।

जब भी कोई अखबार सरकार को अरुचिकर कोई खबर अथवा आलोचना छापता तो आत्म-सेंसर को समाप्त कर दिया जाता और पत्र को फिर पूर्व सेंसर के हवाले कर दिया जाता जिसके अनुसार पत्र के पूरे पृष्ठों को सेंसर की मंजूरी के लिए उसके सामने पेश करना पड़ता। सेंसर असाधारण रूप से अधिक देर तक पत्र को रोक रखता यहां तक कि उस संस्करण का छपना ही बेकार हो जाता।

प्रेस की स्वतन्त्रता और उन्मुक्तता का सच्चे रूप में मार देने और दफना देने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने दो अन्य उपाय भी किए। पहला यह कि कानून को रद्द करके पत्रों की स्वतन्त्रता के सिद्ध संरक्षक समाचारपत्र परिषद् को भंग कर दिया गया। दूसरे उसी दिन आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक का घृणित अध्यादेश 1975 (जिसे बाद में कानून बना दिया गया) लागू कर दिया गया।

सरकार का दावा था कि यह कानून 1951 के आपत्तिजनक प्रेस सामग्री अधिनियम को फिर से लागू किए जाने से अधिक कुछ नहीं था क्योंकि वह अधिनियम 1954 में चुक गया था। नये कानून में 'आपत्तिजनक सामग्री' की परिभाषा बहुत ही विशद की गई थी। इसमें ऐसे सभी शब्द संकेत अथवा दृश्य चित्र शामिल थे जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधान मन्त्री अथवा संघ की मन्त्रि परिषद् के किसी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यपाल के प्रति अपमानजनक हों। इस सूची में प्रधानमन्त्री एवं केन्द्रीय मन्त्रियों का शामिल किया जाना विशिष्ट महत्त्व रखता है।

इसके अतिरिक्त 1951 के कानून में जब किसी कार्यकारी अधिकारी को किसी प्रेस से जमानत मांगनी होती थी और किसी प्रेस को जब्त करना होता था तो वैसा करने से पहले उसे सत्र न्यायाधीश के सामने आवेदन करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान कानून में जमानतें मांगने और प्रेसों को जब्त करने का अधिकार कार्यकारी अफसरों को प्रदान कर दिया गया और त्रस्त पक्ष को अधिकार दिया गया कि पहले वह केन्द्रीय सरकार से अपील करे और उसके बाद ही उच्च न्यायालय में जाए।

सूचना मन्त्री एवं उनकी मानविन प्रधानमन्त्री दोनों भारतीय समाचार पत्रों द्वारा जान बूझकर किए गए कृत्यों के एवं गफलतों के काल्पनिक पापों के आरोप पत्रों के एकाधिकारी पूंजीवादी प्रतिक्रियावादी मालिकों पर सार्वजनिक मंचों से लगाते थे। पर निजी तौर पर सरकार उन्हीं एकाधिकारी पूंजीवादियों का पूरा संरक्षण भी देती थी और उनसे दान के लिए मोटे चन्दे इकट्ठे करने में उसकी आत्मा कोई चुभन महसूस नहीं करती थी।

सरकारी प्रवक्ता लगातार यह घोषणा करते थे कि एकाधिकारी पूंजी के दुष्ट प्रभाव से मुक्त करने एवं सक्रिय पत्रकारों की स्वतन्त्रता एवं उन्मुक्तता उन्हें वापिस दिलाने के उद्देश्य से भारतीय प्रेस को व्यापक बनाने एवं उसे कड़ी से अलग करने की उनकी मंशा है। लेकिन वस्तुतः सरकार ने ऐसा करना कभी चाहा नहीं। वह वर्तमान स्थिति से एकदम प्रसन्न थी। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के मालिकों को समय समय पर एकाधिकारी पूंजीवादी प्रतिक्रियावादी कहकर सरकार उन्हें धमका भी सकती थी और उनसे अधिकाधिक जोश के साथ

सरकारी आदेश भी पूरे करा सकती थी। लेकिन उनके मुकाबले सपादको से सरकारी आदेशो का पालन कराना उतना आसान नही था। उनमे कुछ सनकी ऐसे थे जो इस लेकर हगामा खडा कर सकते थे।

सच्चाई यह थी कि सम्बंधित एकाधिकारी पूजीपतियो म से दो ने तो एकदम लीद ही कर रखी थी। इनमे एक थे हिन्दुस्तान टाइम्स' के श्री के० के० बिरला जिन्होने अपने को अपने वित्तीय साधनो को एव समाचार पत्रो को सरकार की तथा दल की सेवा मे पहले से ही समर्पित कर रखा था। दूसरे 'टाइम्स आफ इण्डिया समूह के मालिक शाति प्रसाद जन थे। शायद अपनी अनेको परेशानियो के कारण वे इतने कमजोर थे कि वे सरकार से झगडा मोल लेने की मन स्थिति अथवा स्थिति म बिल्कुल नही थे। यदि उन्ह उनकी अपनी खाल म छोड दिया जाए तो सरकार के लिए कुछ भी करने को वे तैयार थे। अन्य महानगरीय समाचार पत्र इस श्रेणी म नही आते थे यद्यपि दो को छोडकर सभी आज्ञाकारी और अनुकूल थे।

के० एन० प्रसाद के अतिरिक्त जो एक सार्जेंट मेजर की तरह मन्त्रालय को चलाता था वरिष्ठ अधिकारी तक मन्त्री महोदय से खुश नही थे। वरिष्ठ अधिकारियो के साथ शुक्ल की बठकें कुछ ही मिनटो म समाप्त हो जाती थी। यदि कभी कोई तर्क या बहस शुरू भी होती तो मन्त्री महोदय के यह कहते ही वह फौरन खत्म हो जाती कि 'ये आदेश ऊपर के हैं।' और ऐसा बहुत अक्सर होता था। मन्त्री के अधिकारियों को शिकायत थी कि जब भी वे लोग उनसे मिलते हैं केवल आदेश लने के लिए ही मिलते है और परामर्श देने की कोई गुजाइश रहती ही नही।

एक बार स्टेट्समैन क प्रभावशाली सपादक श्री निखिल चक्रवर्ती शुक्ल से सेंसर के उस दुरुपयोग क बारे म बहस कर रहे थ जिसके अधीन सेंसर को उन मामलो पर भी लागू कर दिया जाता था जिनका सरकार की नीतियो स अथवा देश की सुरक्षा से कोई सम्बन्ध नही था।

मन्त्री महोदय ने श्री चक्रवर्ती से अनुरोध किया यदि आप चाह तो सरकार की आलोचना करें लेकिन भगवान् के लिए सजय को न छुए। चुनाव मे पराजय के बाद शुक्ल ने यह स्वीकार किया कि यद्यपि अब यह एक लचर दलील मालूम पडेगी पर सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सामने कोई और चारा नही था और व ऊपर के आदेशो का ही पालन कर रहे थे।

इससे यह पता लगता है कि सजय गाधी जिस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न अतिरिक्त सवधानिक सत्ता कहकर निन्दित किया था समाचार की गतिविधियो का सचालन करन और दिल्ली प्रशासन को चलाने के साथ साथ सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय की कार्यवाहियो का भी निर्देशन कर रहा था।

शुक्ल ने सत्वहीन फिल्म उद्योग के साथ भी यही लुका छिपी का खेल खेला। यह एक तानाशाह का प्रेम घृणा का सम्बन्ध था। आकर्षक फिल्म स्टारों की संगति में वे अपनी पूरी रौनक पर होते थे। फिर भी यदि कोई उनकी सनक के आगे सिर झुकाने में चूक जाता था तो वे उसे मीसा की धमकी दे डालते थे। यदि कोई गायक शुक्ल के सुर में गाने से इंकार कर देता था, तो आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर उसके रिकार्ड बजाने बन्द कर दिए जाते थे। यदि कोई अभिनेत्री उनकी मांग को पूरा नहीं करती थी तो कर की चोरी के अपराध में उसके घर पर छापा मारा जाता था। यदि कोई निर्माता वांछित मनोरंजन प्रदान करने में विफल रहता था, तो उसकी फिल्म सेंसर में अटक जाती थी। अपना मनचाहा कराने के लिए चकमा देना, बरस पड़ना और आतंकित करना ही शुक्ल का तरीका था।

जब राजधानी में युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित संगीत प्रदर्शन में प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार आ नहीं पाए तो आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर उनके गीतों पर रोक लगा दी गई। शुक्ल ने संगीत सम्राज्ञी लता मंगेशकर को, निजी स्तर पर आयोजित समारोहों में न गाने के अपने सिद्धान्त को छोड़ देने के लिए बाध्य किया। उन्होंने यहां तक चाहा कि वे एक युवक नेता के घर पर गायें। लेकिन लता जी ने यहां अपनी अंतिम सीमा खींच ली थी।

अन्य स्थानों की तरह फिल्म उद्योग में भी शुक्ल ने अपने गुर्गे पाल रखे थे, जो विभिन्न सौदों को तय करने में शुक्ल और उद्योग के बीच मध्यस्थता करते थे।

अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद के अध्यक्ष श्री जी० पी० सिप्पी शुक्ल के मित्र और अंतरंग थे। वस्तुत बम्बई के अविराम दौरों के बीच मन्त्री महोदय के ठहरने और मनबहलाव का प्रबन्ध सिप्पी ही देखते थे।

1975 के मध्य में सिप्पी ने फिल्म शोले की कुछ प्रतियां विदेश भेजने की अनुमति मांगी। यह कहा गया कि उन्होंने पिकेडिली की एक फर्म के साथ इंग्लैंड और यूरोप में इस फिल्म के प्रदर्शन का समझौता किया है। फिल्म सेंसर बोर्ड ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं क्योंकि फिल्म हिंसा और सेक्स से भरपूर थी। शुक्ल ने आदेश दिया कि सेंसर बोर्ड 24 घंटे के भीतर फिल्म को सही घोषित कर दे और इसकी प्रतियां निर्यात करने की अनुमति निर्माता को दे दी जाए।

साधारण कार्यपद्धति के दौरान इस काम को निपटाने वाले अधिकारी ने लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त को एक टेलेक्स भेजकर कहा कि प्रतियां आयात करने वाली लंदन की फर्म के विषय में जांच कर ली जाए। अगले दिन जवाब मिल गया कि पिकेडिली में अथवा इंग्लैण्ड में कहीं भी ऐसी कोई फर्म नहीं है। कार्यकारी अधिकारी ने संबंधित संयुक्त सचिव को इस बारे में लिखकर भेजा।

सचिव ने अधिकारी की सजगता की तारीफ की और उसकी टिप्पणी को अपने हस्ताक्षर के साथ मंत्री महोदय के पास भेज दिया। अगली सुबह मंत्री ने संयुक्त सचिव का आदेश लिया कि वह छुट्टी पर चला जाए। फाइल को एक लम्बी टिप्पणी के साथ सम्बंधित अधिकारी के पास वापिस भेज दिया गया। मंत्री महोदय ने लिखा कि उन्होंने तथ्यों की जांच कर ली है और फिल्म के निर्यात के समझौते से वे संतुष्ट हैं। उन्होंने अनावश्यक रुकावट डालने के कारण उस अधिकारी को डांटा और फिल्म को तत्काल मुक्त कर देने के आदेश दिए।

फिल्म वित्त निगम के अध्यक्ष पद से श्री बी० के० करंजिया का इस्तीफा एक रहस्य ही बना रह गया है। शुक्ल ने इस घटना से सम्बंधित खबरों को भी सेंसर कर दिया था। लेकिन इसका एक स्पष्टीकरण है।

प्रतियोगिता से इतर फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह फिल्म वित्त निगम के तत्वावधान में जनवरी 1976 में बम्बई में हुआ था। श्री करंजिया उस उत्सव की प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे और श्री जगतमुरारी मंत्रालय में उत्सवों के निदेशक थे। 23 दिसम्बर 1975 को मंत्रालय ने अपने दाहिने हाथ सचिव श्री एस० एम० एच० बर्नी को शुक्ल ने भेजा कि वह फिल्म उद्योग को समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।

उत्सव समिति और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों की उस दिन बम्बई में हुई बैठक में बर्नी ने खड़े होकर कहा कि वे यहां यह कहने के लिए आए हैं कि फिल्म उद्योग समारोह को अपने हाथ में ले लें। एक वरिष्ठ फिल्म अभिनेता ने कहा कि सचिव शायद यह चाहते हैं कि उद्योग अपना नैतिक समर्थन और सहयोग दे और वह देने में हमें खुशी ही होगी। बर्नी ने उत्तर दिया कि नहीं नैतिक समर्थन और सहयोग का प्रश्न नहीं है। वे चाहते हैं कि उद्योग इस समारोह को अपने हाथ में ले ले क्योंकि जो लोग इसे संभाल रहे हैं वे अयोग्य साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि निदेशक महोदय फिल्मों अथवा फिल्म उत्सवों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसी मेज पर बर्नी के साथ ही श्री बी० के० करंजिया और जगत मुरारी भी बैठे थे। उन्हें इससे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। बर्नी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं।

जब बैठक भोजन के लिए विसर्जित हुई तो श्री बी० के० करंजिया बर्नी के पास पहुंचे और बोले कि वे बैठक में तमाशा नहीं करना चाहते थे लेकिन सचिव वहीं और उसी समय उनका इस्तीफा स्वीकार कर लें। जगतमुरारी ने भोजन करने से इंकार कर दिया। विरोध का उन्होंने यही तरीका अपनाया।

शुक्ल और उनके पिट्ठुओं ने जिन्हें परेशान अधिकारी छोटे शुक्ल के नाम से पुकारते थे नई दिल्ली में हुए छठे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बड़ी ही तबाही मचाई। मंत्रालय और उत्सव निदेशालय ने यह घोषणा की थी कि

मंत्रियों तक को फिल्म समारोह के टिकट खरीदने पड़ेंगे। कोई भेंटस्वरूप टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन वास्तविक व्यवहार में कम से कम सौ भेंट रूप टिकट प्रतिदिन मंत्री शुक्ल के घर वालों और मंत्रालय के लोगों के लिए जारी किए जाते रहे।

शुक्ल का विचार था कि उत्सव की जूरी की अध्यक्षता करने के लिए सोफिया लारेन को बुलाया जाए। इस सूची में अन्य थे एलिजाबेथ टेलर एवं ब्रिजिट बार्डोत। जूरी की अध्यक्षता के लिए श्री सत्यजित रे को तभी निमंत्रित किया गया जब मिस लारेन ने आने से इंकार कर दिया।

उत्सव में समाचार पत्रों को जाति बाह्य करार दे दिया गया। लगभग 290 फिल्म दिखाई गई थी। इनमें केवल 40 प्रेस को दिखाई गई। इन 40 में 25 प्रतियोगिता वर्ग की थी और सिर्फ 15 सूचना वर्ग की। प्रेस के शो दिसम्बर जनवरी के महीने में सुबह सात बजे के अप्राकृतिक समय पर शुरू होते थे और दोपहर ग्यारह बजे तक लगातार चलते थे।

शुक्ल और उनके पिट्ठू भारत द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के लिए किसी सही भारतीय फिल्म को प्राप्त करने में भी विफल रहे। उन्होंने मृणाल सेन की मृगया के बारे में सोचा था। लेकिन मृणाल ने इसे यूरोप के उत्सव में भेजना अधिक पसन्द किया। श्री श्याम बेनेगल ने अपनी मंथन को भेजना स्वीकार कर लिया था लेकिन मंत्री महोदय बेनेगल द्वारा निशान्त का शिकागो और लन्दन उत्सवों में भेज जाने पर उनसे नाराज हो गए। शुक्ल की इच्छा के विरुद्ध बेनेगल ने प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप पर निशान्त को मुक्त करा लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक अधिकारी मंथन देखने के लिए बम्बई गया लेकिन वह आधी फिल्म देखकर ही उठ आया और इसके बाद बेनेगल ने दिल्ली में कोई सूचना प्राप्त नहीं की। शुक्ल ने एक बार सोचा कि शोले को भेज दिया जाए। लेकिन अन्त में मंत्रालय ने बहुत कुछ एक साधारण बम्बइया फिल्म 'मौसम' को भारतीय प्रविष्टि के रूप में स्वीकार कर लिया।

फिल्मों एवं फिल्म कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण का वार्षिक समारोह सूचना एवं प्रसारण मंत्री के लिए अपनी कृपा बांटने का अवसर होता है। 1976 के समारोह के लिए शुक्ल ने तय किया कि उत्सव में नृत्य के लिए हेमा मालिनी को बुलाया जाए। जब बताया गया कि उसका कार्यक्रम पहले से ही बम्बई में निश्चित है तो शुक्ल का उत्तर था, 'उसे लाओ। मैं उसे यहां चाहता हूं। यह आदेश है।'

मंत्रालय के लोग जानते थे कि जब शुक्ल किसी आकर्षक अभिनेत्री को आदेश देता है तो इन्कार करना उसके लिए सहज नहीं होता। हेमा आई, लेकिन अपनी शर्तों पर ही आई।

1976 के आरम्भ में होटलों की ओबराय शृंखला ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री से प्रार्थना की कि विदेशों में अपने होटलों का विस्तार करके भारत में पर्यटन का विकास करने के लिए उन्हें धन दिया जाए।

अमरीका की मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन का लगभग 5.2 करोड़ रुपया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यहां जमा पड़ा था। एसोसिएशन इस बात के लिए राजी हो गई थी कि भारत सरकार इस धन का इस्तेमाल करे। एक धुंधला सा समझौता यह था कि इस धन का उपयोग देश में सिनेमा के विकास के लिए किया जाए। अब ओबराय चाहते थे कि विदेशों में उनके होटलों के विकास के लिए यह धन उन्हें दे दिया जाए। शुक्ल ने एक अधिकारी से कहा कि वह जल्द से जल्द इससे संबंधित एक प्रस्ताव तैयार करे।

अधिकारी ने सोचा कि यह एक बड़ी धनराशि का मामला है। इसलिए उसने आर्थिक मामलों के मंत्रालय और पर्यटन विभाग दोनों को लिखकर पूछा कि क्या ओबराय ने इस बारे में उनसे भी प्रार्थना की है? दोनों ने 'नहीं' में जवाब दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी के सुझाव पर आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई जिसमें पर्यटन विभाग के और ओबराय के प्रतिनिधि भी आए। जब शुक्ल को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपना मुंह बहुत खोलने के लिए उस अधिकारी को डांटा और उसे आदेश दिया कि वह आर्थिक मामलों के मंत्रालय को लिखे कि यह धन ओबराय को देने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कोई एतराज नहीं है।

ऐसा पत्र विधिवत भेजा गया। आर्थिक मंत्रालय के हैरान अधिकारियों ने एक दूसरी बैठक बुलाई जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी से पूछा गया कि उसके मंत्रालय ने अचानक विचार परिवर्तन क्यों किया। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय ने इस धन के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में पहले विचार नहीं किया था। अब क्योंकि ऐसा एक प्रस्ताव आया है इसलिए फिल्म वित्त निगम, दूरदर्शन और बच्चों की फिल्म सोसायटी को कुछ धन देकर बाकी बची राशि को ओबरायों को देने की बात पर मंत्रालय विचार करेगा। यह बची हुई राशि लगभग 3.5 करोड़ रुपए बनी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी को बाद में पता चला कि विदेशों में अपने होटलों पर ओबराय ने कुछ वर्ष पहले विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण से काफी अधिक खर्च किया था। रिजर्व बैंक अब पूछ रहा था कि उनके होटलों पर खर्च किया गया यह अतिरिक्त धन विदेशी मुद्रा में उनके पास कहां से आया।

यह अतिरिक्त धन लगभग पांच करोड़ रुपया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी का अनुमान था कि मंत्रालय से जो धन ओबराय चाह रहे हैं उसका इस्तेमाल वे रिजर्व बैंक को संतुष्ट करने के लिए करेंगे। इस प्रकार

उसका अन्दाज़ा था कि इस धन म किसी भी कटौती का ओबराय विरोध करेंगे। लकिन वह गलत निकला। ओबराय दिए गए 3 5 करोड पर राजी हो गए और इससे भी आश्चयजनक बात यह कि आर्थिक मामला के मन्त्रालय ने चुपचाप इस लन देन को मजूरी दे दी। यह घटना माच 1977 के आस पास घटी थी।

कलकत्ता क मेट्रो सिनेमा समूह का सरकार द्वारा लिया जाना शुक्ल क झासा दने और धौस जमान के तरीके का एक उदाहरण है। एक सुबह शुक्ल ने सूचना एव प्रसारण म त्रालय के एक अफसर को बुलाया और आदेश दिया कि बम्बई एव कलकत्ता के मेट्रो सिनमा समूहा को सरकारी नियन्त्रण म ल लिया जाए। जब हैरान अधिकारी न पूछा कि कसे तब शुक्ल न कहा 'मैंन मामल का अध्ययन कर लिया है। इन समूहो म तस्कर घुसे हुए है और कमचारियों को नियमित वतन नही दिया जाता। इस प्रकार हमारे पास एक मजबूत कारण है।

अधिकारी ने यह जानना चाहा कि इस विशाल सम्पत्ति का किन नियमा क अधीन कब्ज़े मे लिया जाए। शुक्ल ने उत्तर दिया नियमा क बार म भूल जाओ। इस काम को करन क लिए सभी प्रकार की पुलिस सहायता तुम्हें मिलेगी। मन्त्री न समझाया कि प्रतिकूल प्रचार का भी डर नही है क्योंकि प्रेस कठोर सेंसर क अधीन है। कुछ दिन बाद शुक्ल ने उस अधिकारी का फिर बुलाया और कहा कि उन्होन महाराष्ट्र एव पश्चिमी बगाल क मुख्यमन्त्रियो स बोल दिया है और उसे कलकत्ता जाकर वहा के मेट्रो सिनमा समूह पर अब कब्जा कर लना चाहिए।

अधिकारी अब भी चिन्ता म था। सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय इन व्यापारिक सिनेमाघरों को लकर क्या करगा? फिल्म प्रदर्शित करना अथवा वितरित करना तो मन्त्रालय का काम नही है। वह इन सिनमाघरों का कम चलायगा? मन्त्री महोदय न उससे कहा कि वह विधि मन्त्रालय स सलाह ल। विधि म त्रालय उस अधिकारी स सहमत निकला। फिल्मा का प्रदशन अथवा वितरण केन्द्रीय सरकार क कार्यों म स एक नही है। लकिन यदि आपक मन्त्री इन कार्यों को करने के इच्छुक हैं तो वे सविधान म सशोधन करा सकत हैं।' विधि म त्रालय के अधिकारी ने व्यगपूवक कहा।

सूचना एव प्रसारण मत्रालय के अधिकारी न आकर शुक्ल स बताया। मन्त्री महोदय ने यह सुझाव सुना और बोल *'तब तो कोई समस्या ही नही है। हम सविधान म सशोधन करा लेंग।'*

उस अधिकारी की चतुराई को धन्यवाद कि उसने सविधान को बचा लिया। उसन सुझाव दिया कि मट्रो समूह को वित्त निगम क नाम म लिया जा सकता है। लकिन प्रश्न था कस?

फरवरी क आरम्भ म उस अधिकारी का यह स्पष्ट फरमान देकर कलकत्ता

7
सेंसर पागल हो उठा

जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान सेंसर के काम का जो अध्ययन और विश्लेषण किया है उससे पता लगता है कि, ससर आदेश को आरोपित न करने के निणय से पहले के 18 महीनो के बीच सेंसर म ढील देना तो बहुत दूर की बात है समय के बीतन के साथ साथ उसे अधिकाधिक व्यापक रूप म इस्तेमाल किया जाता रहा। पूव सेंसर और कुछ मजमूनो के प्रकाशन पर पूरा प्रतिब ध क द्रीय एव राज्य सरकारो ने ऐसे प्रयोजनो के लिए भी लगाया था जिनका मागनिर्देशा अथवा सेंसर की निर्धारित सहिता से कोई भी सबध नही था।

सेंसर लगभग प्रतिदिन टलीफोन पर पूव सेंसर के जबानी आदेश देता था। आदेश भग करने पर दड दिया जाता था। अदालती कायवाहियों एव फसलों को दबाने अथवा उन्हें मुलायम करने के लिए ससद की कायवाहिया को पूरी तरह छुपान के लिए और प्रमुख मुद्दो पर विरोधी पक्ष के दष्टिकोण को जानने से जनता को रोकन के लिए पूव सेंसर का इस्तेमाल किया जाता था। मुख्य लक्ष्य यह था कि खबरो पर पूरा नियन्त्रण रखा जाए।

सरकार की विभि न उलझनो को ढकन क लिए कुछ चुने हुए व्यक्तियो के पक्ष-पोषण और अ यो का भडाफोड करन के लिए भी सेंसर का प्रयोग किया जाता था। कभी कभी टिप्पणी और कभी प्रतिकूल टिप्पणी पर प्रतिब ध लगा दिया जाता था। उच्च यायालय के यायाधीशो के तबादले पर कोई समाचार अथवा टिप्पणी नही दी गई। पाडिचेरी लाइसेंस घोटाल म जालसाजी के आरोपा म फस काग्रसी ससरसदस्य तुलमोहनराम के मामले की कायवाही पूव-सेंसर के अधीन रही। अक्सर सावजनिक रुचि की विभिन्न घटनाओ पर केवल समाचार की रपटों जिनका मतलब था सरकारी विवरणो के छापे जाने की ही अनुमति दी गई थी।

जबानी सेंसर आदेशो की सूची म निम्न पर प्रतिब ध शामिल थे

दिल्ली म झुग्गियो क गिराए जाने के बारे म सभी रपटो विवरणों फोटो चित्रा तथा शीपको पर

अगली सूचना तक बोनस क बारे मे रपटो, टिप्पणियो, लेखा अथवा सम्पा दकीय लेखों पर

बोनस को लकर की गयी साकतिक हड़तालो पर,

जम्मू और काश्मीर के केन्द्र के साथ संबंधों को लेकर अफजल बेग के भाषणों पर,

मीसा के नजरबंदों से मिलने पर रोक लगाने के दिल्ली प्रशासन के आदेशों को रद्द करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर।

डी० डी० ए० द्वारा जामा मस्जिद के चारों ओर के मकान गिराए जाने की रपटों अथवा चित्रों पर सिवाय उनके जिन्हें डी० डी० ए० ने जारी किया हो अथवा मंजूर किया हो। सम्पादकीय लेखों को पहले डी०डी० ए० से मंजूर कराना होगा,

कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव के मसौदे के विवरणों पर,

वन्य पशु बोर्ड की बैठक में किए गए इस प्रश्न पर कि अमुक महाराजा के भाई को शिकार का लाइसेंस क्या दिया गया,

श्री जयप्रकाश नारायण की बम्बई यात्रा का पूर्व सेंसर होगा। कोई चित्र इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे,

यह तथ्य तक कि वित्तमंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम् ने अपने बजट भाषण के दौरान कुछ देर के लिए आराम किया प्रेस की रपटों में नहीं लिखा जाना था

सेंसर का तथा सेंसरशिप एवं आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक सम्बन्धी विधेयक को लेकर चल रहे अदालती मामले से सम्बन्धित संसदीय प्रश्नों पर पूरा प्रतिबन्ध

निम्न वित्त निगम से श्री डी० के० बरुजिया के त्यागपत्र एवं नये अध्यक्ष की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध।

31 मार्च के सेंसर के एक आदेश में कहा गया था—कोका कोला निर्यात निगम को लेकर किए गए लोक सभा प्रश्न पर समाचार की रपट ही छापी जाएगी। यदि नहीं तो पूर्व सेंसर।

अप्रैल 1976 के बीच दिया गया एक अन्य आदेश इस प्रकार है सेंसर तुर्कमान गेट की घटना का सरकारी ब्यौरा दे रहा है। इस उभार कर नहीं छापा जाना है। प्रस्तावित शीर्षक के साथ ही इस इस्तेमाल किया जाना है। किसी और शीर्षक के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।

एक और आदेश इस प्रकार है संजय गांधी आज अपने सम्मान में दिए गए एक समारोह में से उठकर चले गए। इसकी कोई रपट अथवा चित्र नहीं छापा जाना है।

एक अन्य आदेश कहता है 'लन्दन में दुकान से चोरी के अपराध में अभिनेत्री नर्गिस की गिरफ्तारी की खबर नहीं छापी जानी है।'

अन्य प्रतिबन्धित मुद्दे इस प्रकार थे

बाल्य रिश्वत की रपट (22 जून)

बेगम विलायत महल द्वारा नयी न्दिली रलवे म्टेशन पर धरना न्ने की खबर (22 मई),

डालमिया जन एयरवेज क मामले म फमल की खबर

रोहतक म आज (9 जून) बसीलाल के भाषण की हर रपट म श पाकिस्तान के साथ भावी सबधो अथवा समय का कोई भी जिक्र निकाल न्यिा जाए

14 जुलाई तक उगाडा के ए न्वे हवाई अड्डे पर इजरायली हमले की कोई खबर टिप्पणी चित्र नही छापा जाएगा विशपकर हमले (8 जुलाई) को सगत ठहराते हुए

एन्टेबे पर हमले को लेकर सुरक्षा-परिषन्‌ की बहस (10 जुलाई)

एक सेंसर निर्देश (29 जुलाई) को लकर स्टेट्समन की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फसले से सम्बन्धित कोई खबर या टिप्पणी नही,

आचाय विनोबा भावे की ओर से राधाकृष्ण बजाज का वक्तव्य जिस समाचार प्रसारित कर रहा है सुर्खी देकर छापा जाना चाहिए (10 अगस्त)

राज्यसभा सन्स्य श्री सुब्रह्मण्यम्‌ स्वामी द्वारा आज (10 अगस्त 1976) सदन म उठाए गए पाइट आफ आडर के बारे म कोई खबर या टिप्पणी नहा छापी जाएगी न ही उनक बारे म ससद से सम्बधित किसी अन्य रपट का इस्तमाल किया जाएगा

श्री केवल सिंह से न्यूयाक टाइम्स के विलियम बोडर की भट वार्ता का प्रकाशित नही किया जाएगा।

19 दिसम्बर 1976 को जारी किए गए एक अन्य निर्न्श म था काग्रेस क भीतर के तथा युवा काग्रेस एव अखिल भारतीय काग्रस के बीच के अन्तर्दलीय झगडों स सम्बधित वत्तान्तो टिप्पणियो तथा रपटो को छपने से तत्काल रोक न्यिा जाएगा। ऐसा विशपकर पश्चिमी बगाल उडीसा एव केरल क बारे म किया जाएगा।

एक अ य आन्श म कहा गया कि 14 न्सिम्बर को श्री सजय गाधी का जन्मदिन मनाने के बारे म मुख्यमन्त्रियो एव काग्रसी नेताओ का कोई वक्तव्य प्रकाशित नही किया जाना चाहिए।

8 जनवरी 1977 का एक आन्श था नेताओ की बठको समेत काग्रेस के अन्तदलीय मामला स सम्बधित सभी वत्तान्तो को कृपया पूव सेंसर क लिए भेजा जाए।

खबरो के ऊपर ऐसे न्यापक पर्ज के फले होने क बावजून वस्तुत यह चमत्कार ही है कि मुख्य ससर अधिकारी हैरो डि पेन्हा को भारतीय एव विन्शी सभी पत्रकारो से प्रशस्ति प्राप्त हुई।

जसी कि उम्मीद थी नई दिल्ली म कायरत विन्शी सवादन्ताओ ने ससर

के नये कठोर नियमों के विरुद्ध विद्रोह किया। एक तो यह कि विदेशी संवाददाताओं द्वारा विदेशों के अपने कार्यालयों को टेलीफोन द्वारा संवाद भेजने को रोकना अथवा उसकी जांच करना बहुत ही कठिन था। फिर कुछ लोग अपने समाचार सेंसर के माध्यम से भेजते थे, लेकिन बाद में टेलीफोन पर छोड़े गए हिस्सा का पूरा कर देते थे।

वाशिंगटन पोस्ट' के लेविस एम० साइमन्स को 13 जून को देश से निकाल दिया गया था। 14 जुलाई को फाइनेंशियल टाइम्स' लन्दन के केविन रेफर्टी को भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। लन्दन टाइम्स' के पीटर हेज़लहर्स्ट को और 'लन्दन डेली टेलीग्राफ' के पीटर गिल तथा 'न्यूज़वीक' की कुमारी लोर्न ग्रेकिन्स को 20 जुलाई को उस समय देश से चले जाने के आदेश दिए गए जब उन्होंने सेंसर के नियमों का पालन करने के वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।

भारत में विदेशी संवाददाताओं के निष्कासन की इस शृंखला और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस ने काफी शोर मचाया। 21 जुलाई को विदेशी संवाददाताओं की रपटों पर पूर्व-सेंसर सरकार ने समाप्त कर दिया, लेकिन मार्गनिर्देशों का एक क्रम जारी किया, जिनका पालन न करने पर विदेशी संवाददाताओं को निष्कासित किया जा सकता था। बी० बी० सी० ने 23 जुलाई को भारत में अपना समाचार-संग्रह का काम बन्द कर दिया और यह घोषणा करते हुए कि नये नियम अस्वीकार्य हैं, नई दिल्ली से अपने संवाददाता को वापस बुला लिया।

25 जुलाई को मार्गनिर्देशों के स्थान पर सरकार ने एक दस्तावेज़ जारी किया जिसके अनुसार संवाददाताओं के लिए आवश्यक हो गया कि सेंसर के निर्देशों के प्रकाश में अपनी रपटों की पूरी ज़िम्मेदारी वे स्वयं लें और अधिकतर विदेशी संवाददाताओं ने इस संशोधित दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। फिर भी एसोसियेटेड प्रेस के संवाददाता एडवर्ड मोर्टी को 7 अगस्त को देश से निकाल दिया गया और 12 अगस्त को यू० एम० आई० ए० ने यह घोषणा की कि वे 'वायस आफ अमेरिका' के संवाददाता को वापस बुला रहे हैं, क्योंकि वे सरकार द्वारा लागू की गई सब शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकते।

पूरे के पूरे भारतीय प्रेस तथा व्यक्तिगत सम्पादकों एवं पत्रकारों ने उनके प्रति सरकार के इस अन्यायपूर्ण रवैये पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की ?

यह मानना पड़ता है भारतीय पत्र आमतौर से इस अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होने में विफल रहे। एक आधुनिक राज्य में जनता के प्रतिनिधि बनने अथवा सूचनाओं के संचरण के माध्यम की एक साधारण भूमिका तक को निभाने में

समाचार-पत्र असफल रहे। स्पष्ट है कि भारतीय समाचार पत्रों के ढांचे में ही ऐसी कोई जन्मजात कमी है जो उनके लिए यह असम्भव बना देती है कि वे प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए मुकाबले पर खड़े हो सकें और आवश्यकता पड़ने पर कष्ट सह सकें और बलिदान दे सकें।

आपातस्थिति के उन्नीस महीनों के बीच के दृश्य को देखकर एक तथ्य स्वयं प्रकट है जब किसी पत्र के मालिक का एकमात्र व्यवसाय अखबार चलाना हो तथा कोई अन्य वाणिज्यिक हित समझौता करने के लिए उसे विवश न करता हो तभी अखबार का मालिक अपने पत्र की ईमानदारी और स्वतन्त्रता के लिए और उसके माध्यम से प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने को प्रेरित होता है। यह बात जितनी स्टेट्समन' के लिए सच निकली उतनी ही इण्डियन एक्सप्रेस' के लिए भी।

इण्डियन एक्सप्रेस' के मालिक श्री रामनाथ गोयनका प्राथमिक रूप में एक पत्र प्रकाशक हैं जो बाद में फिसलकर दूसरे उद्योगों में भी पहुंच गए लेकिन समाचारपत्र उद्योग ही उनका मुख्य आधार है। श्री ईरानी पूरे समय काम करने वाले एक पत्रकार हैं और अपने पत्रकार उद्योग में वे गहराई से डूबे हैं और इसका उन्हें गर्व भी है। दूसरी ओर जहां किसी अखबार का मालिक एक एकाधिकारी पूंजीपति है जो अखबार का एक अनुपस्थित स्वामी है तो कोई भी बलिदान देकर अपने पत्र की ईमानदारी को बनाए रखने की दिखावटी चिन्ता भी वह नहीं करता।

उसके लिए अखबार उसके अन्य उद्योगों में से बस एक उद्योग है। इन सभी को उसकी पूंजी पर अच्छी कमाई करके उसे देनी चाहिए। कुछ भी और वह नहीं चाहता। उसके लिए अखबार एक दूसरे प्रकार की फैक्टरी है जो पटसन या सीमेंट के स्थान पर खबर पैदा करती है। साथ ही इससे राजनीतिक प्रभाव भी उसे प्राप्त होता है। इसलिए स्वयं उसका और उसके व्यापारिक हितों की उन्नति के लिए इस महत्त्वपूर्ण स्वत्व से लाभ उठाया जाना ही चाहिए। यदि उसका अखबार उसके अन्य प्रमुख हितों के रास्ते में आता है तो उसे अखबार को डुबा देने या संपादक को अथवा अखबार की नीति को बदल देने में कोई हिचक नहीं होती। ऐसी मानसिक स्थिति में प्रजातन्त्र में प्रेस की उदार एवं सार्वजनिक भूमिका की किसी बौद्धिक अवधारणा की कल्पना भी असम्भव है।

अखबार के ऐसे ढांचे में संपादक एवं अन्य पत्रकार अच्छे वेतन पाते हैं अच्छा खाते पीते हैं। सम्पन्नता में मुलायम पड़ जाने के कारण अपने कंधे उचकाने और व्यवस्था के अनुकूल चलने के सिवाय काम का कोई और रास्ता वे सोच ही नहीं सकते। उनके लिए सिद्धान्तों के अथवा आदर्शवाद के लिए उठ खड़े होने की धारणा एकदम अग्राह्य होती है। हम इस व्यवहारवादी दर्शन को यह कहकर तर्कसंगत ठहराते हैं कि ऐसे ढांचे में किसी . पत्रकार के

लिए सिद्धान्त के लिए लडना असम्भव है क्योंकि वह एक बडी मशीन के पहिये में एक पेंच से अधिक कुछ और नही है। जाज वर्गीज ने इस सिद्धान्त का भडा फोडा। उन्होने सम्पादक के अपने कर्तव्यो को गम्भीरता से निभाया। वे उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहे और दरअसल उन्होने चुकाई भी।

यह दावा किया जा सकता है कि श्री वर्गीज का मामला एक अपवाद है जो नियम को ही सिद्ध करता है और अन्यो के लिए इस उदाहरण का अनुसरण व्यवहार्य नही है, और यह भी कि मुद्दे को बहुत दूर तक खीच ले जाना हर तरह व्यर्थ होगा। यह भी दावा किया जा सकता है कि जैसा 'इण्डियन एक्सप्रेस' और 'स्टेटसमन' मे हुआ जहा मालिक मुकाबला करने प्रेस की आजादी के अर्थ लडने और सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए तयार हो वही सपादक और उसके पत्रकार इस धर्मयुद्ध मे हिस्सा ले सकते है और वाछित परिणाम प्राप्त कर सकते है।

आधुनिक दैनिक समाचार पत्र को चलाने मे लगने वाली विशाल पूजी भी एक महत्त्वपूर्ण कारण बनती है जो उस किसी भी साहसिक कदम को निरुत्साहित करती है जो इतनी कीमती सम्पत्ति को ही उलट-पलट कर दे।

प्रेस की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि अखबार का मालिक सिर्फ अखबारवाला हो और जसा कि अमेरिका मे है वह सिर्फ समाचार पत्र प्रकाशित करने का ही धधा करता हो। इसके अतिरिक्त, अन्य व्यापारिक अथवा औद्योगिक हित रखने से उसे कानूनन रोका जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा कानून ही व्यक्तिगत वाणिज्यिक उन्नति के लिए सार्वजनिक हित की कीमत पर समाचार पत्र का दुरुपयोग करने के लोभ से उसे रोक सकता है। एक समाचार पत्र भी वसी ही एक सार्वजनिक सस्था है जैसा कि सरकार का मन्त्री होता है। यदि कानून बनाकर अन्य वित्तीय हित न रखने के लिए मन्त्री को मजबूर किया जा सकता है तो कोई कारण नही कि कानून के द्वारा एक समाचार पत्र को भी स्वच्छ और लोभ से दूर न रखा जा सके।

सपादक (सामूहिक अर्थ मे पूरा सपादकीय विभाग) जब तक उन्मुक्त न हो तब तक प्रेस की स्वतन्त्रता सुरक्षित रखी नही जा सकती। सपादकीय विभाग की स्वायत्तता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब उसे समाचार पत्र के सचालन के व्यापारिक पक्ष से पृथक कर दिया जाए। ऐसा पेरिस के 'लमाड' एव 'लाफिगारो' तथा स्कडिनेविया के अन्य समाचार-पत्रो के साथ किया गया है और काम बहुत सन्तोषजनक रूप मे चला है।

'लन्दन टाइम्स' और 'गार्जियन' मे एक परम्परा रही है कि उनके सम्पादक सरकार से 'नाइटहुड' का खिताब तक स्वीकार नही करते। पश्चिम मे

लडी और जीते और सरकार को मूख बनने पर विवश किया। टाइम्स आफ इण्डिया क सहायक सम्पादक श्री सु दर राजन के पीछे गुप्तचर लगाए गए उनके दफ्तर के कमर पर छापा मारा गया वहा की चीजो की छानबीन की गई और अन्त म उ हे जरा भेज दिया गया। कारण यह कि उ होने आपातस्थिति क अधीन भारत क बार म कटु सत्यो की रपट विदेशी प्रेस को भेजने का साहस किया था। उनका मूल अपराध यह था कि उ होने टाइम्स आफ इण्डिया क अहाते म सेंसर शिप क विरुद्ध कमचारियो की एक सभा सगठित की थी। इसम टाइम्स आफ इण्डिया' समूह के दो सौ पत्रकारो ने भाग लिया था। प्रब धको न इस विरोध सभा क प्रति अपनी ठोस असहमति श्री सुन्दर राजन को सूचित की थी।

बडौदा म टाइम्स आफ इण्डिया के सवाददाता श्री विक्रम राव को बडौदा डायनामाइट मामले म फसाया गया। उ हे य त्रणा दी गई और कुछ महीनो तक कद मे रखा गया। टाइम्स आफ इण्डिया के प्रब धको न इस मामले म न्यायालय का फसला आने तक अपने निजी निणय को स्थगित रखने क बदले श्री राव से छुटकारा पाने की कायरतापूण आतुरता दिखाई। प्रब धको ने उन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियो का आरोप तक लगाया। आपातस्थिति के खत्म होने ही और सरकार बदलते ही प्रब धको ने उनका पद उ हे वापस द दिया है।

दूसरी श्रेणी उन बहुसख्यक लोगो की थी जो एक वीर पुरुष के तत्व से तो निर्मित नहीं थे लेकिन जिन्होंने उदास चुप्पी धारण करके देश म घटने वाली घटनाओं स अपनी असहमति जाहिर की और जहा परिस्थितिया ने उ हे मजबूर किया वहा अपनी पत्रकारिता क औपचारिक कत्तव्यो का पालन करते जाने से अधिक उन्होने कुछ नहीं किया। तीसरी श्रेणी उनकी थी जिनका वणन श्री आडवानी ने यह कहकर किया है कि उनमे जब झुकने की आशा की गई तो उन्होने रेंगना शुरू कर दिया।' इस तीसरी श्रेणी की यह बहुसख्या ही थी जो न सिफ अत्याचारी क सामने रेंगी और गिडगिडाई बल्कि जो निलज्जता क साथ सरकारी बड बाजे म शामिल हो गई और जिसने मजय की प्रशसा म एव उसके स्वागत म समूह गीत गाए। इन्होने अपने दस्तख म कि य अपने देवता के सामने घुटने भी टकते रहे और साथ ही सविधान एव लोकतात्रिक मापदण्डो के प्रति अपने समपण की कसम भी खाते रहे कोई अ तर्विरोध नहीं देखा।

निस्सन्देह इनम किसी न भी कभी यह सपना नहीं देखा था कि श्रीमती गाधी जल्द ही प्रधानमत्री पद से हटने वाली है। इ हे इसम कोई स देह नहीं था कि उनकी सरकार युगो तक चलेगी। काग्रेस न देश पर 30 वर्षों तक शासन किया और वह हमेशा ही करती रहेगी।

भारतीय प्रेस क भावी स्वास्थ्य की दृष्टि स यह मामला छानबीन के योग्य

है। हो सकता है पत्रकार लोग स्वयं ही इस प्रश्न पर खोजबीन के लिए एक आयोग बठाय।

महानगरो के समृद्ध समाचारपत्रों के सम्पन्न सम्पादक मडल की व्यावसायिक वेतनभोग वृत्ति का यह शाप होता है कि वे देश की राजनीतिक समस्याओं म सिर्फ सम्पादकीय (दूसरे शब्दों म अकादमीय) रुचि लने के ही अभ्यस्त होते हैं। अपनी व्यावसायिक कुशलता एव नतिक लोकाचार इन दोनो ही दृष्टियो स वे देश के अन्य पत्रकारो के लिए आदर्श बन जाते हैं। महानगरीय समाचारपत्र ही देश के नए पत्रो के लिए गति निर्धारक बनते हैं। आरम्भ से अब तक इसी तथ्य न भारतीय पत्रकारिता को विपाक्त बनाया है।

सम्भवत एसा हुआ है कि यह व्यावसायिक वेतनभोग वृत्ति स्वतन्त्रता मिलने के एकदम बाद ही भारतीय पत्रकारिता म घुस गई और इसने इस व्यवसाय के उच्चतर मूल्यो का क्षय किया। कारण कि सम्पन्नता उन्ह सुरक्षा से चिपके रहने को बाध्य करती है जो बदले म उन्ह मुलायम बनाती है और उस आदर्शवाद को बढ़ावा देती प्रतीत नही होती जिसकी माग है बलिदान।

हो सकता है यह व्यवसाय म आने वालो को दी गई पत्रकारिता की शिक्षा का अथवा उसके अभाव का दोष हो। शायद यह स्थिति पत्रकारिता-व्यवसाय के लिए गम्भीर सस्थानिष्ठ प्रशिक्षण एव शिक्षा की अनिवार्यता के पक्ष पोषक तक को ही बल देती है। इस शिक्षा म नतिक मूल्यो एव समाज के प्रति पत्रकार के कत्तव्य पर उचित ज़ोर उसी तरह दिया जाना चाहिए जसे कि डाक्टर के प्रशिक्षण म चिकित्सा की नतिकता शामिल होती है। पत्रकार को भी हिप्पोक्रेट की प्रसिद्ध शपथ के आधार पर निर्मित एक शपथ अवश्य लेनी चाहिए।

सम्भवत इस देश के लिए जरूरी है कि पत्रकारिता को एव सामान्यत सभी सार्वजनिक सचार माध्यमो को विषय बनाकर उच्चतर शिक्षा का एक सस्थान स्थापित किया जाए जो एक आधुनिक समाज एव लोकतान्त्रिक राज्य म पत्रकार की भूमिका की एक बौद्धिक एव आध्यात्मिक प्रतीति प्रत्याशियो को कराए। हमारे यहा विभिन्न स्तरो की योग्यता दिलाने वाले अनेको पत्रकारिता विभाग एव विद्यालय है। लेकिन इस व्यवसाय की उच्चतर शिक्षा के लिए एक ऐसे प्रतिष्ठित पीठ की बड़ी भारी आवश्यकता है जो भारतीय पत्रकारिता के लिए ठीक परम्पराए निर्मित कर सके और व्यक्तिगत एव व्यावसायिक ईमानदारी पर ज़ोर दे सके।

न्यायपालिका उच्च न्यायालय स्तर पर शुक्ल और उनके पिट्ठुओं द्वारा त्रस्त प्रेस की रक्षा के लिए वीरतापूवक सामने आई लेकिन अफसोस यह है कि जब उच्च न्यायालय ने प्रेस को सरक्षण दिया तब भी प्रेस उस सरक्षण का लाभ उठाने का साहस नही कर सका। भय की मानसिकता इतनी गहरी घुस गई थी कि उसने

पत्ता के सचालकों के विवेक एव निर्णय-क्षमता को जड बना दिया था।

साथ ही यह भी माना जाना चाहिए कि राजनीतिक वादी न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय म आने मे हिचकते थे। इसका कारण था वर्षों स चली आ रही वचनबद्ध न्यायाधीशो की चर्चा और जिन्हें आमतौर स सैद्धांतिक कारण कहा गया है उनस प्रेरित होकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो म वरिष्ठ को छोड कर कनिष्ठ का पदोन्नत किया जाना।

सरकार ने इन तथ्यो को झूठ नहीं बताया था। उसका तर्क था कि मीसा मे किए गए सशोधनो ने नजरबन्दियो का अदालत म जाने का अधिकार क्योंकि खत्म कर दिया है इसलिए आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नेप रगराजन का मत था कि जीवन एव स्वतन्त्रता के अधिकार भारतीय सविधान के साथ अस्तित्व म नही आए थ। व मूलभूत नसर्गिक अधिकार हैं जिन्ह सविधान न सिर्फ सरक्षण प्रदान किया है और इन अधिकारो का स्थगन उन्ह पूरी तरह समाप्त नही कर देता।

सुनवाई समाप्त होने के दो दिन बाद श्री नायर को छोड दिया गया। अदालत को उनके छोड दिए जाने की सूचना देते हुए सरकारी वकील न सुझाव दिया कि अब आवेदन पर किसी फैसले की जरूरत नहीं है। फिर भी न्यायमूर्ति रगराजन ने इस आधार पर फसला दिया था कि इसका दूसरे मामलो पर महत्वपूर्ण असर पडने वाला है।

उनके फसले म कहा गया यानी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार का स्थगन नही किया गया है। बस कानून द्वारा स्वतन्त्रता को नियमित करने की कोशिश की गई है। किसी व्यक्ति की निजी स्वतन्त्रता को खत्म करने के चरम अधिकार कार्यकारिणी के पास नहीं है। निरपेक्ष रूप म स्वतन्त्रता एक सामान्य कानूनी अधिकार है। कानून का शासन कार्यकारी सत्ता के आरजी इस्तेमाल की अनुमति नही देता। नजरबन्द करने वाले अधिकारी को न सिर्फ इस बात स सन्तुष्ट होना चाहिए कि नजरबन्दी आवश्यक थी बल्कि उनके आधारभूत कारणों को सिद्ध करने की सामर्थ्य भी उसम होनी चाहिए।

श्री नायर के आवेदन म दिए गए तथ्यो को चुनौती नही दी गई थी और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि व सावजनिक अनुशासन का भग करने जा रहे थ।

वस्तुत इस निर्णय ने यह स्थापित कर दिया कि आपातस्थिति के दौरान भी नजरबन्दी के मामलों का पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार अदालतो के पास है और नजरबन्दी की सही आवश्यकता के बारे म अदालतो को सन्तुष्ट करने म अधिकारियों को सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार एसा लगा कि मीसा म किए गए सशोधन रद्द कर दिए गए हैं।

इस फसले के शीघ्र बाद ही न्यायमूर्ति रंगराजन् की बदली सुदूर आसाम म गोहाटी म कर दी गई।

साधना के मामले म उच्च न्यायालय के श्री वी० डी० तुलजापुरकर और श्री एन० सी० माडगिल न पूना के साधना प्रस की जब्ती के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया और कुछ प्रामाणिक टिप्पणियां की जो यहा सक्षेप म दी जाने योग्य हैं और जिनपर हमारे देश की कार्यकारी सत्ता को अच्छी तरह चिन्तन करना चाहिए और उन्ह अपने भीतर पचाना चाहिए।

फसले म साधना प्रस के बन्द कर दिए जाने को सम्बन्धित सत्ता अथवा अधिकारी को दिए गए अधिकार के घोर दुरुपयोग का ज्वलन्त उदाहरण माना गया।

साधना पूना की एक अत्यन्त प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका है। इसे अहिंसा स्वतन्त्रता व्यक्तिगत उ मुक्तता एव लोकतन्त्र के दवदूत समाजवादी ऋषि सान गुरुजी ने आरम्भ किया था। यह पत्रिका अपने सम्पादकीय लेखों की गम्भीरता एव साहसिकता के लिए जानी मानी है। सरकार न साधना के 11 अकों को जब्त घोषित कर दिया था और अ तत साधना मुद्रणालय को ही बन्द कर दिया था। इस स्तर पर साधना ट्रस्ट जब्ती के सरकारी आदेश के विरुद्ध आवेदन लेकर उच्च न्यायालय म पहुचा।

निर्णय मे घोषणा की गई कि जमानत मागने और उसकी जब्ती के आदेश अवाछित अन्याय्य गर कानूनी और विधि की दृष्टि से गलत है।

फसले म कहा गया एक नागरिक के रूप म लेखक को अधिकार है कि वह आपातस्थिति के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियो एव लागू किए गए उपायो की आलोचना कर और यह कहे कि य फासिस्ट प्रवत्तियों के सूचक है। यह अधिकार तब तक उस है जब तक आलोचना अनुमति सीमा को पार नहीं करती और नियम छत्तीस (6) की उपधारा (ई) अथवा (एफ) के अ तगत वह हानिकर नहीं मानी जाती। तब तक उस उत्तजक अथवा आपत्तिजनक नहीं माना जा सकता। पूर (रद्द) लख को अच्छी तरह पढकर हम इस स्पष्ट मत पर पहुचे है कि यद्यपि लेख अलकृत शली म की गई आलोचना स भरपूर है जो कुछ सीमा तक उन नताओ क प्रति थोड असन्तोष को उत्तजित कर सकती है जिन्होंने उन उपायो को लागू किया है फिर भी कानून और व्यवस्था को भग करने अथवा गडबडी फलाने अथवा नियम 36 (6) (ई) क अन्तगत आ सकने योग्य हिंसा को बढावा दन का कोई इरादा अथवा प्रवृत्ति इस आलोचना म निहित नहीं है।'

फसले म टिप्पणी की गई कुछ भी हो यह दखकर हम उद्विग्न है कि इन लेखों की परीक्षा करने वाली सत्ता अथवा सम्बन्धित अधिकारी न हर प्रकार की असहमति एव आलोचना म सरकार के लिए तथा कानून एव व्यवस्था के लिए

खतरा ही पैदा है। इसे पूरी तरह दोष पूर्ण दृष्टिकोण ही माना जाएगा।'

फसल म आगे कहा गया 'इस सत्ता अथवा सम्बन्धित अधिकारी को श्री जयप्रकाश नारायण का नाम तक एक अभिशाप प्रतीत होता है। क्योंकि उनके बारे म जो भी कहा गया अथवा किया गया है वह कितना भी हानिरहित क्यों न रहा हो इसे अत्यन्त घातक एव अहितकर ही बताया गया है।

प्रसिद्ध पत्रकार वाई० डी० लोकूरकर की हठ उस समय उचित रूप म पुरस्कृत हुई जब बम्बई उच्च न्यायालय ने उनके दो लेखो पूव सेंसरशिप—प्रकृति एव सीमा तथा आपातस्थिति एव अफवाहें' के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने की सेंसर की कायवाही को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति आर० पी० भट्ट ने फसला देते हुए घोषणा की कि सेंसर ने कानून को गलत समझा है और उसने अप्रासंगिक मुद्दो को विचार म ले लिया है। इस पर सेंसर ने अपनी समाचार एजेंसियों के माध्यम से राज्य के सभी समाचारपत्रो के सम्पादको को निर्देश भेजे कि श्री वाई० डी० लोकूरकर की याचिका पर बम्बई उच्च न्यायालय का फसला पूव-सेंसर किया जाएगा।

लोकूरकर ने बम्बई उच्च न्यायालय म एक और याचिका दाखिल की और फसले के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने की सेंसर की कायवाही को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार किया और लोकूरकर द्वारा दाखिल नई याचिका के विचाराधीन होने के बारे म किसी समाचार अथवा रपट के प्रकाशन को रोकने के किसी भी कदम अथवा कायवाही को लागू करने से बम्बई के सेंसर को रोकते हुए अतरिम राहत प्रदान की।

अब नई दिल्ली के मुख्य सेंसर ने सभी समाचार एजेंसियों के लिए निर्देश जारी किए कि लोकूरकर द्वारा नई याचिका के बम्बई उच्च न्यायालय म स्वीकृत हो जाने के बारे म कोई खबर न छापी जाए। श्री लोकूरकर ने अदालत से एक और प्राथना की कि मुख्य सेंसर को उनकी याचिका म एक पक्ष बनाया जाए और उन्होंने एकतरफा आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली जिसम बम्बई के सेंसर और नई दिल्ली के मुख्य सेंसर दोनो को यह निर्देश था कि लोकूरकर की नई याचिका से सम्बन्धित किसी खबर या रपट के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाते हुए समाचार एजेंसियो अथवा समाचारपत्रो को आगे की गई किन्हीं भी आज्ञाओं को वापस लिया जाए और प्रत्यादेश दिया जाए। अन्त म सेंसर अधिकारियों के वकील ने खुली अदालत म वक्तव्य दिया कि उन आदेशों को वापस ले लिया गया है।

सरकार ने लोकूरकर के मूल मामले म न्यायमूर्ति भट्ट के फसले के विरुद्ध अपील दाखिल की। इस अपील की सुनवाई दिसम्बर 1975 म लगभग एक सप्ताह तक होती रही। अन्त म सेंसर ने अपील को खर्चे सहित रद्द हो जाने दिया।

सुधन के माफिया का दिमाग उस समय घूम ही गया जब कलकत्ता म राज्य

की बंगाली पत्रिका 'वसुमति' को डी० ए० वी० पी० द्वारा सरकारी विज्ञापन देने से इनकार कर दिया गया। डी० ए० वी० पी० केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का तीसरे दर्जे का वह हथियार है जो अनुकूल बनने में विफल समाचारपत्रों पर चलाया जाता है। इसके बाद संजय की चौकड़ी ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री सिद्धार्थशंकर राय के विरुद्ध प्रचार करने के लिए दो प्रभावशाली स्थानीय पत्रों की सेवाएं भी प्राप्त कीं।

जहां तक विद्याचरण शुक्ल का प्रश्न है, कहा जाता है चुनाव प्रचार के दिनों तक में उन्होंने प्रेस के आचरण पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। दिल्ली में कार्यरत 35 संवाददाताओं को एक चाय पार्टी में उन्होंने कहा बताते हैं, 'कुछ पत्र तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि जनता पार्टी सत्ता में आ ही गई है।' जब चुनावों की घोषणा के बाद सेंसर को ढीला किया गया तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री और उनके पिट्ठू संपादकों एवं पत्रकारों को यह चेतावनी देने में न हिचकिचाए कि वे पैरोल पर हैं और उनके आचरण की देखभाल की जा रही है और वे जानते हैं कि गलत आचरण करने वालों के साथ क्या व्यवहार किया जाए।

पत्रकारों की कितनी भी अन्य कमजोरियां तथा कमियां क्यों न हों, लेकिन राजनीतिज्ञों की अकड़ और डींग को गर्व से नीचे उतारना उनके लिए कठिन होता है। मनमाने अपमान को भी वे क्षमा नहीं कर पाते। राजनीतिज्ञ (जो प्रचार के लिए प्रेस पर इतना अधिक निर्भर करते हैं) उनसे उस ढंग से काम करें तो वे सह नहीं पाते।

बदला लेने में असमर्थ होने पर पत्रकार भले ही कुछ समय के लिए दबे पड़े रहें, पर उनकी स्मृति बहुत तेज होती है और जब मुकाबला किसी राजनीतिज्ञ से हो तो संवाददाताओं का कथन ही अंतिम होता है। राष्ट्रपति निक्सन ने प्रेस से अपमानपूर्वक व्यवहार किया और यह पाठ सीखने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। विद्याचरण शुक्ल इसे जान गए हैं। अच्छा हो, दूसरे राजनीतिज्ञ पहले ही इसे अच्छी तरह याद कर लें।

8

कुछ मामले   समाचार पत्र

नीचे हम कुछ मामलों का अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं जो श्री शुक्ल के दादागीरी के तरीकों को असल रूप में स्पष्ट प्रदर्शित करते हैं।

श्री शुक्ल के सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय ने सबसे पहले श्री रामनाथ गोयनका की इण्डियन एक्सप्रेस शृंखला को लिया। इसके विशेष कारण थे जिनका इन समाचारपत्रों द्वारा किए गए किन्हीं विशेष पापों से कोई सम्बन्ध नहीं था। वस्तुतः दूसरे समाचारपत्रों की तरह ही इण्डियन एक्सप्रेस ने भी अपने को सेंसर के हवाले कर दिया था और उन परिस्थितियों के बीच यथासम्भव ठीक तरह चल रहा था।

श्री गोयनका को दण्डित करने का निश्चय पक्का करने के बाद सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री के सचिवालय ने इण्डियन एक्सप्रेस पर प्राथमिक दोषारोप निम्न दो मुद्दों पर किए

1 आपातस्थिति की उपलब्धियों का प्रचार न करना और

2 सम्पादकीय नीति में भटकाव।

यह आरोप लगाया कि उसने सरकार की नरम आलोचना करते हुए कुछ लेख छापे हैं।

सत्ता की नाराजी श्री गोयनका को जुलाई 1975 में सूचित की गयी और उन्हें बताया गया कि यदि वे अपनी इस नकारात्मक नीति पर अड़े रहे तो उनके परिवार के तीनों व्यक्तियों अर्थात श्री रामनाथ गोयनका स्वयं, उनके पुत्र भगवानदास और पुत्रवधू सरोज सीखचों के पीछे डाल दिये जाएंगे।

इस प्रकार धमकाये जाने पर भी 'एक्सप्रेस' सरकार के प्रति उदासीन ही रहा और उसने संजय गांधी का भी खास प्रचार नहीं किया। असल में समूह के कुछ भाषाई समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं में विशेषकर दक्षिण में प्रकाशित होने वाले पत्रों में सरकारी नीतियों की हल्की फुल्की आलोचना भी की गई।

अगस्त में एक्सप्रेस समूह के विरुद्ध कार्यवाही की धमकी को दुहराया गया। श्री गोयनका को सूचित किया गया कि यदि वे अपने तरीकों को बदलेंगे नहीं तो उनके विरुद्ध पहले चलाए गए आयकर के मामलों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा।

अक्टूबर में प्रसिद्ध उद्योगपति एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के मालिक श्री के० के०

बिरला जो अब तक नम्बर । सफदरजंग मार्ग स्थित चौकड़ी के बहुत निकट पहुंच गए थे इस मध्यस्थ की भूमिका में सामने आए। उन्होंने श्री गोयनका को सूचित किया कि सरकार एक्सप्रेस के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में निदेशकों के रूप में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहती है और सरकारी प्रतिनिधि बोर्ड में बहुमत में होने चाहिए अर्थात श्री गोयनका के पांच निदेशकों के मुकाबले (अध्यक्ष समेत) उनके ■ । उन्हें यह भी कहा गया कि प्रधान सम्पादक श्री एस० मुलगांवकर को बर्खास्त कर दिया जाए। बाद में यह सुझाव दिया गया कि बिड़ला नये मंडल के अध्यक्ष बनाए जायें।

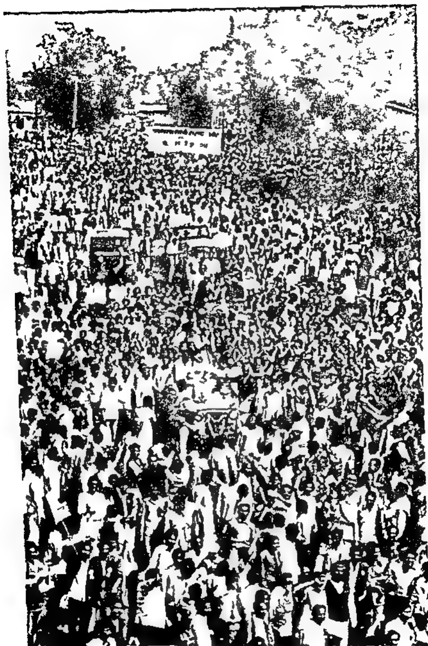
31 अक्तूबर को बिड़ला के साथ गोयनका भवन से मिलने आए और पहली बार सीधे मन्त्री महोदय ने उन्हें बताया कि सरकार 'एक्सप्रेस' के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधि बड़ी संख्या में चाहती है।

श्री गोयनका ने समझ लिया कि वे श्री शुक्ल की मांग से सीधे इंकार नहीं कर सकते और उन्होंने देर लगाने के तरीके का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि वे नामों की एक सूची तैयार करेंगे और सरकार उस सूची में से पांच या छः निदेशक चुन सकती है अथवा उसके स्थान पर सरकार नामों की एक सूची तैयार कर ले और वे उनमें से नाम चुन लेंगे।

इनमें कोई भी प्रस्ताव सरकार ने पसन्द नहीं किया। एक और महीना बीत गया। मामला अटका रहा। श्री शुक्ल अधीर हो उठे और श्री गोयनका पर दबाव बना दिया गया। गोयनका ने अब अच्छी तरह समझ लिया कि झुकने का समय आ गया है। इसके अतिरिक्त उनके पुत्र श्री भगवानदास बबरा रहे थे और सरकार की मांगों को मान लेने के लिए अपने पिता पर दबाव डाल रहे थे।

श्री गोयनका ने इण्डियन एक्सप्रेस के लिए एक नीति पत्र तैयार किया जिसमें एक्सप्रेस समूह के लिए सम्पादकीय नीति के प्रमुख निर्देश निर्धारित किए गए थे। यह एक काफी अनिबद्ध दस्तावेज था लेकिन इसमें किसी भी निरंकुश शासन के प्रति समर्थन न देने का संकेत जरूर था। 'एक्सप्रेस समूह का सम्पादकीय नीति का निर्धारित करते गोयनका ने बोर्ड में पांच सरकारी प्रतिनिधियों के साथ साथ निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में श्री के० के० बिड़ला को स्वीकार करने की अपनी प्रस्तुतता व्यक्त कर दी। अध्यक्ष के कर्त्तव्य निश्चित कर दिए गए थे। उसे नीति पत्र में दी गई नीतियों के लागू किए जाने का निरीक्षण करना था। इस प्रयोजन के लिए वे सम्पादकों से सीधा सम्पर्क कर सकते थे।

दिसम्बर 1975 के अन्त में सरकार ने अपने पांच निदेशक अर्थात सर्व श्री पी० आर० रामकिशन विनय के० शाह ए० के० एन्टोनी कमलनाथ तथा जी० डी० कोठारी को नियुक्त कर दिया। कमलनाथ कलकत्ता के थे और संजय गांधी के पिट्ठू और प्रतिनिधि थे और बोर्ड की बैठकों में जो कुछ होता था उसकी



5 मार्च 1975 को लोक संघर्ष समिति द्वारा आयोजित जनता मोर्चा ने राजधानी दिल्ली में विशाल जलूस निकाला।



7 नवम्बर 1975 को श्रीमती गांधी अपने निवास के सामने आयोजित एक रैली में भाषण दे रही हैं।



7 नवम्बर 1975 को जब श्रीमती गांधी की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय घोषित किया गया दिल्ली प्रशासन के तत्कालीन चीफ एक्जीक्यूटिव कौंसिलर श्री राधारमण श्रीमती गांधी के निवास पर आयोजित इन्दिरा समर्थक रैली में नाच रहे हैं।

भूमिगत कार्यकर्ता के० आर० मलकानी (सम्पादक मदरलैण्ड), प्रो० पी० कोहली (दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष) तथा रामनाथ विज (हंसराज कालेज में व्याख्याता)

तिहाड़ जेल में बन्दी योगासन कर रहे हैं।



छात्र नेता हेमनकुमार बिश्नोई,
तिहाड़ जेल में

दिल्ली के भू. पू. मेयर श्री हंसराज गुप्त



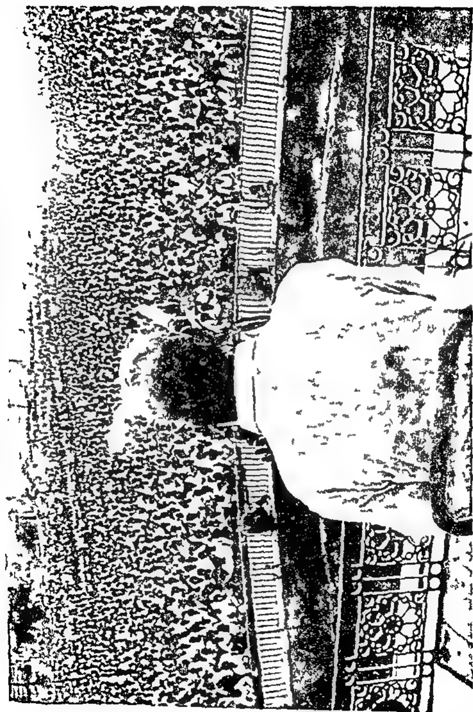
7 नवम्बर 1975 को प्रधान मंत्री निवास के सामने संजय गांधी का स्वागत। उनकी बायीं ओर उनके घनिष्ट साथी और लेफ्टिनेंट भजन दास हैं।

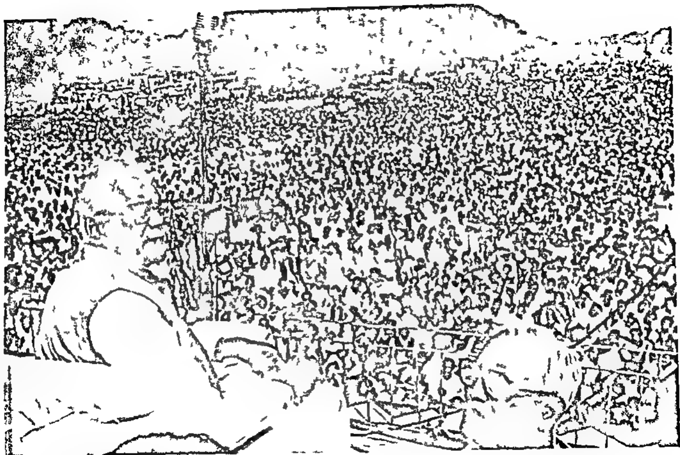


युव कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय 10 जनपथ पर 17 नवम्बर 1976 को संजय गांधी प्रेस सम्मेलन में बोल रहे हैं।



श्रीमती गांधी की याचिका पर जस्टिस कृष्ण अय्यर के निर्णय पर विचार करने के लिए [illegible] जून 1975 को श्री मोरारजी देसाई के डुप्ले रोड स्थित निवास पर प्रमुख विरोधी नेताओं की आवश्यक बैठक। बायें से श्री जयप्रकाश नारायण श्री मोरारजी देसाई और श्री लालकृष्ण आडवाणी। नीचे बायीं ओर श्री राजनारायण बैठे हैं।





5 मार्च 1975 का आयोजित विशाल जलूस बोट क्लब पहुंचकर सभा के रूप में बदल गया। श्री जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे हैं उनकी दायीं ओर लोक संघर्ष समिति के मंत्री श्री नानाजी देशमुख का सिर दिखाई दे रहा है।

सूचना संजय को देने के साथ साथ उसकी इच्छाएं भी श्री के० के० बिरला तक पहुंचाता था। जनवरी 1976 में बोर्ड की बैठक हुई और पत्रक में निर्धारित सम्पादकीय नीतियां का स्वीकार कर लिया गया। वैसे व्यवहार में इंडियन एक्सप्रेस सरकार के प्रति उदासीन और उसकी कुछ नीतियों का हलका आलोचक बना रहा।

फरवरी 1976 में श्री शुक्ल ने (के० के० बिडला के माध्यम से) स्पष्ट मांग की कि श्री मुलगावकर को इंडियन एक्सप्रेस के सम्पादक पद से बर्खास्त कर दिया जाए। उन्होंने श्री कुलदीप नायर तथा श्री अजीत भट्टाचार्य को भी सम्पादक मंडल से हटा देने के लिए कहा।

श्री गोयनका एक बार फिर अड़ गए। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार छः महीने का नोटिस देकर ही श्री मुलगावकर को हटाया जा सकता है। जहां तक नायर एवं भट्टाचार्य का सम्बन्ध है पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत इस अधिनियम में निर्धारित एक लम्बी कार्यवाही को पूरा किए बिना किसी पत्रकार को पद मुक्त नहीं किया जा सकता।

मार्च में श्री रामनाथ गोयनका बीमार पड़ गए और एक महीने तक कोई काम नहीं देख सके। जब गोयनका बीमार थे उसी बीच 9 अप्रैल को बोर्ड की बैठक हुई और उसमें श्री मुलगावकर को सम्पादक पद से हटा देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। बोर्ड ने मुलगावकर के स्थान पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस' के सम्पादक श्री वी० के० नरसिंहम को नियुक्त किया। बोर्ड की नजरों में श्रीनरसिंहम एक नम्र हानिरहित व्यक्ति थे। संजय तक ने कमलनाथ के माध्यम से इस नियुक्ति को पुष्ट किया। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने चुनाव पर अफसोस करना पड़ा।

अप्रैल में श्री मुलगावकर सेवा निवृत्त हो गए और श्री नरसिंहम ने काम संभाल लिया। लेकिन मन्त्री महोदय अब भी संतुष्ट नहीं थे। वे अजीत भट्टाचार्य को अलग कर देने पर उतारू थे। जून में शुक्ल को बहाना मिल गया। श्री अजीत भट्टाचार्य ने उच्चतम न्यायालय के हेबियस कार्पस फैसले पर एक लेख लिखा। शुक्ल ने फौरन मांग की कि भट्टाचार्य को बंगलौर में संवाददाता बनाकर भेज दिया जाए। बिरला ने इसके लिए दबाव डाला। श्री गोयनका ने इसपर आपत्ति की और यह तर्क दिया कि श्री भट्टाचार्य जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत अथवा प्रेस परिषद द्वारा जवाब से जवाब तलब किए बिना इस ढंग से पदावनत नहीं किया जा सकता।

जुलाई में मामला बहुत गर्म हो उठा। मन्त्री ने दावा किया कि गोयनका उनके निर्देश के पालन में विफल रहे हैं। उन्होंने मांग की कि गोयनका एक्सप्रेस समूह के सभी समाचारपत्रों के प्रशासन के सभी अधिकार बिरला को सौंप दें।

गोयनका ने इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया कि इस तरह बिरला सभी समाचार पत्रों के सर्वोच्च सम्पादक बन जायेंगे और यह बात उलझनें पैदा करेगी। गोयनका ने तर्क दिया कि बोर्ड के निर्माण के समय स्वीकृत नीतियों एवं व्यवस्थाओं के प्रति उसे ईमानदार रहना चाहिए।

मंत्री महोदय ने अब गोयनका पर फन्दा कसना शुरू किया। 24 जुलाई को प्रेस सूचना ब्यूरो ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें गोयनका के विरुद्ध एक पुराने आर्थिक अपराध का ब्यौरा दिया गया था। प्रेस सूचना ब्यूरो ने इस वक्तव्य को समाचार के टेलीप्रिंटर द्वारा न सिर्फ सभी समाचारपत्रों को भेजा बल्कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर भी प्रसारित किया। यह सरकार की एक अभूतपूर्व कार्यवाही थी। जब गोयनका ने इसका जवाब जारी किया तो 'इंडियन एक्सप्रेस' के सिवाय किसी ने उसे नहीं छापा। 16 अगस्त को 'इंडियन एक्सप्रेस' पर पूर्व सेंसर लागू किया गया और यह इसके सभी आठ संस्करणों पर किया गया। जब पृष्ठ अनुमति के लिए सेंसर के पास भेजे जाते थे तो वे अगली सुबह आठ बजे से पहले नहीं लौटाए जाते थे। फलतः संस्करण 10 बजे के बाद निकल पाता था। बाहर के संस्करणों को भी असाधारण देर हो जाती थी। यह तीसरे दर्जे का तरीका छः सप्ताहों तक चला। 'इंडियन एक्सप्रेस' की बिक्री 90000 से घटकर 30000 रह गई। जैसे कि इतना काफी नहीं था 19 अगस्त को अपने विज्ञापन एक्सप्रेस को दिए जाने पर सरकार ने रोक लगा दी। यह रोक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों के विज्ञापनों पर भी लगाई गई। सरकार ने निजी संगठनों पर भी दबाव डाला कि वे 'एक्सप्रेस' को अपना सहयोग देना बन्द कर दें। यह एक घातक चोट थी क्योंकि किसी भी अखबार का खर्च विज्ञापनों से ही चलता है।

यह पूर्व सेंसर बदस्तूर चलता रहता यदि गोयनका ने इसे अदालत में चुनौती न दी होती। श्री गोयनका ने दिल्ली उच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि 'इंडियन एक्सप्रेस' पर पूर्व सेंसर का आदेश एक अनुचित उत्पीड़न है। अदालत ने शुक्ल को गवाही के लिए बुलाया। शुक्ल अदालत में आने से हिचक गए और उन्होंने पूर्व सेंसर आदेश वापिस ले लिया।

लेकिन अखबार के वित्तीय साधनों को हानि पहुँचाई जा चुकी थी। हर संस्करण में 34 कालमों से घटकर विज्ञापन आठ से दस कालम तक रह गए थे। सरकार ने अब बैंकों को आदेश दिया कि 'एक्सप्रेस' समूह के अखबारी कागज के हिस्से की एवज में दिए जाने वाले ऋण की सीमा को घटा दिया जाए। इस प्रकार अखबार पर भारी वित्तीय दबाव पड़ा इतना कि उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया।

अक्टूबर नवम्बर में 'एक्सप्रेस' समूह पर अंतिम आघात तब हुआ जब 'एक्सप्रेस' की बिजली काट दी गई। दिल्ली विद्युत संगठन बिजली के इस अचानक

जाने का कोई स्पष्टीकरण नही दे सका। लेकिन 'एक्सप्रेस' के कर्मचारियों देखा कि एक्सप्रेस भवन को बिजली देने वाली प्रमुख लाइन का स्विच बन्द र दिया गया था और उस पर ताला लगा दिया गया था।

इसके एकदम बाद दूसरा संकट आया। एक्सप्रेस' की ओर बाकी कुछ करो र बकाया था और मामला पत्र-व्यवहार के माध्यम से तय किया जा रहा था। य राशि कुछ लाख थी। एक इतवार को एक सम्पादक ने एक अन्य समाचार-त्र में यह नोटिस लगा देखा कि क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस' शेष कर राशि का गतान नही कर सका है इसलिए अगले दिन एक्सप्रेस' भवन की नीलामी की जाएगी।

इस संपादक ने फौरन जाकर गोयनका को सूचित किया। अगले दिन जब एक्सप्रेस के प्रतिनिधि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उस सुबह म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री बी० आर० टमटा के दफ्तर में नीलामी की जा चुकी है और 'एक्सप्रेस' भवन को बेचा जा चुका है।

इस बीच सशस्त्र पुलिस ने एक्सप्रेस' भवन में प्रवेश कर लिया था और 'एक्सप्रेस के कर्मचारियों को निकाल बाहर करके भवन पर सील लगा दी थी। एक बार फिर श्री गोयनका ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश नारायण ने पद्धति को लांघकर भी मामले को जल्द निपटाया और स्थगन आदेश दे दिए। इस प्रकार दो दिन बाद एक्सप्रेस में फिर काम चालू कर दिया गया।

अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने उन वी०के० नरसिंहम् को हटा देना चाहा जिनकी श्री मुलगावकर की बर्खास्तगी के बाद नियुक्ति का उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी। कमलनाथ ने गोयनका को सूचित किया कि मंत्री महोदय का सुझाव है कि श्री नरसिंहम् के स्थान पर दिल्ली स्थित टाइम्स आफ इंडिया के एक संवाददाता मोहम्मद शमीम को ले आया जाए। श्री गोयनका का साफ उत्तर था नहीं। अगला नाम एक्सप्रेस के एक सहायक संपादक सुमन दुबे का प्रस्तावित किया गया।

अक्तूबर 1976 में श्री शुक्ल ने श्री गोयनका को श्री के० के० बिरला के साथ बुलाया। मंत्री ने एक बार फिर मांग की कि श्री गोयनका प्रशासनिक एवं संपादकीय सभी अधिकार श्री के०के० बिरला को सौंप दें। श्री गोयनका ने विरोध में कहा कि मूलत स्वीकृत व्यवस्था तो यह नहीं थी। यहां बिरला ने शुक्ल का पक्ष लिया। गोयनका इस पर आपे से बाहर हो उठे। उन्होंने अपने खास अन्दाज में अंग्रेजी हिन्दी और तमिल तीनों भाषाओं में बिरला को खुलकर गालियां दीं। इस घटना के बाद बिरला और गोयनका ने अपने सम्बन्ध पूरी तरह तोड़ लिए।

अब एक्सप्रेस का उत्पीड़न संसार भर में बदनामी का विषय बन गया था

और 'न्यूयार्क टाइम्स' तथा 'टाइम' जैसी विदेशी पत्रिकाओं ने इसे खुलकर प्रचार दिया था। भारतीय दूतावासों ने नई दिल्ली को लिखा कि 'एक्सप्रेस' के मामले ने विदेशों में भारत सरकार की भारी बदनामी कर दी है।

दिसम्बर 1976 में लगभग 200 पत्रकारों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री को भेजा। 'इंडियन एक्सप्रेस' को जो कष्ट और उत्पीड़न दिया जा रहा था उसका इस पत्र में विरोध किया गया था। संयोग से मोहम्मद यूनुस नामक उस अजीब आदमी ने, जो चाहे देश में हो या विदेश में, अपने को प्रधान मंत्री का विशेष दूत कहने की हठ करता था, हस्ताक्षर करने वाले एक पत्रकार से शान दिखाते हुए कह डाला, 'अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो मैंने तुम सबको बन्द करा दिया होता।'

एक्सप्रेस का दिया जाने वाला शारीरिक उत्पीड़न रोक दिया गया, लेकिन आर्थिक यातना जारी रही।

एक्सप्रेस की वित्तीय अवस्था इतनी नाजुक हो गई कि कर्मचारियों से कहा गया कि वे अपने वेतनों में स्वेच्छापूर्वक कटौती कराएं। एक कठोर बचत अभियान चलाया गया। 1977 तक समाचार पत्र सांसों के लिए संघर्ष कर रहा था। इस गति से मार्च 1977 तक इंडियन एक्सप्रेस खत्म हो गया होता।

जब यह समाचारपत्र इस घोर संकट में से गुजर रहा था, तभी एक रोचक घटना घटी। नियमानुसार सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों को एक अध्यक्ष को एक निश्चित अवधि के बीच हिस्सेदारों की एक आम सभा के द्वारा मान्यता दी जानी थी। नये अध्यक्ष श्री के०के० बिरला ने इस औपचारिकता की उपेक्षा कर दी थी। गोयनका इस अवधि के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही यह खत्म हुई श्री गोयनका ने अध्यक्ष श्री के० के० बिरला समेत सरकार द्वारा नियुक्त छहों निदेशकों को अलग कर दिया। इस प्रकार श्री गोयनका ने बिरला और शुक्ल दोनों को मात दे डाली।

'स्टेट्समैन' एक अधिक मस्त पत्र सिद्ध हुआ। उसके अब तक के खान पर खरेपन, स्वतन्त्रता और ईमानदारी की छाप थी और यही बात श्रीमती गांधी की सरकार को अखरती प्रतीत होती थी। शुक्ल को 'स्टेट्समैन' के बचाव में कोई दरार नहीं मिल रही थी और इसलिए समाचारपत्र पर कोई ठोस आक्रमण करना कठिन पड़ रहा था। लेकिन उस पर दबाव तो डाला जा रहा था।

वस्तुतः 'स्टेट्समैन' को दबाने का प्रयास आपातस्थिति से पहले से ही शुरू हो गया था। 1971 के आम चुनावों के दौरान श्रीमती गांधी की कांग्रेस के प्रति उसके आलोचनात्मक रुख को प्रधानमंत्री कभी भुला नहीं सकी थीं। फिर यह एकमात्र अखबार था जिसे डरा धमका कर शासकदल की इच्छाओं का अंधरूप में पालन करने पर विवश नहीं किया जा सकता था। 1974 में समाचारपत्र के

साहसी मनेजिंग डायरेक्टर श्री सी० आर० ईरानी को निकाल बाहर करने की कोशिश सरकार ने की थी। यह प्रयास विफल रहा था।

अब आपातस्थिति की छाया में सरकार ने आशा की थी कि 'स्टेट्समैन' को वश में लाया जा सकेगा।

पहली मुठभेड़ आपातस्थिति की घोषणा के एक महीने के भीतर ही हो गई। जुलाई 1975 में दिल्ली 'स्टेट्समैन' के तत्कालीन स्थानीय सम्पादक श्री सुरिंदर निहालसिंह से भारत सरकार के प्रमुख सूचना अधिकारी ने कहा कि कुछ विशेष फोटो चित्रों को एक विशेष ढंग से छापा जाए और कांग्रेस दल की घोषणाओं को अधिक महत्त्व दिया जाए। उस अधिकारी ने आगे कहा कि भविष्य में वह समाचार-सम्पादक तथा अखबार के अन्य लोगों से सम्पर्क रखेगा, जिससे ऐसे सुझाव दिए जा सकें।

सम्पादक ने किए गए अनुरोध रद्द कर दिए। 6 अगस्त को 'स्टेट्समैन' के दिल्ली संस्करण पर पूर्व-सेंसर लागू कर दिया गया "जिससे कि सूचना मंत्री के शब्दों में 'दिल्ली संस्करण को सबक सिखाया जा सके।' स्पष्ट संकेतों को कि दिल्ली में 'व्यक्तिगत स्तर पर मामले पर बात कर ली जाए' 'स्टेट्समैन' ने ग्रहण नहीं किया। 26 अगस्त को पूर्व-सेंसर उठा लिया गया।

अगस्त 1975 में सरकार ने 'स्टेट्समैन' को (तथा 'एक्सप्रेस' समूह सहित अन्य असित समाचारपत्रों को) उनकी अपनी दृष्टि में घातक चोट पहुंचाई। सरकार ने एक आदेश जारी करके केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक संस्थानों के सभी विज्ञापन 'स्टेट्समैन' को दिए जाने बन्द कर दिए। इसका फल हुआ कि समाचारपत्र की आय 9 लाख से गिरकर 36 हज़ार रह गई। 'स्टेट्समैन' ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी। सुनवाई चल ही रही थी कि चुनावों की घोषणा हो गई और आपातस्थिति उठा ली गई और सरकार ने 'स्टेट्समैन' को विज्ञापन न देने के अपने आदेश वापस ले लिए।

सितम्बर 1975 में 'स्टेट्समैन' के तत्कालीन सम्पादक श्री एन० जे० नानपोरिया का नौकरी-सम्बन्धी करार खत्म हो गया और श्री सुरिन्दर निहालसिंह को कलकत्ता में तथा श्री एस० सहाय को दिल्ली में सम्पादक नियुक्त किया गया। शुक्ल ने श्री ईरानी पर दबाव डालने की कोशिश की कि श्री नानपोरिया को सम्पादक के रूप में रख लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि "आपातस्थिति के दौरान सरकार को पूरा समर्थन देने की कीमत नानपोरिया से वसूल की जा रही है।" श्री शुक्ल ने यह भी कहा कि श्री निहालसिंह का व्यवहार उचित नहीं रहा है और कलकत्ता में सम्पादक के रूप में उनकी नियुक्ति सरकार को स्वीकृत नहीं है। 'स्टेट्समैन' के आन्तरिक मामलों में सरकार के हस्तक्षेप को श्री ईरानी ने सहन नहीं किया और श्री शुक्ल की मांग को ठुकरा दिया।

11 नवम्बर को 'स्टेट्समैन' के दिल्ली संस्करण पर फिर से पूर्व-सेंसर लागू कर दिया गया। पत्र को सूचित किया गया कि श्रीमती गांधी के चुनाव सम्बन्धी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रकाशित सम्पादकीय से सरकार खफा हुई है। सम्पादकीय में कहा गया था कि अदालत के सामने अपील के विचाराधीन रहने की अवधि में कानून में जो परिवर्तन किए गए, वे ही इस फैसले के लिए उत्तरदायी हैं।

शिकायत का एक दूसरा आधार कांग्रेस दल के भीतरी मामलों पर 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित एक ब्योरा था जो स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष के निकट के एकदम सही एक सूत्र से प्राप्त किया गया था। यह इशारा किया गया कि यदि अखबार क्षमा मांग ले तो पूर्व सेंसर को हटा लिया जाएगा। 'स्टेट्समैन' ने माफी नहीं मांगी। उलटे उसने लिखने में अपने पक्ष को फिर से स्थापित किया। अन्त में 20 नवम्बर को सरकार ने पूर्व-सेंसर हटा लिया।

शासन की अगली कार्यवाही यह थी कि उन्होंने कम्पनी कानून बोर्ड के माध्यम से 10 दिसम्बर को 'स्टेट्समैन' को यह नोटिस भिजवाया कि क्यों न 'कुव्यवस्था' के आधार पर 'स्टेट्समैन' के बोर्ड में सरकारी निदेशकों की एक अनिश्चित संख्या को औपचारिक रूप से नियुक्त कर दिया जाए। आरोप यह था कि 'स्टेट्समैन' रद्दी के रूप में बेचने के लिए अखबार की अतिरिक्त कापियां छाप रहा है।

'स्टेट्समैन' ने फौरन कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अर्जी दी जिस पर न्यायालय ने कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया और बदले में सरकार से कारण पूछा कि क्यों न उसके नोटिस को रद्द कर दिया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय में चार दिन की सुनवाई के बाद 20 दिसम्बर को केन्द्रीय सरकार ने नोटिस वापस ले लिया क्योंकि वह समझ गई थी कि वह मुकदमा हार जाएगी।

सरकार का नोटिस क्यों न रद्द कर दिया जाए यह 'कारण बताओ' आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सरकार के लिए जारी किए जाने के चार दिन के भीतर ही व्यक्तिगत रूप से ईरानी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी गई। आरोप यह लगाया गया कि 'स्टेट्समैन' ने 1970 में कम्पनी कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से अनुमति लिए बिना ही नचिकेता प्रकाशन लिमिटेड नामक एक छोटी प्रकाशन कम्पनी को ले लिया था। 'स्टेट्समैन' ने उस समय कानूनी सलाह ली थी जिसके अनुसार तब अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं समझी गई थी। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन ही था कि आपातस्थिति हटा दी गई।

दबाव डालने का एक और उदाहरण यह है कि 24 जनवरी 1976 को श्री ईरानी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। श्री ईरानी उस समय विदेश में थे। 26 जनवरी को वे भारत लौटे तो उन्होंने विरोध के साथ और अपने अधिकारों

के हाथ बहुत लम्बे है और वे स्टेटसमैन' पर अपना अधिकार करने के लिए कृतसंकल्प है।

सरकारी निरकुशता के विरुद्ध स्टेट्समन' के सफल सघर्ष ने यह दिखा दिया कि प्रेस याय और सुरक्षा के लिए देश के उच्च यायालयों पर निर्भर कर सकता है। प्रस का स्वतंत्रता के लिए इस साहसिक लम्बे युद्ध के बाद यह उचित ही होगा कि अमरीका का स्वतंत्रता भवन श्री सी० आर० इरानी को स्वतंत्रता पुरस्कार दे।

जब जून 1975 में सरकार ने सेंसर की घोषणा की तो बम्बई से निकलने वाला एक मासिक पत्रिका फ्रीडम फर्स्ट के सम्पादक श्री मीनू मसानी ने महसूस किया कि उस महीने सेंसर को प्रति भेजने और फेर बदल करने में अब बहुत देर हो गई है। इसलिए उन्होंने जून के अंक को डाक में डाल दिया और जुलाई अंक की प्रति अनुमति के लिए सेंसर को भेज दी। बम्बई में सेंसर-अधिकारी श्री विनोद राव ने भेजी गई सामग्री में से 1 मुद्दों को काट दिया। श्री मसानी ने सेंसर के फैसले को स्वीकार नहीं किया और अदालत में उसे चुनौती देने का निश्चय किया।

स्वयं एक नेता एक भूतपूर्व ससरसदस्य एवं प्रमुख नागरिक श्री मीनू मसानी 10 दिन तक एक वकील से दूसरे वकील के पास भटके पर किसी ने उनके मुकदमे का स्वीकार नहीं किया। सरकारी आदेशों को चुनौती देने का साहस किसी में नहीं था। अन्त में उनके मित्र और स्वयं एक प्रतिष्ठित वकील श्री सोली सोराबजी ने श्री डा० एच० नानावती का नाम सुझाया। दोनों वकीलों ने इस मुकदमे को न सिर्फ लड़ा और जीता बल्कि इस काम के लिए कोई पैसा भी स्वीकार नहीं किया। 10 फरवरी 1976 को यायमूर्ति डी० पी० मदन तथा यायमूर्ति एम० एच० केनिया ने श्री मसानी की अर्जी को स्वीकार किया। यायाधीशों ने स्थापना दी कि सेंसर द्वारा काटे गए 11 में से 9 मुद्दों पर गलत प्रतिबंध लगाया गया था।

यायमूर्ति मदन ने अपने फैसले में कहा सेंसरशिप आदेश के अधीन काम करने वाले सेंसर का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सभी समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं को एक ही दिशा में चलने के लिए बाध्य करे अथवा उन्हें एक के पीछे एक दुहरी पंक्ति में हाके अथवा उनसे एक सुर में एक कोरस गवाए। उसका यह काम नहीं है कि वह अपनी कानूनी ताकतों का इस्तेमाल सार्वजनिक मत को एक साचे में ढालने के लिए अथवा प्रेस का जनता के मनोमाजन (ब्रेन वाशिंग) का यंत्र बनाने के लिए करे। सेंसरशिप आदेश के अधीन सेंसर की नियुक्ति लोकतंत्र का धाय के रूप में की जाती है न कि उसकी कब्र खोदने वाले के रूप में।

यह फैसला सेंसर की ज्यादतियों के विरुद्ध प्रेस के युद्ध का रुख निश्चित करने वाला सिद्ध हुआ।

एक पाक्षिक पत्रिका 'हिम्मत' के सम्पादक श्री राजमोहन गांधी (महात्मा गांधी के पौत्र) तथा एम० आर० ए० कार्यकर्त्ताओं के उनके दल ने यह तय किया था कि यदि वे आपातस्थिति की आलोचना नहीं कर सकेंगे तो उसकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। लेकिन जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि सरकार को यह भी मंजूर नहीं था।

सितम्बर 1975 में 'हिम्मत' ने दिल्ली में राजघाट पर हुई एक सभा का, जिसमें आचार्य कृपलानी को भी बोलना था, ब्योरा छापा। पुलिस ने इस सभा को भंग कर दिया था और श्री राजमोहन गांधी समेत 19 व्यक्तियों को बंदी बना लिया था। इस सभा का ब्योरा 'हिम्मत' पर पूर्व-सेंसर लागू करने का सरकार के पास पर्याप्त कारण बना। सेंसर मार्च तक चलता रहा। श्री मीनू मसानी के मामले में न्यायमूर्ति मेहता के फैसले के बाद 'हिम्मत' ने आगे प्रक्रिया सेंसर को न भेजने का निर्णय ले लिया। इसी समय 'हिम्मत' ने आपातस्थिति का विरोध करने वाले नेताओं, जैसे कि श्री एम० सी० छागला, आचार्य कृपलानी, श्री पीलू मोदी तथा श्री शान्तिभूषण से भेंट-वार्ताओं का एक क्रम शुरू किया।

सरकार ने पत्रिका से 20000 रुपये की जमानत मांगकर जवाबी चोट की। 'हिम्मत' ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी।

जिस प्रेस में 'हिम्मत' पिछले नौ वर्षों से छप रहा था उसे विपत्ति की आशंका हुई। प्रेस ने सम्पादक से कहा कि पत्रिका के अगले तीन अंक वे तभी छापेंगे जब सेंसर पूरी सामग्री को पहले अनुमति दे देगा और तीन अंकों के बाद 'हिम्मत' को छपाई का कोई और प्रबंध करना होगा।

एक अंक में सेंसर ने एक मजमून को अंतिम क्षण ही काटा। पत्रिका छपने के लिए प्रेस में जा रही थी। सम्पादक ने वह जगह खाली छोड़ दी। इस बात ने सेंसर को सख्त नाराज कर दिया और पत्रिका पर एक बार फिर पूरा पूर्व-सेंसर लगा दिया गया। बाद के एक अंक में सेंसर ने श्री राजमोहन गांधी के एक लेख को काट दिया। सम्पादक ने अंतिम पृष्ठ पर पाठकों की सूचनार्थ एक संक्षिप्त सूचना डाल दी कि प्रत्याशित लेख को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण छापा नहीं जा सका है। प्रेस ने मांग की कि इस सूचना को छापने की अनुमति भी सेंसर से ली जाए। जब सम्पादक उस सूचना को लेकर सेंसर के दफ्तर में गए तो सेंसर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। सेंसर का कहना था कि दिल्ली से इसका इजाजत लेनी होगी और तब उसे परेशानी होगी। एक अधिकारी ने एक रास्ता सुझाया। उसने सलाह दी कि इस सूचना के स्थान पर 'हिम्मत' प्रधान

मन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम में से एक सूत्र को छाप सकता है।

इसके बाद हिम्मत को छापने के लिए कोई प्रेस तयार नहीं हुआ। कुछ तयार हुए भी तो एक या दो अंक छापकर पीछे हट गए। निराश होकर हिम्मत ने पाठकों से अपील की कि अपना निजी प्रेस स्थापित करने के लिए वे उसे चन्दा दें। पैसा आया और अब हिम्मत के पास अपना निजी प्रेस है।

छोटी सी लेकिन बेलाग पत्रिका ओपीनियन के सम्पादक श्री ए० डी० गोरवाला के साहस और दृढ़ता की तुलना श्री आर० एन० गोयनका से ही की जा सकती है। श्री गोरवाला उनमें से एक थे जिन्होंने संसर की ज्यादतियों के सामने झुकने से इंकार कर दिया। उन्होंने बाद में ओपीनियन के एक अंक में लिखा इस प्रक्रिया (पूर्व संसर की प्रक्रिया) के कुछ अनुभव के बाद मैंने महसूस किया कि यह अपने पाठकों एवं देश के प्रति सम्पादक के कर्तव्य से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अतः मैंने इसके बिना ही चलना शुरू किया। लेकिन सेंसर के वास्तविक प्रयोजन को अपने दिमाग में रखा अर्थात भारत की रक्षा नागरिक सुरक्षा सैनिक कार्यवाहियों के कुशल संचालन सार्वजनिक अनुशासन एवं आन्तरिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक हिफाजत से सम्बन्धित कोई निन्दाजनक बात नहीं छापी।

संसर ने कुछ समय तक ओपीनियन की इस स्थिति की उपेक्षा की। उसकी समस्याएं मार्च 1976 के अंत के आस पास शुरू हुई। गोरवाला को तथा जहां ओपीनियन छपता था उस प्रेस को जब्ती के नोटिस प्राप्त हुए। श्री गोरवाला ने फौरन एक पत्र लिखकर अधिकारियों से पूछा कि किन नियमों का भंग उन्होंने किया है जिससे जब्ती का यह आदेश भेजा गया है। उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। गोरवाला ने पत्र भेजकर याद दिलाया। इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस बीच प्रेस ने ओपीनियन को आगे छापने से इंकार कर दिया। गोरवाला दूसरे प्रेस के पास गए जिसने काम ले लिया लेकिन दो अंक छापने के बाद छापना जारी रखने में असमर्थता प्रकट कर दी। गोरवाला अब एक अन्य प्रेस के पास गए पर परिणाम वही निकला। उन्होंने पत्रिका साइक्लोस्टाइल करने का फैसला किया। अब संसर ने दूसरी चाल चली। उसने डाक अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओपीनियन को बांटा न जाए। अंत में श्री गोरवाला रुककर खड़े हो गए। ओपीनियन पत्रिकाओं की दुकानों पर नहीं बेचा जाता बल्कि पूरा का पूरा चन्दा लेकर डाक से भेजा जाता था। कुछ भी हुआ पर लड़ाई उन्होंने जारी रखी।

30 अप्रैल को श्री गोरवाला से कहा गया कि वे पुलिस कमिश्नर के यहां 25000 रुपये की जमानत जमा करें। गोरवाला ने अदालत में इस आदेश को

चुनौती दी और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अन्त में राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया। उसने कहा ओपीनियन सार्वजनिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक अनुशासन एवं आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा है और इस आधार पर पत्रिका का प्रकाशन करने की गोरवाला को मनाही कर दी गई।

श्री गोरवाला उनमें थे जो कभी हार नहीं मानते थे। उन्होंने अपने विदाई के सम्पादकीय में लिखा 'वर्तमान इन्दिरा प्रशासन जून 1975 में स्थापित हुआ। वह झूठ में से पैदा हुआ झूठ में पला और झूठ पर ही फला फूला। न तो भारत सरकार न ही महाराष्ट्र की सरकार इतनी जड़ मूर्ख हो सकती है कि जो आशंका उन्होंने प्रदर्शित की है वह सचमुच ही उन्हें हो भी। वे जानते हैं कि ओपीनियन' के प्रतिसंगत लेख आम आदमी को भड़काने वाले व्यक्ति अथवा षड्यन्त्रकारी को झाड़ मसाला नहीं देते। वे उस जनवर्ग से परिचित हैं, जिसकी ओपीनियन सेवा करता है। ये लोग सड़कों पर हुड़दंग करने वाले नहीं हैं। ये पढ़ते हैं सोचते हैं बहस करते हैं तोलते हैं और अपने निजी निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। और ये निष्कर्ष ही हैं जिनसे शासन इतना भयभीत है उन निष्कर्षों में जिन्हें शिक्षित भारतीयों के बहुत ही सूक्ष्म अंग ओपीनियन' के पाठकों ने उपलब्ध किया है।

जनवरी 1977 में सेंसरशिप के उठाए जाने के बाद ओपीनियन' ने अपना प्रकाशन फिर से आरम्भ किया।

9

कुछ मामले—समाचार एजेंसिया

समाचार एजेंसिया को मिलाकर एक कर देने की सरकार की मशा की पहली झलक अगस्त 1975 म मिली थी। श्री विद्याचरण शुक्ल ने हैदराबाद भवन म कुछ वरिष्ठ पत्रकारो स दोपहर के भोजन पर भेट की और उनम सचार माध्यमो क पुनगठन की सरकारी योजना के बारे म बातचीत की। उन्होने कहा सरकार महसूस करती है कि सिफ एक या अधिक से अधिक दो समाचार एजेंसिया होनी चाहिए। उनके दिमाग म था कि एक अग्रेजी माध्यम की एजेंसी हो और दूसरी हिन्दी माध्यम की।

नवम्बर म शुक्ल बम्बई म प्रेस ट्रस्ट के निदेशको स भोजन पर मिले और उन्ह चार समाचार एजेंसियो का मिलाकर एक करने की सरकारी योजना के बारे म बताया। इसके बाद सचार एव प्रसारण मत्रालय के विशेष अधिकारी श्री के० एन० प्रसाद की ओर से प्रस ट्रस्ट क अध्यक्ष श्री पी० सी० गुप्त को एक सक्षिप्त पत्र मिला जिसम प्रेस ट्रस्ट क अध्यक्ष से कहा गया था कि व बोड की बठक शीघ्र ही बुलाए और प्रस्तावित विलय के प्रबन्ध को अन्तिम रूप दें।

सूचना एव प्रसारण मत्रालय क आदेश का पालन करते हुए नियमो के अनुसार सात दिन के नोटिस क बदले कुल 48 घण्टे का बीच देकर बोड की बैठक 10 दिसम्बर को बुलाई गई। सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय ने विलय की कोई योजना क्योकि बोड को नही भेजी थी इसलिए बोड न प्रस्ताव का ब्यौरा मागा। निणय लने स पहल उन्होने एक आम बठक बुलानी चाही क्योकि प्रस्ताव म एक पृथक इकाई के रूप म प्रेस ट्रस्ट की समाप्ति की बात निहित थी।

अब धौंस धुप्पल की प्रक्रिया चालू हुई। भारत सरकार के प्रधान सूचना अधिकारी डाक्टर ए० आर० वाजी को बोड की बठक के अवसर पर बम्बई भेजा गया जिसस वे वहा भूमिका निर्मित कर सक। जब बठक से वाछित परिणाम प्राप्त नही हो सके तो सूचना अधिकारी महोदय क्रुद्ध हो उठे। प्रेस ट्रस्ट के निदेशको द्वारा मागे गए विवरणो को देने क स्थान पर उन्होने अखबारो म एक खबर छपवा दी जिसम कहा गया था कि समाचार एजेंसियो को बहुत बडी धनराशि (70 लाख रुपये) सरकार को देनी है और इस राशि को वसूल करने के लिए अधिकारी उचित कायवाही करना चाहत हैं।

प्रेस ट्रस्ट ने अपने नये भवन निर्माण के लिए सरकार से 50 लाख रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन बदले में अपने भवन को जो कुछ करोड़ रुपये की कीमत का था, सरकार के पास गिरवी रख दिया था। प्रेस ट्रस्ट नियमित किश्तों में मूल और ब्याज अदा कर रहा था और अब तक 16 लाख रुपया सरकार को दे चुका था।

प्रेस ट्रस्ट की मान्यता थी कि सरकार इस कर्ज पर 40 प्रतिशत से कम ब्याज नहीं ले रही है क्योंकि उसने प्रचलित बाजार भाव 3 रुपये प्रति वर्ग फुट के स्थान पर 75 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से भवन की दो मंजिलें किराये पर ले रखी हैं।

इस बीच प्रेस ट्रस्ट पर बहुमुखी दबाव बनाए रखने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका ने कुछ टैक्स करों की एवज में भवन पर कब्जा करने के आदेश प्रेस ट्रस्ट पर जारी करा दिया। वस्तुतः इस देय राशि पर झगड़ा था और मुकदमा चल था। प्रेस ट्रस्ट के प्रतिनिधि कुल दो दिन पहले ही मामले पर विचार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारियों से मिले थे और प्रेस ट्रस्ट पहले ही दिए जा चुके 50000 रुपये के अतिरिक्त 1 लाख रुपया और देने पर राजी हो गया था।

28 दिसम्बर को प्रेस ट्रस्ट की बिजली काट दी गई। जब पूछा गया तो नगर पालिका ने कहा कि ऐसा किसी तकनीकी दोष के कारण हो गया है। इस तर्क पर विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि प्रेस ट्रस्ट के पास दो सूत्रों से बिजली की आमद का प्रबन्ध था। ऐसा इसलिए किया गया था जिससे किसी एक सूत्र की बिजली बन्द हो जाने पर काम न रुके। लेकिन अब दोनों सूत्रों की बिजली कट गई थी।

30 दिसम्बर को प्रेस ट्रस्ट के प्रबन्धक अपने अध्यक्ष सहित नगरपालिका के अधिकारियों से मिले। प्रेस ट्रस्ट से कहा गया कि वह 1 जनवरी तक 2.33 लाख रुपये का भुगतान कर दे। यह मांग पूरी कर दी गई। इस पर भी नई दिल्ली नगरपालिका के सचिव श्री बी० एस० ऐनवाले ने जिद की कि प्रेस ट्रस्ट की सम्पत्ति मेजों कुर्सियों मशीनों आदि की सूची बनाने के लिए अधिकारी भेजे जाएं। यह सिर्फ इसलिए कि प्रेस ट्रस्ट के प्रबन्धकों में घबराहट पैदा की जा सके।

लगभग उसी समय चण्डीगढ़ की अपनी यात्रा के दौरान सम्वाददाताओं से बातचीत करते हुए सूचनामन्त्री ने इशारा किया कि सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों को एक इकाई में विलय कर देने का फैसला कर लिया है। इस प्रस्तावित कार्यवाही को संगत सिद्ध करने के लिए शुक्ल ने आरोप लगाया कि प्रेस ट्रस्ट पर पांच प्रमुख समाचारपत्रों का आधिपत्य है। जब तक समाचारपत्रों के

का भुगतान न करने के कारण लाइनें नहीं काटी गई हैं। हमारे पास ऊपर के आदेश हैं।'

प्रेस ट्रस्ट की अर्जी का उत्तर देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विशेष अधिकारी के० एन० प्रसाद ने लिखा, 'सभी सम्भव कठिनाइयों को हमने समझ लिया है। लेकिन इन मुद्दों में से अधिकतर क्योंकि पहले से ही हमारी जानकारी में हैं इसलिए व्यापक राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से यही वांछनीय है कि समाचार एजेंसी एक ही रखी जाए। अतः हमारा सुझाव है कि इसे आप अपने बोर्ड के सामने प्रस्तुत करें।'

प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के कुछ सदस्य इस बात से बहुत उत्तेजित थे कि सरकार एक ओर तो विलय की योजना का ब्यौरा देने में विफल रही है और दूसरी ओर तत्काल एक स्वैच्छिक विलय पर जोर दे रही है। जनरल मैनेजर ने सरकार से हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां दिल्ली में बोर्ड के सदस्यों को भेजी और उनकी प्रतिक्रिया मांगी क्योंकि कम अवधि की चेतावनी पर बोर्ड की बैठकें बार बार करना सम्भव नहीं था।

बोर्ड के एक सदस्य ने यह मत व्यक्त किया कि न तो आम सिद्धान्तों के आधार पर और न ही राष्ट्रीय हित में विलय वांछनीय है और 'इसलिए बोर्ड अनुभव करता है कि सरकार इस विषय पर अपनी धारणा पर पुनर्विचार करे।' उस सदस्य ने लिखा, 'हम एक एकाधिकारी समाचार प्रणाली के सृजन में भागीदार नहीं बन सकते। वैसे सरकार सर्वशक्तिमान है। जो चाहे वह कर सकती है।'

बहुमुखी दबाव ने प्रेस ट्रस्ट के बोर्ड पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। 20 जनवरी 1976 को बोर्ड की अन्तिम बैठक हुई जिसमें उसने अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बोर्ड ने श्री के० एन० प्रसाद के 7 जनवरी के पत्र और आकाशवाणी का प्रेस ट्रस्ट की सेवाएं बन्द कर देने की घोषणा करते हुए 2 जनवरी के पत्र पर विचार किया। जनरल मैनेजर ने सरकार द्वारा प्रेस ट्रस्ट पर लागू की गई तरह-तरह की सख्तियों की तथा सरकार के कठोर एवं पूरी तरह असहयोगी रुख की सूचना बोर्ड को दी और कहा कि इन हालतों में काम चलाने में वे असमर्थ हैं।

बोर्ड ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मांग के अनुसार एक प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया, 'प्रेस ट्रस्ट का बोर्ड चारों समाचार एजेंसियों के एक अकेली एजेंसी में स्वैच्छिक विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। वह पिछले सप्ताह राज्य सभा में दिए गए सूचना एवं प्रसारण मन्त्री के इस वक्तव्य की प्रशंसा करता है कि विलय स्वेच्छा से ही होना चाहिए।

यह है भारत की 70 वर्ष पुरानी अग्रगामी समाचार एजेंसी की आँतों को बाहर खींच लेने की दुखद कहानी।

शुक्ल के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हटाने के दो दिन बाद यू० एन० आई० के जनरल मैनेजर श्री जी० जी० मीरचंदानी मंत्री महोदय से मिलने आए। लगभग तिहाई जान का अनुभव करते हुए वह वापिस गए। शुक्ल युग की हिन्दी की तरह ढंड गौरव पर। यह स्थगित हिन्दी नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर बात करने का उत्साह यू० एन० आई० के जनरल मैनेजर में नहीं हुआ। इस भेंट में शुक्ल ने सभी समाचार एजेंसियों के सम्भावित विलय का संकेत दिया। उनका कहना था यह सिर्फ एक विचार है।

इस अवसर पर शुक्ल का स्वागत कुछ समय पहले जब मंत्री महोदय सुरक्षा उत्पादन मंत्री थे तब के मीरचंदानी के साथ उनके व्यवहार से एकदम उलट था। उस समय जब शुक्ल थे तो श्री मीरचंदानी से भेंट करना चाहते थे और उन्होंने अपने घर चाय पर उन्हें निमन्त्रित किया था। शुक्ल ने बड़े सद्भाव पूर्वक श्री मीरचंदानी का स्वागत किया था। आरम्भिक बातचीत के बाद शुक्ल ने यू० एन० आई० के जनरल मैनेजर से प्रार्थना की थी कि गुना में एक सम्वाददाता रायपुर में यू० एन० आई० के सम्वाददाता का वेतन बढ़ा दिया जाए। श्री मीरचंदानी ने मंत्री महोदय की बात रखी थी और उस सम्वाददाता के वेतन में 30 रुपये मासिक बढ़ा दिए थे। इसे आरम्भिक तौर पर किया था क्योंकि सरकार का पात्र तो वह था।

सूचना प्रसारण मंत्री के साथ श्री मीरचंदानी की दूसरी भेंट चार दिन मंत्रालय में आने के एक सप्ताह बाद हुई। मंत्री महोदय ने सभी एजेंसियों के प्रमुखों को एक साथ बुलाया था। इस भेंट के दौरान शुक्ल ही लगातार बोलते रहे। उन्होंने एजेंसियों के प्रमुखों को बताया कि उन्हें यह कहने के लिए बुलाया गया है कि वे सरकार को अपना सहयोग दें और ध्यान रखें कि सेंसर के नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। उन्होंने न करने वाले कामों की लम्बी सूची पढ़कर सुनाई। प्रधान सेंसर ने यह सूची पहले ही सबके पास भेज दी थी। एक उपस्थित पत्रकार ने मंत्री महोदय से नागरिकतन पूछा कि क्या बाजार भावों के उतार चढ़ाव का वे खंडन में दे सकते हैं। मंत्री महोदय का उत्तर था—नहीं। यदि बाजार भाव वस्तु प्रकट हों तो इससे स्फीति फैल सकती है। तब पल भर रुककर उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी टिप्पणी अथवा पृष्ठभूमि के सिर्फ अंक दिए जा सकते हैं।

13 जुलाई को श्री मीरचंदानी ने श्री शुक्ल के सम्मान में एक भोज दिया जिसमें यू० एन० आई० के स्थानीय निदेशक आए। शुक्ल आम तौर से प्रथम पुरुष में बात करते थे। उन्होंने यू० एन० आई० के निदेशकों को बताया कि उन्होंने

समाचार एजेंसियो के विलय का फैसला कर लिया है। एजेंसी के अनेको पत्रकार पहले यह सोचते थे कि विलय की यह बात नये मन्त्री का 'लिल्ली घोडा' है क्योंकि एशियन समाचार सेवा उनके पूर्ववर्ती मन्त्री श्री इन्दर गुजराल की थी।

लेकिन शुक्ल ने सभी सन्देहो को समाप्त करते हुए विलय के लक्ष्य को पूरा करने की अन्तिम सीमा सितम्बर निश्चित कर दी। इस सीमा को बदलकर नवम्बर करना पड़ा, क्योंकि मन्त्रालय के अधिकारी लिखा पढी का काम पूरा नहीं कर पाए थे। प्रस्ताव यह था कि सरकार एक अध्यादेश जारी करके सभी चार समाचार एजेंसियों—प्रेसट्रस्ट यू० एन० आई० समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार को अपने कब्जे मे ले लगी और तब समाचार सेवा' नाम की एक इकाई म उनका विलय कर दिया जाएगा। अध्यादेश का मसौदा सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय मे तयार किया गया था। 12 दिसम्बर 1975 की विलम्बित तिथि तक इस मसौदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा था।

अध्यादेश पर विचार करने के लिए मन्त्रिमडल की एक विशेष बैठक 13 दिसम्बर को बुलाई गई थी। बैठक 5 बजे थी। श्री मीरचन्दानी ने सजय से मिलने का समय मागा, जो उसी दिन दोपहर बाद 3-30 तय हुआ। जब मीरचन्दानी प्रधानमन्त्री निवास पर पहुचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग पहले से ही सजय से मिलने के लिए वहा इकट्ठे है। इस प्रकार मीरचन्दानी की बारी 5 15 तक आ सकी और तब तक मन्त्रिमडल की बैठक शुरू हो चुकी थी। श्री मीरचन्दानी ने सजय से कहा कि आप तक पहुचने मे शायद बहुत देर हो गई है। फिर भी उन्होंने सजय को बताया कि सिर्फ एक समाचार एजेन्सी से स्वय सरकार के भी हित पूरे नहीं हो पाएगे। दूसरी ओर यदि दो या अधिक समाचार एजेंसियो मे सरकार की कृपा पाने की होड रहेगी तो इसस सरकार अधिक लाभ की स्थिति म रहेगी। भेंट कुल पाच मिनट तक चली। लेकिन उसी दौरान सजय ने कहा, मैं स्वय अध्यादेश मे कुछ मुद्दों को पसन्द नही करता।

मीरचन्दानी वापस अपने दफ्तर चले गए और गहरी उत्कठा के साथ मन्त्रिमडल की बैठक के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। 6-30 पर टेलीफोन की घटी बजी। मन्त्रिमडल ने प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। कहा जाता है, बैठक म विशेष रूप से निमन्त्रित श्री पी० एन० हक्सर और मन्त्रालय म शुक्ल के पूर्ववर्ती श्री गुजराल ने प्रस्ताव की जोरदार आलोचना की थी। दोनो का कहना था कि अध्यादेश के द्वारा बलपूर्वक किया गया विलय वाछनीय नहीं है। यह भी बताया गया कि कम से कम नो मन्त्रियो ने प्रस्ताव का विरोध किया। मन्त्रिमडल ने एक घण्टे तक शुक्ल से प्रश्नोत्तर किए और अन्त म प्रस्ताव को रद्द कर दिया। उक्त अध्यादेश म बीमे के राष्ट्रीयकरण के नमूने पर समाचार एजेंसियों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा गया था।

श्रीमती गाधी अत मे बोली और उन्होंने कहा मैं भारत म तास नही चाहती। कहा जाता है कि पहल उन्होने प्रस्ताव को अपना आशीर्वाद दे दिया था लेकिन जब उन्होने देखा कि मन्त्रिमडल म इस प्रस्ताव का इतना जोरदार विरोध हुआ है तो उन्होंने अपनी राय बदल दी।

इस प्रकार मात खाकर शुक्ल अब युद्ध के माग पर चल पडे। अगल दिन अखबारो म यह खबर निकली कि एजेंसियो को 70 स 75 लाख के बीच रुपया सरकार को देना है। 15 दिसम्बर का यू० एन० आई० के मुख्यालय म अधीन कार्यालयो स य शिकायतें आने लगी कि डाक-तार विभाग, झगडे के कारण लटकी पडी बकाया राशियो समेत सभी दय राशियो का भुगतान करने के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसा न करन पर लाइनें काट दी जाएगी। यू० एन० आई० की तरफ बकाया राशि पूरे देश म 4 5 लाख से अधिक नही थी और प्रेसट्रस्ट की ओर इससे भी कम थी। दो हिन्दी समाचार एजेंसियो की ओर बकाया इससे अधिक था। इसके मुकाबल सरकार को लगभग 13 लाख रुपय यू० एन० आई० को देने थ और 15 लाख रुपये प्रसटस्ट को।

शुक्ल न इसके समथन म एक दूसरी धमकी दी उन्होने दावा किया कि यदि एक एजेंसी की ओर एक सरणि (चनल) का बकाया है तो सरकार सभी सरणियों को काट सकती है। (यह बात प्रसाद के दिमाग की उपज कही जाती है)। मीरचन्दानी अब सचार मन्त्री थी एस० डी० शर्मा के पास दौडे। उन्होने अपनी विवशता प्रकट की यद्यपि उन्होने साफ कहा कि प्रस्तावित कायवाही हत्या के बराबर है। असल म लाइनें कभी नही काटी गइ लेकिन एजेंसी के सिर पर धमकी की तलवार लटकी रही।

नये वष के साथ यू० एन० आई० पर सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय का दबाव बढ गया। आकाशवाणी यू० एन० आई० की सूचना सवा क लिए 70000 रुपय दती थी। श्री मीरचन्दानी बका होटलो आदि को अपनी सूचना-सेवा बेचते घूम। व आकाशवाणी स हान वाली आय क रुक जान की आशका म 50000 रुपये का प्रब ध पहले ही कर लना चाहत थ। तब यह पूरी तस्वीर सामने रखत हुए उन्होंने अपन निदेशको को लिखा।

एक निदेशक न जवाब दिया चिन्ता मत करो। हम आपके साथ है। मीरचन्दानी ने इस पत्र की प्रतिया दूसरे निदेशको को भेजी लेकिन वे सहयोग देने म विफल रहे। जिस निदेशक ने पहल साथ देने का वचन दिया था, उसने भी बाद म टेलीफोन किया कि उसने राय बदल दी है। बोर्ड की बैठक म इडियन एक्सप्रस क सम्पादक श्री मुलगावकर और स्टेटसमन के श्री निहालसिंह दो ही थे जिन्होने सरकार की माग का विरोध किया। कुछ निदेशको न तो विलय क पक्ष म तक तक किया। (उस समय तक श्री जार्ज वर्गीज जिन्हे हिंदुस्तान टाइम्स से हटा

दिया गया था, के स्थान पर पत्र ने जनरल मनेजर श्री सतोषनाथ आ गए थे।)
बहस का रुख यह था 'यदि हम ऐसा करना ही है, तो अच्छा है हम कर डालें और इससे छुट्टी पाए। अब इस बारे म क्या करना है।"

जस ही निदेशक भोजन के लिए बठे टेलीफोन की घटी बजी और जनरल मनेजर को बताया गया कि फाइव टिकर लाइनें काट दी गई है। जब डाक-तार विभाग से सम्पक किया गया तो उन्होने बताया कि उन्ह कारणो का ज्ञान नही है, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय से पूछो। जब सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय म श्री प्रसाद से बात की गई तो उनका कहना था, मुझे क्या पता! डाक-तार से पूछो।'

(कुछ दिन बाद जब प्रेसट्रस्ट के बोड की बठक चल रही थी तो प्रेसट्रस्ट की छ लाइनें काट दी गई थी। सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय की धौंस धुप्पल की नीति का यह एक रग था।)

यू० एन० आई० के निदेशको का विरोध पूरी तरह चरमरा गया। प्रमुख सूचना अधिकारी डा० बाजी अलग-अलग निदेशको पर दबाव डालते रहे थे। अब सब चिह्नित जगह पर हस्ताक्षर करने के लिए तयार थे। इसम अपवाद रहा, स्टेटसमन', जिसक निदेशक ने कहा था कि मैं इस अपराध म भागीदार नही बन सकता। यदि हम फैसले को प्रभावित नही कर सकते तो हम इससे अलग रहेंगे।"

जनवरी के तीसरे सप्ताह मे यू० एन० आई० और प्रेसट्रस्ट दोना के बोर्डों ने स्वच्छिक विलय का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव का मसौदा शास्त्री भवन मे तैयार किया गया था और स्वीकृति के लिए उनक पास भेज दिया गया था।

31 जनवरी की आधी रात को प्रसट्रस्ट एव यू० एन० आई० के नाम समाचारपत्रों म प्रकाशित खबरो पर से गायब हो गए और उनके स्थान पर 'समाचार' शब्द आ गया।

हिन्दी की दो समाचार एजेंसियो समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार को हजम करन म कोई विशेष कठिनाई नही हुई। दोनो ही धन की कमी और अकुशलता के कारण भारी हानि म चल रही थी। उनके कमचारी साधन-सम्पन्न इस नई इकाई म अपने विलय के लिए फौरन तयार थ क्योकि इससे उन्ह सुरक्षा और नियमित वेतन मिलने की आशा थी।

समाचार का पजीकरण एक सोसायटी के रूप म किया जबकि प्रसट्रस्ट एव यू० एन० आई० कम्पनिया थीं। इसलिए सोसायटी द्वारा कम्पनियो के ले लिए जाने म कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई। यह गाठ इस प्रकार सुलझाई गई कि समाचार ने दोना कम्पनियो क हिस्से खरीद लिए। लकिन प्रेसट्रस्ट क हिस्सेदारों म 'स्टेट्समैन' तथा मलयाल मनोरमा ने दृढ़ता दिखाई और अपन हिस्से समाचार' को बेचने स इकार कर दिया।

समाचार' ने चारों एजेंसियो की सम्पत्ति को 'स्वेच्छापूवक' ले लिया और उनके कमचारी समाचार को उधार क रूप म दे दिए गए (प्रत्येक को अपनी सेवाए समाचार को देने पर राजी होते हुए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े थे)। वसे प्रेसट्रस्ट की दोनो कम्पनिया दो पृथक इकाइयो के रूप म कानूनन अब भी अस्तित्व मे हैं। इसलिए प्रसट्रस्ट का निदेशक-मडल किसी भी दिन अपनी सम्पत्ति पर स्वत्व की माग समाचार' से कानूनन कर सकता है। समाचार कुछ करोड रुपयों की कीमत के नयी दिल्ली स्थित प्रेसट्रस्ट के विशाल भवन पर कब्जा जमाए है और अधिकतर अ य स्थानो पर भी यान्त्रिक सामग्री की बडी मात्रा सहित, जिसका एक अश यू० एन० आई० का है प्रेसट्रस्ट के भवन 'समाचार' के अधिकार म हैं। यह सब सम्पत्ति अब भी मूल स्वामियों की है।

समाचार के शाम निकाय मे 16 सदस्य हैं और श्री जी० कस्तूरी की अध्यक्षता मे एक प्रबध समिति इसकी व्यवस्था करती है। एजेंसी की गतिविधिया एक कायकारी सदस्य (सम्पादकीय) तथा एक कायकारी सदस्य (प्रशासन) के हाथ मे हैं। चुनावो मे श्रीमती गाधी के सरकार का पतन हो जाने तक समाचार की गतिविधियो के पीछे प्रेरक आत्मा के रूप मे थे, मोहम्मद यूनुस, 'प्रधानम त्री के विशेष दूत क्योंकि यह कहलाने की उ ह जिद थी। समाचार' के निदेशन की जिम्मेदारी सूचना एव प्रसारण म त्रालय के उस पुलिस अधिकारी के० एन०प्रसाद के हाथ म थी जो टेलीफोन के माध्यम से सुदूर नियन्त्रण के ढग पर एजेंसी को चलाता था। समाचार के मामलो का जिनमे खबरो की नीति-सम्ब धी फसले भी शामिल थे अन्तिम निर्णायक लगता है सवतोमुखी प्रतिभा का वह युवक नेता, सजय गाधी था।

परिणाम हुआ, समाचार-सेवा का वह हास्यास्प द रूप जिसे अपने को फिर से निर्मित करने एव विश्वसनीयता प्राप्त करने म कुछ नही तो बरसो लगेंगे।

10

वह बिगडा हुआ लडका

सजय अनेक टुकडो से मिलकर बना लगता है। अदम्य, स्वेच्छाचारी, जिद्दी वह था, पर काम से और उतना ही जिदगी से भी वह प्रेम करता था। लेकिन स्कूल से उसे लगाव नही था। देखने म काफी लम्बा और सुदर था। कुछ लोग उसे दूध-से चेहरे और गुलाबी होठो वाला कहते थे। बहुत-कुछ वह अपने पिता पर था। उसके होठ उसके नाना के थे और उन होंठो म जो पेंच था वह उसे अपनी मा से मिला था।

सजय को दून स्कूल से वापस बुलाना पडा था। उसकी बुआ-नानी श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित ने उसके बारे में कहा था कि उसे किताबों से नफरत है। लकिन परिवार के मित्र मोहम्मद यूनुस का कहना है कि उसम प्रयोजन की दृढता और प्रेरणा है। वे कहते हैं 'मैं उसे बचपन से जानता हू और मैंने उसे एक छोटे स गैड मे काम करत और गदे और काले हाथ और कपडे लिए घर लौटते देखा है।

परिवार के एक निकट मित्र का कथन है कि सजय मा के लिए परेशानी और चिता का विषय लगातार बना रहा है। एक धनी परिवार का बेटा होने के कारण अपनी किशोरावस्था मे सजय ने आवश्यकता से अधिक शतानिया की। उसका अपना एक दल था जो घोडे की सवारी के लिए खूब प्रसिद्ध था।

मोहम्मद युनुस का बेटा आदिल शहरयार एक प्रसिद्ध साहित्यकार का बेटा और उच्चवग के एक परिवार का एक अन्य पुत्र उसके दल मे थे। वह और उसके शतान दोस्त चौबीसो घटे प्रधानमत्री निवास क भीतर-बाहर घुसत निकलते रहते थे। वे सडक पर से अथवा स्टैंड से कोई भी कार उठा लेते और भयानक गति से पूरे नगर में उसे चलाते घूमत। ठीक आधी रात के समय भी वे अपनी इन कार पार्टियों से लौटते या उनके लिए निकल पडत। यह सब गम्भीरता से नही लिया गया। इसे बस बच्चों की शरारत माना गया।

इदिरा और फीरोजगाधी का दूसरा पुत्र सजय एक टूटे हुए घर की एक ठेठ उत्पत्ति है। वह प्रतिशोधी है ढीठ है, बदमिजाज है और कानून एव अनुशासन के प्रति उसम बहुत ही कम इज्जत है। इसक मुकाबले उसका बडा भाई राजीव अधिक परिपक्व और गम्भीर है। नाना श्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हे पूरा स्नेह दिया लेकिन अपने दौहित्रों की देखरख का अवसर उन्हें नही मिला।

बचपन से ही सजय अनुशासन के प्रति विद्रोह करता प्रतीत होता था। लेकिन आस पास के लोग कहा करते थे कि वह जानदार बच्चा है। दून स्कूल की गडबडी के बाद परिवार के एक मित्र जयन्ती शिपिंग ख्याति के डा० धर्मतेजा के माध्यम से सजय को आटोमोबाइल यात्रिकी का प्रशिक्षण लेने के लिए इग्लड भेज दिया गया। श्रीवे की रोल्सरायस फैक्टरी मे उसे प्रवेश मिला लेकिन बिना प्रशिक्षण पूरा किए ही वह वापस लौट आया। जब वह इग्लड मे था तो एक सडक पर बहुत तेज मोटर चलाते हुए एक दुघटना मे वह फस गया था। कार का नियत्रण उसके हाथ से निकल गया था और कार ने दो बार पलटी खाई थी। भारत के उच्चायुक्त ने अपना प्रभाव इस्तेमाल करके इस घटना को दबाया था।

जब बेटे ने कार बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की बात की तो मा ने सचमुच ही चैन की सास ली। अपने खाली दिनो मे वह दक्षिण दिल्ली की एक बस्ती मे स्कूटर ठीक करने वालो एक दुकान पर जाया करता था। वह वहा बैठता मिस्त्रियो को काम करते हुए देखता और उनकी भद्दी मजाको मे हिस्सा लेता। इस दुकान के मालिक बस्ती के एक दास अर्जुनदास से उसकी दोस्ती हो गई। बाद मे अर्जुनदास सजय का एक घनिष्ठ मित्र और विश्वासपात्र बन गया और प्रधानमन्त्री निवास मे उसका इतनी पूछ होने लगी कि वह अपने को श्रीमती गाधी का तीसरा बेटा कहता घूमने लगा। सजय ने कार्यकारी परिषद का तथा कितनी ही अन्य महत्त्वपूर्ण समितियो का सदस्य बनने मे उसकी सहायता की। आपत्काल के दौरान जो अनिष्टकर हलचल हुई उनमे इस अर्जुनदास ने खूब हिस्सा लिया।

अर्जुनदास को रोशनारा बाग क्षेत्र मे रुचि पैदा हो गई थी जहा मोटर गाडियो के अनेको कारखाने है। अर्जुनदास की मदद से सजय ने उसी इलाके मे अपना निजी कारखाना स्थापित कर लिया। जो लोग उन दिनो सजय को देखते थे वे कहते थे कि वह एक उत्साही युवक है जो सुबह ही अपना खाने का डिब्बा लेकर काम पर जाता है और सध्या समय दूसरे कारीगरो की तरह ही घर वापस लौटता है। जामा मस्जिद के कबाडियो और नगर की मोटर गराजो से इकट्ठे किए गये कार के हिस्सो को ठोक पीटकर सजय के साथी स्टील की फर्मों से एक छोटी जनता कार का प्रारूप तैयार करने मे जुटे रहते। इसके बाद अपनी महत्त्वाकाक्षी योजना मे वह पूरी तरह डूबा रहा और इस तरह उसके सपने ने आकार लेना शुरू किया।

1969 के आस-पास अपनी योजनाओं के बारे मे उसने लोगो से बताना शुरू किया। आस-पास के लोग उसकी बातें सुनते थे। प्रधानमत्री निवास मे आने वाले उसकी आकाक्षाओ से परिचित हो गए। इनमे उद्योगपति भी थे जिन्होने प्रधानमत्री के बेटे की योजनाओ मे गहरी रुचि दिखाई। उन्होने सलाह एव

वित्तीय सहायता तक देने का प्रस्ताव रखा। सजय को लगा कि अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। जस ही वह आगे बढ़ा उसने देखा कि उत्सुक मित्रो ने उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इन मित्रो न प्रधानमत्री निवास के भीतर पहुचने के लिए एक कुजी उसके रूप म खोज निकाली थी।

छोटी कार अथवा जनता की कार जो नाम इसे इन्दिरा की समाजवादी सरकार के दावे के अनुकूल ही इस दिया गया था मूलत छठे दशक के मध्य म केन्द्रीय मत्री श्री मनुभाई शाह के दिमाग की कल्पना थी। इस सावजनिक क्षेत्र की योजना बनना था। कितनी ही कम्पनिया इसे उठाने को तयार थी जिनम पहली थी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स। रक्षामन्त्री श्रीकृष्ण मनन चाहते थ कि यह रक्षा उत्पादन की एक योजना बने। बाद म अतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के कार निर्माता जस कि तायोता, वाल्कस-वेगन रिनाल्ट तथा मारिस ने भी सहभाग का प्रस्ताव रखा। भारत सरकार ने आई० सी० एस० श्री एल० के० झा के अधीन एक समिति नियुक्त की, जिस यह पता लगाने के लिए कहा गया कि क्या ऐसी कार की जरूरत है और क्या इसका ठीक उत्पादन किया जा सकता है। समिति ने तय किया कि छोटी कार जिसकी कीमत लगभग 7000 रुपये तक होने की आशा थी सम्भाव्य भी थी और लोगो को इसकी जरूरत भी थी।

लेकिन यह योजना वही की वही पडी रह गई। इस 1969 म उस समय पुनर्जीवित किया गया जब सजय गाधी रोल्स रायस म तीन साल प्रशिक्षण पाकर घर लौटा। नवम्बर 1970 म उद्योग मन्त्रालय ने जिसके तत्कालीन मन्त्री श्री दिनेशसिंह थ एक अनुमति पत्र उसे प्रदान कर दिया। इसे पूरी तरह एक घरेलू उत्पादन होना था। 4 जून 1971 को सजय गाधी ने भारत की पहली छोटी कार के निर्माण के लिए मारुति लिमिटेड प्रारम्भ कर दी।

कार को सडक के किनारे के छोटे स कारखाने म तो बनाया नही जा सकता। इसके लिए एक बडे भूखण्ड पर बनी एक फैक्टरी और उसस भी बडे वित्तीय साधन चाहिए। इस सदभ म हरियाणा क तत्कालीन मुख्यमत्री बसीलाल न मच पर प्रवेश किया और उनके प्रवेश के साथ ही शुरू हो गया एक व्यक्ति के लाभ के लिए भ्रष्टाचार और सावजनिक सम्पत्ति एव अधिकारो के दुरुपयोग का एक अविश्वसनीय सिलसिला। बहुतो का विश्वास है कि मारुति उस आपातस्थिति का अग्रदूत थी जिसने सभी लोकतन्त्रीय परम्पराओ का गला घोट दिया और एक आस्थावान राष्ट्र को गुलाम तक बना डालने तथा व्यापार के क्षेत्र म सजय की निरकुश साहसिकताओ एव उनके भयानक परिणामो पर पर्दा डालने की कोशिश की।

मारुति का जीवन झूठ और गरकानूनी कायवाहिया मे शुरू हुआ। फम के सस्था ज्ञापन-पत्र की एक धारा के अनुसार निदेशक वही व्यक्ति हो सकता था जो

दस रुपये मूल्य के कम से कम सौ हिस्से खरीदे। संजय ने सिर्फ दस हिस्से ही खरीदे थे। कम्पनी बनने के कुछ सप्ताह के भीतर ही 17 जुलाई 1971 को निदेशकों ने तय किया कि निदेशक बनने के लिए किसी भी हिस्से का मालिक होना जरूरी नहीं है। संजय गांधी जिसने 1969-70 में अपनी आय 748 रुपये घोषित की थी, 100 रुपये लगाकर मारुति का प्रबन्ध निदेशक बन गया। कुछ महीने पहले 11 नवम्बर 1970 को संजय ने एक पारिवारिक फर्म, मारुति टेक्निकल सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड के नाम से शुरू की थी। इसकी 2.15 लाख की प्रदत्त पूंजी का आधे से अधिक भाग संजय का था और शेष उसके भाई राजीव और उसके परिवार का।

बंसीलाल ने फैक्टरी के लिए जमीन दिलाने का वचन दिया था। उसने डिप्टी कमिश्नर गुड़गांवा के माध्यम से जिले के कुछ गांवों को एक नोटिस जारी कराया। हरियाणा राज्य के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक इस क्षेत्र को इसलिए चुना गया था क्योंकि यही दिल्ली के निकट था और बढ़िया सड़कों से नगर से जुड़ा था। जो गांव इस लपेट में आए वे थे—महालदा धुंदेरा खेतरपुर। गांव वालों ने अपने निष्कासन बाहर किए जाने के विरुद्ध कानून से सुरक्षा चाही, लेकिन कोई भी राहत पाने में विफल रहे। लगभग 445 एकड़ जमीन ले ली गई और 10000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मारुति को दे दी गई जबकि बराबर की जमीन बाद में 35000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बेची गई।

मारुति ने हरियाणा सरकार को 1975 तक उतनी भी राशि का भुगतान नहीं किया था। कम्पनी के वार्षिक विवरण के अनुसार भूमि के मद में 33 लाख रुपये अभी बकाया थे। बंसीलाल ने संजय की मारुति के लिए सार्वजनिक धन की इतनी बड़ी राशि लुटा दी थी। एक दूसरी गलत बात यह की गई कि जमीन सुरक्षा प्रतिष्ठानों तथा शस्त्रों के एक भण्डार के समीप दी गई थी जबकि सैनिक कानूनों के अनुसार किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान के 1000 मीटर के भीतर कोई नागरिक निर्माण खड़ा नहीं किया जा सकता। जब इस मुद्दे को लेकर विरोधी दलों ने संसद में शोर मचाया तो सुरक्षा मंत्रालय ने शस्त्रास्त्र भण्डार के एक हिस्से को वहां से दूर हटा दिया। इस प्रकार मारुति के विस्तृत भवनों का निर्माण कार्य शुरू हुआ।

भवन के लिए मारुति को इस्पात और सीमेंट के कोटे स्वीकृत किए गए। उन दिनों इन चीजों की बहुत कमी थी और इनका वितरण नियंत्रित था। आम आदमियों को अपने घर बनाने के लिए कुछ टन सीमेंट और इस्पात प्राप्त करने के लिए हफ्तों और महीनों इंतजार करनी पड़ती थी। लेकिन संजय की मारुति को यह सब बहुत बड़ी मात्रा में मिल गया इतना कि भवन का निर्माण पूरा होने के बाद भी काफी कुछ बच गया। प्रधानमंत्री के बेटे को यह नहीं सूझा कि औचित्य की मांग है कि बाकी बचा सामान वह सम्बन्धित अधिकारियों को लौटा दे।

अधिकारियो ने भी यह जाच करने की कोशिश नही की कि कितने की जरूरत थी और दिए गए कोटे मे से कितना इस्तेमाल हुआ है। बचा हुआ इस्पात और सीमेंट दिल्ली के बाजारो मे पहुच गया, जहा वह ऊची कीमत पर बिका और इस प्रकार मारुति और उसके निदेशको को 25 लाख रुपये का लाभ हुआ।

इस इमारत के निर्माण म भवन निर्माण एव नागरिक एव देहाती योजना से सम्बन्धित कितने ही नियमो को तोडा गया। इस निर्माण ने भारतीय वायुसेना की एक निकटस्थ हवाई पट्टी का सुरक्षा का भी खतरा पदा कर दिया। लेकिन किसी ने इन उल्लघनो को चुनौती नही दी।

सजय को उसकी फक्टरी के लिए दी गई 445 एकड जमीन उसकी महत्त्वाकाक्षी योजनाओं की आवश्यकता से भी बहुत ज्यादा थी। लगभग 200 एकड भूमि फालतू मानी गई। भूमि से उन किसानो का उखाडा गया था जो पीढियो से इसे जोतते रहे थे। यही भूमि मारुति के प्रबन्धको के द्वारा अब फिर हल के नीचे लाई गई और हर वष पाच लाख रुपये की फसल इस जमीन ने दी। लेकिन सजय या मारुति ने इस लाभ को अपनी किताबो म नही दिखाया।

1972 म सजय न घोषणा की थी कि मारुति फैक्टरी 1973 मे 10000 कारें बनाकर दे देगी। उसने कारों के विक्रय के लिए विक्रेताओ से प्राथना पत्र माग लिए। हर प्रार्थी को फम म तीन लाख रुपए जमा करने थे। इस प्रकार सजय ने 2 4 करोड रुपये इकटठे किए। उसने वचन दिया था कि कारा के दिए जान तक भावी विक्रेताओ को जमा किए उनके धन पर 10 5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। लेकिन उन्ह न कार मिली न ब्याज और न ही मूलधन। उडीसा के एक व्यापारी न अपने धन पर ब्याज मागा तो उस मीसा क अधीन गिरफ्तार कर लिया गया।

ससद म विरोधी दला के मदस्य चक्कर म थे कि कसे बिना व्यापारिक अनुभव के सिफ 100 रुपये की लागत स सजय एक फम का प्रबन्ध निदेशक तो बन ही गया था, उसने करोडो की कीमत का एक औद्योगिक साम्राज्य भी निर्मित कर लिया था। वे उलटे-टेढे सवाल पूछ रहे थे। प्रश्नो क उत्तर म कानून मन्त्री श्री एच० आर० गोखले न यह स्वीकार किया कि कम्पनी के 1973 74 के चिटठे मे व्यापारियो द्वारा 21891042 रुपये की जमा दिखाई गई है। 28 सितम्बर 1974 को मारुति की प्रदत्त पूजी 18460700 रुपय थी। 31 माच 1974 को कम्पनी की कुल स्थिर सम्पत्ति का मूल्य 44800553 रुपये आका गया था। मारुति के प्रमुख हिस्सेदारो मे थी, दरभगा मार्केटिंग कम्पनी उत्तरप्रदश ट्रेडिग कम्पनी सरन ट्रेडिंग कम्पनी तथा चम्पारन ट्रेडिंग कम्पनी जो सभी करोडपति व्यापारिक घरानो से सम्बन्धित थी। यह भी रोचक है कि अनधिक बडे हिस्सेदारो मे कितने ही मिश्र और झा थ जो स्वर्गीय श्री ललितनारायण मिश्र और उनकी पत्नी के

हिस्सेदार थे। बाद में बताया गया कि उनमें से अनेकों को पता भी नहीं था कि उनके नाम पर हिस्से हैं। शायद श्री ललितनारायण मिश्र ने उनके नाम से हिस्से खरीद लिए थे और प्रमाणपत्र अपने पास रख लिए थे।

विरोधी दलों ने इस पर गहरा रोष प्रकट किया। उन्होंने पूछा कि मारुति के हिस्सेदारों में कितनों के विरुद्ध आर्थिक अपराधों के मामले चल रहे हैं। सूचना में बताया गया कि ऐसे आठ हिस्सेदार हैं। इनमें चार के विरुद्ध सी० बी० आई० की तहकीकात चल रहा है और शेष चार के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (डायरेक्टोरेट आफ एनफोर्समेंट) के मामले लम्बित हैं। एक तस्कर द्वारा नियन्त्रित कही जाने वाली दो कम्पनियों के मारुति में बहुत ज्यादा हिस्से थे।

फरवरी 1974 में संजय ने एक और फर्म मारुति हैवी वहिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड स्थापित की। इसकी अपनी किताबों के अनुसार मारुति हैवी वहिकेल्स का मशीनी सामान 12 231 रुपए की कीमत का था। यह सड़क कूटने के इंजन जैसी भारी मशीन बनाता था। कम्पनी के सबसे ताजा चिट्ठे में 913562 रुपए का तैयार माल और 690251 रुपए का आधा तैयार माल दिखाया गया है। अर्थात संजय लगभग 12 हजार की कीमत के मशीनी औजारों से 16 लाख के मूल्य का उत्पादन प्रस्तुत करने में सफल हुआ था।

सच्चाई यह थी कि सड़क के इंजन और उनके हिस्से दूसरी फर्मों से खरीदे जाते थे और मारुति हैवी वहिकल्स उन्हें भारी मुनाफे पर बेचता था। बताया जाता है कि इस फर्म ने परकिन्स और फोर्ड के 150 इंजन दस हजार रुपए प्रति इंजन की दर से अमरीका से टूट फूट में खरीदे। मारुति ने उनमें भारत में बने गेज तथा स्थानीय पहिए लगाए, उन पर ताजी पालिश की और सड़क कूटने के इंजनों को 140000 प्रति इंजन के हिसाब से बेच दिया। आमतौर से सरकारी संस्थानों एवं संगठनों जैसे कि सीमा सड़क संगठन तथा हरियाणा पंजाब और उत्तरप्रदेश की सरकारों ने इन्हें खरीदा। सीमा सड़क संगठन सीमा के ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में इनका इस्तेमाल नहीं कर सका और इनमें से अधिकतर बेकार पड़े रहे।

मारुति हैवी वहिकेल्स ने अमेरिका के एक निर्मातासंघ इंटरनेशनल हार वेस्टर्स के साथ भारत में फसल की कटाई की मशीनें बेचने से सम्बन्धित एक समझौता किया। इससे पहले केन्द्रीय सरकार ने फसल कटाई की मशीनें पोलैंड के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र में बनाने की एक योजना तैयार की थी लेकिन मारुति के हित के लिए इस योजना को खत्म कर दिया गया।

इंटरनेशनल हारवेस्टर्स भारी ट्रक भी बेचते थे। संजय ने बंसीलाल को इन ट्रकों का प्रस्तुत खरीदार पाया। बंसीलाल ने सुरक्षा मन्त्रालय को निर्देश दिया कि ट्रक मारुति से खरीदे जाएं। 1975 में मारुति ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम से ट्रक पर चढ़े आठ मचान बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया। मारुति ने अपने

प्रतिद्वन्द्वियो की अपेक्षा ज्यादा कीमत लिखी थी। ग्लिनी की एक फम ने 1 58 करोड मूल्य दिया था और अमरीकी क्रेनें देने का प्रस्ताव किया था। मारुति ने पश्चिम जमनी की क्रेनो के लिए 1 76 करोड रुपये लिखे थे। लेकिन तेलम त्री श्री केशवदव मालवीय के कारण मारुति को ही यह ठेका दिया गया।

जनता पार्टी के ससदसदस्य श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सजय द्वारा 1976 म तेल और प्राकृतिक गस निगम के साथ किए गए ट्रको के एक और सौदे का हवाला दिया है। टेंडर मागे गए थे और सबसे कम टेंडर 24 ट्रको के लिए 25 लाख रुपय था। सजय ने 12 ट्रक इटरनेशनल हार्वेस्टस से और 12 पश्चिमी जमनी से आयात किए और सबके सब 50 लाख रुपये म तेल एव प्राकृतिक गस निगम का बच दिए।

मारुति ने एक दूसरा लाभप्रद काम बसो की बाडी निर्मित करने का किया। इस बार भी राज्यो की सरकारें और उनके सडक परिवहन विभाग उसके खरीदार बने। मध्यप्रदेश सरकार क पास अपना एक बढिया कारखाना है जो बसो की बाडिया बना सकता है। लेकिन यह तक देकर कि वह राज्य की तात्कालिक आवश्यकताए पूरी नही कर सकता मारुति का 100 बसो की बाडिया बनाने का ठेका दे दिया गया। सरकारी कारखाने म प्रति बस 27613 रुपये की लागत आती, लेकिन मारुति को प्रति बस 39000 रुपये दिए गए।

ट्राम्बे तथा फूलपुर के खाद कारखाने के विकास का ठेका सजय के निर्देश पर एक इतालवी फम स्नाम प्रागेती को दिया गया था। यह निर्देश प्रधानम त्री के सचिवालय के माध्यम से खाद्य निगम तक पहुचाया गया था।

सजय के पास पाइपरवनस एयर क्राफ्ट की एजेंसी भी थी और उसने कुछ राज्य सरकारो तथा सावजनिक सस्थानो को भाडे-से जहाज लगभग बेच भी दिए थे। लेकिन, जब तक भारत सरकार इनके आयात की अनुमति दे पाए चुनाव आ गए और सरकार बदल गई और आयात म लाइसेंस रोक लिए गए।

11 जनवरी, 1977 को न्यूयाक टाइम्स का भी एक भेंट म सजय न स्वय प्रकट किया था कि उसन अमरीका की पाइपर एयर क्राफ्ट फम के साथ भारत म उनके एजेन्ट का काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसने कहा था कि विमान खरीदने के बारे म विभिन्न राज्य सरकारो तथा निजी सगठनो से बातचीत वह कर चुका है। जब इन्होने धन की कमी की बात की तो सजय न उनके लिए बैंक से ऋण दिलाने का प्रस्ताव रखा। एक एजेन्ट को आम तौर से एक विमान की बिक्री पर 0 5 से 1 प्रतिशत के बीच कमीशन मिलता है। लेकिन पाइपर वालो न सजय को 25 प्रतिशत देने की पेशकश की थी।

इस बीच, क्योंकि प्रत्याशित कार कहीं नजर नहीं आ रही थी इसलिए मारुति भारी हानि में चल रही थी। फिर भी अजीब बात यह कि न तो उसके शेयर की कीमत गिरी थी न ही मारुति के शेयरों के खरीदारों में कोई कमी आई थी। इसकी स्थापना के पहले साल के भीतर लोगों ने 25 लाख की कीमत के मारुति शेयर खरीदे दूसरे वर्ष 68 लाख के शेयर बिके और तीसरे वर्ष 85 लाख के। खरीदार प्रमुखतः औद्योगिक घराने थे जिनके मालिक चतुर व्यापारी थे। उन्होंने मारुति में अपना पैसा डुबाया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस तरह वे संजय के निकट आ सकेंगे और सरकार की कृपा के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में कई गुना कमा सकेंगे। इसके सिवाय इस प्रकार वे प्रधानमन्त्री निवास की कुंजी भी पा जाते थे।

संजय ने भी अपने साथियों को निराश नहीं किया। आयात लाइसेन्सों के रूप में निर्यातकों को जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं, वे कानून के अनुसार हस्तान्तरणीय नहीं होते। मारुति के कुछ हिस्सेदारों की मदद करने के लिए इस नियम को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया। कुछ जौहरियों और हीरा-व्यापारियों ने अपने लाइसेन्स दूसरों को हस्तान्तरित करके सोना बटोर लिया। सौदे पूरे हो चुकने के तीन दिन बाद ही कानून को संशोधित करके उसे मूल रूप में ले आया गया।

न सिर्फ व्यक्तिगत उद्योगपति एवं व्यापारी बल्कि कुछ बैंक संस्थान भी संजय को ऋण देने और उसे खुश करने के लिए आगे आए। पंजाब नेशनल बैंक ने प्रचलित से कम दर पर मारुति को ऋण दिए। सेन्ट्रल बैंक ने भी मारुति के लिए धन जुटाया। इन दो बैंकों से कुल लगभग दो करोड़ रुपया कर्ज के रूप में दिया गया।

यह बात संजय के सामने अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि वह और उसके मिस्त्री सिर्फ अपने बल पर कार नहीं बना सकते। उसने एक जर्मन इंजीनियर को नौकर रखा। लेकिन वह भी मामले में कोई सुधार नहीं ला सका। उसने अंग्रेजी भी और जर्मन भी विभिन्न विदेशी नमूनों के आधार पर काम चलाने की कोशिश की। जब कार को परीक्षण के लिए भेजा गया तो उसका इंजन बहुत जल्द गर्म हो उठा। एक दूसरे परीक्षण में उसकी टीन की बाडी पलट गई। अहमद नगर के परीक्षण कारखाने में कार में कितने ही छोटे और बड़े दोष पाए गए। इन विफलताओं का कारण साफ था। संजय को औपचारिक योग्यताओं और योग्य व्यक्तियों से विरक्ति थी। वह अयोग्य मिस्त्रियों को नौकरी देना ही पसन्द करता था और ये लोग ऐसे काम के बीच पैदा होने वाली समस्याओं को हल कर नहीं सकते थे।

इस अवधि के दौरान सरकार के एक उपसचिव को अचानक एक फाइल मिल

गई, जिससे इस रहस्य का पता चला कि सजय की मारुति को दिए गए कुछ लाइसेंस अन्य लोगो को बेच दिए गये थे और हस्तातरित कर दिए गए थे। वह इस तथ्य को उचित अधिकारियों की नजरों म ले आया। उसने देखा कि मारुति के खिलाफ तो कोई कार्यवाही नही हुई उल्टे उसीके पीछे सी० बी० आई० की जाच आरम्भ कर दी गई। फलत उसने सबक सीख लिया और अपना मुह बन्द कर लिया।

1975 तक सजय अपने व्यापारिक प्रयास के लिए लगभग छ करोड रुपये इकट्ठे कर चुका था। लेकिन कार बनाने की एक पूरी फक्टरी को 70 से 80 करोड क बीच रुपये चाहिए। मारुति न जो बीज बोए थे वे अब फलने लग थे। स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। ठीक इसी क्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने लोकसभा से श्रीमती इदिरा गाधी को स्थानच्युत करते हुए अपना फसला द दिया। सजय एक पल के लिए मारुति को भूल गया और पूरी तरह राजनीति मे डूब गया। एक वफादार और स्नेहशील बेटे की तरह वह अपनी मा की बराबर म खडा हो गया। प्रधानमत्री पद से चिपके रहने और देश मे आपातस्थिति की घोषणा कर देन के फसले का उसने समथन किया। उसने अपनी बाहो को चढा लिया और पक्का हो गया कि हर कीमत पर मा को अपन स्थान पर डटे रहना होगा। उसने साफ देखा कि आपातस्थिति मारुति के द्वारा प्रस्तुत समस्याओ क हल म उसकी सहायक सिद्ध होगी।

11

संजय का करिश्मा

श्रीमती इन्दिरा गाधी के पतन और काग्रेस दल के बिखर जाने म किसी एक कारण ने इतना योगदान नही दिया जितना सजय ने। और इसी तथ्य मे बेटे के प्रति मा के अन्धे प्रेम की वह दु खद कहानी अटकी है—उस बेटे के प्रेम की जो मा की आखों का तारा था और कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता था, लकिन दूसरी ओर जिसने हर गलत काम किया और प्रेम से अन्धी मा कुछ भी नही देख सकी।

हाल के इतिहास म केवल एक उदाहरण है जिसमे एक होनहार जीवन ने मौज मे आकर प्रेम की वदी पर आरम बलिदान कर दिया था। राजा एडवड अष्टम न एक शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की गद्दी का एक स्त्री के प्रेम के लिए त्याग दिया था। लेकिन वसा उसन जानबूझ कर आखें खोल हुए और अपन काय के परिणामो को पूरी तरह तोल लन के बाद किया था। इस पर उसने कभी दु ख प्रकट नही किया।

श्रीमती गाधी न एक विजयपूण राजनीतिक जीवन को जिसे विश्व की प्रशसा प्राप्त हुई थी लाइलाज रूप म क्षति पहुचा दी और उसे खत्म कर डाला। ऐसा उन्होने उस बेटे के लिए किया जिससे व बहुत अधिक प्रेम करती थी यद्यपि समझदारी के साथ नही। तुलना यही समाप्त हो जाती है क्योकि यह कहना गलत होगा कि उन्होने जानबूझ कर और परिणाम को पूरी तरह तोल कर ऐसा किया था। एक करोड की कीमत का प्रश्न है श्रीमती गाधी जसी विचक्षण तथा सासारिक बुद्धि से सम्पन्न स्त्री अपने प्यार बेटे की भयानक रूप से तेज प्रगति को क्यो साफ-साफ नही देख सकी। वह दो घोडो पर सवार था। एक ओर तो सन्दिग्ध तरीको से अपने को पलक झपकते एक उद्योगपति बना लिया था और दूसरी ओर वह इस विशाल देश का एक उग्र राजनीतिज्ञ एव सविधानेतर शासक बन बठा था। देश के विशाल जनसम्पर्क माध्यमो पर सरकार के नियन्त्रण को धन्यवाद कि अपनी इस दुहरी भूमिका म उसने ख्याति पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था।

ऐसा कसे हुआ कि श्रीमती गाधी यह नही समझ सकी कि सजय जितना हजम कर सकता है उससे ज्यादा निगल गया है? कि अपने फूहड अकुशल, निरकुश तरीका से वह अपने को खतरनाक रूप म अलोकप्रिय बना लगा और मा

को अकथनीय क्षति पहुंचा देगा ? एक अतिरिक्त प्रेम करने वाली मां भी क्या अपनी या स्वयं बेटे की खातिर अपने बिगड़े हुए बेटे को थप्पड़ नहीं लगा सकती थी और उसे स्वयं उससे नहीं बचा सकती थी ? क्या मां का अतिरिक्त प्रेम ही इस उलझे हुए प्रश्न का एकमात्र उत्तर है ? शायद सिर्फ फ्रायड ही इसका सन्तोषजनक जवाब दे सकता है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं कि श्रीमती गांधी अपने बेटे के गलत व्यापारिक तरीकों और राजनीतिक लटकों से पूरी तरह परिचित थीं। उनके मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें बार बार इस बारे में चेतावनी दी थी।

वस्तुतः, उनके शुभचिंतक जब राजनीति एवं व्यापार में उनके बेटे की अन्धेरगर्दियों के बारे में उन्हें होशियार करते थे तो वे नाराज हो उठती थीं। लम्बे समय से श्रीमती गांधी के विश्वासपात्र और निजी सचिव श्री पी० एन० हक्सर ने जब संजय के मारुति घोटाले के बारे में उन्हें चेतावनी दी तो वे उनसे बिगड़ गईं। उनके शुभचिंतक श्री पी० एन० कौल ने जो अमरीका में राजदूत थे और आपातस्थिति के दौरान विदेशों में उनका बचाव करते रहे थे आम चुनाव के अवसर पर उन्हें सलाह दी कि संजय को चुनाव संघर्ष से दूर रखा जाए क्योंकि वह अब ऋण बन गया है। श्री कौल को एक क्षोभपूर्ण खिन्न चुप्पी ही जवाब में मिली थी। लम्बे समय की जांची हुई मित्र श्रीमती सुभद्रा जोशी ने जिस क्षण प्रधान मन्त्री को चेतावनी दी कि गन्दी बस्तियों को उठाने में और परिवार नियोजन से सम्बन्धित संजय के अन्धाधुन्ध तरीके कांग्रेस को भारी हानि पहुंचा रहे हैं उसी क्षण से वे श्रीमती गांधी की दुश्मन बन गईं। श्रीमती गांधी चिल्ला पड़ीं, "लोग करते कुछ नहीं और जब हम कुछ करते हैं तो विरोध करते हैं और नेक सलाह देते हैं।" इसके ठीक बाद श्रीमती सुभद्रा जोशी के विरुद्ध द्वेषपूर्ण प्रचार प्रारम्भ कर दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को बचाने की एवज में रुपये ले रही हैं। यह एक बेतुका आरोप था क्योंकि श्रीमती जोशी धर्मनिरपेक्षता की उग्र प्रचारक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की घोर शत्रु के रूप में सुप्रसिद्ध रही हैं। श्रीमती गांधी ने उनसे यह भी कहा कि उनके विरुद्ध धन इकट्ठा करने की शिकायतें भी हैं।

एक और दृष्टांत है। एक स्वतन्त्रता सेनानी श्रीमती गांधी से मिला और उसने संजय के बारे में बात की। सुनकर श्रीमती गांधी उबल पड़ीं कि उनके बेटे की आलोचना करने की लोगों की आन्त-सी हो गई है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक संजय का बचाव किया और घोषणा की "जो संजय पर आक्रमण करते हैं मुझ पर आक्रमण करते हैं।"

चुनाव अभियान के दौरान जहां भी संजय गया, उसकी अलोकप्रियता इतनी प्रकट थी कि यह आश्चर्यजनक ही है कि श्रीमती गांधी उसे देख पाने में विफल रहीं और उन्होंने चुनावों से अपने बेटे को दूर रखने की, अपने मित्रों की, ठोस

सलाह को ठुकरा दिया। मध्यप्रदेश मे विदिशा म सजय ने एक चुनाव सभा के सामने भाषण दिया। अपने भाषण के बीच सजय ने घोषणा की कि जो जनता पार्टी को समथन दे रहे है वे देशद्रोही हैं। तब नाटकीय ढग स उसने श्रोताओ से पूछा आपम से कितन देशद्रोही हैं ? लगभग पूरी सभा ने अपन हाथ उठा दिए। हाथ तब तक नीचे नही आए जब तक क्रुद्ध सजय पर पटकता हुआ सभा से चला नही गया।

सजय बड़ा ही कमजोर वक्ता है और उसकी सभाओ के सगठनकर्ताओ पर यह जिम्मेदारी रहती थी कि वे श्रोताओं को इकट्ठा कर और उन्हे अनुशासित एव चुप रखें। समाचार को सवाददाताओ क लिए भी उन सावजनिक सभाओ क काल्पनिक वणन करना तथा सजय की वक्तता के एव उसके प्रति श्रोताओ के उत्साह के ब्योरे तयार करना एक उतना ही कठिन काम था। उसकी अयोग्यता इस एक घटना से साफ उभरती है कि मध्यप्रदेश के जगलो मे आदिवासियो के सामने बोलते हुए उसन उन्ह पेड लगाने की प्रेरणा दी थी।

काग्रेस और विरोधी पक्ष के ससदसदस्य तथा आम जनता के लोग ससद म और बाहर निरन्तर प्रश्नो की बौछार श्रीमती गाधी पर करत रहते थ। सजय के मनमाने तरीको और मारुति के घोटालो क बारे म शिकायतें करते हुए और उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करत हुए आवेदनपत्र एव पत्र लगातार आत रहते थ। इसलिए यह तक कि श्रीमती गाधी अपने बटे के कारनामो को नही जानती थीं एकदम निस्सार है।

जून 1975 म आपातस्थिति की घोषणा के कुछ वष पहले से ही सजय ने दिल्ली प्रशासन पर अपनी काली छाया डालनी शुरू कर दी थी। वह अफसरो को आदेश देता था और अपन लगोटिया के हितो का रक्षा क लिए नागरिक प्रशासन म हस्तक्षेप करता था। जो भी उसके रास्ते म आ जाता अथवा उसे नाराज कर देता उसे कठोरतापूवक कुचल दिया जाता था। वह प्रतिशोधी निष्ठुर और न्याय एव ईमानदार आचरण की बुद्धि स एकदम रहित था। मनमाने अन्याय और बदले का खास उदाहरण है उत्कृष्ट प्रशासक श्री श्रीचरण छाबडा का मामला। नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष पद से उन्ह चुटकी बजाते नोच फेंका गया था।

इस पद पर रहते हुए श्री छाबडा ने पद्मश्री पाया था और तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा गहमन्त्री श्री यशवन्तराव चह्वाण समेत सभी लोगो की पूरी प्रशसा प्राप्त की थी। यह सब उन्ह इसलिए मिला था क्योकि उन्होने नागरिक प्रशासन को अतिरिक्त कुशलता से चलाया था। नगर को स्वच्छ और सुन्दर बनाया था तथा नई दिल्ली नगरपालिका का राजस्व बढाने के लिए नये तरीके सोच निकालन क प्रयास किए थे।

झुग्गी झोपडी बस्तिया एक लम्बे समय स एक पेचीदा समस्या बनी हुई थी

और संघीय प्रदेश के चेहरे पर धब्बा बनी हुई थी। अंततः दिल्ली प्रशासन ने फैसला लिया कि 1969 के बाद निर्मित कोई झुग्गियाँ अथवा गैरकानूनी निर्माण रहने नहीं दिए जाएंगे। यह तय किया गया कि ऐसे सभी गैरकानूनी निर्माणों को आवश्यकता पड़े तो पुलिस की सहायता से भी गिरा दिया जाएगा। उपराज्यपाल श्री ए० एन० झा ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए और यह फैसला अपने क्षेत्र में लागू करने के निर्देश नई दिल्ली नगर पालिका को दे दिए।

दक्षिण दिल्ली में एक नगर पालिका बाजार का निरीक्षण करते हुए नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष श्री छाबड़ा ने देखा कि स्कूटर ठीक करने की एक दुकान ने अपने बरामदे को सड़क की पटरी तक फैलाकर सार्वजनिक भूमि को हथिया लिया है। उन्होंने इस गैरकानूनी निर्माण को गिरा देने के आदेश दे दिए। कुछ दिनों बाद जिस अधिकारी को यह काम सौंपा गया था उसने आकर बताया कि वह आदेश का पालन नहीं कर सकता क्योंकि अर्जुनदास नाम के उस स्कूटर ठीक करने वाले की प्रधानमन्त्री निवास में पहुंच है और उस अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही से प्रधानमन्त्री सचिवालय नाराज हो उठा है।

श्री छाबड़ा अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सके। निश्चय ही प्रधानमन्त्री सचिवालय के पास इस मामूली मामले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण काम होने चाहिए। आखिर यह अर्जुनदास है कौन? लेकिन प्रधानमन्त्री को घरेलू मामलों से उन्हें क्या लेना है! यदि नगर पालिका एक दुकान को पटरी तक फैलने की इजाजत देगी तो दूसरे भी वैसा ही करेंगे। इसलिए श्री छाबड़ा ने अपने कर्मचारियों को खींचा और हुक्म दिया कि सीधे जाकर आदेश का पालन करो।

उस संध्या को श्री छाबड़ा के पास प्रधानमन्त्री के निजी सचिव धवन का टेलीफोन आया। उसने नगरपालिका अध्यक्ष से पूछा कि क्या अर्जुनदास को न छूने सम्बन्धी उसका पहला संदेश उन्हें मिला था। "लेकिन मैं तो उसे अपनी दुकान सड़क की पटरी तक न फैलाने के सिवाय और कुछ कह नहीं रहा हूं।" श्री छाबड़ा ने उत्तर दिया। धवन ने तीखे ढंग से छाबड़ा को बताया, "अर्जुनदास संजय साहब का एक दोस्त है।" और चेतावनी दी कि प्रधानमन्त्री का बेटा नई दिल्ली नगरपालिका अध्यक्ष के रुख से नाराज है।

श्री छाबड़ा एक बार फिर संजय के रास्ते में आ अटके। दक्षिण दिल्ली के तालकटोरा उद्यान को मजदूरों की कुछ झुग्गियों ने बदनुमा कर डाला था। झुग्गियों के दो-तीन झुरमुट वहां बन उठे थे जिनमें 250 परिवार रहते थे। उन्होंने बाग के जंगले को और बाड़ को गिराकर उद्यान के आर-पार रास्ते और पगडंडियां बना ली थीं। बाग के कुछ हिस्सों में सार्वजनिक टट्टियां खड़ी कर ली गई थीं। उपराज्यपाल के आदेशानुसार श्री छाबड़ा ने हुक्म दिया कि जंगला और बाड़ा दो अपने स्थान पर फिर से खड़ा कर दिया जाए और बाग को एक

सावजनिक सडक अथवा शौचालय क रूप म इस्तेमाल करने से लागो को रोका जाए।

छाबडा को आश्चय हुआ जब अजुनदास के नेतत्व मे कुछ राजनीतिज्ञ उनके पास आए और उन्होने माग की कि तालकटोरा उद्यान की झुग्गी झोपडी बस्ती को छडा न जाए। अजुनदास ने श्री छाबडा को सलाह दी धीमे चलिए। चुनाव बहुत पास हैं। छाबडा थोडा सा झुक और उन्होने अपने आदमियो को आदेश दिया कि उद्यान की सीमाओ को तो बन्द कर दो लेकिन प्रमुख सडक से झुग्गिया तक के लिए एक दूसरा रास्ता बना दो।

लकिन जब नगरपालिका के कमचारी बाग क चारो आर के जगल को ठीक करने के लिए पहुचे तो उनसे दूर ही रहने के लिए कहा गया। श्री छाबडा को सूचित किया गया कि प्रधानमन्त्री के घर के लोग छाबडा की इस अधरगर्दी पर बहुत क्रुद्ध हैं। श्री छाबडा के अधिकारी ने तालकटोरा उद्यान से खबर दी कि अजुनदास और सजय गाधी वहा आए थ और उन्होने माग की है कि वतमान रास्तो को ज्यो का त्यो खुला रहने दिया जाए। लेकिन हमने झोपडियों तक पहुचने के लिए नया रास्ता बना दिया है। श्री छाबडा बोले। नही अधिकारी ने स्पष्ट किया व किसी भी रास्ते को बन्द होन देना नही चाहत।' पराजित श्री छाबडा कह उठे यदि यही उनकी इच्छा है तो ठीक है। भल ही वे उद्यान म आग लगा दें। मैं कुछ कहने वाला कौन हू और श्री छाबडा न टेलीफोन रख दिया।

नई दिल्ली नगरपालिका अध्यक्ष के लिए यह एक बुरा आरम्भ था। चुनावों का लाभ उठाकर हर कही अनधिकृत मकान बनाए जा रह थ और अधिकारी विवश भाव से खडे देख रहे थ। चाणक्यपुरी की शानदार कूटनीतिक बस्ती म एक झुग्गी झोपडी समूह उभर रहा था। नगरपालिका इस प्रयास को आरम्भ म ही खत्म कर देन का उत्सुक थी। उपराज्यपाल का लिखित आदेश मिलने पर कूटनीतिक बस्ती म उभरत इस नये झुग्गी झोपडी समूह को गिरान के लिए श्री छाबडा ने अपने आदमी भेजे। लकिन वे लोग प्रधानमन्त्री निवास स आया *झोपडियों को न छूने का आदेश लकर वापिस लौट आए। क्रोधित छाबडा ने* अपने लोगो को हुक्म दिया भले ही भगवान के घर स भी आदेश क्या न आए जाओ और सौंपे गए काम का पूरा करो। उस रात जब श्री छाबडा कही बाहर भोजन लेकर देर से घर लौटे तो उन्ह प्रधानमन्त्री निवास का एक सन्देश पहले स आया मिला। उतनी देर हो जाने पर भी उन्होने प्रधानमन्त्री निवास को टेलीफोन मिलाया। धवन ने टेलीफोन उठाया और कहा कि प्रधानमन्त्री फौरन आपसे मिलना चाहती है।

जब श्री छाबडा श्रीमती गाधी के सामने लाए गए तो पूरे 25 मिनट तक उन

पर अच्छी झाड़ पड़ी। श्रीमती गांधी के सामने उनके कारनामों की एक पूरी सूची कागज पर लिखी रखी थी। श्री छाबड़ा को धक्का लगा पर वे चुपचाप सुनते रहे और तब स्पष्टीकरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने किया है वह अपना कर्त्तव्य पूरा करते हुए किया है और इसमें उनसे नाराज होने का उन्हें कोई कारण नहीं है।

प्रधानमन्त्री ने चिल्लाकर कहा, "क्या आप जानते हैं कि आप भारत की प्रधानमन्त्री से बात कर रहे हैं ?" श्री छाबड़ा अटकते हुए बोले "यदि मैं अकुशल रहा हूं तो मुझे दुःख है।"

प्रधानमन्त्री ने उन्हें वाक्य पूरा नहीं करने दिया। उन्होंने गुर्राकर कहा, "मैं जानती हूं तुम बहुत ज्यादा कुशल हो।" श्रीमती गांधी ने श्री छाबड़ा के कारनामों की वह सूची उन्हें पकड़ा दी और कहा कि इन आरोपों के जवाब उनके पास भेज दिए जाएं। इन आरोपों में संयोगवश एक यह था कि श्री छाबड़ा ने खोमचेवालों और टैक्सीचालकों द्वारा कांग्रेस दल का झंडा लहराए जाने पर कथित एतराज किया। श्री छाबड़ा ने प्रधानमन्त्री के सामने स्पष्ट किया कि टैक्सी चालकों को कुछ भी करने का आदेश वे नहीं दे सकते थे क्योंकि वे उनकी कार्य-सीमा के भीतर नहीं आते। हां, दुकानदारों से उन्होंने कहा था कि वे अपनी छतों पर कूड़ा-करकट जमा न करें। श्रीमती गांधी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थीं।

अगले दिन धवन ने टेलीफोन पर श्री छाबड़ा से पूछा कि पिछली रात प्रधानमन्त्री द्वारा दिए गए आरोपों के उत्तर उन्होंने अभी तक क्यों नहीं भेजे हैं। श्री छाबड़ा ने उत्तर दिया कि वे अपने जवाब उपराज्यपाल को भेज चुके हैं और एक प्रति प्रधानमन्त्री सचिवालय को भेज दी गई है।

इसके एक दिन बाद श्री छाबड़ा को निलम्बन आदेश मिल गए। कोई भी, यहां तक कि उनके तात्कालिक अधिकारी उपराज्यपाल श्री ए० एन० झा भी उनके पक्ष में कुछ नहीं कर सके। उनके सेवाकाल के दौरान उनके किसी भी गलत कारनामे को खोज निकालने के लिए जो एक विशेष जांच आयोग बैठाया गया था वह तीन वर्षों तक सिर पटकता रहा पर उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं मिल सका।

यह घटना बहुत पहले 1971 में घटी थी। जब ही 25 जून 1975 को आपातस्थिति घोषित हुई सब पर्दे और हिचक समाप्त कर दी गई। कुछ दिनों के भीतर ही संजय एक अतिरिक्त संवैधानिक सत्ता बन बैठा और अपनी निजी चौकड़ी की सहायता से नम्बर 1 सफदरजंग मार्ग से देश पर शासन करने लगा। मन्त्रिमण्डल अब गाड़ी का पांचवां पहिया बन गया। जब मन्त्रिमण्डल की बैठक होती थी तो संजय कमरे के बाहर चहल-कदमी करता रहता था और बैठक पर कड़ी नजर रखता था।

लोकतन्त्रीय प्रणाली के सामान्य नियमो और प्रतिबन्धों के स्थगित होने ही काम करा लेने की सजय की प्रतिभा का पूरा अवसर मिल गया। सजय ने परम राजनीतिक अधिकार का स्वाद चखा और वह उसे अच्छा लगा। मानव भक्षी बन गए शेर की तरह उसने राजधानी को और जितना दूर तक उसका वश चला इस विशाल देश को आतंकित किया। वस्तुत चापलूसों और अवसरवादियों से प्रेरित और प्रशंसित यह सिंह शिशु जमे उन्मत्त हो उठा और अपनी मा के राजनीतिक जीवन के ताबूत मे इसने पहली कील ठोकी और अन्तत उनके सुनिश्चित सही मार्ग को एक सम्पूर्ण तानाशाही की ओर मोड दिया।

सजय भी इस सब पर यकीन नही कर पाता था। राजनीति एव अर्थशास्त्र पर उसकी कच्ची-पक्की पकड को उसके चारो ओर जमे खुशामदी थाम लेते थे। और एक जोरदार नया राजनीतिक दर्शन बनाकर उसे हवा देते थे। नई दिल्ली की एक पत्रिका सर्ज से एक भेंट मे उसने साम्यवाद की निन्दा की थी राष्ट्रीय करण को गलत बताया था और निजी उद्योग का पक्ष लिया था। उद्योगपतियो और दक्षिणपथियो ने इस भेंट को आशा का सन्देश माना था और इसकी प्रशसा की थी। यह वह क्षण था जब वे लोग आपातस्थिति के एकदम बाद आई श्रीमती गाधी की वामपथी घोषणाओ के वास्तविक हो जाने की आशका से एकदम डर उठे थे। सजय के चारो ओर वे जमा हो गए। उन्होने देखा कि सजय अपनी मा के समाजवाद पर एक रोक है और उसे सतुलित कर सकता है। भविष्य उसके हाथो मे है। वह भावी नेता और अगला प्रधानमन्त्री है। उन्होने उसे अपना मसीहा बनाने और जिस भाग्य भी वे थे उसमे उसका समर्थन करने का निश्चय किया।

सजय चतुर नही था। लोगो ने जो कहा उसपर उसने विश्वास किया और उस भूमिका को निभाने का निश्चय किया। मा की शक्तिशाली स्नेहपूर्ण सुरक्षा ने और उसके अपने अक्खड स्वभाव ने यह सुरक्षित कर दिया कि व्यक्तियो और विषयो के बारे मे उसके अधकचरे विचारो की सच्चाई कोई उस न बताए।

प्रधानमन्त्री सचिवालय के एक व्यक्ति ने पुस्तक के माध्यम से प्रधानमन्त्री निवास मे प्रवेश के इच्छुक चापलूसो लाइसेंस के चाहने वाले उद्योगपतियो अवसर वादियो राजनीतिज्ञो और महत्वाकाक्षी सरकारी अफसरो पर यह दोष लगाया है कि उन्होने उस युवक का दिमाग खराब कर डाला था। वे उसके चारो ओर उमडे रहते थे उसकी महत्वाकाक्षाओ को हवा देते थे और अपने साधन उसके चरणो मे समर्पित करते थे। वे कहते प्रतीत होते थे तुम कोई भी चीज मागो। वह तुम्हे दी जाएगी। तुम प्रधानमन्त्री के बेटे हो। पूरा देश तुम्हारे इशारे पर चलता है। श्री के० के० बिडला नियमित रूप से हर सुबह सजय के दरबार मे हाजिर होते थे और उसकी योजनाओ मे मन्द सा प्रस्ताव रखते थे। सबश्री

रौनक सिंह सागर सूरी कुलदीप नारंग और अन्य उद्योगपति एवं व्यापारी भी यहां करते थे। मुख्यमंत्री उसके अनुग्रह की और उसके माध्यम से उसकी मां की कृपा पाने की कोशिश में रहते थे।

भौंचक युवक ने प्रधानमन्त्री के बेटे के रूप में जो काम वह कर सकता था और जो अधिकार और प्रभाव उसे प्राप्त थे उनकी आश्चर्यजनक खोज कर ली थी। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक धावक की तरह वह अपनी महत्वाकांक्षा की ओर लपका चला गया।

श्रीमती गांधी के बेटे के सीधे असीमित सत्ता तक ऊपर उठ जाने ने अनेकों को चकित और स्तब्ध कर डाला। अधिकार के साथ अक्खड़पन, मुगली अन्दाज़ और मनमौजी सनकें आईं, जिन्हें देखकर लोग हैरान हो उठे। उसकी अपनी नैतिकता और आरज़ी तरीकों ने कितने ही आत्मावान अधिकारियों को चौकन्ना कर दिया। लेकिन ऐसे अधिकारी चुटकी बजाते हटा दिए गए। जिन लोगों से उसने पहले काम लिया था और जिन्हें सरंक्षण दिया था उन्हीं को टूटी चप्पलों की तरह वह फेंक देता था। हल्का-सा विरोध और क्षोभ ने जन्म लिया। लेकिन स्नेहपूर्ण मां प्रधानमन्त्री ने किसी की नहीं सुनी। नई दिल्ली में सम्वाददाताओं से बोलते हुए उसने कहा था "कुछ लोग कहते हैं कि वे इंदिरा का समर्थन करते हैं लेकिन किसी अन्य (संजय) का नहीं। लेकिन यह बात इंदिरा को स्वीकार नहीं है।

संजय अपनी शक्ति को व्यवस्थित ढंग से संगठित करने में जुट गया। उसने मन्त्रालयों में और नौकरशाही के स्तर पर मुख्य पदों पर अपने आदमी लगाए जो उसके आदेशों का ईमानदारी से पालन करें। थोड़े से लोग जो नियमों के पाबंद थे और उसके या उसके दोस्तों के पक्ष में ज़रा भी इधर या उधर होने को तैयार नहीं थे उनकी बदली कर दी गई। उनकी उपेक्षा की गई, उन्हें परेशान किया गया अथवा मीसा के अन्तर्गत जेल तक में डाल दिया गया।

संजय ने ज़िद की और उसकी मां ने फौरन उसकी बात मानी और संजय हर महत्वपूर्ण फाइल को पढ़ने लगा और निर्णय लेने में हिस्सा लेने लगा। अवसर सरकारी पदों पर उसके द्वारा किए जाने लगे। उपसचिव से ऊपर की कोई नियुक्ति उसकी सहमति के बिना नहीं की जाती थी।

सुरक्षा मन्त्रालय में संजय ने देखा कि श्री स्वर्णसिंह पर्याप्त अनुकूल नहीं हैं। इसलिए वह उनकी जगह उस समय तक हरियाणा के मुख्यमन्त्री और तानाशाह अपने अत्यन्त प्रिय अनुचर मित्र बंसीलाल को ले आया। श्री बंसीलाल सुरक्षा मन्त्री बनकर लाभप्रद सैनिक ठेकों के क्षेत्र में संजय के विविध व्यापारिक हितों की देखभाल करने लगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल महत्त्वपूर्ण सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय में रहकर

सार्वजनिक सम्पर्क माध्यमों से उस उठती हुई राजनीतिक प्रतिभा एवं औद्योगिक धुरंधर का पूरा जोरदार प्रचार देने लगे। युवा कांग्रेस के नेता संजय गांधी अब दूरदर्शन में, रेडियो और नियंत्रित प्रेस में सर्वव्याप्त हो गया और उसका नाम राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की जबान पर रहने लगा। गृह मंत्रालय में राज्यमन्त्री ओम मेहता थे जो उसके हाथों का खिलौना बनने के लिए हर समय तैयार थे। ओम मेहता और वी० सी० शुक्ल दो प्रतिद्वन्द्वी रखैलों की तरह संजय की कृपा के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे और ऐसा कोई काम नहीं था जो वे उसके लिए न कर सकते हों।

संजय ने देखा कि गृह सचिव की महत्त्वपूर्ण जगह पर अनुभवी प्रशासक श्री एन० के० मुखर्जी कि अपने विवेक से संचालित होने वाला आदमी है। इसलिए वह उस समय तक राजस्थान के मुख्य सचिव और अधिक नमनशील श्री एस० एल० खुराना को उनकी जगह ले आया। जब भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक गवर्नर श्री आर० के० हजारी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार के ऋण संबंधी नियमों एवं नीतियों का उल्लंघन करके मारुति को मोटे मोटे ऋण दिए जाने पर एतराज किया तो उन्हें बदल दिया गया और उनकी जगह एक आयकर अधिकारी श्री जे० सी० लूथर को ले आया गया। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री एस० जगन्नाथन की जगह भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष श्री आर० के० पुरी को नियुक्त किया गया जिन्हें बैंकों के काम का कोई अनुभव नहीं था।

भारत के स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री आर० के० तलवार ने संजय और उसके मित्रों को पांच करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर करने से इनकार कर दिया था और उसे घटाकर एक करोड़ रुपया कर दिया था। उन्हें इस पद पर से हटाकर श्री टी० आर० वरदाचारी को ले आया गया। असल में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों की सेवा से संबंधित शर्तों को विशेष रूप से संशोधित किया गया। तब संजय श्री तलवार को पदच्युत करा सका।

वित्त मन्त्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम बेबसी के साथ देखते रहे और प्रधानमन्त्री ने बैंकिंग, आयकर, चुंगी, औद्योगिक विकास तथा बैंक ऋण जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग उनके कार्यक्षेत्र से लेकर श्री प्रणवकुमार मुखर्जी को दे दिए जिन्होंने संजय के प्रति अपनी स्वामिभक्ति और दासता की शपथ ली थी। उन्हें राजस्व और बैंकिंग का मन्त्री बनाया गया। जब उद्योग सचिव श्री मनतोष सोधी ने मारुति के संबंध में कुछ न्यायसंगत मुद्दे उठाए तो संजय ने मन्त्री श्री टी० ए० पाई से मांग की कि सोधी को हटा दिया जाए। जब श्री पाई ने ऐसा नहीं किया तो श्री पाई के पारिवारिक भवनों पर आयकर अधिकारियों ने छापे मारे।

संजय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के एक पद पर श्री एस० आर० मेहता को ले आया। श्री मेहता उन लोगों के घरों और व्यापारिक ठिकानों पर

अकारण छापे डलवाने के लिए चिर प्रस्तुत थे जिन्होंने सजय को नाराज कर रखा था।

इस सब मे एक सुविचारित और पूर्वनिर्धारित पड्यत्र निहित था जिसे एक भीषण लक्ष्य की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया था।

जहा तक दिल्ली के सघीय प्रदेश का सम्बन्ध है यद्यपि उपराज्यपाल श्री किशनचन्द सहज ही झुक जाने वाले थे, फिर भी एकदम निश्चिन्त होने के लिए सजय ने अपने पिछलग्गू नवीन चावला को विशेष सचिव के रूप म उनके दफ्तर मे रखवा दिया और इस प्रकार दिल्ली के पूरे प्रशासन को अपनी पक्की और पूरी पकड म रखने म सजय समय हो गया।

नई दिल्ली नगर पालिका तो सजय के हाथ चाट ही रही थी। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर श्री बी० आर० टमटा और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन सजय के हर आदेश का पालन करने के लिए हर समय तयार थे।

नम्बर 1 सफदरजग रोड म आर० के० धवन जो रेलवे मे एक मुख्य लिपिक के पद से उठकर प्रधानमन्त्री का विश्वासपात्र और निजी सचिव बन गया था उसकी अमूल्य दान था और उद्योगपतियो, सरकारी अधिकारियो तथा राजनीतिज्ञो के साथ चलन वाले सोदा म मध्यस्थ का काम करता था। इस स्थिति म धवन सम्भवत चौकडी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था क्योकि सजय और प्रधानमन्त्री दोनों क पास उसकी सीधी पहुच थी और वह सपक का एकमात्र माध्यम तथा प्रधानमन्त्री और सजय से कौन मिलेगा कौन नही मिलेगा इसका निर्णायक था।

जब मिलने वाले चाहे व्यापारी हो या मत्री या चोटी के अधिकारी प्रधान मन्त्री से मिलने आत थे तो वे उन्ह सुझाव देती थी कि सजय से मिलकर अपनी समस्याओ के बारे म उसस बातचीत कर लें। इस प्रकार मुख्यमन्त्री और प्रदेश काग्रेस अध्यक्ष जो सबके सब प्रधानमन्त्री की लय पर नाचने वाले पुतले थे, सजय स मिलने के लिए और अपनी सरकारी और दलीय समस्याओ पर उससे बातचीत करने तथा अपनी कायवाहिया और नीतिया पर उसका आशीर्वाद पाने के लिए चिर प्रस्तुत रहत थे।

सजय बड सहज भाव स मुख्यमन्त्रियो को पदच्युत कर देता और राज्य सरकारों को उलट देता था। उत्तर प्रदेश म सजय की चौकडी ने श्री बहुगुणा को मुख्यमन्त्री पद स हटा दिया था यद्यपि विधान सभा म उनकी सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। उडीसा म एक समय की श्रीमती राधा की कृपापात्र श्रीमती नन्दिनी सत्पथी को अपना मुख्यमन्त्री पद खोना पडा था क्योकि उन्होंने युवराज के सामने सिजदा करने से इकार कर दिया था। बम्बई म अब

तक प्रदेश काग्रेस समिति की अपनी सुरभित गद्दी से श्री रजनी पटेल को भी इसी अपराध के कारण उतार दिया गया था। पश्चिमी बगाल म श्री सिद्धार्थ शकर राय मुख्य मत्री पद स लगभग खदेड दिए जा चुके थ क्योकि वे सजय का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर नही गए थे और उन्होने उमके सामने घुटन नही टके थ। उन्ह तो इस नियति से श्री जगजीवनराम द्वारा नाटकीय ढग स दल छोड जान की घटना ने बचा लिया क्योकि इस घटना ने काग्रेसी नताओ द्वारा मिलकर चलने की जरूरत पदा कर दी।

उद्योगपति अपना थलिया लकर उसके पास आत थ और काग्रेस दल के तथा उसके औद्योगिक एव व्यापारिक प्रयासो क लिए खुलकर पसा देते थ। उनके होठो पर स्पष्ट प्रश्न रहता था मेरे लिए कोई सवा ? सरकारी अधिकारी और समाचार एजेन्सी के मुख्य कमचारी सब अपनी गुत्थिया लेकर उसके पास आते थे। वह उन्ह पलभर म सुलझा दता था और वे चन और निश्चिन्तता की सास लेते चन जात थ। उसकी रुचियो और गतिविधियो के आयाम सचमुच ही भौंचक कर दन वाल थे।

श्रीमती गाधी घमड और प्रशसा क साथ अपने बट क ज्वल त उत्थान को देखती था। एक ही रात म वह वित्तीय जादूगर राजनीतिक चमत्कार और अद्भुत प्रशासक बन गया था।

सघीय गह मन्त्रालय की ओर स राज्य सरकारो को निर्देश भज गए थे कि जब सजय उनके राज्यो म पहुचे तो उस महत्त्वपूण व्यक्ति का स्वागत मिलना चाहिए और मुख्यमत्री इन निर्देशो का पालन करन म एक दूसरे स होड करत थ। हवाई अड्ड स नगर तक के सजय के माग क दानो ओर किराये की भीड लाकर खडी करने पर स्वागत क लिए सुसज्जित तोरणो पर और भीड क सामने भाषण क लिए विराट आकार के मचो पर कल्पनातीत सावजनिक धनराशि लुटाई गई थी। नियन्त्रित अखबारो म सजय के यात्रा कायक्रमो की तथा पहुच और कूच का घोषणा की जाती था।

बम्बई उत्तर प्रदेश राजस्थान और कई जगह मुख्यमत्रियो के नतत्व म राज्य के पूर मत्रिमडल युवराज का स्वागत करने क लिए हवाई अड्डे पर पक्तिबद्ध खडे हो गए थे। स्थानीय नता जब नय इष्ट दवता क सामने सिजदा करते थ ता आतक स फुसफुसात थ और मुक्त रूप स कहा जाता था कि श्रीमती गाधी की गद्दी का वही उत्तराधिकारी है। साठ से ऊपर के मुख्यमत्री और अन्य काग्रसी सजय क पर छूत थ और उसकी चप्पलें शान स उठाकर उसक परो म पहनात थ। यह सब इतना करुणाजनक न भी हाता तब भी अत्यन्त पतनशील तो यह था ही।

काग्रस अध्यक्ष श्री देवकान्त बरुआ सजय का विवेकानन्द दूसरा शकराचाय

और अक्बर और इन तीनो के मिश्रण मे बना एक महामानव बताते थे। यह वही बम्आ थे जो अपन न्लि ही न्लि म इस लडके की साहसिकता से नफरत करत थ और सजय द्वारा किए गए अपमानो से तिलमिलाते रहत थे।

दल के मुम्य सचेतक और ससनीय मामला के मत्री श्री रघुरमैया ने अपन नगर गुटूर म हुई एक सावजनिक सभा म नहरू की तीन पीढियो की सेवा करने की शपथ ली थी अर्थात जसे उन्होन मा और नाना की सेवा की है वैसे ही सजय की भी सवा की कसम खाई थी।

सजय की इच्छा नौकरशाही के लिए चरम आदश थी। यह युवराज सभी नियमो और कानूनो से ऊपर और परे था। जब सजय न अपनी फक्टरी क क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र क भीतर तक फैलाने का निश्चय किया तब सैनिक निमाणो की सुरक्षात्मक आवश्यकताओ की भी कोई परवाह नही की गई थी।

1977 के लोकसभा चुनावो क लिए काग्रेसी उम्मीदवारो क चयन का काम काग्रेस ससनीय बोड को नहा सजय चौकडी की एक समिति को सौंपा गया था। इस समिति म थ सजय बसीलाल और धवन। समिति को यह देखना था कि श्री जगजीवनराम के किसी समथक को काग्रेस की उम्मीदवारी न मिले। सजय श्री जगजीवनराम से घणा करता था और श्रीमती गाधी ने कभी उन पर विश्वास नही किया। इस बात के स्पष्ट सकेत थ कि वे उन्ह छोड देना चाहती हैं। वस्तुत चुनावों की घोषणा के बान श्री जगजीवनराम द्वारा दल से त्यागपत्र दने का यह एक प्रमुख कारण था।

तब इसम कोई आश्चय नही कि लाड-प्यार म बिगडे हुए उस युवक का सिर ही फिर गया। पहले से ही दम्भिजात्र अब वह असह्य हागा। उसके अक्खडपन ने उसक चारो ओर क लागो को यहा तक कि उसकी और उसकी मा की दख भाल करन वाल सुरक्षा अधिकारियो तक को उससे काट दिया। इसी कारण यह हुआ कि नम्बर 1 सफदरजग माग से सम्बधित जो ढेरो मेढी कहानिया राजधानी म फली उनम अधिकतर प्रधानमत्री निवास की सुरक्षा के लिए नियुक्त पुलिस क मुख स ही निकली थी।

युवा काग्रेस क नता सजय ने निसम्बर 1975 मे चण्डीगढ़ के काग्रेस अधिवेशन म अपना शानदार सावजनिक जीवन आरम्भ किया था। पूरी तरह प्रशिक्षित बहुमाध्यमीय प्रचार अभियान को धन्यवाद कि एक वष बाद काग्रेस के गोहाटी अधिवेशन म सजय और उसकी युवा काग्रेस न अपन बडो को काग्रस का पूरी तरह आच्छादित कर लिया था। प्रेस रेडियो और दूरदशन न तो राष्ट्र का कम स कम यही बताया था। सजय और अन्य वक्ताओ ने अपने बडों क बारे म निदाजनक बातें कही थी और दावा किया था कि भविष्य युवा काग्रेस के हाथो म है। उन्होन माग की था कि अगले आम चुनावो म 50 प्रतिशत काग्रेसी उम्मीद

वार उनके होंगे, और इसका उन्हें वचन भी दिया गया था।

श्रीमती गांधी ने स्वयं युवा कांग्रेस अधिवेशन में भाषण दिया था, उन्हें आशीर्वाद दिया था और उनके इस दावे का समर्थन किया था कि भविष्य उनके हाथों में है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवकान्त बरुआ भी अधिवेशन के सामने बैठे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के हर शब्द पर सही का निशान लगाया था। पर अधिवेशन में वे एक फालतू आदमी दीख पड़ रहे थे और संजय तथा अन्यों ने ऐसा ही व्यवहार उनके साथ किया भी था। असल में बरुआ के प्रति अपनी घृणा को संजय ने कभी नहीं छुपाया था और उनकी वह कोई इज्जत नहीं करता था। उसकी मां भी उनसे कोई अधिक अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। श्री बरुआ उनकी जो घिनौनी और चापलूसी से भरी तारीफ करते थे, लगता है उसका उन पर कोई असर नहीं होता था।

बोट क्लब पर 22 जून की विराट सभा में श्रीमती गांधी का पूरा परिवार मंच पर मौजूद था। कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरुआ भी बीच में घुसकर जा बैठे। उन्हें मंच पर बैठा देखकर संजय ने नाराजी प्रकट की और होंठ सिकोड़कर यह कहते हुए वह सुना गया, "यह भांड यहां क्या कर रहा है ?"

संजय अपनी नासमझियों, दुर्व्यवहारों और अक्खड़ स्वभाव के कारण लोगों को तत्काल दुश्मन बना लेता था। उसके बारे में यह सचमुच ही कहा जा सकता है कि देवता भी जहां जाते हुए डरते हैं, वहीं वह लपकता हुआ जाता है।

1977 के चुनावों में कांग्रेस दल की पराजय की शव परीक्षा करते हुए श्री चन्द्रजीत यादव के नेतृत्व में 125 कांग्रेसजनों ने इसका श्रेय जनता के क्रोध को तथा प्रधानमंत्री के चारों ओर एकत्र कुछ लोगों के समूह द्वारा कानूनी, राजनीतिक और संवैधानिक मापदंडों की उद्धत उपेक्षा को दिया था। ये वही लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी को अपनी लोलुपता और अधिकार लालसा का साधन और भागीदार बना लिया था।

12

चोटी की मूर्खता

संजय की सर्वोच्च मूर्खता यह हुई कि राजधानी को सजाने और लोगों पर परिवार नियोजन थोपने के लिए उसने क्रूर और बेढंग तरीकों को अपनाया जिनसे पूरा मुस्लिम सम्प्रदाय और समाज के सभी गरीब वर्ग तत्काल अलग कट गए।

राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस दल की यह घातक गलती थी क्योंकि हर चुनाव में मत और समर्थन के लिए कांग्रेस मुसलमानों के और मजदूरों के मत और समर्थन पर ही अत्यधिक निर्भर करती रही थी। संजय का 'सफाई करो' अभियान जिसके अधीन उसने समाज के निर्धनतम वर्गों के सात लाख लोगों को निर्ममता से उखाड़ कर उन्हें 20 मील दूर बसाया उतना ही विवेकशून्य था जितना कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी और उसके निवासियों को दौलताबाद ले जाने का पागल प्रयास।

इस सफाई करो कार्यवाही के लिए जो इलाका चुना गया वह अत्यन्त घना बसा लगभग पूरी तरह मुस्लिम आबादी वाला अजमेरीगेट-तुर्कमानगेट जामा मस्जिद क्षेत्र था। इस कार्यवाही में अधिकारियों ने घोर निष्ठुरता और पुलिस ने क्रूरता दिखाई और लोगों को भारी कष्ट सहन पड़े। यहां तक कि जामामस्जिद के इमाम सयद अब्दुल्ला बुखारी को उत्तेजित होकर राजनीति में कूदना पड़ा और आने वाले चुनावों में कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करना पड़ा। उन्होंने घोषणा की कि जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कांग्रेस की अपेक्षा मुसलमानों के अधिक अच्छे मित्र हैं। उन्होंने उत्तरी राज्यों की बार बार यात्रा की और कांग्रेस के विरुद्ध मत देने के लिए मुसलमानों को उत्साहित किया।

संजय वैसा ही आचरण करने लगा था जैसा 400 वर्ष पहले की शाही दिल्ली में मुगल युवराज किया करते थे। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे कि दिल्ली उसकी निजी जायदाद हो और अपनी जायदाद का वह कुछ भी कर सकता हो। जब उसका मतलब सरकारी अधिकारियों से होता था तब वह शाही हुक्म का इस्तेमाल करता था। बिना तैयारी के अनायास दरबार लगाता था और विभिन्न नागरिक मामलों पर फैसले देता था। वह पीड़ित जनता के प्रतिनिधिमंडलों से बात करता था और यदि उनकी बात उसकी योजनाओं के रास्ते में आती थी तो कितनी भी युक्तिसंगत वह क्यों न हो उसे वह तुरंत रद्द कर देता था। 'हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते!' वह कहा करता था।

सजय अपन प्रचड सफाई अभियान के बारे म राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद स बात करन के लिए राष्ट्रपति भवन पहुचा। जब उन्होन उसे धीमे चलने की सलाह दी तो कहा जाता है सजय ने मुहफट तरीके स उस सलाह को ठुकरा दिया और अपनी योजनाओ को आगे बढान व दृढ निश्चय को ही व्यक्त किया।

तुर्कमान गेट क्षेत्र म 13 अप्रल 1976 को गडबडी तब शुरू हुई जब डी० डी० ए० न दोजाना हाउस अस्थाई शिविर के क्वार्टरों को तुर्कमान गेट के क्षेत्र से हटा देने का नियम विरुद्ध काम किया। यह अस्थाई शिविर मूलत बहुत पहले 1965 म जामा मस्जिद के निकट स्थित दोजाना हाउस के निवासियो को बसाने के लिए स्थापित किया गया था। इस तरह तब रहना था जब तक दोजाना हाउस म उनके लिए नय घर न बन जायें और वे उन्हें दे न दिए जायें। यह वायदा कभी पूरा नही हुआ और पिछले 11 वर्षों म व लोग इस अस्थाई शिविर म उस दिन तक रहत रह जिस दिन यह शिविर बुलडोज़र स खत्म नही कर दिया गया और इसके निवासी जमनापार के आवास क्षत्रो म नही भज दिए गए।

अफवाह गम हो उठी कि तुर्कमानगेट का भी यही हाल होगा। लोगो ने इन अफवाहो पर बहुत विश्वास नही किया था क्योकि न तो व या ही जबरदस्ती आकर बस गए लोग थ और न ही अनधिकृत मकानो म रहन वाल थ। व तो पीढियो पीढियों स यहा रहत चल आ रहे थ। डी० डी० ए० कस उनके घरो को गिरा सकती थी और उन्ह बाहर निकाल सकती थी ? लकिन जब अफवाह लगातार गम रही तो तुर्कमानगेट क निवासियो न स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओ और काग्रेसियो क माध्यम स अधिकारियो के पास आवदन भिजवाए। डी० डी० ए० उन्ह कोई निश्चित आश्वासन दने को तयार नही थी। एक प्रतिनिधिमडल तत्कालीन आवास मन्त्री श्री हरकिशनलाल भगत स भी जाकर मिला और उनसे निवदन किया कि यदि उनके घरो को गिराया ही जाना है तो इसके लिए उन्ह उचित समय दिया जाना चाहिए। श्री भगत उन्ह कोई आश्वासन नही दे सक और उन्होन सन्देह ही प्रकट किया।

18 अप्रल को लोगो ने सुना कि डी० डी० ए० के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन और सजय गाधी पास ही स्थित रणजीत होटल म आए हुए है। निवासियो ने एक प्रतिनिधिमडल निर्मित किया और सजय क पास पहुच गए। पहल तो सजय ने मिलने स इकार कर दिया लकिन बाद म कृपा करक मिलना स्वीकार कर लिया। जब प्रतिनिधिमडल को सजय की उपस्थिति म लाया गया तो उन लोगो ने दखा कि कमरे म सजय और जगमोहन के अतिरिक्त एक पुरुष और दो युवतिया और था।

प्रतिनिधिमडल ने प्रार्थना की कि उनके घरो को बख्श दिया जाए। प्रार्थना नामजूर कर दी गई और उन्ह रूखा जवाब दिया गया कि उन्ह खाली करना ही

पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने तब प्रार्थना की कि यदि उन्हें जाना ही है तो कम से कम उन्हें एक ही क्षेत्र में बसाया जाए, जहां वे इकट्ठे अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें। इनमें अधिकतर लोग सदियों से पड़ोसियों के रूप में रहते आ रहे थे और कितने ही आपस में रिश्तेदार भी थे। कहा जाता है जगमोहन ने इसका यह सख्त जवाब दिया 'तुम यहां छोटा पाकिस्तान बनाना चाहते हो?'

आहत और निराश उन लोगों ने अगले दिन बुलडोजरों का मुकाबला करने का निश्चय किया। स्त्री और पुरुष एक बड़ी संख्या में क्षेत्र के एक कोने में स्थित मस्जिद दरगाह फज इलाही में इकट्ठे हो गए। सैकड़ों लोग बुलडोजरों को क्षेत्र में घुसने से रोकने के प्रयोजन से बढ़कर प्रदर्शन करने के लिए बाहर इकट्ठे हो गए और यहां वहां बैठ गए। विरोध के इस ढंग का सुझाव उस क्षेत्र की ससद्-सदस्या श्रीमती सुभद्रा जोशी ने दिया था।

जब लोग बैठ थे और इंतजार कर रहे थे तो तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी तरह के दो और समूह एक डिलाइट सिनेमा के पास और दूसरा हमदर्द दवाखाने के पास एकत्र हो गया। ये सभी घरों के मालिक नहीं थे बल्कि अधिकतर वे लोग थे जो उस क्षेत्र में काम करते थे और किरायेदारों के रूप में गृहस्वामियों के साथ रहते थे। इसी बीच जामा मस्जिद से चला नसबंदी विरोधी एक जुलूस तुर्कमानगेट क्षेत्र में आकर समाप्त हुआ और इस तरह प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी।

प्रदर्शनकारी लगभग 1 बजे तक वहां बैठे रहे। दिन बहुत गर्म था। तभी सीमा सुरक्षा दल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सिपाही राइफलों और लाठियों से सज्जित गाड़ियां भर भरकर वहां पहुंचे। कुछ पुलिस वालों के पास उपद्रव से बचाव के लिए बांस की ढालें भी थीं। लोग अस्थिर हो उठे। कुछ ने बस वहां से चल जाना चाहा। अन्य कुछ व्याकुल थे। कुछ को अपनी दोपहर की नमाज का ध्यान आया और कुछ पेशाब आदि के लिए जाना चाह उठे। बैठे हुए प्रदर्शनकारियों में से कुछ जाने के लिए उठे। लेकिन पुलिस ने उन्हें हिलने नहीं दिया। उन्हें पीछे ढकेल दिया गया और वहीं बैठे रहने का आदेश दिया गया। अब और अधिक लोग उठकर खड़े हो गए। उन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश की। पुलिस ने फिर उन्हें ढकेलकर पीछे हटा दिया। यह कुछ मिनटों तक चलता रहा।

तभी जैसा कि उपद्रव भड़काने के ठेठ तरीके के रूप में अनेकों बार पहले भी हुआ होगा एक पत्थर सनसनाता हुआ आया और प्रदर्शनकारी भीड़ के बीच में आकर गिरा। कुछ लोग जो प्रदर्शनकारियों में थे बाद कि यह पुलिसवालों के पीछे से आया है। अन्यों ने जोर देकर कहा कि यह स्वयं पुलिसवालों ने ही फेंका है। एक पुलिस वाले का कहना था कि इसे पुलिस के पीछे दर्शकों के रूप में खड़े वहां के रहने वालों ने फेंका है।

कुछ देर के लिए भयानक चुप्पी रही और तब प्रदर्शनकारियों ने बदले म जवाब दिया। पुलिसवालो पर पत्थरो की एक बौछार आकर गिरी। इस समय उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट श्री ए० के० पाटदे ने बेंत चलान का आदेश दिया। लेकिन बेंत चलायी नहीं गयी। हो सकता है के द्रीय रिजव पुलिस और सीमा सुरक्षा दल के सिपाही इतनी बडी भीड से इस तरह निपटने के आदी नही थे। शायद भीड पुलिस का अपने निकट आने नही दे रही थी।

तब तक लोग घबराकर इधर उधर भागने लग थ। कुछ बचकर सकरी गलियों मे घुस गए थे। पुलिस ने भीड को पकडना शुरू कर दिया। 2 बजे तक प्रदर्शनकारी एक बडी सख्या म गिरफ्तार कर लिए गए। इस क्षण घरों के भीतर की स्त्रिया बाहर आकर इस हगाम म शामिल हो गयी। वे लाठिया बेलन या जो कुछ भी उनके हाथ लगा लेकर निकल पडी। पुलिस जस कुछ देर के लिए हक्की-बक्की रह गयी। इस बीच जो लोग गलियो म घुस गए थ उन्होने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।

जो लोग उस दिन की घटनाओ म शामिल थे वे भी नहीं कह सकते कि किसने और ठीक किस क्षण गोली चलाने का आदेश दिया। बाद के ब्यौरो के अनुसार वहा उपस्थित मजिस्टेट गोली चलान के विरुद्ध थे। उनका सुझाव था कि पुलिस उस क्षत्र को घेर ले और पत्थर फेंकन वालो को गिरफ्तार कर ल। पुलिस प्रदशनकारियो के पीछे भागती सकरी गलिया म घुसी थी लकिन उन्हे पकडन म विफल रही थी।

गोली चलाने का पहला आदेश लगभग 3 बजे दिया गया था। कहते हैं इस इन्सपेक्टर जनरल (रेंज) ने दिया था। एकदम घबराहट और चीख पुकार फल गयी। चिल्लाहटें पास क इलाको तक म सुनी जा सकती थी। लोग जमीन पर गिरने लगे। एक युवक न अपनी छाती खोल दी और कहा कि वह अपने घर की रक्षा करते हुए शहीद हाना चाहगा। वह गोली खाकर गिर गया। और अधिक गोलिया चलाने क आदेश दिए गए। इसके साथ ही बुलडोजरो ने सडक पर आगे बढना और घरो को गिराना शुरू कर दिया।

घरो म मौजूद अधिकतर स्त्रियो और बच्चो का मिनटो के भीतर बाहर निकल आन के आदेश दिए गए। एक प्रत्यक्ष गवाह और शिकार बडी बी के अनुसार उसके बड़े बेटे को कुछ लाठिया लगी और वह भाग लिया। छोटे ने उसकी दुकान म घुस आ रह पुलिस वाल को रोकने की कोशिश की। उसपर रायफल के कुन्दे की मार पडी और वह भी वहा स हट गया। स्त्रिया को खीच कर बाहर निकाल दिया गया और राते हुए बच्चे डरकर इधर उधर भाग लिये।

हमारे घरो क पीछे बसे कुछ हिन्दुओ न कितनी ही स्त्रिया को बचाया।

उन्होने पुलिस से प्रार्थना की कि वे पर्दानशीन हैं, उन्हे मत छुओ और अनको स्त्रियो और बच्चो को आश्रय दिया।' कुछ मुसलमान औरता ने बताया—मस्जिद म इकट्ठी स्त्रियो को एक मजिस्ट्रेट न आदेश दिया कि वे यहा से निकल जाए। 'जहा भी जा सकती हो चली जाओ।" उसने उनसे कहा। इन स्त्रियो के पुरुष इस समय गिरफ्तार किए जा रहे थे।

जिस अवधि मे घरा को गिराया जा रहा था गोलिया रुक रुककर लगभग डेढ घटे तक चलती रही। जब पुलिसवाले स्त्रिया और बच्चो को घरा से बाहर धकेल रहे थे और गलियो मे पुरुषो का पीछा कर रहे थे उसी बीच अत्याचार किए गए और सम्पत्ति लूटी गई। जैसे जस बुलडोजर आगे बढे लोग निकलकर बाहर भागे। तभी पुलिस वाले झपटकर भीतर घुसे और घरा से टेलीविजन और रेडियो तथा जो भी कीमती चीजें उनसे हाथ लगी उन्ह उठा ले गए। इससे भी अधिक निन्दनीय घटनायें गलिया म और सडका पर घटी, जहा पुलिसवाले प्रदशनकारियो को ढूढ रहे थ और उनका पीछा कर रहे थे। वहा वे घरो म घुस गए। उन्हाने सम्पत्ति लूटी और स्त्रियो स दुव्यवहार किया।

अल्लारखी की आखो म अभी भी आतक है और पुलिस के घर म घुसने के एक वप बाद आज भी वह हक्की-बक्की प्रतीत हाती है। उसन इस दश्य का वणन इस प्रकार किया। उसन बताया कि मोहल्ले की लगभग आधा दजन लडकिया पिछवाडे के एक कमरे म जो आमतौर से कोठार के रूप म इस्तेमाल किया जाता था, जाकर छुप गई थी। उन्होंने अन्दर से कुडी चढा ली थी। सात या आठ पुलिस वाले (अल्लारखी न बताया कि वे पुलिस क आदमी नही थे, जिन सिपाहियो को हम देखते हैं उनसे भिन्न वे बहुत लम्बे चौडे थ) उसके घर म घुस आये। उनके हाथा म डडे और रायफलें थी और वे घर के छोटे से आगन म भरकर खडे हो गये। उन्होन हुक्म दिया कि भीतर के कमरे को खोला जाए। जब लडकियो ने नही खोला तो व दरवाजा तोडने क लिए आगे बढे। अनायास अल्लारखी दौडकर दरवाजे क सामन खडी हो गई। रायफल के कुन्दे की चोट उसके माथे पर पडी और खून बहन लगा।

पुलिस वाला न जबरदस्ती दरवाजा खोल डाला और रोती चीखती लडकियो को एक एक करके बाहर खीच लिया। इन्हाने उन्हे नोचा उनके बाल खीचे और उनक दुपट्टे छीन लिए। कुछ लडकिया भागकर बराबर के घरो म घुस गइ। अल्लारखी सोने की बालिया पहने थी। एक पुलिस वाले ने उन्ह उसक काना स तोड लिया। जब उसने अपन काना को हाथा से ढकना चाहा तो उन्हान उस पर लाठिया बरसाइ। एक दूसरे पुलिस वाले न कमरे से घडी उठा ली और तीसरे ने ट्रांजिस्टर ले लिया। यहा तक कि उसकी बूढी सास भी पुलिस की लाठिया

से बच नही सकी । उसने बताया कि बाद म इर्विन अस्पताल की गाडी आई और उन्हे ले गई ।

तुर्कमान बाजार म दौडते हुए पुलिस वाले छुपे हुए प्रदर्शनकारियों को ढूंढते हुए मोहम्मदअली के घर म भी घुस गए । वे सीढिया से ऊपर चले गए जहा स्वण नियत्रण आदेश से पहले मोहम्मदअली स्थानीय स्त्रिया के लिए गहने गढा करता था । पर इस समय यह रहने का घर था और अली यहा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था । सिपाहियों ने उसे दो लाठिया मारी और बाहर निकल जाने का हुक्म दिया । अब उसकी पत्नी ने अपने पति को बचाने की कोशिश की तो एक लाठी उसके हाथ पर पडी और उसकी एक उगली की हड्डी टूट गई । पुलिस वाले उसके बेटे की घडी छीन ले गए । उसने घडी को अपने हाथ म छुपाना चाहा तो उन्होने उसे पीटा ।

कुछ पुलिस वाले तीसरी मजिल पर अली के नवविवाहित बेटे और बहू के कमरे म पहुच गए । उन्होने कमरे को उलट पलट डाला और अलमारी को तोड कर गहने निकाल ले गए । अलमारी म रखे डिब्बे फश पर खाली बिखरे छोड गए । एक दूसरी अलमारी म बहू ने चीनी के बतन जो वह दहेज म लाई थी सजाकर रखे थे । पुलिस वालो न सब बतन चूर चूर कर दिए । कमरे स जाते हुए पुलिस वाले गलती स बास की बनी एक ढाल कमरे म ही छोड गए । अली की पुत्रवधू सडक के पार अपनी मा के यहा गई हुई थी । जब पुलिस चली गई तब वह भागती हुई ससुराल आई । वह ऊपर अपने कमरे म गई तो उसने देखा कि दहेज म जो भी गहने और अन्य मूल्यवान चीजें वह लाई थी सब जा चुकी थी ।

इस तरह के उदाहरण अनगिनत बताए जाते है । लेकिन जिन स्त्रिया से हम मिले उनम किसी ने भी बलात्कार का एक भी मामला नहा बताया । वे बोली नही ऐसा नही हुआ । उन्होने कुछ स्त्रियो से दुव्यवहार किया अपमान किया नोचा खसोटा भी । पर वह नही । एक बुढिया ने कहा हम झूठ नही बोलगे । खुदा ही जानता है किन पुराने पापा की यह सजा हम मिली है । हम झूठ नहीं बोलेंगे ।

अल्लारक्खी ने बताया कि जब पूरे क्षेत्र म कफ्यू लगा हुआ था तब भी पुलिस वाले उनके मकान म और घरो म आते रहे थे । अगले दिन उन्होने पास के घर की एक बहू स कहा था कि अस्पताल म घायल पडा उसका पति उसे बुला रहा है । लेकिन बुढिया सास ने बहू को पुलिस वाले के साथ नही जाने दिया था ।

अजमेरीगेट की दुखद घटना पिछले दो वर्षों से दिल्ली म चल रही काय वाहियो की शृखला की चरम परिणति थी । फसील स घिरे नगर म जामा मस्जिद दूसरा क्षेत्र था जहा दुकानो के गिराए जाने ने बहुत वाद विवाद और फिसाद तक

पदा किया था। जामामस्जिद की बाहरी दीवारों के साथ बनी ये दुकानें सकड़ों वर्षों से वहा थीं। भाग्य मे परिवतन के साथ-साथ इन्होंने अपने रूप भी बदले थे। लेकिन जामामस्जिद का कवाडी बाजार जितनी दूर पीछे तक इस क्षेत्र के निवासियो की याद जाती है बराबर यही रहा था।

इस क्षेत्र को साफ करने की योजना पहले भी बनी थी। बताया जाता है कि पाचवें दशक के अन्त म नेहरू और आजाद इस क्षेत्र म आए थ और उन्होने कुछ सुधारो के सुझाव दिए थ। बाद म पाईवालान योजना नाम से एक योजना बनाई गई थी जिसके अन्तगत मस्जिद के चारो ओर के दुकानदारो को उसी क्षेत्र म डी०डी०ए० द्वारा बनाई गई दुकानें बदले म दी जानी थी।

इस योजना को स्वीकृति उस समय दी गई थी जब श्री भगवान सहाय दिल्ली के चीफ कमिश्नर थ। इस फैसले को 4 अक्तूबर, 1974 की विलम्बित तिथि म डी०डी०ए० द्वारा आयोजित नगर आयोजको की एक बठक म दुबारा स्वीकृत किया गया था। एक प्रस्ताव स्वीकार करक सिफारिश की गई थी कि पाईवालान योजना को जल्द कार्यान्वित किया जाए। जनवरी 1975 म इस प्रश्न को दुबारा उठाया गया था और शीघ्र कायवाही का वचन दिया गया था।

लेकिन 26 जून 1975 के बाद अचानक सब कुछ भिन्न रूप म नजर आने लगा। डी०डी०ए० एक दिन बुलडोजर ल आया और जामामस्जिद की दुकानों को गिरा दिया गया। दुकानदारो स कहा गया कि वे उदू पाक के पास अपनी दुकानें अपनी लागत पर खडी कर लें। बाद म उन्हे वहा से भी हटा दिया गया और सीलिया उतरकर एक निचले क्षेत्र म उन्हे भज दिया गया, जहा अधेरा और गन्दगी है, हवा का ठीक इन्तजाम नही है और बरसात म पानी भर जाता है।

इस क्षेत्र का एक सामाजिक कायकर्ता इन्द्रमोहन जामामस्जिद के दुकानदारो की तकलीफें सामन रखने के लिए सजय गाधी से मिला। बताया गया है कि सजय गाधी न उसस कहा कि पाईवालान योजना पर लगभग दो करोड खर्च का अनुमान है। यदि इन्द्रमोहन या विस्थापित दुकानदारो का कोई भी हितचिन्तक इतना रुपया देने को तयार हो तो योजना का कार्यान्वित करन म हम कोई आपत्ति नहीं होगी। सजय ने यह भी कहा मेरी सूचना है कि ये लोग जहा भी इन्हें भेजा जाए चले जाएग। लकिन तुम्हारे जस नेता ही परेशानी पदा करते हैं।'

अगल दिन इन्द्रमोहन अपने क्षेत्र म वापस लौटा और उसन और सजय के बीच जो बातें हुइ थी वे उसन लोगो को बताइ। अगले दिन उसने फिर लोगों से बात की और सबने विचार विनिमय किया कि पाईवालान योजना को लागू कराने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाए।

इन्द्रमोहन सजय से 17 सितम्बर को मिला था। 19 सितम्बर की आधी

रात को कर्जन रोड होस्टल म इ द्रमोहन के कमरे पर खटखट हुई। जसे ही उसने दरवाज़ा खोला सफेद कपडा मे सात आदमी भीतर घुस आए। उनम से एक ने इ द्रमोहन को गले से पकड लिया। आधा जगा इ द्रमोहन भौंचक रह गया। जब उसने पूछा कि वे क्या चाहते है तो उसे बताया गया कि वे पुलिस वाले है और उसे गिरफ्तार करने आए हैं। तब तक एक वर्दीधारी अधिकारी भी वहा आ पहुचा था।

उनके साथ चलने से पहले इ द्रमोहन न कुछ कपडे ल लने चाहे। लकिन इसकी इजाजत उ होंने नही दी। उसने अपने कमरे मे ताला लगाना चाहा क्योंकि वहा वह अकेला रहता था। पुलिस ने इसका भी अवसर उस नही दिया। जब उसने पुलिस की पकड से अपने को मुक्त करना चाहा तो उ होन उसे सशरीर उठाकर सडक पर इन्तजार करती जीप म पटक दिया और दरियागज थाने की ओर ले चल।

दरियागज थाने म इ द्रमोहन को हवालात म डाल दिया गया। हवालात की खुली नाली म बदबूदार कूडा भर दिया गया था। जसे ही वह कोठरी म घुसा उसे उलटी आने का हुई लेकिन पुलिस ने उसे साफ नही कराया। इ द्रमोहन ने अन्न-जल लने से इकार कर दिया। पुलिस न कोई चिन्ता नही की। उसे भारत सुरक्षा नियम क अधीन गिरफ्तार किया गया था। इसलिए तीसरे दिन उसे तीस हजारी अदालत ल जाया गया। दो दिन के भूखे उसको हथकडी लगाकर चार मील का माग पदल चलाया गया। वह अभी अपने रात के कपडो लुगी और कुर्ते म ही था।

जब वह सडक पर जा रहा था तो लोगो ने उस पहचान लिया और दूसरो को खबर कर दी। जामामस्जिद के निवासियो न उसकी जमानत भरन की ज़िद की। उ होन कहा यह हमारा हक है। इ द्रमोहन का बाद मे तिहाड जल भेज दिया गया। उसे अ य राजनीतिक नजरबन्दियो के साथ जनवरी 19/7 म ही छोडा गया। वह बाहर आया तो जजर और बीमार था। लकिन कुछ ही दिनो के भीतर उसन कुछ कपड अपन थले मे डाल और सजय के विरुद्ध प्रचार करने के लिए अमेठी की ओर चल दिया।

एक प्रश्न जो अब भी अनको को परेशान करता है यह है कि आखिर तुकमान गेट के घरों को क्या गिरवाया गया। वहा क निवासी न तो जबरदस्ती आकर बसे हुए लोग थे न ही उनक घर अनधिकृत थे। इसम दो राय नहीं हैं कि वह एक घना बसा और ग दा क्षत्र है और वहा सफाई की और सुधार की जरूरत है। यह तथ्य 1938 जितने पुरान समय म भी स्वीकार किया गया था और उस समय ब्रिटिश सरकार न एक दिल्ली अजमरी गेट योजना तयार की थी। इस योजना

के अ तगत तुकमान गेट अजमेरी गेट क निवासियो को जहा आज रणजीत होटल है वहा एक अस्थायी शिविर मे रखा जाना था और फसील के भीतर क इस क्षेत्र को अधिक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओ सडको और गलियो आदि समेत फिर से निर्मित किया जाना था। कुछ घरो को उनकी मूल रचना और उनके रूप को बिना बदले उम थोडा सा परिवर्तित किया जाना था जिससे सडको और अन्य सुविधाओ के लिए जगह निकल सके।

बाद म मातासुदरी सडक से लकर अजमेरी गेट, तुकमान गेट तक की पूरी जमीन का विकास फसील के भीतर के शहर के ढग पर ही किया जाना था और वहा की फालतू आबादी को यहा बसाया जाना था। लकिन जब इस जमीन का व्यापारिक मूल्य ध्यान मे आया तो अधिकारियों ने अपना इरादा बदल दिया। दिल्ली-अजमेरी गेट योजना जिसे बाद म स्वत त्र भारत की नई सरकार न भी स्वीकार किया था खत्म म डाल दी गई। इसके और बाद म आसफअली रोड की व्यापारिक भवन शृखला निर्मित हुई। तब डी०डी०ए० न जहा पुरानी दिल्ली क घर हैं उस स्थान पर 50 मजिल कार्यालय बनाने की योजना तैयार की। योजना यह थी कि चावडी बाजार और नई सडक तक पूरे क्षेत्र को गिराकर साफ कर दिया जाए और वहा विभिन्न आकारो और ऊचाइयो क गगनचुम्बी भवन बनाए जाए। लगता है सजय बहुत दूरगामी योजनाए अपन मन म पोस रहा था।

व्यापारिक भवनो के निर्माण क लिए बडी धन राशि का जरूरत थी। वस्तुत डी० डी० ए० भूस्वामियो की कीमत पर पसा बना रही थी। इसम कोई शक नही है कि डी० डी० ए० न दिल्ली का विकास किया है। कितनी ही नई बस्तिया बसाई है और सडको का चौडा किया है। लकिन इस प्रक्रिया म उसने मूल भूस्वामियो को जिनकी जमीनें उसन ली और बची खूब ठगा है। उदाहरण के लिए उसन मुनीरका क किसानो स जमीन ली। उन्ह एक रुपया या डढ रुपया प्रतिवग गज क हिसाब स मुआवजा दिया गया। लकिन जिन लोगो ने उस क्षत्र म मकान बनाने के लिए डी० डी० ए० से जमीन खरीदी, उनस उसी जमीन क लिए सौ और डेढ सौ के बीच कीमत ली गई।

झुग्गी झोपडी बस्तिया लाल दानों की तरह दिल्ली के साफ चेहर पर फलती जा रही थी। डी० डी० ए० ने योजना बनाई कि इन अनधिकृत बसे लोगो को बदले म जगह देकर यहा की सफाई कर दी जाए। इसलिए अधिकतर लोगों ने अधिकारियो का समथन किया। लकिन अपन उत्साह म डी० डी० ए० ने पक्के मकान भी, जिनके नक्शे स्वीकृत थ और जिन्ह पानी और बिजली देकर सरकारी मान्यता दी जा चुकी थी, गिरा दिए।

झुग्गी वाल और जिनक घर गिरा दिए गए थे व लोग पुनर्वास बस्तियो के लिए निश्चित खाली जमीनो पर पटक दिए गए। यह कायवाही वर्षा क दिनो म

शुरू की गई और गरीब लोग सर पर छत के बिना वर्षा और धूप के शिकार हुए। सकडो बीमार पड गए और कितन ही मर गए। लगभग सभी ने जीविका के अपने साधन खो दिए क्योकि ये बस्तिया उनके पहल के घरों और काम की जगहों से 15 से 20 मील की दूरी पर स्थित थी। स्थानान्तरण का यह सबसे बडा अभियान था, जसा दिल्ली म पहले कभी नही हुआ था। पूरे आगरे की आबादी के बराबर लगभग सात लाख व्यक्तियो पर इसका असर पडा और इस सफाई अभियान म वे इधर-से उधर भेज दिए गए।

तुकमान गेट-जामामस्जिद की घटनाओं के बड़े ही दूरगामी प्रभाव पड़े। तुर्कमान गेट के अनको परिवारों ने विशेषकर स्त्रियो और बच्चों ने उत्तरप्रदेश बिहार और मध्यप्रदेश म अपने रिश्तेदारों के यहा शरण ली और उनके साथ काग्रेस सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों और जुल्मों की कहानिया भी वहा पहुची।

जामामस्जिद क्षेत्र के एक युवक की कहानी इसका उदाहरण है। उसने अधिकारियो को यह बताने की धृष्टता की थी कि शिल्पकारा और कारीगरो के अपन ही क्षेत्र म आवश्यक सुधार करके उन्हें वही बसा देने की एक योजना पहले बनी थी। उसे पकडकर जेल मे डाल दिया गया। जब वह जनवरी म जेल से छूटा तो घर नही लौटा। विरोधी दलो का प्रचार करने के लिए वह सीधा उत्तर प्रदेश चला गया।

दिल्ली और अन्य पडोसी राज्यो के लोगो पर नसबन्दी थोपने के लिए जो अन्धाधुन्ध और निष्ठुर तरीके अपनाए गए उन्होंने ग्रामीण क्षत्रो की जनता को भी अलग काट देने की प्रक्रिया पूरी कर डाली।

अगस्त सितम्बर 1975 के आसपास दिल्ली से फुटकर काम करने वाल पुरुष मजूर अचानक गायब हो गए। ठेकदारों ने सफदी कराने और ऐसे ही दूसरे कामो के ठेके लेने बन्द कर दिए। दीवाली अभी दूर थी लकिन उनका कहना था कि मजूर राजस्थान मे अपने गावो को लौट गए हैं। निर्माण मजूरो के बच्चो की देखभाल के लिए स्वयसेवक कल्याण सस्थाओ द्वारा चलाए जान वाली बाल वाडियो म अध्यापिकाओ के पास बच्चे नही रहे थे। या तो मा बाप गाव चले गए थे या अभी भी अपन कामो पर जमे मजदूरो न अपने बच्चो को कल्याण केन्द्रो म भेजना बन्द कर दिया था। किराने और सब्जी क थोक बाजारों की भी यही हालत थी। खारी बावली के दुकानदारों को दुकानो से उठाकर इन्तजार करती गाडियों तक सामान ले जाने क लिए कुली नही मिल रहे थे।

य मजूर जबरन नसबन्दी से बचन के लिए गायब हो गए थ। ठकेदारो, अध्यापको बाजारो पर तनात नगरपालिका अधिकारियो के लिए नसबन्दी के केसों की सख्याए नियत कर दी गई थीं और अपनी अपनी सख्या उन्हे पूरी करनी थी। अध्यापको के वेतन रोक दिए गए थ। नगरपालिका कर्मचारियो की विभिन्न

सुविधाएं बन्द कर दी गई थी। नागरिक अधिकारियों ने नसबन्दी के लिए तैयार व्यक्तियों की वांछित संख्या पूरी करने में विफल रहने पर ठेकेदारों और कारखाना मालिकों से सहयोग करने से इन्कार कर दिया था।

एक ग्रामीण कल्याण संस्था बरसों से बच्चों की शिक्षा और पोषक आहार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ केन्द्र चला रही थी और नेहरू के जन्मदिन 14 नवम्बर को वह बच्चों की पिकनिकें संगठित करती आई थी। लेकिन 1975 में उसे अपना यह कार्यक्रम छोड़ देना पड़ा। माताओं ने अपने बच्चों को पिकनिक पर भेजने से इन्कार कर दिया। कार्यक्रम चलाने वाली अध्यापिका को बड़ी परेशानी हुई क्योंकि भोजन और आने जाने का प्रबन्ध वह कर चुकी थी। इसलिए अपने बच्चों को पिछले वर्षों की तरह ही पिकनिक पर भेजने के लिए माताओं को मनाती हुई वह घर घर घूमी, लेकिन माताओं ने इन्कार कर दिया। उन्हें डर था कि उनके बच्चों को रोक रखा जाएगा और तब तक घर लौटने नहीं दिया जाएगा जब तक उनके पिता नसबन्दी नहीं करा लेते। कोई भी आश्वासन उनके भय और संशय को दूर नहीं कर सका।

गरीबों ने अपने बच्चों के नाम अपने राशनकार्डों से कटवा लिए। उन्हें डर था कि जिनके राशनकार्ड पर दो से अधिक बच्चों के नाम होंगे उन्हें जबरन नसबन्दी करवानी पड़ेगी। नसबन्दी एक भयावह शब्द बन गया था।

आश्चर्य की बात यह है कि नसबन्दी का अभियान स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा परिवार नियोजन विभाग द्वारा उतना नहीं चलाया गया था जितना नागरिक अधिकारियों स्थानीय प्रशासनों अथवा गांवों में राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस के द्वारा। स्वास्थ्य मन्त्री ने सरकार की जिस जनसंख्या नीति का निर्धारण किया था उसमें प्रोत्साहनों एवं दण्डनाओं की बात कही गई थी लेकिन मन्त्री महोदय ने शायद समझ लिया था कि उनके विभाग के पास हल्की कार्यवाही तक के लिए भी न तो साधन है और न ही प्रभाव है।

संजय गांधी ने क्योंकि परिवार नियोजन को अपने पांच सूत्रों में शामिल कर लिया था और उसका वह सार्वजनिक रूप से प्रचार करता था इसलिए परिवार नियोजन राज्य का और स्थानीय अधिकारियों का मुख्य धन्धा बन गया। राज्य सरकार अब तक सर्वशक्तिमान बन चुके संजय को खुश करने की इच्छा से प्रेरित होकर अचानक ही परिवार नियोजन के लिए एक नये जोश से भर उठी थी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निश्चित कर दिए गए। राज्य और नागरिक अधिकारी इन लक्ष्यों से आगे दुगनी तिगुनी संख्याएं देने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे।

जब अधिकारियों ने देखा कि इस काम से सम्बन्धित विभागों और अधिकारियों के माध्यम से लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सकते तो उन्होंने उन लोगों की

सेवाएं प्राप्त थीं जो यद्यपि इस कार्यक्रम के लागू किए जाने में सीधे सम्बन्धित नहीं थे पर जिनका समाज पर अधिकार और प्रभाव था। अत्याचारों मामले अधिकारियों राजस्व एवं नागरिक कर्मचारियों से कहा गया कि वे नसबंदी के लिए आदमी लाएं।

एक समय आया जब अत्याचार नसबंदी कराने के लिए तैयार किसी भी व्यक्ति को 300 रुपये तक देकर सरकार के लिए घूमने फिरने लगे। गांव के राजस्व अधिकारियों ने कि पटवारियों ने भूमि के म्यान पूरे करने, ऋण अथवा कृषि सेवाएं प्रदान करने से तब तक इनकार कर दिया जब तक लाभभोगी नसबंदी न करा ले। यदि किसी को भूमि या घर या काम या बच्चों के लिए स्कूल या कालिज में प्रवेश पाना था तो उसे या तो अपना नसबंदी प्रमाणपत्र पेश करना पड़ता था या एक व्यक्ति को नसबंदी के लिए लाना पड़ता था।

सरकार ने जब यह दावा किया था कि आपातस्थिति का प्रभाव कोई असर नहीं पड़ा है और लोगों ने सारे विभिन्न स्वतन्त्रताओं के निषेध को भवन बुद्धिजीवियों के साथ गुट में कोई रुचि नहीं रखी, तो वह गायब नहीं हुई थी। लेकिन यह बात आरम्भ की ही है। जहां ही आपातस्थिति ने कुछ लोगों की भावना से भरकर लोगों पर चोट की। यह नसबन्दी के क्षेत्रों में बहुत पहुंची। गांव के मुखिया जब नसबंदी के लिए आदमी न पाते तो उनका अपमान किया जाता और उन्हें जलील किया जाता। लोगों को मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया गया और वे बगैर स्थान रहे। लोगों को घरों से खींच लाकर आपरेशन की मेज पर डाल दिया गया। अतिरिक्त अधिकारियों को जिनका परिवार नियोजन के काम में कोई मन न होता, मजबूर किया गया कि वे आम आदमी पर दबाव डालें और उसे तंग करें। परिवार नियोजन और नसबन्दी के कार्यक्रमों ने अधिकारियों को एक निरंकुश शासन की झलक ग्रामवासियों को दी।

आरम्भ में लोग हक्के बक्के रह गए। ऐसे अमानुषिक व्यवहार के लिए वे तैयार नहीं थे। लेकिन जहां ही जब एक के बाद एक गांव पर घेरा डाला गया और लाठियों से सज्जित पुलिसवाले लोगों को जबरदस्ती नसबन्दी शिविरों में ले जाने लगे तो जनता में विद्रोह भड़क उठा।

प्रेस पर सेंसर होने के कारण ऐसे विद्रोहों की खबरें दबा दी गई। धीमे धीमे एक मुंह से दूसरे मुंह तक खबर फैली। बाजारों और जिला केन्द्रों में आने वाले ग्रामवासियों से लोग नसबंदी एवं पुलिस के बीच हुई हिंसक मुठभेड़ों के बारे में सुनने लगे। जब 27 सितम्बर को फरीदाबाद में मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हुई (विश्वास किया जाता है कि इसमें एक पुलिस अधिकारी मारा गया) तो 15 मील दूर दिल्ली के नागरिक इस घटना से एकदम बेखबर थे। इसी प्रकार लगभग इसी समय गुड़गावां जिले के नगीना गांव में घटी घटना से अवगत

नसबन्दी का विरोध करते हुए दो व्यक्ति मारे गए थे और कई दिनों तक जिला केन्द्र को भी इसकी कोई खबर नहीं थी।

उत्तर प्रदेश मे मुजफ्फरनगर और सुलतानपुर जिलो म गावो की घेराबन्दी करके लोगो को नसबन्दी शिविर म ले जाने के पुलिस के आतकवादी तरीकों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था वह अब इतिहास का हिस्सा है। मुजफ्फरनगर मे 18 अक्टूबर को पुलिस की गोलियो से 40 आदमी मरे बताए जाते है। सुलतानपुर जिले के रनविधी स्थान पर, जहा पुलिस की गोली से लगभग एक दजन व्यक्ति मरे थे क्रुद्ध भीड़ ने हमला करके जिला मजिस्ट्रेट को घायल कर दिया था। पुलिस गावो को घेर लेती थी और प्रजनन की आयु के हर पुरुष को पकडकर और उन्हे पशुओ की तरह घेर कर नसबन्दी शिविरो म ले जाती थी। इससे लोग अपमानित महसूस करते थे। उनके सम्मान उनके पौरुष और जमे वे चाह सोचने और रहने के उनके मूलभूत अधिकार को इससे चुनौती मिलती थी। वे समझ गए कि एक निरकुश शासन म क्या-कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश मे नसबन्दी का मार्च 1977 तक का मूल लक्ष्य 4 लाख था। राज्य के मुख्यमन्त्री ने इसे बढाकर 15 लाख कर दिया था।

राज्य सरकारें अपने इस रुख को गुप्त नही रखती थी। बिहार सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति म कहा गया था कि तीन से अधिक बच्चो वाले व्यक्ति सरकारी नौकरी अथवा प्रतियोगिता परीक्षाओ के हकदार तब तक नही होंगे जब तक वे नसबन्दी नही करा लेते। तीन से अधिक बच्चो वाले सरकारी कर्मचारियो को मुफ्त चिकित्सा सरकारी आवास सहयोगी दुकानो की सुविधाओ, अगली पदोन्नति आदि से वचित कर दिया गया था।

श्रीमती गाधी बराबर इस बात से इन्कार करती रही कि परिवार नियोजन एव नसबन्दी अभियानों म कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है। क्या यह हो सकता है कि प्रधानमन्त्री को उन गोलीकाडो का कुछ ज्ञान न था जिनम अनेको निहत्थे नागरिक पुलिस द्वारा मार डाले गए थे ? विदेशो से अपनी भेंटवार्ताओं मे उन्होने घोषणा की कि लोगो को परेशान नही किया जा रहा है और कोशिश यह की जा रही है कि सम्बद्ध लोगो म रुचि पैदा की जाए, जिससे वे अपनी इच्छा से कार्यक्रम को ग्रहण करें। उन्होने केवल इतना ही स्वीकार किया कि जब कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का काम नौकरशाही और अफसरो पर छोड दिया जाता है तो वे बहुत कुछ कल्पनाशून्य तरीके से उसे करते है।'

बाद मे नसबन्दी के आपरेशन करने वाले डाक्टर और आदमियो को लाने वाले ग्रामीण-अधिकारी भी इस अरुचिकर काम से उकता उठे। असल म इस अत्याचार से असहमत, पीडितो से डाक्टरो को सहानुभूति थी, क्योंकि निर्धारित

लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार लोग स्वयं उन्हें तंग करते और अपमानित करते थे।

परिवार नियोजन के नाम पर किए जाने वाले अत्याचारों के विस्तृत ब्यौरे सेंसर में ढील पड़ने पर जब अखबारों में छपे तो श्रीमती गांधी, संजय और अन्य नेताओं ने इन ज्यादतियों के लिए नौकरशाही को बदनाम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार, जिन अधिकारियों को उन्होंने बलि का बकरा बनाना चाहा, उन्हें भी उन्होंने अपने विरुद्ध कर लिया। लेकिन जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता था। ग्रामवासी बराबर यह गाते रहे, 'नसबन्दी के तीन दलाल, इन्दिरा, संजय, बंसीलाल।'

13
बसीलाल के कारनामे

बहुत से लोगों का विश्वास है कि संजय के पीछे जो दुष्ट प्रेरणा थी वह बसीलाल की थी और वही संजय की निरकुंश मनमानियों के लिए बडी दूर तक जिम्मेदार है। काम कराने के जो अनगढ और कठोर तरीके बसीलाल ने अपने राज्य हरियाणा में इस्तेमाल किए उनकी झलक युवक संजय की कार्यपद्धति में और लक्ष्य प्राप्ति के साधनों के प्रति न्यूनतम आदर में साफ दीख पडती है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भी और बाद में भी बसीलाल एक सामन्ती फौजदार की तरह काम करता था और राज्य को अपनी रियासत और लोगो को अपनी रयत मानता था। कानून के शासन का उसके लिए कोई उपयोग नहीं था, और उसने एक प्रखर व्यक्तिगत निरकुंशता की स्थापना की थी। इसके लिए उसने पुलिस को एक दमनकारी यंत्र के रूप में रूपान्तरित कर लिया था जिससे जिद्दी लोगों से चाबुक के बल पर आज्ञाओं का पालन कराया जा सके। बसीलाल के कामों की तरह ही उसकी जुबान भी अनगढ थी। उसने अपने राज्य में ईदी अमीन का 'उत्तम' शासन स्थापित किया था जहां उसके रास्ते में आए हर व्यक्ति से पर पीडनवाद तक पहुंची अकथनीय क्रूरता का व्यवहार किया जाता था।

इस प्रकार जहां वह पूरे राज्य को अपनी निजी जायदाद समझता था वहां गरीब किसानों की लगभग 400 एकड उपजाऊ जमीन को मारुति फैक्टरी के लिए राजीव गांधी को दे देने में उसे कोई हिचक नहीं हुई थी और अपने युवक मित्र के लिए नियमों और कानूनों को तोडने में उसने कोई दुविधा महसूस नहीं की थी। राज्य की सम्पत्ति की कीमत पर संजय को खुश करने में बसीलाल का क्या उद्देश्य था, यह नीचे की घटना से अच्छी तरह समझ में आ जाता है और यह घटना उसकी अनगढ जुबान का नमूना भी पेश करती है।

एक दिन वह दफ्तर से लौटकर अपने जीहुजूर और तलवे चाटने वाले अनुयायियों से घिरा आराम कर रहा था। उनमें से एक ने अपने स्वामी से पूछा कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है। बसीलाल ने डींग मारी तुम जानते हो, कांग्रेस का चिह्न गाय और बछडा है। मैंने बछडे को कब्जे में ले लिया है और गाय बछडे में प्रेम करने के लिए स्वयं ही मेरी ओर दौडी आती है। दूसरे शब्दों में गाय हर समय मेरे इशारे की गुलाम है। मेरा मतलब तुम समझ रहे हो न ? यही मेरी सफलता का राज है।

और राज्य के बिजली बोर्ड को अपने पिट्ठुओं से भर दिया। बोर्ड भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो गया।

वह प्रेस से घृणा करता था और संवाददाताओं से बहुत ही कम मिलता था। चण्डीगढ़ से निकलने वाले एक अत्यन्त प्रतिष्ठित और स्वतंत्र वृत्ति के अंग्रेजी समाचारपत्र ट्रिब्यून के विरुद्ध उसने हल्ले का अभियान छेड़ दिया था क्योंकि पत्र ने उसके तानाशाही भ्रष्ट शासन की आलोचना की थी। उसने पत्र को सरकारी विज्ञापन दिए जाने बन्द कर दिए और ट्रिब्यून की प्रतियां ले जानेवाली गाड़ियों के आवागमन में बाधा पहुंचाई। सभी सरकारी संस्थाओं में इस पत्र का लिया जाना भी उसने बन्द कर दिया।

बंसीलाल का परिवार वकीलों का परिवार है। दो बेटे, एक जमाई, एक भाई, एक भतीजा और सभी वकील। कहा जाता है कि हरियाणा में कोई भी तब तक कोई मुकद्दमा नहीं जीत सकता था जब तक वह चौधरी बंसीलाल के परिवार का वकील न करे। उसका युवक बेटा बड़ी कम्पनियों का कानूनी सलाहकार बन गया था। उसकी दो लड़कियों ने राज्य की प्रशासन सेवा में प्रवेश पा लिया था। जमाई को राज्य के बिजली बोर्ड में सतर्कता निदेशक नियुक्त किया गया था।

परपीड़न में भी बंसीलाल की एक पद्धति थी। विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए वह दमन के अलग अलग तरीके निर्धारित करता था। उदाहरण के लिए एक हरिजन किसान से दंड के रूप में उसके हिस्से की जमीन छीन ली जाती थी। फैक्टरी के मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाता था। उसे उसके स्त्री-बच्चों को पीटा जाता और भुखमरी के स्तर तक ले आया जाता था और उसकी झोंपड़ी गिरा दी जाती थी। भूखा और आश्रयहीन वह तब घुटनों के बल चलकर उसके पास आता था और उससे दया की भीख मांगता था। यदि उसका शिकार मध्य वर्ग का होता, तो बंसीलाल उसे फौजदारी के मामलों में फंसा देता था। प्रतिष्ठित परिवारों के लड़कों को हवालात में डालकर पीटा जाता और सताया जाता था। स्त्रियों को थाने में बुलाया जाता और उनकी बेइज्जती की जाती थी। बूढ़ों का अपमान किया जाता था। कानूनी त्रास और सामाजिक एवं शारीरिक आघातों से तंग आकर कितने ही परिवार झुक जाते थे। तनाव, आर्थिक हानि और अदालतों के चक्कर अंततः अधिकतर लोगों के विरोध को तोड़ डालते थे।

बाद में जब आपातस्थिति आई तब सुरक्षा मन्त्री के आदेश पर एक साथ परिवार की तीन पीढ़ियों तक को जेल में ठूंस दिए जाने के उदाहरण मिलते हैं। आत्म सम्मानी जाट अपनी स्त्रियों की इज्जत के बारे में बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बंसीलाल महिला अध्यापकों की बदली बहुत दूर के गांवों में और गुंडागीरी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्रों में करा देता था और इस प्रकार उनके परिवारों और रिश्तेदारों को अपने अंगूठे के नीचे दबाकर कसता था।

एक सार्वजनिक जलसे में एक वृद्ध बसीलाल का हार पहनाने के लिए मंच पर आया। ऐसा करते समय वह ठोकर खा गया और मेज पर रखा पानी का गिलास बिखर गया। बसीलाल आपे से बाहर हो गया और उसने उस गरीब बूढ़े को ठोकर मारी और गालियां दीं।

उसके एक राजनीतिक विरोधी ने एक सभा में उसकी आलोचना कर दी। जब बसीलाल को इसका पता लगा तो उसने कहा कि वह इस योग्य है कि उसके मुंह में विष्ठा डाली जाए। जब आपातस्थिति आ गई और नागरिकों को कानून के शासन से वंचित कर दिया गया तो बसीलाल ने जो अपमान अपने आलोचक के लिए तय किया था वह उसके साथ करके दिखाया।

यह एक आम प्रथा थी कि बसीलाल के राजनीतिक विरोधियों का मुंह काला करके उन्हें गधे पर बैठाकर सड़कों पर उनका जलूस निकाला जाता था। बसीलाल के विरोधियों को एक और सजा यह दी जाती थी कि उनकी गर्दन से एक पट्टी लटका दी जाती थी जिस पर लिखा होता था "मैं देशद्रोही हूं", और तब उन्हें नगर में घुमाया जाता था।

सन्देह होता है कि युगांडा का फील्ड मार्शल भी क्या इन तरीकों में कोई और सुधार कर सकता था!

प्रधानमंत्री के घर में प्रशासक बसीलाल एक बहुत ही प्रशंसित व्यक्ति था। हरियाणा दिल्ली के बहुत ही निकट है। बसीलाल अक्सर राजधानी आता और प्रधानमंत्री से मिलता था। अन्यों की तरह बसीलाल ने भी संजय की मोटर बनाने की फैक्टरी के बारे में सुना। वह भी उनमें से एक था जिन्होंने संजय से कहा, तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो। तुम जिस चीज के लिए भी कहो वह तुम्हें मिल सकती है। संजय ने अपनी फैक्टरी के लिए जमीन चाही। बसीलाल ने अपने राज्य के छोटे किसानों की 445 एकड़ जमीन एकदम उसके हवाले कर दी। मारुति की कहानी (अध्याय 14) बसीलाल की प्रशासनिक साहसिकता की कहानी भी है।

1975 में अब तक संजय के दोस्त, पथप्रदर्शक और तत्वदर्शी बसीलाल के इशारे पर संजय ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फेर-बदल को प्रेरित किया। फलतः श्री स्वर्णसिंह को निकाल बाहर किया गया और उनके स्थान पर हरियाणा के फौजदार को सुरक्षा मंत्री के रूप में राष्ट्रीय परिधि में ले आया गया।

कहा यह जाता है कि संजय अब सुरक्षा सामग्री के ठेकों में रुचि लेने लगा था और स्वर्णसिंह से व्यवहार करना कठिन मालूम पड़ रहा था। संजय ने यह समस्या अपने अंतरंग बसीलाल को बताई। विश्वास किया जाता है उसने संजय को सलाह दी : इसका समाधान सरल है। तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। स्नेहशील मां ने बेटे का मनचाहा कर दिया। असली बात जो हमने

जानी वह यह है कि बसीलाल को सुरक्षामंत्री बना दिया गया।

एक भलाई के बदले दूसरी भलाई आ जाती है। जिगरी दोस्तों के बीच ऐसा विशेष रूप से होता है। बसीलाल ने अनको हृदयस्पर्शी रूपों में अपने महान मित्र के प्रति कृतज्ञता दिखाई। उसने एकदम आदेश दिया कि सैनिक शिष्टाचार क्रम में संजय को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाए। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों ने आपत्ति की। नौसेना के एक समारोह में सुरक्षा मंत्री ने नौसेना प्रमुख को डांटा कि संजय को भारत के राष्ट्रपति से अगली कुर्सी क्यों नहीं दी गई। नौसेना प्रमुख ने यह बात मानने से इनकार कर दिया लेकिन इतनी रियायत कर दी कि संजय को कभी में सबसे अगली पंक्ति में जगह दे दी। सुरक्षा विभाग की वरिष्ठ नियुक्तियों के बारे में भी संजय से सलाह ली जाती थी। बदमिजाज बसीलाल अपने हर वाक्य में गाली या शपथ का शब्द इस्तेमाल करता था और सशस्त्र सेनाओं के अफसरों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था।

आपातस्थिति के दौरान जो थोड़े बहुत अवरोध बसीलाल के भीतर बच थे उन्हें भी उसने हवा में उड़ा दिया। अपने राज्य में उसने आतंक का नंगा नाच करवाया। दिल्ली आ जाने के बाद भी अपने मनोनीत बनारसीदास गुप्त के माध्यम से वहां का शासन वही कर रहा था। जब संजय ने दिल्ली में और उत्तर के अन्य प्रदेशों में अपना नसबन्दी अभियान चलाया तो बसीलाल कैसे चाह सकता था कि उसका राज्य पीछे रहे। हरियाणा में हर नियुक्ति हर ठेका हर योजना अब भी बसीलाल के द्वारा स्वीकृत और मान्य होकर ही लागू होती थी। उसका बेटा एक समानान्तर सरकार चला रहा था और मुख्यमंत्री श्री बनारसीदास गुप्त की जानकारी के बिना भी बदलियों पदोन्नतियों ठेकों नियुक्तियों तथा लोगों की गिरफ्तारी और मुक्ति के आदेश जारी कर रहा था।

सुरेन्द्रसिंह हरियाणा में युवा कांग्रेस का नेता था। बाप और बेटे ने तय किया कि संजय के परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपने राज्य में आश्चर्यजनक रूप से सफल बनाया जाए। वे अधकचरे तरीकों में विश्वास नहीं रखते थे। लोगों को सार्वजनिक बसों से खींचकर बाहर निकाला गया कारखानों में से घेरकर लाया गया और नसबन्दी शिविरों में भेज दिया गया। पूरे के पूरे गांवों को ठीक आधी रात में घेर लिया गया और योग्य पुरुषों को बाहर लाकर आपरेशन की मेज पर डाल दिया गया।

पीपली गांव का एक सन्तानहीन विधुर युवक 25 वर्षीय हवासिंह किसी काम से मण्डल के दफ्तर गया था। रास्ते में अन्य योग्य यात्रियों के साथ उसे भी बस से उतार लिया गया और उसकी नसबन्दी कर दी गई। बाद में उसका घाव पक गया और वह युवक मर गया।

इसके कुछ ही दिन बाद मण्डल विकास अधिकारी पीपली गांव आया और

उसने नसबन्दी के लिए व्यक्ति मांगे। हवासिंह की मौत के बाद गांववाले बहुत खिन्न थे। फिर भी गांव के बड़ों ने योग्य पुरुषों को नसबन्दी के लिए तैयार करने का वचन दिया। लेकिन मंडल अधिकारी खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था। इसलिए रास्ते में पड़ी हरिजन बस्ती से उसने एक मोची को पकड़ लिया।

अगले दिन मंडल अधिकारी फिर आया। लेकिन नसबन्दी के लिए जाने में लोगों को अनिच्छुक ही उसने पाया। इसपर मंडल अधिकारी और उसके सहायकों ने हरिजन बस्ती में कुछ लोगों पर ताकत का इस्तेमाल किया। अब स्त्रियां बाहर निकल आई और उन्होंने इस जुल्म का विरोध किया। इससे मारपीट हुई जिसमें मंडल अधिकारी घायल हो गया। गांववालों ने इस दल को बाहर खदेड़ दिया।

इस घटना के बाद पीपली के लोग अस्थिर हो उठे। पुलिस के अत्याचार की खबर चारों ओर फैल गई और अगली सुबह ही आस पास के गांवों से हजारों आदमी आकर पीपली में इकट्ठे हो गए (कुछ सिर्फ दर्शकों के रूप में आए लेकिन जो स्वयं पुलिस द्वारा सताए जा चुके थे वे सहानुभूति में आए)। अधिकारियों ने अब पीपली से निबटने की तैयारी की।

पीपली के निवासियों के अनुसार पुलिस कुछ सौ की संख्या में गांव में आ धमकी। इस दल के अधिकारी ने पीपली के पुरुषों को बाहर निकल आने का आदेश दिया। जब वे बाहर निकल आए तो पुलिस ने गांव को घेर लिया। लगता है लोगों को डराने के लिए ही पुलिस ने कुछ गोलियां छोड़ी थीं। लेकिन एक गोली आंगन में काम करती एक स्त्री को लगी और वह वहीं मर गई। दूसरी गोली पड़ोसी गांव से आए एक व्यक्ति को लगी और वह भी मारा गया। एक तीसरा आदमी घायल हो गया।

अब आतंक और गड़बड़ी फैल गई। अब तक पास के गांवों से और भी अधिक लोग आ पहुंचे थे और भीड़ बढ़कर लगभग एक लाख हो गई थी। पुलिस सशस्त्र थी, पर इतनी बड़ी भीड़ का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसलिए पुलिसवाले वापस लौट गए। भीड़ में से बहुत काफी लोग अगले कुछ दिनों तक गांव में ही ठहरे रहे और पुलिस के जुल्म से पीपली की और उसके निवासियों की रक्षा करने के लिए तैयार रहे। पीड़ितों की ओर से संगठन का यह एक अनोखा उदाहरण था।

कुछ दिनों बाद पुलिसवाले फिर गांव में आए। गांव अब भी तनावपूर्ण और क्रुद्ध था। सरकारी अधिकारियों ने अब बात को समेटना चाहा। उन्होंने गांववालों से कहा कि इस पूरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को भुला दिया जाएगा यदि वे अपने यहां के योग्य पुरुषों को नसबन्दी केन्द्र में भेज दें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर पूरे गांव को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। गांववालों ने सोचा

कि नसबन्दी के लिए आदमी देने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।

एक दूसरा गांव जहां लगभग हर योग्य व्यक्ति की जबरन नसबन्दी कर दी गई थी राजस्थान सीमा का उटावर गांव था। इसमें लगभग पूरी आबादी मेवों की है। यहां भी पुलिस ने आधी रात में गांव पर घेरा डाला और दिन निकलने तक एक एक पुरुष को घरों से बाहर निकाल लिया। जब सड़क पर पुरुषों को इकट्ठा किया और गिना जा रहा था तो पुलिस छुपे हुए पुरुषों की तलाश में घरों में घुस गई। पता नहीं कुछ छुपे हुए पुरुष उन्हें मिले या नहीं लेकिन निश्चय ही सोने चांदी के गहनों समेत छुपाकर रखी हुई कीमती चीजें उनके हाथ आईं। तब पुलिस वालों ने अनाज के कनस्तरों अलमारियों और कोठारों में स्त्रियों द्वारा छुपाई गई नकदी पर हाथ साफ किया। जब स्त्रियों ने विरोध किया तो उन्होंने उनसे दुर्व्यवहार किया और उनके बरतन और कूड़ा आदि को तोड़ डाला।

पुरुषों को सीधे नसबन्दी केंद्रों में नहीं ले जाया गया। उन्हें पहले पुलिस थाने में ले जाया गया जहां उनके विरुद्ध मारपीट के शस्त्र रखने के और कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरा होने के मामले दर्ज किए गए जिससे वे पुलिस निगरानी से भाग न सकें। तब जाकर उन्हें नसबन्दी केन्द्र में लाया गया। उस एक अकेले गांव से एक महीने में 1200 से ऊपर व्यक्तियों की नसबन्दी की गई।

~

कठोर सेंसर को धन्यवाद अधिकारियों द्वारा की गई इन नृशंसताओं की कोई खबर उस समय प्रकाश में नहीं आई। ब्यौरे क्रमश रिस रिसकर फैले और इस सबके लिए जिम्मेदार सरकार में बदल की शपथ लेने के लिए इन ब्यौरों ने लोगों को उत्तेजित किया।

लेकिन गरीबों की नसबन्दी के लिए उन पर ताकत के इस्तेमाल का जहां तक सम्बन्ध है हरियाणा के गांव अपवाद नहीं थे। इसी प्रकार के भयावह अनुभवों की कहानियां दिल्ली उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी आ रही थीं। हरियाणा के बारे में खास बात यह थी कि राज्य के प्रशासन में भ्रष्टाचार का सड़ा हुआ मवाद भरे होने के साथ साथ इस अभियान में ठेठ बंसीलाल के ढंग का जुल्म भी शामिल कर दिया गया था।

हरियाणा राज्य विधानसभा के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने एक बार कहा था कि अरब देशों में यदि कोई एक फावड़ा चलाए तो तेल निकलकर बाहर आता है। उसी तरह हरियाणा की धरती में से जरा सा खोदने पर भ्रष्टाचार बाहर फूटता है। यद्यपि सब जाट दब गए लगते थे लेकिन वे चतुर लोग थे और बदले के लिए समय का इन्तजार कर रहे थे।

मधुर प्रतिशोध का अवसर अचानक और अप्रत्याशित रूप में उस समय

आया जब जनवरी 1977 में श्रीमती गांधी ने देश में चुनावों की घोषणा कर दी। बंसीलाल ने लोगों की उदासीनता को अधीनता का चिह्न समझ लिया। अपने असीमित अहंकार में पहले तो उसने सोचा कि अपने चुनाव-क्षेत्र भिवानी में एक बार जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी विजय को उसने निश्चित मान लिया था।

तब उसने दूर से आती जनता लहर की गड़गड़ाहट सुनी। आपातस्थिति में ढील आते ही उसने सुना कि मतदाता उसके विरुद्ध फुसफुसा रहे हैं और व्यापारी विद्रोह कर उठे हैं। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। उनकी इतनी हिम्मत! और तभी सेंसर के उठने में व धन मुक्त हुए समाचारपत्रों में हरियाणा के देहातों में घटी घटनाओं की भयानक सच्चाई प्रकाशित होकर सबके सामने आ गई। इसने राज्य सरकार और विशेषकर बंसीलाल के विरुद्ध लोगों के क्रोध को भड़का दिया।

बंसीलाल थोड़ा हिला। अब वह किसानों से मिलने और उनसे बात करने के स्तर तक नीचे उतर आया। उसने सीधे किसानों पर प्रभाव डालने की कोशिश की। उसने उनसे कहा, "देखो इंदिरा गांधी ने मुझे कितनी बड़ी कार दी है। इन वर्दीधारी नौकरों की ओर देखो। पूरी सत्ता मेरे चरणों में है। मैं धरती पर नहीं चलता। मैं एक मील ऊपर आकाश में उड़ता हूं। तुम लोग सोचते हो मैं इतनी ऊंची कुर्सी को छोड़ दूंगा? मैं इससे चिपका रहूंगा और चुनावों के बाद इंदिरा गांधी मुझे पहले से भी बड़ी ज़्यादा अधिकार देंगी।'

दीन हीन गांववाले चुपचाप उसकी बात सुनते रहे।

बंसीलाल ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि उसके लिए जनसभाओं का आयोजन किया जाए। वह अपनी बड़ी कार में बैठकर उन सभाओं में पहुंचा। उसके साथ उसका अनुचर समूह रहता था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, बड़े पुलिस अधिकारी, अंगरक्षक, क्लर्क और नौकर चाकर थे। लोगों पर इसकी कोई छाप नहीं पड़ी। वे आतुरता से चुनाव के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बंसीलाल ने जब उनसे कहा कि वे बेवकूफ हैं और जनता सरकार भी परिवार नियोजन के लिए वचनबद्ध है।

राज्य में उसके कार्यकर्ता दे मुख्यमंत्री बनारसीदास ने लोगों का ध्यान उन सुविधाओं की ओर अर्थात सिंचाई की नहरों, सड़कों व बिजली आदि की ओर खींचा जो कांग्रेस से उन्हें मिली थीं। उसने कहा, उन्हें बंसीलाल का अहसानमंद होना चाहिए और उसे मत देना चाहिए।

गांव वालों ने करारा जवाब दिया, "तुम सब लोग जो ताकत हो, सिंचाई की नहरों को भर दो और बिजली के खम्भों को उखाड़ ले जाओ। हम इनमें से कुछ

नही चाहिए। हम सिर्फ शांतिपूर्वक सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं।" उन्होंने जेलों में नजरबन्द लोगों की ओर इशारा किया।

इसपर बसीलाल ने सीधा बनकर उत्तर दिया कि आप लोगों को गलत सूचनाएं दी गई हैं। जेलों में कोई नजरबन्द ही नही है। जिन थोड़े से लोगों को पहले नजरबन्द किया गया था जेलों में रहकर वे मोटे हो गए हैं। कौन कहता है *उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है?*

लेकिन बसीलाल के किसी झूठ और किसी चालाकी ने काम नही दिया। अब क्रूर बसीलाल नम्र और निराश बन उठा। समय आया जब बसीलाल ने लोगों से सार्वजनिक रूप में माफी मांगी। भिवानी में वह मतदाताओं के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उसने प्रार्थना की जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में आप लोगों की सेवा की थी उन पिछले सवा आठ वर्षों में गलतियां मुझसे हुई होंगी। यदि मैंने गलतियां की हैं तो मैं हाथ जोड़कर उनके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं अच्छा हूं या बुरा मैं आपका हूं। आप मुझे हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। लेकिन याद रखिए जब मैं केन्द्रीय सरकार से बाहर आ जाऊंगा तो अगले पन्द्रह वर्षों में भी भिवानी को वहां प्रतिनिधित्व नही मिलेगा। मैं आप पर विश्वास करता हूं। *और मुझे विश्वास है भिवानी मुझे कभी धोखा नही देगी।*

अपने ठेठ तरीके से ही लगभग उसी समय एक दूसरी चुनाव सभा में उसे चुनौती देने का साहस करने और उसके विरुद्ध मत देने की सोचने तक की हिम्मत करने के लिए बसीलाल ने मतदाताओं को गालियां दीं। उसने बौखलाकर कहा 20 मार्च निकल जाए। तुममें से हर एक को मैं सबक सिखाऊंगा। निराश स्थिति में पड़े एक महत्वाकांक्षी की तरह वह बोल रहा था।

चिंतित मतदाता तसल्ली के लिए चुनाव-क्षेत्र में उसकी विरोधी श्रीमती चन्द्रावती के पास गए। उनका जवाब सीधा था 'उसे मौका ही न दो कि वह तुम्हें सबक सिखाए। चुनाव में हराकर उसे बाहर कर दो। इस समय ताकत तुम्हारे हाथों में है। यदि यह मौका तुमने खो दिया तो तुम हमेशा के लिए पिस जाओगे। मतदाता उससे सहमत थे। श्रीमती चन्द्रावती 16,000 मतों से जीत गईं।

यह कहना ठीक नही होगा कि बसीलाल को कोई समर्थन नही मिला। जनता पार्टी को उसने विरोधी का दुःख रहा कि उसकी जमानत जब्त नही हुई। लेकिन पूरा सरकारी तन्त्र और असीमित वित्तीय साधन उसके पक्ष में थे। श्रीमती चन्द्रावती याद करती हैं कि आरम्भ में चुनाव प्रचार के लिए एक जीप भी उनके पास नही थी। असल में अपना उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने के लिए अपने गांव दादरी से सार्वजनिक बस में बैठकर वे भिवानी गई थीं। लेकिन लोग जानते थे मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूं। उन्होंने मुझे वोट भी दिए और नोट भी दिए। उन्होंने कहा।

नई दिल्ली म 12 अप्रल 1977 को कांग्रेस कायसमिति के चुनाव-बाद के आत्मस्वीकार अधिवेशन म बसीलाल की कठपुतली, हरियाणा क मुख्यमन्त्री बनारसीदास गुप्त ने आखिर अपने आका के विरुद्ध जमी कडवाहट को मन से बाहर निकाल ही डाला। गुप्त न उदगार रखे कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए एक केन्द्रीय मन्त्री (उन्होंने नाम नही लिया लेकिन स्पष्ट सकेत बसीलाल की ओर था) की हर यात्रा के दौरान 5 से 10 प्रतिशत के बीच मत छिन जाते थ। गुप्त न आग बताया कि इस केन्द्रीय मन्त्री की जिद थी कि उसकी हर सभा म कम से कम एक लाख लोग होन चाहिए। श्रोताओ को इकट्ठा करन म जनता के विशाल वर्गों जिनम आम आदमी, अधिकारी और दल जिनकी गाडियां इस्तेमाल करता था उन ठेकेदारो की नाराजी मोल लनी पडती थी।

श्री गुप्त और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस क अध्यक्ष श्री निहालसिंह दोनों ने कहा यह पहली बार है कि व आपातस्थिति क दौरान हरियाणा के राजकीय मामलो क बारे म खुला बोल रहे हैं। गुप्त न कहा कि वे कुछ भी करने म असमय थ क्योंकि केन्द्रीय मन्त्री न अन्त तक उन्ह डराकर और दबाकर रखा। वस्तुत, गुप्त को निश्चय नही था कि अगले दिन वे पद पर रहगे या नही।

बसीलाल और उसका बेटा सुरेन्द्र सिंह अपने ही नगर भिवानी म इतने अलोकप्रिय ह कि व वापिस घर जान का साहस नही कर सकत और उन्होंने दिल्ली म ही घर बना लिया है।

भिवानी लौटन म बसीलाल के भय पर टीका करत हुए चन्द्रावती आश्वासन देती हैं "लकिन कोई उस मारने की चिन्ता नही करेगा। लोग चाहते हैं कि वह जिय और अपने दुष्कर्मों के परिणाम भुगत।

श्रीमती चन्द्रावती नम्रतापूवक कहती हैं कि उन्होंन कहा बल्कि बसीलाल के अपने कारनामा ने ही उसे हराया है। लोग 19 महीनो की आपातस्थिति की बातें करते ह। लकिन हरियाणा वालो का कहना है कि जब स बसीलाल राज्य का मुख्यमन्त्री बना था तभी से पिछल नौ सालो से, वे आपातस्थितियो म रह रह थे।

14
न्याय के मोर्चे पर

आने वाली तानाशाही की गड़गड़ाहट 1971 से ही सुनी जाने लगी थी। स्थिरतापूर्वक क्रम क्रम से हम इस दुभाग्यपूर्ण लक्ष्य की ओर बढ रहे थे। जिनकी चेतना अधिक संवेदनशील थी उसमें अनेकों वकीलों और कुछ पत्रकारों ने हवा में मिली इस अशुभ गंध को सूंघ लिया था। कानूनी बिरादरी में अनेक लोग इस पर उत्तेजित थे। पत्रकारों ने इस पर सम्पादकीय लिखे थे और कुछ इस कारण परेशानी में भी पड गए थे।

नए संविधान के लागू होने के बाद 1971 से पहले तक 21 वर्षों में कुल मिलाकर 22 संशोधन संविधान में किए गए। यह हर 11½ महीनों में लगभग एक संशोधन बैठता है। लेकिन 1971 के बाद 1974 तक इन्दिरा सरकार ने 15 संशोधन अर्थात मोटे रूप में हर 80 दिन के बाद एक संशोधन लागू किया। इससे भी अधिक यह कि लगभग इन सभी संशोधनों का जनता के कल्याण से बहुत थोडा सम्बन्ध था। इन सबका लक्ष्य किसी संभावित कानूनी अथवा संवैधानिक चुनौती के समक्ष सरकार की और विशेषरूप से प्रधानमन्त्री की स्थिति को मजबूत करना था।

जबकि कानूनी बिरादरी ने चिन्तापूर्वक देखा ये संशोधन वस्तुत देश के संविधान के मूलभूत ढांचे को ही बदल रहे थे। 24 वें और 25 वें संशोधन जो सम्पत्ति से सम्बन्ध रखते हैं नागरिक के मूलभूत अधिकारों को ही खोखला बना रहे थे। विधि निर्माताओं ने विवेकपूर्वक बहुत-कुछ न्यायपालिका की व्याख्या और उसकी समझ बूझ पर छोड दिया था। लेकिन अब उपबन्धों को अधिक रूढ बनाया जा रहा था।

आलोचना के प्रति सरकार की अनि भयन्दशीलता को लेकर प्रेस पहले से ही व्यग्र हो रहा था। अब उसने किसी भी असहमति के प्रति असहिष्णुता का रूप ग्रहण कर लिया था। *आपातस्थिति आने के साथ इस असहिष्णुता की जगह* इस धारणा ने ले ली कि जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरुद्ध है और इस धारणा के आते ही विरोधी पक्ष का इस नई परिस्थिति में उसके स्थान (मोर्चों के पीछे को छोडकर) से वंचित कर दिया गया। अब एकदलीय राज्य की ओर दृढतापूर्वक बढा जाने लगा था।

सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिए जाने की पेशकश ने भी

सविधान के पडितों को उद्वेलित किया था। वस्तुत इस पशवश को श्री पी० एन० लेखी न एक याचिका म चुनौती दी। उनकी मान्यता थी कि सविधान किसी भी राज्य का ऐसा दर्जा देने की इजाजत नही देता और ऐसा करने से सिक्किमवासियो को दुहरी राष्ट्रीयता (भारतीय एव सिक्किमी) प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार नया राज्य राष्ट्रपति की सत्ता क घेरे से इतनी दूर तक बाहर चला जाता है कि इस सहयोगी स्तर के कारण सिक्किम म राष्ट्रपति शासन लागू नही किया जा सकता। बाद म सहयोगी धारा को नए कानून से खारिज कर दिया गया था।

कानून की व्याख्या से सबधित एक बडी घटना जिसके दूरगामी परिणाम निकले थे, श्री अमरनाथ चावला क विरुद्ध श्री कवरलाल गुप्त की चुनाव-याचिका पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती द्वारा दिया गया फसला था। इसका सम्बन्ध चुनाव व्यय की मात्रा से और यदि ऐसा व्यय अनुमति सीमा से अधिक हो जाए तो उसके क्या परिणाम होगे इससे था।

न्यायमूर्ति भगवती का निणय था कि यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव म किसी उम्मीदवार की सम्भावनाओ को बनाने के लिए व्यय करता है तो वह व्यय उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर खच की गई राशि म जोडा जाना चाहिए और यदि उसके बाद व्यय अनुमति सीमा से अधिक ठहरे तो सम्बधित उम्मीदवार को चुनाव नियमो का अतिक्रमण करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।

इस फसले से इलाहाबाद के मुकद्दमे मे श्रीमती गाधी को सीधी चोट पहुचती थी क्योंकि यह स्वीकार कर लिया गया था कि उनके चुनाव म काग्रेस दल ने 3 5 लाख रुपये खच किए थे जबकि उन्होंने स्वय कुल 18000 रुपये खच किए थे। इलाहाबाद के मुकद्दम म प्रार्थी और 1971 के चुनाव म रायबरेली क्षेत्र मे श्रीमती गाधी क प्रतिद्वन्द्वी श्री राजनारायण को अपनी अपील म जीतने के लिए किसी अन्य साक्षी की जरूरत नही थी।

इस फसले के बाद जब सरकार ने चुनाव नियमो म परिवतन करते हुए और इन नियमो को पिछली तिथियो से लागू मानते हुए सविधान के 9वें सशोधन को पेश किया तो सरकार स्पष्ट ही अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही थी। स्पष्ट था कि सविधान म यह सशोधन पूरी तरह एक व्यक्ति अर्थात श्रीमती गाधी के निजी लाभ के लिए ही लाया जा रहा था।

आग श्रीमती गाधी के परिवार के फैलते हुए ऐश्वय को लेकर भी कानूनी बिरादरी काफी चिन्ता अनुभव कर रही थी। मारुति का मामला लोगो के दिमाग को उद्विग्न कर रहा था और यह महसूस किया जा रहा था कि मारुति को जारी किया गया अनुमति पत्र उद्योग नियमन कानून का दुरुपयोग था। यह भावना बन रही थी कि व्यक्तियों की सहायता करने के लिए कानून की प्रक्रिया को

तोडा मोडा जा रहा है और कार्यकारिणी के व्यापार का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसे कमजोर बनाया जा रहा है। वस्तुत जब श्री जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार से लडने का आह्वान किया था तब उनके दिमाग में प्रमुख मुद्दे के रूप में यही था।

वकील लोग कानून के इन तीन मूलभूत नियमों के अधिकाधिक क्षरण को लेकर बहुत चिंतित थे (क) न्याय के सामने समानता (ख) पूर्व सूचनीयता तथा (ग) अनियमितता की अनुपस्थिति। नए संशोधनों में प्रधानमंत्री के पद को कानून की पकड से ऊपर कर दिया। वस्तुत कानून की दृष्टि में जो पहले ठीक था वही अब नये कानूनों के हिसाब से गलत हो गया और कानूनसम्मत कदम उठाने वाले नागरिक पर भी बाद में गैरकानूनी कार्यवाही का आरोप लगाया जा सकता था क्योंकि नये कानून अतीत से लागू माने गए थे। यह सब एक आरजी ढंग से किया और लागू किया जा रहा था क्योंकि अदालतें अनेकों परिवर्तनों और नए कानूनों की युक्तिसंगतता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकती थी।

25 अप्रैल 1973 को तीन वरिष्ठतर न्यायाधीशों का हक मारकर श्री ए० एन० राय को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करके सरकार ने न्यायपालिका की स्वाधीनता पर घातक चोट की थी। यह नियुक्ति सरकार और शासक दल द्वारा एक निबद्ध न्यायपालिका के पक्ष में किये जा रहे आन्दोलन की चरम परिणति थी। इस प्रकार कार्यकारिणी के आदेश से न्याय के उच्चतम पद पर नियुक्ति के मामले में एक स्वस्थ परम्परा को तोड डाला गया।

लोक संघर्ष समिति की स्थापना नवम्बर 1974 में की गई थी। स्वयं को संगठित करने और गैर कानूनी कानून के विरुद्ध आंदोलन करने और कार्यवाही करने का पर्याप्त समय वकालत को नहीं मिला था। लेकिन वकीलों का एक उग्र दल सरकार के अकुशल एवं भ्रष्ट तरीकों के विरुद्ध आंदोलन में श्री जयप्रकाश के साथ एकत्र हो गया था।

इस पेशकश के उग्र प्रतिवाद के रूप में और कानूनी सम्प्रदाय में फूट डालने के उद्देश्य से शासक दल ने स्वतंत्रता एवं प्रजातंत्र के पक्षधर वकीलों' का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जिसमें कि सरकार की नीतियों एवं कार्यवाहियों के प्रति वकीलों के समर्थन को प्रदर्शित किया जा सके। इस घटना ने पूरी कानूनी बिरादरी को हो बहुत अधिक उद्विग्न कर डाला था।

श्रीमती गोखले के विधि मन्त्री श्री एच० आर० गोखले भारत द्वारा संविधान के ग्रहण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर को मनाने के नाम पर अप्रैल 1975 में किए गए इस सम्मेलन के ज्वलन्त अगुवा थे। निमंत्रित लोगों में प्रमुख थे, भारत के सालिसिटर जनरल श्री लालनारायण सिन्हा राज्यों के महाधिवक्तागण

श्री रजनी पटेल, श्री वमन साठे तथा श्री आर० के० गग। कुल मिलाकर लगभग 1000 वकील इस सम्मेलन में आए। सगठनकर्ताओं ने भाग लेने वालों को किराए पर उन्हें विभिन्न राजकीय अतिथिगृहों में ठहराया और उनकी अच्छी खातिर की।

यह कार्यवाही काग्रेस दल की उस नई युद्धनीति का अंग थी, जिसके अधीन बुद्धिवादियों के विभिन्न वर्गों में से सरकार के लिए पक्षधर समर्थक सगठित किए जाने थे। इसी प्रकार लेखकों और बुद्धिजीवियों, कलाकारों अध्यापकों, छात्रों और डाक्टरों तक के सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में भाषणों एव प्रस्तावों के माध्यम से श्रीमती गांधी की सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था।

सरकार द्वारा प्रेरित इस वकील सम्मेलन के अन्तिम दिन एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें श्री जयप्रकाश के आदोलन को फासिस्ट करार दिया गया था। एक प्रमुख वकील विरोधी पक्ष के श्री पी० एल० लेखी जिन्होंने किसी तरह इस विशिष्ट अधिवेशन का निमत्रण प्राप्त कर लिया था खड़े हो गए। उन्होंने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया उग्र प्रतिकार की धमकी दी और अन्त में इस प्रस्ताव के वापिस लिए जाने में सफल हो गए।

आपातस्थिति के लागू होने के बाद जो पहली गिरफ्तारियां की गई उनमें वकीलों की सख्या बहुत कम थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सघर्ष समिति के एक चरण वकीलों के आदोलन से पुलिस बहुत ही कम परिचित थी। इसलिए वकीलों में सक्रिय लोगों की पहले से तैयार सूची उसके पास नहीं थी। आठ वकील राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के साथ अपने सम्बन्ध के कारण गिरफ्तार किए गए। राजनीतिक अथवा सघर्ष समिति की गतिविधियों के कारण कुल चार ही पकड़े गए थे।

25 जून 1975 को आपातस्थिति लागू होने के साथ एक चौकड़ी की सहायता से स्थापित श्रीमती गांधी की व्यक्तिगत निरकुशता के पक्ष में कानून के शासन को पूरे देश में निलम्बित कर दिया गया था। चौकड़ी जिसके पास कोई सवैधानिक सत्ता नहीं थी धमकियां डांट डपटों और धोखाधड़ियों के माध्यम से माफिया की तरह काम करती थी। लैटिन अमेरिका के सैनिक गुटीय शासन की याद दिलाने वाले पुलिस शासन का स्वाद इन दिनों हमें मिला।

आपातस्थिति के लागू किए जाने के बाद 27 जून के सविधान की धारा 359 के अधीन राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया कि धारा 14 21 और 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तनार्थ अदालत में जाने के व्यक्ति के अधिकार आपातस्थिति की अवधि के लिए निलम्बित कर दिए गए हैं।

जिन धाराओं के प्रवर्तन को निलम्बित किया गया उनमें महत्त्वपूर्ण मूलभूत

अधिकार निहित है। धारा 14 भारत के प्रदेश के भीतर सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समानता और कानून द्वारा समान सुरक्षा की गारंटी देती है। धारा 21 कहती है कि कानून द्वारा निर्धारित पद्धति के सिवाय किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। धारा 22 निवारक नजरबंदी के अधीन पकड़े गए व्यक्तियों को कुछ महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है विशेष रूप से नजरबन्दी के आधार से सूचित किए जाने का अधिकार नजरबन्दी के आदेश के विरुद्ध शीघ्रतम अवसर पर आवेदन देने का अधिकार और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य व्यक्तियों से बने एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अपने मामले का परीक्षण कराने का अधिकार।

27 जून 1975 के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इन मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तनार्थ किसी अदालत में जाने का सभी व्यक्तियों का अधिकार आपातस्थिति की अवधि के लिए छीन लिया गया।

अतीत में जब भी धारा 14 21 और 22 के प्रवर्तन को किसी आपातस्थिति के दौरान धारा 359 के अधीन निलम्बित किया गया था तब यह निलम्बन उन व्यक्तियों तक सीमित रहता था जिन्हें भारत सुरक्षा कानून और भारत सुरक्षा नियमों के अधीन जारी किए गए आदेशों के द्वारा किन्हीं अधिकारों से वंचित किया गया हो अथवा किसी कानून के अधीन निवारक नजरबन्दी बनाया गया हो। 27 जून 1975 को जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश की ऐसी कोई परिसीमा नहीं थी। यह एक सर्वग्रासी आदेश था जो भारत के सभी व्यक्तियों पर लागू था। इस आदेश का और बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई इसकी व्याख्या का परिणाम यह हुआ कि देश में कानून का शासन वस्तुतः समाप्त हो गया।

वैधानिक एवं संवैधानिक संशोधनों की जो भीड़ बाद में आई उसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वाधीनता विशेषकर मीसा के अधीन नजरबंदियों की स्वाधीनता पर चोट करना ही था। गिरफ्तारियों और नजरबन्दियों से दमनकारी आदेशों के विरुद्ध जनवर्गों के प्रतिरोध से तथा विरोध को दबाने के लिए पुलिस एवं अन्य अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही में सम्बन्धित खबरों और मतों को पूरी तरह दबा दिया गया था। इसी प्रकार सरकार के समर्थन में संगठित सभाओं और सम्मेलनों के सिवाय बाकी सभी को रोकने के उपाय किए गए थे।

कई संशोधन तो धृष्टतापूर्वक स्पष्ट इस उद्देश्य से किए गए थे कि प्रधानमंत्री 12 जून 1975 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जिसने समग्र में उनके चुनाव को अवैध करार दे दिया था के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई अर्जी में सफलता प्राप्त कर सकें।

जहां तक मीसा के अधीन राजनीतिक नजरबन्दियों का प्रश्न है सरकार यह निश्चित कर लेने के लिए उत्सुक थी कि वे किसी अदालत में यह स्थापित न कर

सकें कि उनकी नजरबन्दी तथ्यतः अथवा कानूनन असद्भावपूर्ण थी। इस उद्देश्य के लिए मीसा में कुछ संशोधन किए गए। 29 जून 1975 को जारी किए गए एक अध्यादेश के द्वारा मीसा में एक उपबंध जोड़ा गया जिसके अनुसार किसी भी अन्य कानून में कोई भी प्रावधान होते हुए भी इस कानून के अधीन किसी भी नजरबन्दी को जमानत पर छोड़ा नहीं जाएगा। एक दूसरी धारा में उपबंधित किया गया कि यदि किसी नजरबन्दी के बारे में नजरबन्द करने वाले अधिकारी ने यह घोषणा कर दी हो कि उसकी नजरबन्दी आपातस्थिति का प्रभावपूर्ण ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है तो नजरबन्दी का आधार जानने का अथवा अपने मामले को सलाहकार बोर्ड के सामने प्रस्तुत कराने का अधिकार नजरबन्दी को नहीं रहेगा।

ऐसा न हो कि नजरबन्दी इस सामान्य कानूनी अधिकार पर कि कानून की इजाजत के बिना किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता निर्भर करने के हक का दावा करें इसलिए 15 जुलाई 1975 को एक दूसरा अध्यादेश जारी किया गया जिसमें (धारा 18) उपबंधित किया गया कि इस कानून के अंतर्गत नजरबन्द किसी व्यक्ति को किसी प्राकृतिक कानून अथवा सामान्य कानून के अधीन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।"

28 जुलाई को संसद का एक विशेष अधिवेशन किया गया, जिसमें एक विचित्र नियम बनाया गया। इसके अधीन घोषणा की गई कि सदन के अध्यक्ष के द्वारा अधिकृत रपट के सिवाय सदन की कार्यवाही की किसी रपट का प्रकाशित नहीं किया जाएगा। फलतः सिर्फ मंत्रियों के भाषण ही अखबारों में छापे जाने लगे। इस विशेष अधिवेशन में एक अधीन बहुमत की सहायता से अनेक दूरगामी संवैधानिक संशोधन शीघ्रतापूर्वक स्वीकार कर लिए गए।

कुछ नजरबन्दियों ने 26 जून 1975 की आपातस्थिति की घोषणा को इस आधार पर चुनौती दी थी कि घोषणा असद्भावपूर्ण है क्योंकि उस विशेष समय किन्हीं आंतरिक गड़बड़ियों से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। नजरबन्दियों ने 1971 की आपातस्थिति के जारी रखे जाने को भी इस आधार पर चुनौती दी थी कि बाहरी आक्रमण से पैदा होने वाला खतरा बहुत पहले ही लुप्त हो चुका है। इस चुनौती का सामना करने के लिए संसद ने अगस्त 1975 का एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें उपबंधित किया गया कि आपातस्थिति की किसी घोषणा के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि निर्णायक और अन्तिम मानी जायगी और किसी आधार पर किसी अदालत में इस चुनौती नहीं दी जा सकती। और उच्चतम न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय को यह कार्यक्षेत्र प्राप्त नहीं

होगा कि वह आपातस्थिति की घोषणा की अथवा ऐसी घोषणा को जारी रखे जाने की आवश्यकता पर विचार कर सके।

10 अगस्त को संसद ने 39वें संशोधन को स्वीकार किया। इस संशोधन के एक उपबंध के अनुसार 27 अधिनियमों को संविधान की नवीं अनुसूची में रखा गया। इसका अर्थ यह हुआ कि ये अधिनियम संविधान द्वारा दिए गए एक या अधिक मूलभूत अधिकारों के आधार पर किसी भी चुनौती से मुक्त हो गए। 39वें संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची में रखे गए अधिनियमों में से एक था उस समय तक यथासंशोधित मीसा।

ये सब तरीके भी जिनके अधीन उन्हें बन्दी बनाया गया उन गैर-कानूनी बातों का चुनौती देने से नजरबन्दियों को अथवा आपातस्थिति का बहाना लेकर सरकार द्वारा निर्धारित कठोर सीमाओं के चारों कोनों के भीतर नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए साहसिक प्रयास करने से उच्च न्यायालयों को रोक नहीं सके।

श्री कुलदीप नायर की बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका (सातवां अध्याय) पर दिल्ली उच्च न्यायालय के बेंच ने पत्रकार की नजरबन्दी को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि सरकार उनकी नजरबन्दी के लिए कोई कारण प्रस्तुत करने में विफल रही है। न्यायाधीश महोदय ने मत रखा कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भारत के संविधान के साथ पैदा नहीं हुए थे बल्कि ये मूल प्राकृतिक अधिकार हैं जिन्हें संविधान ने सुरक्षा प्रदान की है और संविधान का निलम्बन इन अधिकारों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता।

इसलिए 17 अक्तूबर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा करके मीसा में एक धारा जोड़ दी गई जिसमें उपबंधित किया गया कि नजरबन्दी का कोई आदेश और धारा 16 अ के अधीन की गई कार्रवाई घोषणा जिस आधार अथवा सामग्री को लेकर जारी की गई थी उसे प्रकट करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध समझा जाएगा।

आपातस्थिति प्रवर्तन के बाद राजनीतिक नजरबन्दियों की एक बहुत बड़ी संख्या ने अपनी नजरबन्दी के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की थीं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के एक पीठ ने उन लोगों की अनुपस्थिति में और बिना उनकी बात सुने आदेश दिया कि ऐसी सब याचिकाएं एक साथ वापिस ली गई मानकर रद्द कर दी जानी चाहिए। आवेदक नजरबन्दियों को पता भी नहीं लगा कि उन्होंने अपने आवेदन वापिस ले लिये हैं।

बड़ी संख्या में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन पड़ी थीं। उन पर सरकार की ओर से यह आपत्ति की गई कि

मविधान की धारा 21 के प्रवत ा के अधिकार के निलम्बित हो जाने के कारण किसी व्यक्ति का यह हक नही है कि वह इस आधार पर कि उसकी नजरबन्दी असदभावपूर्ण है अथवा अन्य रूप म अवैध है किसी अदालत म जाय।

अक्टूबर 1975 मे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता म उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने उच्च न्यायालयो को निर्देश दिया कि इस आपत्ति को प्राथमिक मुद्दा माना जाए, और याचिकाओ पर उनके सत्य के आधार पर विचार करने से पहले इस मुद्दे पर फसला दिया जाए। फिर भी एक के बाद एक सात उच्च न्यायालयो न यह निणय दिया कि धारा 21 क प्रवतन क अधिकार के निलम्बन का यह असर नही हो सकता कि कानून का शासन ही निलम्बित हो जाए और इसलिए नजरबन्दी को यह अधिकार है कि वह बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका इस आधार पर दाखिल करे कि उसकी नजरबन्दी मीसा के उपबन्धो के अनुसार नही है।

सरकार न इन अन्तरिम आदेशो के विरुद्ध अपीलें दायर की और विभिन्न उच्च न्यायालयो म विचाराधीन बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओ की आगे सुनवाई को स्थगित कराने क आदेश के लिए। इन अपीलो को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता म पाच न्यायाधीशो क एक पीठ न सुना था। ढाई महीने की सुनवाई के बाद और दो महीन क और विलम्ब क बाद एक क विरुद्ध चार क बहुमत स उच्चतम न्यायालय ने फसला दिया कि धारा 21 के प्रवतन के अधिकार को निलम्बित करन वाले राष्ट्रपति क आदेश की दृष्टि स किसी व्यक्ति का यह अधिकार नही है कि वह बन्दी प्रत्यक्षीकरण क लिए अथवा अपनी नजरबन्दी की वधता को चुनौती दने वाल किसी अन्य आदेश क आधार पर उच्च न्यायालयो म याचिकाए दाखिल कर सके।

एक प्रमुख विधिवत्ता श्री वी० एम० तारकुडे न इस फसल का यह कहकर वणन किया है 'कि भारत क न्यायिक इतिहास म किसी अदालत न इससे अधिक विनाशकारी और विध्वसक फसला नही किया होगा। फसल का मतलब यह है कि न्यायालयो क पास कोई कायक्षेत्र नही रहा है। एक ओर न तो वे यह तय कर सकत हैं कि आपातस्थिति की घोषणा असद्भावपूर्ण थी और दूसरी ओर एक बार आपातस्थिति घोषित होन ही तथा मूलभूत अधिकार निलम्बित होते ही अदालतो के पास कानून की इजाजत क बिना जीवन अथवा स्वत त्रता से वचित किए गए व्यक्तियो की रक्षा का कायक्षेत्र भी नही रहा है। यह न्यायिक आत्महत्या से कम नही कहलाया जा सकता। श्री तारकुडे न आग कहा उच्चतम न्यायालय क रुख को देखत हुए यह कठिनाई स ही सम्भव होगा कि देश क विभिन्न उच्च न्यायालय न्यायिक स्वतन्त्रता की अपनी परम्परा को जारी रख सकें।'

प्रेस पर सेंसर और बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका इन दो क्षेत्रो म भारतीय

न्यायालयों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वाधीनता के पक्ष में जो दृढ़ रुख अपनाया वह देश में घटी राजनीतिक घटनाओं से अन्यथा त्रस्त राष्ट्र के लिए सबसे अधिक उत्साहवर्धक सिद्ध हुआ।

मीनू मसानी बनाम बंबई राज्य के सेंसर अधिकारी विनोद राय के मामले में जो नवम्बर 1975 में बम्बई उच्च न्यायालय के सामने पेश हुआ न्यायमूर्ति डी० पी० मदन एवं न्यायमूर्ति एस० एस० कानिया ने रद्द लेखों की सामग्री का विश्लेषण करके यह मत प्रकट किया "प्रस्तुत आपत्तियां सेंसरशिप आदेश के किन्हीं भी प्रयोजनों अथवा उद्देश्यों से असम्बद्ध हैं। अधिकतर चिन्तित परिणाम कल्पनापूर्ण एवं दूर की कौड़ी है और ऐसी दृष्टि ग्रहण की गई है जिसे तर्कसंगत ढंग से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ग्रहण करना कभी सम्भव नहीं है। जो अनुमान किए गए हैं वे वास्तविकता के आधार अथवा सामान्य बुद्धि की नींव से इतने रहित हैं कि तर्क विद्रोह करता है और युक्ति को उनसे वितृष्णा होती है।"

दूसरा रोचक मामला था बड़ौदा के भूमिपुत्र की याचिका जिस पर उच्च न्यायालय ने मजबूत मत व्यक्त किया। नवम्बर 1975 में सर्वोदय सिद्धान्त के प्रति समर्पित एक पत्रिका भूमिपुत्र के सम्पादक और प्रकाशक श्री सी० दवे को कारण बताओ नोटिस दिया गया कि 26 अक्टूबर 1975 के भूमिपुत्र की सभी प्रतियों को तथा जहां वह छपता है उस यन्त्र मुद्रिका प्रेस को भारत सरकार 10 दिन के भीतर क्यों न जब्त कर ले क्योंकि 12 अक्टूबर 1975 को हुए नागरिक स्वतंत्रता सम्मेलन की दो रपटों को छापकर और प्रकाशित करके साविधिक आदेशों को भंग किया गया है।

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे० बी० मेहता एवं न्यायमूर्ति एस० एच० शेठ ने भूमिपुत्र के सम्पादक एवं प्रकाशक पर जारी किए गए नोटिस के एवं जब्ती के आदेशों को रद्द कर दिया। उनके फैसले में से निम्न प्रासंगिक विचार निकाले गए हैं

"यह सच है कि धारा 19 को जो अन्य बातों के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी निश्चित करती है साविधिक आदेश के अनुच्छेद (1) के उपअनुच्छेद (क) में उल्लिखित राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलम्बित कर दिया गया है लेकिन हमारे समाज की लोकतन्त्रीय प्रकृति को निलम्बित नहीं किया गया है। इसलिए धारा 19 के द्वारा मूलभूत अधिकारों के निलम्बन से निरपेक्ष मुक्त प्रेम एवं असहमति के अधिकार को जो लोकतन्त्रीय समाज के सत्व हैं हिंसा के भड़क उठने और सार्वजनिक अनुशासन के भंग होने को रोकने की स्थिति के सिवाय निलम्बित नहीं किया जा सकता।

जहां सरकार विरोधियों की हिंसक एवं ध्वंसात्मक गतिविधियों को दबाने के

लिए राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार है वहां विरोधी पक्ष को भी इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि शासक दल ऐसी गतिविधियों को दबाने के नाम पर कहीं लोकतन्त्र की नींवों को ही नष्ट न कर दे और एक तानाशाही अथवा एकाधिकारवादी रूप ग्रहण न कर ले।

मुख्य सेंसर के मार्गनिर्देशों पर टिप्पणी करते हुए फैसले में कहा गया है "किसी भी लोकतन्त्र में जनता पर उससे भयानक आघात नहीं किया जा सकता जैसा मुख्य सेंसर के मार्गनिर्देशों के द्वारा किया गया है। चाहे हम आपातस्थिति में से गुज़र रहे हों या सामान्य जीवन जी रहे हों, भले ही देश की असाधारण स्थिति की जरूरत हो कि लोगों की स्वतन्त्रता पर रोक लगाई जाए, पर मुख्य सेंसर द्वारा जारी किए गए एवं ऊपर उद्धृत मार्गनिर्देशों को कभी मान्य नहीं किया जा सकता। इन मार्गनिर्देशों से लोकतन्त्र की जीवनधारा सार्वजनिक आलोचना को ही खत्म कर दिया गया है और ये उसके हृदय को ही छेद गए हैं। ऐसे मार्गनिर्देशों को एक पल के अतिरिक्त समय के लिए भी प्रवर्तित रखना हमारी मनोवांछित लोकतन्त्रीय समाज व्यवस्था को नष्ट करना है। अतः हमारा मत है कि ऐसे मार्गनिर्देश, जिनका नियम 48 अथवा धारा 3 में निर्धारित सांविधिक प्रयोजनों में कोई उल्लेख अथवा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, गैरकानूनी और अप्रवर्तनीय हैं। मुख्य सेंसर स्वयं राजा से भी बढ़कर राजा के प्रति वफादार सिद्ध हुआ है और देश में एक मूलभूत लोकतन्त्र को बनाए रखने के लोगों के प्रयासों को उसने निष्फल कर दिया है।"

डा० मुरलीमनोहर जोशी और श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ के सम्मुख प्रस्तुत बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश श्री के० बी० अस्थाना ने नज़रबन्दी के आदेश को असदभावपूर्ण घोषित कर दिया और कहा कि नज़रबन्द करने वाले अधिकारी ने अधिनियम के मूल सिद्धान्तों को ही भंग कर दिया है और अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है। फैसले में आगे निष्कर्ष दिया गया कि जिस अधिनियम के अधीन आदेश दिया गया था वही अवैध है और नज़रबन्दी का आदेश जिस सामग्री पर आधारित था वह अधिनियम से असंगत है।

महाधिवक्ता की इस धारणा पर कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार खत्म कर दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इसका अर्थ यह हुआ कि इस अन्धकारपूर्ण वातावरण में आराम से तौर पर काम करने की पूरी शक्ति और सत्ता कार्यकारिणी को प्राप्त है। अर्थात् इस वातावरण में जो कि अन्धकारपूर्ण है हिटलर की आत्मा घूमेगी और उसका भूत नागरिकों के जीवन अथवा उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और आत्मसम्मान के साथ आंखमिचौनी का खेल खेलेगा और उन्हें आतंकित करेगा। जब 26 जून 1975 को आपातस्थिति की घोषणा

करते हुए राष्ट्रपति ने आदेश जारी किए थे कि धारा 15, 21 और 22 के अधीन अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति से अदालतों को वंचित कर दिया जाए तब उनके दिमाग में भी यह प्रतीति नहीं रही होगी।'

यह तथ्य दुःखदायक है कि स्वतन्त्र भारत के जीवन में आए इस घोरतम राजनैतिक संकट में देश के उच्च न्यायालय अवसर की मांग पर उठ खड़े हुए और नागरिकों के लोकतन्त्रीय अधिकारों के सच्चे और साहसी संरक्षक सिद्ध हुए। व्यंग्य की बात यह है कि उच्चतम न्यायालय आपातस्थिति द्वारा पंगु बना दिया गया और उसने उस प्रतिगामी शासन का पक्ष लिया जो भारतीय जनता को उस लोकतन्त्रीय जीवन पद्धति से दूर हटा देने के लिए कटिबद्ध था, जिस पद्धति को उसने अपने लिए चुना था।

अपने देश के इतिहास के इस काले अध्याय से एक पाठ हम यह सीखते हैं कि लोकतन्त्र का एकमात्र प्रभावी संरक्षक विशेषकर संकट के समय में एक स्वतन्त्र न्यायपालिका ही है और हम किसी राजनीतिक सरकार पर कभी यह विश्वास नहीं कर सकते कि वह सब परिस्थितियों में नागरिकों के लोकतन्त्रीय अधिकारों की गारंटी देगी और उनकी रक्षा करेगी। संसद एक लिखित संविधान की सृष्टि है, उसकी स्रष्टा नहीं। सिर्फ विशेष रूप से निर्वाचित एक संविधान सभा ही संविधान में मूलभूत परिवर्तन ला सकती है। संसद की प्रभुसत्ता इतनी दूर तक विस्तृत नहीं की जा सकती कि उसे संविधान के साथ मनमानी करने की अनुमति दे दी जाए।

15
नियति का हस्तक्षेप

और तब नियति ने हस्तक्षेप किया। अब तक एक सयानी और हिसाबी राजनीतिज्ञ जो अपनी सही समय की पकड के लिए प्रसिद्ध रही हैं उन श्रीमती गाधी की उस घटना क्रम पर स ही मुट्ठी ढीली पड गई जिस उन्होने ही गति दी थी।

हर चीज योजना के अनुसार बढिया चल रही थी। देश की अथ व्यवस्था अच्छी हालत म दीख पडती थी। विदेशी मुद्रा का कोष दो वष पहल की राशि से तिगुना दो अरब डालर तक पहुच गया था। लगभग पहली बार देश म औद्योगिक शान्ति थी और उत्पादन बढ गया था। शानदार फसल को धन्यवाद सरकार का अन्न कोष पूरे अतीत की अपेक्षा बहुत अधिक था।

उनकी सरकार न सविधान को अपनी बग्घी के नीचे कुचल डाला था और उनके बेट ने पुरानी दिल्ली की एक घनी बस्ती पर बुलडोजर चला दिया था और एक कुत्ता तक नही भौंका था। यह सच है कि कुत्ते नही भौंके थे क्योकि उनके मुहो पर छीके बधे हुए थे। पर तब भी उनकी गुर्राहट काफी दूर सुनी जा सकती थी उनके द्वारा जिनके पास सुनन के लिए कान थे।

कीडो की तरह श्रीमती गाधी के चारो ओर मडराते गुप्तचरो के सवव्यापक दल न उन्ह विश्वास दिला दिया था और उन्ह भी इसम रच स देह नही था कि जनता म अब भी वे सदा की भाति ही लोकप्रिय थी। और भारत जस देश म जनता ही दरअसल अथ रखती है। विरोधी राजनीतिक दलो तक ने कह दिया था कि व विध्वसक तरीको का आश्रय नही लेगे।

नागरिक और देहाती दोनो क्षेत्रो म उनकी सावजनिक सभाओ म एक विशाल भीड आती थी। वह भी इस धारणा को पुष्ट ही करती थी। कोई यह बतान का साहस नही करता था कि भीड क भीड म लोग स्थानीय अफसरो द्वारा खीचकर लाए गए है। और तब अपन को और हर एक को वे यह आश्वासन द डालती थी कि परिवार नियोजन के नाम पर स्थानीय अधिकारियो द्वारा किए गए अत्याचारो क जो विवरण सुन जाते हैं वे विरोधी पक्ष द्वारा बढा चढा कर कहे गए हैं और ऐसे उदाहरण इक्के दुक्के ही है।

जिन तानाशाहो का देवता नष्ट करना चाहते हैं उन्ह पहले अधा बना देते है।

मजय के कम्युनिस्ट विरोधी चुनाव और उनकी पश्चिम समर्थक पेशगश को धन्यवाद कि श्रीमती गांधी के बारे में पश्चिम की राय आश्चर्यजनक रूप में बदलकर स्पष्टता से मित्रतापूर्ण सहानुभूति और प्रशंसा तक पहुंच गई थी। श्रीमती गांधी समार के शीर्ष पर था। उन्होंने कभी भी इतना आत्म आश्वस्त अनुभव नहीं किया था। इस आशापूर्ण मन स्थिति में उन्हें कोई सन्देह नहीं था कि वे कुछ भी यहां तक कि चुनाव भी करा सकती हैं।

और इसलिए श्रीमती गांधी ने तय किया कि वे लोकसभा के चुनाव करायेंगी और यह भी कि मार्च 1977 उनकी और देश की दोनों की दृष्टि में सबसे अनुकूल समय है। अगले वर्ष कीमतों के बढ़ने और मानसून के ठीक न होने की आशंका है। इसलिए ठहरकर चुनावों को अगले वर्ष कराना जुआ खेलना ही होगा।

देश में इस समय चुनाव कराने से कांग्रेस दल की आन्तरिक सड़न को भी रोका जा सकेगा। चुनाव युद्ध की पुकार से दल में संगठन और एकता आएगी। वे भारी बहुमत से पद पर लौटेंगी और उनके शासक के जो थोड़े से आलोचक हैं उन्हें भी वे चुप करा देंगी। इसके अतिरिक्त मार्च में चुनाव कराने से विरोधी दलों को जेल से उनके नेताओं को तत्काल जेलों में से रिहा किया जाए शक्ति संगठन का बहुत ही थोड़ा समय मिलेगा।

18 जनवरी 1977 को श्रीमती गांधी आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बिना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के आईं और उन्होंने लोकसभा के भंग कर दिए जाने और मार्च 1977 के मध्य में आम चुनाव किए जाने की घोषणा की।

उन्होंने जनता से कहा कि उन्होंने लोकसभा को भंग कर दिए जाने की सिफारिश की है और राष्ट्रपति ने उनकी सलाह मान ली है। उन्होंने यह भी कहा कि मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की विहित राजनीतिक गतिविधियों के लिए आपात स्थिति में और ढील दी जा रही है।

लोगों के लिए यह घोषणा एक आनन्दप्रद आश्चर्य थी। क्योंकि कुछ ही समय पहले तो लोकसभा की कार्यावधि को एक वर्ष बढ़ा दिया गया था और इसलिए यदि हुए भी तो अगले 15 महीनों तक किसी चुनाव की आशा किसी को नहीं थी। वस्तुतः विजयी एकाधिकारवाद के वर्तमान वातावरण में लोग सोचने लगे थे कि निकट भविष्य में क्या कोई भी चुनाव होंगे!

पर इस समय क्या यह दूसरी इन्दिरा थी जो आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बोल रही थी और जो लोकतन्त्र के प्रति अत्यन्त समर्पित गरिमामयी संयमित एवं अनुभवमयी थी? अथवा इस बार भी उनका भाषण लिखने वाला कोई और था? 19 महीने पहले आपातस्थिति की घोषणा के कारणों को उन्होंने गिनाया और कहा अब प्रश्न यह है कि इन राजनीतिक प्रक्रियाओं को लौटाया

जाए जिन पर रोक लगाने के लिए हम मजबूर होना पडा था। हमारा यह भी विश्वास है कि ससदीय सरकार को जनता के सामने पहुचना चाहिए और राष्ट के कल्याण एव उसकी शक्ति के लिए निर्धारित कायक्रमो और नीतियो पर जनता की सही लेनी चाहिए।'

उन्होने लोगों को आश्वासन दिया कि वे लोकतत्र म और जनता के अधिकारो म विश्वास रखती है। उन्होने कहा हर चुनाव एक आस्था का काम है। साव जनिक जीवन म आई गडबडियो को साफ कर देने का वह एक अवसर है। इसलिए आइये, हम जनता की शक्ति को फिर से पुष्ट करने और भारत के स्वच्छ नाम को ऊचा करने का निश्चय लेकर चुनाव म भाग लें।"

कितने उदार भाव थे य !

उस स्मरणीय भाषण म श्रीमती गाधी ने कुछ देवी शब्द भी कह। उन्होने घोषणा की, परिवतन जीवन का पक्का नियम है। ससार म यह युग भारी परिवतनशीलता का युग है। समसामयिक समाज खतरो से भरा है और विकास शील देशो को इन खतरो स विशष आशका है। इसलिए सभी परिवतन शान्तिपूण होने चाहिए। हमार स्वाधीनता सघष की, महात्मा गाधी और जवाहरलाल नहरू की हम यही देन है।'

आकाशवाणी पर जाने से पहल ही श्रीमती गाधी ने श्री मोरारजी देसाई को छोड देने के आदेश दे दिए थ। श्री जयप्रकाश नारायण पहले से ही बाहर थ। अगले कुछ ही दिनो म एक एक करक अधिकतर बडे नताओ को छोड दिया गया।

मोरारजी की पहली प्रतिक्रिया थी लकिन समय बहुत ही कम है। चुनाव की तयारी हम कैसे कर पायेंग ! जाज फर्नेंडीज न तो चुनावो का बहिष्कार करने की वकालत की। लकिन श्री जयप्रकाश नारायण न चुनौती को स्वीकार किया और काम म जुट गये। विरोधी पक्ष को सम्बोधित करत हुए उन्होने सलाह दी आप लोगो को एक दल के रूप म लडना चाहिए।

अचानक मानो सूय की किरणो के स्पश स धुध साफ हो गई और राष्ट म सामान्य स्थिति वापस आ गई। 20 जनवरी को सरकार न सेंसर उठा लिए जाने और आपातस्थिति के विभिन्न उपबन्धो मे ढील द दिय जान की घोषणा की जिसस कि प्रतियोगी राजनीतिक दल सामान्य चुनाव गतिविधिया को चला सक।

उसी दिन श्री मोरारजी देसाई ने एक प्रस सम्मलन का बताया कि विरोधी दल आने वाले चुनावो के निए उम्मीदवारो की एक सम्मिलित सूची तयार करेंगे। विरोधी पक्ष आत्मविश्वास की कमी के बावजूद प्रस्तुत परिस्थितियो म चुनावो म यथासम्भव प्रशसनीय काय करन की आशा म था। अधिकतर प्रभशो

विशेषकर विदेशी प्रेस का अनुमान था कि श्रीमती गांधी एक बार फिर पर्याप्त बहुमत से जीतकर लौटेंगी।

फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ कि विरोधी पक्ष की त्वरित प्रतिक्रिया से और एक संयुक्त चुनाव नीति से श्रीमती गांधी व्यग्र हो उठीं। उन्हें आशा थी कि विरोधी पक्ष अस्त-व्यस्त और अप्रस्तुत मिलेगा। 22 जनवरी को कानपुर की एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा कि विरोधी दलों को नीतियों को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। जब वे इतनी अलग अलग नीतियों का अनुसरण करते रहे हैं तो अब उनका इकट्ठे होना लोकतान्त्रिक नहीं है।

श्रीमती गांधी इलाहाबाद कुम्भ के मेले में गई थीं। कहा जाता है कि वहां उन्होंने गंगा में पवित्र स्नान किया और तब अपनी गुरु और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक आनन्दमयी मां के दर्शन किये।

एक संयुक्त सूची की विरोधी पक्ष की युद्धनीति की श्रीमती गांधी द्वारा उग्र आलोचना और असहमति उनके पक्ष में घबराहट का पहला चिह्न थी।

यद्यपि अधिकतर विरोधी नेता छोड़ दिए गये थे लेकिन उनके अनेक कार्यकर्ता अभी भी जेल में थे। सरकार को उन्हें छोड़ देने की कोई जल्दी नहीं पड़ती थी और विरोधी दलों के पास अनुभवी समर्पित कार्यकर्ताओं की बहुत कमी थी। 25 जनवरी को सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर से प्रतिबन्ध हटा लिया। तीन दिन बाद विरोधी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल नजरबन्दियों की रिहाई के बारे में प्रधानमन्त्री से मिला। श्रीमती गांधी ने उत्तर दिया 'आदेश 21 को दे दिए गये थे लेकिन राज्य हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं।'

30 जनवरी को श्री मोरारजी देसाई ने रामलीला मैदान में जनता पार्टी के चुनाव-अभियान का आरम्भ किया। श्रोताओं की अभूतपूर्व संख्या और उनके देश भक्तिपूर्ण उत्साह दोनों ही दृष्टियों से यह सभा स्मरणीय है।

एक दिन पहले पटना में श्री जयप्रकाश ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था मैं मौत के दरवाजे से लौटकर आया हूं। हो सकता है ईश्वर देश के लिए कुछ काम मुझसे चाहता है। तब उन्होंने घोषणा की आने वाले चुनाव दलों के भविष्य का नहीं स्वयं मतदाताओं के भविष्य का निर्णय करेंगे।

श्रीमती गांधी के लिए दूसरी और गम्भीर रूप से अधिक अशुभ घटना वह थी जिसे जगजीवन बम कहा जाता है क्योंकि इसका भारत के राजनीतिक दृश्य पर प्रचण्ड प्रभाव पड़ा। 2 फरवरी को श्री जगजीवनराम ने मन्त्रिमण्डल से और कांग्रेस दल से अपने त्यागपत्र की घोषणा की।

श्री जगजीवनराम कांग्रेस दल के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे जो दल को प्रतिष्ठा और उससे भी अधिक हरिजनों का शक्तिशाली समर्थन एवं मत प्रदान करते थे। 1969 के दलीय संकट में वे दस्ता के साथ सिंडीकेट के विरुद्ध और श्रीमती

इन्दिरा गांधी के पक्ष में खड़े रहे थे और तब से आपातस्थिति के कठिन दिनों के दौरान उन्होंने अनुरक्तिपूर्वक श्रीमती गांधी का साथ दिया था, यद्यपि वे उनमें विश्वास और आस्था खोने लगी थी।

श्रीमती गांधी ने इस नाजुक समय में अपने दल के ऐसे वरिष्ठ सदस्य की ओर से इतने चरम कदम की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। यह स्पष्ट है कि जगजीवन बाबू ने उन्हें बुरी तरह हिला दिया। उसके बाद से उनके भाषणों का लहजा और तरव इस ओर इशारा करता है। बारी बारी से चिड़चिड़ी और रक्षात्मक वे बन उठी थी।

सरकार और दल से श्री जगजीवनराम का इस्तीफा एक से अधिक कारणों से विशिष्ट था। इस कदम ने उस भयानक गतिरोध को तोड़ दिया और भय की उस काली चादर को फाड़ डाला जो मन्त्रियों को कांग्रेस दल को और पूरे राष्ट्र को अपने में लपेटे थी और सबका सांस रोके हुए थी। इस अर्थ में श्री जगजीवनराम ने बिल्ली के गले में घण्टी बांधने का काम किया।

जब उन्होंने इन्दिरा गांधी एवं उनके बेटे के द्वारा किए गए अत्याचारों एवं बेइन्साफियों के क्रूर सत्य का उद्घाटन किया तब वे हर मन्त्री हर कांग्रेसी और देश के सामान्य जन की अनकही भावनाओं को ही अभिव्यक्ति दे रहे थे। उन्होंने उद्घाटित किया कि आपातस्थिति की घोषणा के प्रधानमन्त्री के निर्णय के बारे में मन्त्रिमण्डल से कोई सलाह नहीं ली गई। उसे सिर्फ सूचित किया गया था और इसीलिए उनकी यह कार्यवाही गैरकानूनी थी।

जगजीवन बाबू ने राजनीतिक विखण्डन की प्रक्रिया को गति दी जो देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में व्याप्त हो गई और जिसने अन्ततः श्रीमती गांधी की हार को पूर्ण पराजय में बदल डाला। जैसा कि श्रीमती गांधी ने उसे नाम दिया है श्री जगजीवनराम के विश्वासघात ने प्रधानमन्त्री को एक नपुंसक रोष की स्थिति में ला दिया। उसके बाद से लगा कि उनके भाषणों में से उनका वह जोरदार आत्मविश्वास गायब हो गया है।

श्रीमती गांधी ने शिकायत की कि श्री जगजीवनराम ने पहले ही दिन तो सरकार की आर्थिक सहयोग समिति की अध्यक्षता की थी। 2 फरवरी को प्रातः 10 बजे के लिए निश्चित कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में उन्हें आना था। जब वे नहीं आए तो उनके घर पर सम्पर्क किया गया। टेलीफोन पर बताया गया कि कुछ कारणों से बाबूजी को देर लग गई है। 11.30 तक श्री जगजीवनराम अपना त्यागपत्र भेज चुके थे।

पहले दिन श्री जगजीवनराम श्रीमती गांधी से मिले थे और उनसे उन्होंने आपातस्थिति उठा लेने का अनुरोध किया था। श्रीमती गांधी के अनुसार श्री जगजीवनराम उनके साथ सिर्फ पांच मिनट रहे थे। श्रीमती गांधी ने उन्हें

वचन दिया था कि वे आपातस्थिति को उठाने के बारे में गृहमन्त्रालय से बातचीत करेंगे। और उनके अनुसार एक घंटे के भीतर ही श्री ओम मेहता से इसका जिक्र उन्होंने किया। उनकी शिकायत रही कि उस संक्षिप्त बैठक में भी श्री जगजीवनराम ने त्यागपत्र देने के अपने फैसले का कोई संकेत उन्हें नहीं दिया।

श्री जगजीवनराम हंसकर कहते हैं निश्चय ही मैंने उन्हें नहीं बताया। मैंने उन्हें त्यागपत्र देने से पांच मिनट पहले भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने स्वीकार किया यदि वे वैसा करते तो कौन जानता है कि श्रीमती गांधी ने क्या *किया होता।*

जब तक उनका त्यागपत्र श्रीमती गांधी के पास पहुंचा श्री जगजीवनराम एक प्रेस सम्मेलन बुला चुके थे और मन्त्रिमण्डल एवं कांग्रेस से अपने त्यागपत्र की घोषणा कर चुके थे तथा समान विचार के कांग्रेसियों को अपने साथ आने का आह्वान दे चुके थे।

अतीत की तरह ही लगभग तत्काल ही श्रीमती गांधी का निवास एक बार फिर उन्हें जन समर्थन देने के उद्देश्य से 'स्वयंप्रेरित' प्रदर्शनों का स्थल बन गया। इस बार ये रैलियां श्री जगजीवनराम द्वारा दल त्याग के लिए उनकी निन्दा कर रही थीं और श्रीमती गांधी के प्रति वफादारी की शपथ ले रही थीं। *प्रधानमन्त्री के समर्थकों ने श्री जगजीवनराम की कार्यवाही को विश्वासघात* और पीठ में छुरा भोंकना बताया। 12 राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने श्रीमती गांधी के प्रति वफादारी की शपथ लेते हुए एक वक्तव्य जारी किया। हर राज्य में हरिजन-नेता के कदम की निन्दा करने के लिए सार्वजनिक सभाएं की गई। कांग्रेस की मशीन इस विचार की धुरी पर घूमने लगी।

दिल्ली में श्री बरुआ ने कहा कि एक व्यक्ति का त्यागपत्र कोई महत्त्व नहीं रखता और उससे दल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फिर भी श्री जगजीवनराम के चले जाने से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की एक त्वरित बैठक बुलाई गई। श्री जगजीवनराम के विरुद्ध क्रोध *ज्वार की तरह निर्मित किया गया जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जगजीवन बम* ने कांग्रेस दल पर कितनी दूरगामी छाप छोड़ी।

जब चापलूस लोग राज्यों की राजधानियों से प्रधानमन्त्री के प्रति वफादारी की शपथ लेने के लिए एक के बाद एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली ला रहे थे बाबूजी के प्रति श्रीमती गांधी का क्रोध आग की तरह सुलग रहा था। बांध में दरार पड़ चुकी थी और लोगों की एक नियमित धारा कांग्रेस को छोड़कर श्री जगजीवनराम की कांग्रेस फार डेमोक्रेसी में जा रही थी। हरिजनों के मत जो देश की आबादी के एक तिहाई बैठते हैं कांग्रेस से कटकर जगजीवनराम के दल की ओर आ रहे

थे। काग्रेस के लिए अपने मे यह घातक प्रहार था।

काग्रेस दल के चुनाव अभियान को आरम्भ करने के लिए पाच फरवरी को राजधानी म जा पहली सभा की गई उसीम लोगो की मनस्थिति तथा श्रीमती गाधी के लहजे और मिजाज म आया परिवतन स्पष्ट हो गया था। इस सभा के आयोजन मे बडी योजना तयारी और पैसा लगा था। मजदूरो आर गरीब वर्गों के लोगा को सावजनिक वाहनो के द्वारा सभा क स्थल रामलीला मदान म लाया गया था। सगठनकर्त्ताओ ने दावा किया कि सभा म दो लाख आदमी थे।

अभियान का उदघाटन करते हुए श्रीमती गाधी ने जनता पार्टी को अनेक दलो की जिनम राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ एव मार्क्सवादी भी शामिल हैं खिचडी कहकर रद्द कर दिया। बधी मुट्ठी उठाकर उन्होने घोषणा की कि 'यदि जरूरत पडेगी तो हम अपना खून बहाएगे, अपना जीवन देंगे लेकिन देश को कमजोर नही पडने देंगे। यह दीख रहा था कि उन्होने अपना सन्तुलन खोना शुरू कर दिया है। उन्होने कहा कि विरोधी दलो के लिए बिल्कुल जरूरी नही है कि व दूसरे देशों के लोकतन्त्रीय दलो के गुण गाए उन्हे गौरवान्वित करें और भारत के लोकतन्त्र को हीन बताय। तब अपनी आवाज ऊची करते हुए उन्होने कहा यदि वे अपने देश के लोकतन्त्र को पसन्द नहा करत तो वे अपनी पसन्द के उन देशो म अथवा जहा भी वे चाह जाने के लिए स्वतन्त्र हैं और उन्हें जाने ही दिया जाए। हम उन्ह यहा नही चाहत।'

आपातस्थिति के विरुद्ध तथा राजनीतिक नजरबन्दियो के बारे म विरोधी दलो की आलोचना का हवाला दत हुए श्रीमती गाधी ने कहा मैं यह साफ कर देना चाहती हू कि दुनिया की कोई भी सरकार और कोई भी दूसरा प्रधानमन्त्री विरोधी पक्ष को उतना बर्दाश्त नही करेगा जितना हमने किया है।

श्रीमती गाधी ने लोकतन्त्र म अपनी आस्था को फिर स पुष्ट किया और आग कहा भारत म प्रजातन्त्र रहा है और रहेगा।' तब उन्होने कहा कि यदि आपातस्थिति ने कुछ लोगो को असुविधा दी है, तो सरकार को उसके लिए दुख है। हम किसी के लिए कठिनाई पदा करना नही चाहत। और यह बात हमने आरम्भ म ही हर एक से कह दी थी।'

स्टटसमन के सवाददाता क अनुसार जब श्रीमती गाधी सभा स्थल पर पहुची तो लगभग 200 बैंड बाजे वालो न उनका स्वागत किया। श्रोताओ क सामन श्रीमती गाधी एव सजय गाधी के दो विशाल चित्र लगे हुए थे।

मच क सामन की विशाल आन्दोलित भीड शीघ्र ही अस्थिर हो उठी और केन्द्र म स्थित भीड का एक हिस्सा तीन बार जाने के लिए उठा, एक बार तब

जब श्री स्वर्णसिंह ने अपना भाषण शुरू किया, अगली बार जब श्री चह्वाण बोले और तीसरी बार जब श्रीमती गाधी बोल रही थी। पुलिस और काग्रेस के स्वय सेवक दो ओर से भीड को धकेल रहे थे और नीचे बैठा रहे थे। भीड की बेचनी को देखते हुए श्रीमती गाधी ने अपने भाषण को छोटा कर दिया और भीड को तीन बार जयहिन्द का नारा लगाने के लिए कहा।

श्री जगजीवनराम के त्यागपत्र ने चुनाव के लिए काग्रेस की योजनाओ को डगमगा दिया। युवा काग्रेस की इस माग को कि लोकसभा चुनावो के लिए दलीय नामाकनो म 50 प्रतिशत उनके होने चाहिए अब कूडेदान म डाल देना पडा यद्यपि उस समय श्रीमती गाधी ने और उनके कठपुतली ससदीय बोर्ड ने इस माग को अपना आशीर्वाद दिया था। इसका फल यह हुआ कि सजय की योजना के अधीन जिन पुराने काग्रेसियो के बिस्तर बाध दिए जाने थे व काग्रेस की नामाकन सूची म वापस आ बठे। कम स कम इन लोगों को तो श्री जगजीवनराम का कृतज्ञ होना चाहिए।

श्रीमती गाधी द्वारा काग्रेस का चुनाव-अभियान आरम्भ किए जाने के बाद छ फरवरी को उसी रामलीला मदान मे एक सभा म श्री जगजीवनराम और श्री जयप्रकाश बोले।

लोग दूर-दूर से इस सभा म आए। कितने ही लोग सुबह अपने घरों स चल कर पदल पहुचे। पुलिस का कहना है कि जनता पार्टी की इस सभा म इसी जगह पहले दिन की श्रीमती गाधी की सभा की तुलना म बहुत अधिक भीड थी। सरकार द्वारा नियन्त्रित दूरदशन ने भी जनता पार्टी की सभा से लोगों को दूर रखने के प्रयास म अपना योगदान किया। उन्होने इतवार की सन्ध्या के लिए निश्चित फिल्म वक्त के स्थान पर सदाबहार बाबी को घोषित किया और सामान्य स एक घटा पहले उसे शुरू कर दिया जिससे फिल्म का समय जनता पार्टी की सभा के समय से टकरा जाए। फिर भी उस सन्ध्या को रामलीला मदान म मानवो का समुद्र उमड पडा था। श्रोताओ ने खडे होकर श्री जयप्रकाश एव श्री जगजीवनराम का स्वागत किया। यह बात इस देश की सावजनिक सभाओ म पहले कभी नही देखी गई थी।

श्री जयप्रकाश ने दोहराया कि यह लडाई काग्रस और जनता पार्टी इन दो दलो के बीच नही है। मुद्दे इनस बहुत अधिक महत्त्व रखते हैं। मतदाताओ को लोकतन्त्र एव एकाधिकारवाद के बीच चुनाव करना है। उन्हें यह निश्चित करना है कि आपातस्थिति के डरावने दिन फिर कभी लौटकर न आयें।

श्री जयप्रकाश ने कहा कि काफी चिन्तन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि श्रीमती गाधी सत्ता स प्रेम करती है। कोई भी कीमत देनी पडे व सत्ता से चिपकी रहगी। उन्होने कहा कि वे चुनावो म पानी की तरह रुपया बहायेंगी। लेकिन

जनता पार्टी के पास पैसा नहीं है। उन्होंने श्रोताओं से आग्रह किया 'जीतने के लिए हमें आपके वोट भी चाहिए और आपके नोट भी चाहिए।"

श्री जगजीवनराम ने कहा कि '1969 में दल के विभाजन से पहले यह कहा जाता था कि कांग्रेस पर पांच या छः दादाओं का शासन है। पिछले 19 महीनों के दौरान पूरे देश पर डेढ़ दादाओं (इंदिरा और उसका बेटा) का शासन रहा है।' सभा के अंत में एक नेता ने माइक पर मजाक किया, 'अब आप लोग घर जाएं और बाबी' देखें।' भीड़ जोर से खिलखिला पड़ी।

अब श्रीमती गांधी एक देशव्यापी शानदार चुनाव यात्रा पर निकल पड़ी। शासक दल की सहायता के लिए पूरे सरकारी यन्त्र को कस लिया गया। जब 'लंदन टाइम्स' के संवाददाता ने इस तथ्य पर टिप्पणी की तो श्रीमती गांधी ने झट उत्तर दिया कि 'आकाशवाणी और दूरदर्शन का चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। सरकार में सजय के प्रभाव के बारे में एक और प्रश्न का उन्होंने यह उत्तर दिया, 'एक भी सरकारी निर्णय से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मन्त्रिमण्डल या मन्त्रिमण्डलीय समिति ही यह निर्णय लेती है।'

महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री श्री एस० बी० चह्वाण का कांग्रेस दल के चुनाव अभियान को योगदान एक भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेलों में नजरबन्द लोगों को तो श्रीमती गांधी का अहसानमन्द होना चाहिए। किसी और देश में तो उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ता श्रीमती गांधी ने तो उन्हें सिर्फ नजरबन्द ही किया था! श्रीमती गांधी ने जल्द ही अपने शाही अन्दाज को त्याग दिया। अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली में, जहां वे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गई थीं 17 फरवरी को एक सभा में उन्होंने कहा कि जब भी वे इस नगर में आई हैं विभिन्न योजनाओं के रूप में जनता को कुछ न कुछ देने आई हैं लेकिन इस बार मैं आप से कुछ अर्थात् आपका मत मांगने आयी हूं।" उनके वक्तव्य में विनम्रता आनी शुरू हो गई थी।

अब तक श्रीमती गांधी देश के आर-पार चल रही जनता हवा के प्रति अत्यन्त सचेत हो चुकी थीं। उन्होंने लोगों की भावनाओं को छूना शुरू कर दिया। पश्चिमी बंगाल में कोन्ताई में 19 फरवरी को एक भाषण में श्रीमती गांधी ने कहा 'ये दल मुझे घेरने और मुझे छुरा घोंपने के लिए एकत्र हुए हैं।' आगामी सप्ताहों में श्रीमती गांधी के अभियान का यही मुख्य स्वर बन गया।

जनता पार्टी ने 'घेरने और छुरा घोंपने' के इन आरोपों पर आपत्ति तो की ही उन्हें यह डर भी लगा कि कहीं श्रीमती गांधी भय और सन्देह का और हिंसा तक का ऐसा वातावरण पैदा न कर दें जिससे सार्वजनिक शान्ति भंग हो जाए और चुनाव रुक जाएं। बार-बार के ऐसे आरोपों में उन्हें अनिष्टकर मन्तव्य दीख पड़ा और उन्होंने ऐसे तरीकों से पैदा की जा रही स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित

करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा।

श्रीमती गांधी की दृष्टि में सब कुछ जायज था। मत प्राप्त करने के लिए उन्होंने साम्प्रदायिक विद्वेष एवं सहानुभूति को भी जागृत किया। भोपाल में, जो मुख्यतः मुस्लिम क्षेत्र है और जहां से कांग्रेस ने डा० एस० डी० शर्मा को खड़ा किया था, श्रीमती गांधी ने कहा कि जनता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखौटा भर है। उन्होंने मतदाताओं को उकसाया कि वे इस क्षेत्र से एक युवक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए जाने की जनता पार्टी की चाल में न फंस जाएं। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही राष्ट्रपिता की हत्या के पीछे था। उन्होंने इस तथ्य के बावजूद कहा कि नेहरू सरकार ने पूरी खोजबीन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस आरोप से बरी कर दिया था। पंजाब में श्रीमती गांधी ने सिक्खों को जनता पार्टी के विरुद्ध मोड़ने के लिए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ ने पंजाबी सूबे और पंजाबी भाषा का सदा विरोध किया है।

रांची में 27 फरवरी को श्रीमती गांधी ने घोषणा की कि जनता पार्टी की नींव गांधीजी के और सर्वोदय के सिद्धान्तों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के सिद्धान्तों पर टिकी है। उन्होंने एक महान नेता (अर्थात श्री जयप्रकाश) पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस और सेना को विद्रोह के लिए उकसाया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके भूतपूर्व साथी (अर्थात श्री जगजीवनराम) ने उनकी पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश की।

इतना सब श्रोता हजम नहीं कर सकते थे। उन्होंने कांग्रेस विरोधी और इन्दिरा विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे वे और भी अधिक भड़क उठीं। उन्होंने माइक में चिल्लाकर कहा, जितना अधिक आप चीखेंगे उतनी ही बड़ी जीत हमारी होगी।

16
यवनिका पतन

मार्च के आरम्भ में यह स्पष्ट हो गया था कि मतदाता कांग्रेस-दल के विरोधी बन गए हैं। श्रीमती गांधी इस रुख को देखकर बहुत ही उद्विग्न थीं। लगभग इसी समय, कहा जाता है, श्रीमती गांधी ने एक हताश योजना सोच निकाली जिसके अनुसार चुनाव रद्द कर दिए जाने थे और देश में सैनिक शासन की घोषणा कर दी जानी थी। विश्वास किया जाता है कि उन्होंने सेना प्रमुख जनरल टी० एन० रैना को अपनी इस योजना में सहयोग के लिए बुलाया। कहा जाता है कि जनरल रैना ने इस योजना में उनका साथ देने से पक्की तरह इंकार कर दिया। कहा जाता है कि राष्ट्रपति भी इस मामले में उनसे सहयोग के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस तनावपूर्ण अवधि में सैनिक अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि वे अपनी अपनी जगह सतर्क रहें।

आमतौर से जनता और कांग्रेस की चुनाव सभाएं एक दूसरे के ठीक बाद होती थीं। लोग कांग्रेस के वाहनों में आते थे, लेकिन जनता पार्टी की सभाओं में बैठते थे। कांग्रेस की सभाओं में या तो खिन्न खामोशी रहती थी या लोग कांग्रेस विरोधी नारे लगाते थे।

दक्षिण में श्रीमती गांधी का कोई उल्लेखनीय विरोध नहीं मिला। फिर भी वे धार्मिक एवं साम्प्रदायिक तर्क की लकीर ही पीटती और अब तक उनका खण्डन बन चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ही बोलतीं। 7 मार्च को कोचीन में उन्होंने कहा कि दक्षिण के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के बारे में नहीं जानते। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि अल्पसंख्यकों के हित और उनका भविष्य सिर्फ कांग्रेस के हाथों में ही सुरक्षित रह सकेगा। दक्षिण में जाने पर वे धार्मिक नेताओं से मिलने का विशेष ध्यान रखती थीं।

उत्तर में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जिन्हें परम्परा से युद्धों एवं आक्रमणों को झेलना पड़ा है, श्रीमती गांधी बाहरी खतरे की बात करती थीं। वे कहती थीं भुट्टो जीत गया है और पाकिस्तान एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर आया है। वे अपने श्रोताओं को याद दिलातीं कि हम नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान ने एक बार भारत के साथ 'सहस्रवर्षीय युद्ध' की बात की थी। वे कहतीं 'आपने बहादुर सिपाही पैदा किए हैं। आइए हम इस देश को कमजोर न बनने दें और बाहरी खतरों से इसे बचाएं।'

श्रीमती गांधी लगता है पकड़ खो रही थी। 13 मार्च को लखनऊ में उन्होंने कहा "बड़े संकट का समय है" और उन्होंने कुछ गम्भीर घटनाओं का हवाला दिया और बाकी "इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी।" तब उन्होंने घोषणा की "वे मुझे चारों ओर से घेरकर मार डालने की कोशिश कर रहे हैं।" श्री जगजीवनराम द्वारा सरकार एवं कांग्रेस से त्यागपत्र को उन्होंने "नीचतम कोटि का काम" बताया। वे चिल्लाकर बोलीं "उन्होंने प्रधानमन्त्री और उनके पद से विश्वासघात किया है और उनका अपमान किया है। प्रधानमन्त्री का अपमान करके उन्होंने देश का अपमान किया है।"

व्यग्र श्री जयप्रकाश आश्चर्य करते थे कि कैसे एक व्यक्ति को देश के बराबर रखा जा सकता है? यदि वे प्रधानमन्त्री हैं तो कैसे वे देश के कानून और आलोचना से ऊपर हो सकती हैं?

हरियाणा में बंसीलाल के चुनाव क्षेत्र भिवानी में बोलते हुए श्रीमती गांधी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे ज्यादतियों को भूल जाएं और क्षमा कर दें और कांग्रेस में अपने नये सम्बन्ध जोड़ें। दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों को उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी अनधिकृत बस्तियां को नियमित कर दिया जाएगा। पुनर्वास बस्तियों में जाकर उन्होंने विस्थापितों को स्वामित्व के अधिकारों अधिक अच्छे जीवन और अधिक सुविधाओं का वचन दिया। मंगोलपुरी में सीधे सादे गरीब लोगों से उन्होंने कहा "मैं आपकी बहन की तरह आपका वोट मांगने के लिए आपके पास आई हूं।"

श्रीमती गांधी की मन स्थिति आशंका से आतंक तक नीचे उतर आई। चुनाव अभियानों पर लिखने वाले पत्रकार जनता लहर की और आपातस्थिति के दौरान किए गए अपमानों और अत्याचारों पर लोगों के रोष की अविश्वसनीय कहानियां लेकर लौट रहे थे। संजय और इंदिरा दमन एवं एकाधिकारवाद के प्रतीक बन चुके थे। जिस ढंग से अफसरों ने लोगों से व्यवहार किया था उससे लोगों की मानवीय प्रतिष्ठा पर आघात हुआ था।

नई दिल्ली में देहाती क्षेत्रों से आने वाली इन कहानियों को बुद्धिजीवी काफी सन्दिग्ध दृष्टि से देखते थे। 1971 और 1972 के अपने अनुभव के आधार पर इन कहानियों पर विश्वास करने से उन्होंने इन्कार कर दिया था। वे जोर देकर कहते थे "अन्त में श्रीमती गांधी जीत जाएंगी। नाराज होकर भी लोग मत उन्हीं को देंगे। पूरे देश के साधन उनके हाथ में हैं।" इन्दिरा गांधी सरकार के प्रति जनता के रोष की गहराई को नापने में वे विफल रहे थे। ज्यादतियों का दोष स्थानीय अधिकारियों पर डालने के सरकार के कायरतापूर्ण प्रयास को धन्यवाद इस बार नौकरशाही भी कांग्रेस के विरुद्ध हो गयी थी।

प्रधानमन्त्री के अपने राज्य उत्तर प्रदेश में भी जिसे इलाहाबाद के नेहरू

परिवार पर सन्ना में गव रहा है सोग अब भिन्न भाषा बोल रहे थे। परिवार नियोजन की ज्यादतियों के अतिरिक्त लोग मीसा और भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत की गई गिरफ्तारियों पर नाराज थे। जबकि 1971 में था, श्रीमती गांधी गरीबों और पददलितों की आदरपूर्ण सरक्षक अब नहीं रही थी।

लोगों की सहानुभूति पन्नटकर मुक्त हुए उन नजरबन्दियों की ओर मुड गई थी जिन्होंने सरकारी दमन के कारण कष्ट सहा था और जो अब लोकतन्त्र एव सामान्यजन के प्रति न्याय के लिए लड रहे थे। श्रीमती गांधी अपना करिश्मा खो चुकी थीं। श्रीमती गांधी एव उनके बेटे का यशस्वी बनाने वाले रेडियो से किए जाते सरकारी प्रचार में अब लोगों का कोई विश्वास नहीं रह गया था। गांवों तक में लोग सच्ची खबरों के लिए बी० बी० सी० सुनते थे।

हरियाणा में बंसीलाल की क्षमा याचनाओं और श्रीमती गांधी की व्यक्तिगत यात्राओं के बावजूद लोग अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कब वे राजनीति के नक्शे से शासक दल को मिटा डालें। कठिनाई से ही कोई गांव बचा होगा, जिसने बंसीलाल और उसके पुत्र युवा कांग्रेस के नेता सुरेन्द्र के हाथों कष्ट न सहे हों।

अमेठी में संजय कोई अजनबी नहीं था। वह और उसका गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने विमान से आकर द्वितीय विश्वयुद्ध के जमाने की एक पुरानी हवाई पट्टी पर पहले भी उतर थे और उन्होंने ग्रामीणों में उत्कण्ठा यहां तक कि आतंक भी पैदा किया था। जहाज उड़ाने वाला स्वामी लोगों के लिए एक असामान्य बात थी। पास के रायबरेली क्षेत्र को जो लाभ मिले थे, उनसे लोग पूरी तरह परिचित थे और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि संजय चुन लिया गया तो अमेठी को भी वे सब वरदान मिलेंगे।

संजय ने नगर में एक प्रभावशाली और आरामदेह दफ्तर खोल लिया था। वहां जीपें थीं और कार्यकर्ताओं की भीड थी। अमेठी का भूतपूर्व राजा तथा उसका पुत्र संजय के सक्रिय प्रचारक थे। इसके मुकाबले जनता उम्मीदवार एक छोटे-से कस्बे के वकील श्री रवीन्द्रप्रताप सिंह ने एक कमरे का मामूली दफ्तर बनाया था। उसके कार्यकर्त्ता और प्रचारक थे उत्तरप्रदेश के छात्र और दिल्ली एव पंजाब जैसी सुदूर जगहों से आए मुक्त नजरबन्दी। उनके पास जीपें नहीं थीं। बाइसिकलें तक नहीं थीं। कन्धों पर अपने लिए कुछ कपडे कुछ मीठा और भुने हुए चने लेकर वे डालकर वे श्री जयप्रकाश, लोकतन्त्र, मानवीय प्रतिष्ठा और वोट की कीमत के बारे में बातें करते हुए एक गांव से दूसरे गांव घूम रहे थे। गांव के लोग उनकी बातें सुनते थे। वे बोलते नहीं थे लेकिन उन्होंने अपना निश्चय दृढ कर लिया था।

एक विदेशी संवाददाता ने जो उस समय अमेठी गया था जब संजय और उसकी पत्नी मनका क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे और उपहार बांट रहे थे एक रोचक अनुभव बताया है। पहली बात तो यह कि संजय संवाददाता से और उसके पीछे

घिसटते फोटोग्राफर से खुश नही था। विदेशी सवाददाता के अनुसार मजय गाव वाला स अधिक बात नही करता था। वह बस उनका अभिवादन करता था और उन्हे मत दने के लिए कहता था। उसकी पत्नी उपहार लेकर चलती थी जिसम अन्य चीजो के साथ विवाहित स्त्रियो का शृगार कुकुम भी रहता था। एक गाव म सन्ता की तरह उसन एक स्त्री को कुकुम दना चाहा। उसने यह कहकर इकार कर दिया कि उम उसकी जरूरत नही है। मेनका ने सुझाव दिया 'अपनी बेटी का दे दना।' लकिन स्त्री न अब भी इकार कर दिया। मेनका न अपनी कार म स एक कलेण्डर निकाला जिम पर श्रीमती गाधी का चित्र था। उसन कहा शायद तुम अपनी झापडी की दीवार पर इसे लटकाना चाहोगी। नही स्त्री का उत्तर था। उसकी झोपडी म पहले स ही एक कलण्डर है।

तब तक कुछ और स्त्रिया वहा इकट्ठी हो गई थी। लकिन किसी न भी मेनका से कोई उपहार स्वीकार नही किया। एक बीमार बच्चे को दखकर मनका ने प्रस्ताव रखा कि इसे पास के गाव म डाक्टर के पास ले चला जाए। लकिन मा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

तब मेनका न सुझाव दिया कि यदि वह अकेली आना नही चाहती ता वह अपन पति को अपन साथ ल जाए। इसम समय नही लगेगा क्योकि वह उन्हे कार म भजगी। (मेनका ने पीछे चलत विदेशी सवाददाता स इस काम के लिए अपनी कार दन की प्राथना की थी।)

बच्चे की मा आखिर म बोली तुम क्या चाहती हो कि मेरा पति साथ चले ? क्या नसबन्दी के लिए ? उसने एक सीत्कार की और तब मुडकर अपनी झापडी म चली गई।

चण्डीगढ म काग्रसी उम्मीदवार श्री सतपाल कपूर की सावजनिक सभाओ म लोगो न चीख चिल्लाकर उन्हे बोलने नही दिया। जब व बाजार क्षेत्र म प्रचार के लिए गए तो लोगो न उन्हे घेर लिया और वापस जाओ के नारो म उनका स्वागत किया। दिल्ली के कुछ नेता श्री सतपाल की सहायता के लिए पहुचे तो उनस भी ऐसा ही रूखा व्यवहार किया गया।

एक सभा म जब भीड ने श्री सतपाल कपूर को बोलने नही दिया तो एक काग्रसी ने चुनाव के बाद मतदाताओ को सबक सिखाने की धमकी दी। यह धमकी काग्रसी उम्मीदवार के लिए और अधिक परेशानी का कारण बन गई। मच पर स्थित काग्रसियो को लोग चीख चिल्लाकर चुप करा देते और वे जल्दी से अपनी दुकान उठाकर गायब हो जाते।

जालन्धर म 11 माच को श्रीमती गाधी न जिस सभा के सामने भाषण दिया वह लोगो के मिजाज और राज्य म काग्रस की इज्जत का मापदण्ड थी। एक शानदार सभा करने के लिए उत्सुक राज्य सरकार न पास के कस्बो गावो स लोगो

को लाने के लिए सकडो बसो का इतजाम किया था। सरकारी दफ्तरो ने अपने कर्मचारियो को दोपहर बाद की छुट्टी दे दी थी जिससे वे सध्या समय सावजनिक सभा म जा सकें।

यहा तक कि सभा का समय साय 7 30 से बदलकर दिन छिपने से पहले का कर दिया गया था, जिससे लोगो को घर लौटने मे देरी न हो। नगरपालिका के कर्मचारियो मेहतरो, रिक्शा चलाने वालो और तागवालो को सैकडो की सख्या म जलूस के रूप म सभा के स्थल बलटन पाक म लाया गया था। अनेक हरिजनो को मच पर बिठाया गया था, जिससे काग्रेस के प्रति हरिजनो के समथन को प्रदर्शित किया जा सके।

मुफ्त वाहन और दफ्तर स आधे दिन की छुट्टी का लाभ उठाकर लोग आए थे लेकिन वे खिन्न थे। काग्रेस के वक्ताओ ने श्री जगजीवनराम के विरुद्ध जो विचार रखे उन्होने और उनके द्वारा किए गए इस रहस्योद्घाटन ने कि अकालियो को उनकी अपनी प्राथना पर गिरफ्तार किया था श्रोताओ को विरोधी बना लिया था और वे अस्थिर हो उठे थे। जब सभा समाप्त हुई तो वे काग्रेस द्वारा लाई गई गाडियो म बठकर घर की ओर चल दिए और रास्ते म उन्होने जनता समथक और काग्रेस विरोधी नारे लगाए।

उत्तरप्रदेश मे जब जनता पार्टी के कायकर्त्ताओ ने गावो म पार्टी के झण्डे बाटे तो लोगो ने कहा कि उन्ह अपने साधन व्यथ नही करने चाहिए। गाववालो ने एक शरारतभरी मुस्कान के साथ बताया कि हमारे पास आपके झण्डे पहले स ही हैं। 'काग्रेस कायकर्त्ता उमस पहल उनके यहा झण्डे बाट चुके थे। लोगो ने इन झण्डो म से सफेद हिस्सो को निकाल दिया था और हरे और नारगी को परस्पर सीकर जनता पार्टी के झण्डे तयार कर लिए थे। कुछ क्षेत्रो म जनता पार्टी के कायकर्त्ताओ से कहा गया, हम जानते हैं हम क्या करना है। आप लोग गावो म जाइए जहा आपकी जरूरत है। हमारे बारे म चिन्ता मत करिए। यहा आपका काम हम सभाल लेंगे।'

श्री जगजीवनराम के गढ और चुनाव क्षेत्र सहसराम की ओर काग्रेसी नेताओ ने विशेष ध्यान दिया था। श्रीमती गाधी के अतिरिक्त श्री बरुआ श्री मीरकासिम तथा श्री कमलापति त्रिपाठी प्रचार के लिए सहसराम गए थे। उनका वहा काले झण्डो से स्वागत किया गया था। जब काग्रेसी कायकर्त्ताओ ने 'इन्दिरा गाधी की जय' के नारे लगाए तो लोगो ने उत्तर दिया लोकनायक जिन्दाबाद।

जब सहसराम के लोगो से श्रीमती गाधी के प्रति समथन की अपील की गई तो उन्होने दृढतापूवक नही म जवाब दिया। लगभग हर झोपडी चाय की दुकान और हर साइकिल पर जनता पार्टी के नारगी और हरे रग लहरा रहे थे। काग्रेस

के प्रदेश अध्यक्ष सीताराम केसरी ने झूठ मूठ फलाया कि जनता कायकर्त्ताओ न कांग्रेसी नेताओ पर घातक हमने किए हैं लकिन लोगो पर इसका कोई असर नहीं पडा।

बिहार के मुजफ्फरपुर चुनाव क्षेत्र न उग्र ट्रेड यूनियन नेता श्री जाज फर्नेडीज को उनकी अनुपस्थिति म चुना। व बडौदा डायनामाइट मामले म अपराधी थ और अभी तक जल म थे। उन्होंने अपने कांग्रेसी प्रतिद्वन्द्वी का तीन लाख से ऊपर मतो के भारी अ तर से हराया।

कांग्रेसी प्रचारक देहाती क्षेत्रो को दिए गए लाभो और सुविधाओ की तथा ग्रामीणो को दिए गए कर्जों की बातें करते थे। अन्त म लोग उन्ह याद दिलाते थ कि इन कर्जों को लन क लिए उन्ह कांग्रेसी कायकर्त्ताओ को रिश्वतें देनी पडी थी।

अन्त मे राज्यो की कांग्रेसी सरकारें और स्थानीय प्रशासन सामूहिक रिश्वतें दने म जुट गए। पजाब सरकार न अपने कमचारियो को जनवरी 1977 की पिछली तारीख से दो अतिरिक्त महगाई भत्ते देने की घोषणा की। पश्चिमी बगाल म राज्य कमचारियो का किराया भत्ता 10 से बढाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। सरकार न डाक्टरी सहायता को लगभग दुगना कर दिया और महगाई भत्ते को बढाने का वचन दिया। उत्तर प्रदेश के नगरो की नगरपालिकाओ ने अपने कमचारियो को किराया भत्ता दने की घोषणा की और राशनकार्डों पर अतिरिक्त चीनी दने के आदेश भी दिए। मुस्लिम मतदाताओ को खुश करने क लिए चमडा कमाने क कारखानों के कमचारियो क न्यूनतम वेतन बढा दिए गए।

कर्नाटक मे कुछ समय पहल हवानूर आयोग ने राज्य म पिछडे वर्गों के लिए 32 प्रतिशत नौकरियो क सरक्षण की सिफारिश की थी। इन सिफारिशो को खत्ते मे डाल दिया था। इन्ह अचानक वहा से निकाल लिया गया और सिफारिश किए गए 32 प्रतिशत के स्थान पर सरकार ने पिछडे वर्गों क लिए 40 प्रतिशत सरक्षण की घोषणा की। मुसलमानो और ईसाइयो को भी उन्होने पिछडी श्रेणी म रख दिया। केरल म सरकार न चावल की कीमत म 25 प्रतिशत की कमी घोषित की। मध्यप्रदेश म राज्य कमचारियो को अतिरिक्त महगायी भत्त की किश्तें देने का वायदा किया गया।

श्री जगजीवनराम और जनता पार्टी क नेता मतदाताओ को खुश करन के लिए सरकारी अधिकारो के दुरुपयोग पर झीकते रहे, लेकिन इस बारे म व कुछ भी नही कर सकत थ। घणास्पद नसबन्दी अभियान को रातो रात सजय क पाच सूत्रो क साथ दफ्ना दिया गया था। फिर भी क्षमा याचनाए धमकिया रिश्वतें, साम्प्रदायिक एव जातीय अपीलें लोगो क क्रोध को शान्त नही कर सकीं।

श्री जयप्रकाश यह सब देख रहे थे। लेकिन सामान्यजन की मूलभूत गरिमा आत्मसम्मान और सत्यनिष्ठा में उनकी आस्था थी। उन्होंने पिछले दमन की याद उन्हें दिलाई और भावी खतरों के प्रति उन्हें आगाह किया।

राष्ट्र के मतदान पर जाने से तीन दिन पहले नई दिल्ली से उन्होंने एक 'अन्तिम अपील' जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि शासक दल अभी भी काले कानूनों का नाम जप रहा है।" उन्हें इसमें कोई सन्देह नहीं था कि यदि मौका दिया गया तो वे इन काले कानूनों का इस्तेमाल लोगों के विरुद्ध करेंगे। 'यह आपका अन्तिम अवसर है। यदि आप चूक गए तो 19 महीनों का अत्याचार 19 वर्षों का आतंक बन जाएगा।' श्री जयप्रकाश ने कहा कि जनता पार्टी का लक्ष्य प्रगति और न्याय है। और 'इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वतन्त्रता पहली आवश्यकता है।' उन्होंने आगे कहा, जब स्वतन्त्रता खो जाती है तो सब कुछ खो जाता है।

उन्होंने कहा कि आपातस्थिति की ये नृशंसताएं एक स्वतन्त्र समाज में सम्भव ही न हुई होतीं। लोग प्रेस, सार्वजनिक मत, प्रदर्शनों एवं आन्दोलनों के माध्यम से इस दमन के विरुद्ध उठ खड़े हुए होते। लेकिन दुर्भाग्यवश समाज को गुलाम बना लिया गया था। उसने अपनी स्वतन्त्रता खो दी थी। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हों।' एक स्वतन्त्रता ही उनके ऐसा होने की गारन्टी दे सकती है।

उन्होंने प्रश्न किया, "शासक जवाबदेह कैसे हो सकते हैं जब न्यायपालिका के प्रभाव को ही खत्म कर दिया गया हो? आप भ्रष्टाचार का अन्त कैसे कर सकते हैं जब आप उसके बारे में न बात कर सकते हैं न लिख सकते हैं? कैसी भी जवाबदेही कैसे आ सकती है, जब सत्ता पिछले कमरे में बैठे उन लोगों के द्वारा चलायी जाती हो जो किसी भी पद पर न हों?"

उन्होंने मतदाताओं को याद दिलाया, "उन लोगों ने अन्तिम क्षण पर सुविधाएं देकर आपको रिश्वत देने की कोशिश की है। इनमें किसी भी सुविधा से भी आप पथभ्रष्ट न हों। अर्जुन की तरह बनिए और उसी की तरह अपनी दृष्टि को केन्द्रीय मुद्दे से इधर उधर न होने दीजिए। वह मुद्दा है 'स्वतन्त्रता या गुलामी, लोकतन्त्र या एक वंश की तानाशाही।"

अन्त में 20 मार्च 1977 का नियतिपूर्ण इतवार आ ही गया।

सन्ध्या के 8 बजे तक दिल्लीवालों ने स्तम्भित करने वाला यह समाचार सुन लिया कि दिल्ली केन्द्रीय प्रदेश के सातों चुनाव-क्षेत्रों में कांग्रेस जनता पार्टी से हार गई है और वह भी भारी बहुमत से। कांग्रेस ने अन्तिम क्षण में जो संशोधित गणनाएं की थीं उनसे उन्हें सात में से कम से कम दो स्थान जीतने की आशा बन गई थी। लेकिन यहां भी वे गलत सिद्ध हुए।

इसने पूरे उत्तरीय भारत के लिए एक रुख निश्चित कर दिया।

7 बजे सन्ध्या तक समाचार एजेंसी और समाचार पत्रों के दफ्तर इस अविश्वसनीय खबर से चमत्कृत थे कि रायबरेली से श्रीमती गांधी श्री राजनारायण से पीछे हैं। कोई इसपर विश्वास नहीं कर सका। उनका बेटा संजय भी अमेठी से श्री रवीन्द्रप्रताप सिंह से हार रहा था।

8 बजे तक खबर आई कि श्री राजनारायण और श्रीमती गांधी के बीच का फासला तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सरकार द्वारा नियन्त्रित दूरदर्शन की 8 बजे की खबरों में आन्ध्रप्रदेश में कांग्रेस की विजयों का ही जिक्र किया गया और रायबरेली एवं अमेठी की अधिक महत्त्वपूर्ण गणना के बारे में कुछ नहीं कहा गया। बाद की खबरों में यह कटु सत्य बताने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। लेकिन इस खबर के बाद ही करुणापूर्ण भजन प्रसारित किए गए।

हर्षोत्फुल्ल भीड़ ने जिसकी आंखें बहादुरशाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों के बाहर लगे विशाल चुनाव-पट्टों के बदलते अंकों पर टिकी थीं, इस आनन्दपूर्ण समाचार को आतिशबाजियां छोड़कर मनाया। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। एक दूसरे का आलिंगन किया और खुशी से चीख चीखकर आकाश गुंजा दिया।

मन्त्रिमण्डल की एक तात्कालिक बैठक प्रधानमन्त्री के घर रात के 10 बजे बुलाई गई और उस क्षण तक की स्थिति पर विचार किया गया। मन्त्रिमण्डल ने कार्यकारी राष्ट्रपति श्री बी० डी० जत्ती से उस आपातस्थिति को उठा लेने की सिफारिश की जो पिछले 20 महीने और 20 दिन से देश में लागू थी।

रात के 1 बजे रायबरेली में गिनती पूरी हुई। अब कोई भी संदेह नहीं रह गया था कि श्रीमती गांधी उस चुनाव-क्षेत्र में हार गई हैं जिसे उन्होंने इतनी लगन और पक्षपात के साथ पाला था। तथाकथित अनियमितताओं के आधार पर फिर से गिनती कराने का अन्तिम क्षण का प्रयास भी विफल हो गया।

21 मार्च का प्रात जब समाचारपत्र आए तो इस खबर से दुनिया की नसों में बिजली-सी दौड़ गई और देश ने हर्ष मनाया। आखिरकार लम्बी रात का अन्त हो गया था और सूर्य फिर से चमक रहा था।

और जब इस ग्रीक त्रासदी पर पर्दा गिर रहा था तो देश ने और संसार ने इन्दिरा गांधी को अब भी मंच के बीचों बीच खड़ा देखा। इस नाटकीय उपसंहार के लिए अब भी पश्चात्ताप रहित, अनम्र अविनत भाव से वे प्रेस को, विरोधपक्ष के तरीकों को, नौकरशाही को और अपने चतुर्दिक के हर व्यक्ति और हर चीज को दोष दे रही थीं।

उनके चारों ओर अंधेरे में उस दुर्ग के खण्डहर और टूटे फूटे पत्थर बिखरे

पड़े थे, जिस दुर्ग का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और जो अविभेद्य, अनश्वर और शाश्वत माना जाता था।

इन खण्डहरों के बीच एक कोने में दुबका संजय गांधी दीख पड़ रहा था—वह बिगड़ा हुआ लड़का जो अब भी आंख तरेर रहा था और जो इस भयानक विनाश के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार था।

उपसंहार

अपने देश के जीवन के इस भाग्यपूर्ण क्षण में एक पतला दुबला आदमी जिसकी आवाज़ में नम्रता है पर हृदय में चाहे जैसी दृढ़ता, भारतीय जनता का नेतृत्व करने के लिए आगे आया। वह दृढ़ता के साथ और बिना डगमगाये एकाधिकारवाद के घोर अंधेरे में से उसे लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता तक ले गया।

भारतीय जनता लोकनायक जयप्रकाश की लगभग उतनी ही ऋणी है जितनी कि महात्मा गांधी की। मार्च 1977 में उसके साथ जो गुजरा वह एक दूसरी मुक्ति थी और श्री जयप्रकाश की अपने लोगों में अडिग आस्था तथा विभिन्न राजनीतिक मान्यताओं वाले जन नेताओं के दिलों और दिमागों पर उनकी पकड़ ही यह चमत्कार ला सकती थी।

जब अन्य नेता हिचकिचा रहे थे और डांवाडोल थे उस समय 78 वर्ष के इस रुग्ण व्यक्ति ने उस बीड़े को उठा लिया जिसे दो महीने का बीच देकर चुनाव की शक्ल में श्रीमती गांधी ने पूरी तरह अप्रस्तुत विरोधी पक्ष के सामने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए फेंक दिया था। डायलिसिस के कक्ष में लगातार आने और जाते हुए भी और सदा अशान्ति की स्थिति में रहते हुए भी श्री जयप्रकाश ने अपनी जनता का मार्गदर्शन करने, उसे उत्साहित करने तथा उसके नेताओं के हृदय में हिम्मत भरने की शक्ति और उसका समय निकाल लिया था।

इस संवेदनशील आत्मा ने जिसने 25 जून 1975 को श्रीमती गांधी के भारी हथौड़े की चोट से सुन्न होकर निराशा में भरकर अपनी डायरी में 21 जुलाई को यह लिखा था कि "मेरी दुनिया खंड-खंड होकर मेरे चारों ओर बिखर गई है" शीघ्र ही अपने को संभाल लिया। वह शीघ्र ही अपनी स्फूर्ति को फिर से प्राप्त कर लेता है और अपनी जेल की कोठरी से या अस्पताल के बिस्तर से श्रीमती गांधी पर गरजना जारी रखता है।

जब अपनी नजरबन्दी के चार दिनों के भीतर ही उन्हें आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और वहां से बम्बई के जसलोक अस्पताल भेजना पड़ा था, तो बताया जाता है कि विशेषज्ञों की राय के आधार पर भारत सरकार को यह आशा नहीं थी कि श्री जयप्रकाश कुछ दिन से अधिक जियेंगे और उसने अनिष्ट की तैयारी कर ली थी और उनकी अन्त्येष्टि तक का प्रबन्ध कर लिया था।

लेकिन जीने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के अपने दृढ़ निश्चय के कारण

श्री जयप्रकाश इस संकट से बच गए और फिर यात्राओं एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के इस श्रम में कूद पड़े जो उनकी आयु के व्यक्ति को भी थकाने के लिए काफी था।

देश का सौभाग्य है कि अपने स्वप्न को पूरा हुआ और देश में लोकतन्त्र वापिस आया देखने के लिए श्री जयप्रकाश अभी भी हमारे बीच में हैं। जनता का मार्ग दर्शन करने के लिए तथा जनता पार्टी के नेताओं को धरकर इकट्ठा रखने और एक ही जुए के नीचे काम करने का अभ्यस्त उन्हें बनाने के लिए वे अभी हमारे बीच में हैं।

यह एक प्रखर गाथा है और इसपर एक पृथक पुस्तक लिखी जा सकती है।

चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति के नक्शे को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर डाला। परिवर्तन दूरगामी और विशिष्ट सिद्ध हुए हैं। इस सन्दर्भ ने लगभग रातों रात आपातस्थिति से पहले की नामावली को असंगत और पुरानी कर दिया है। 19 महीनों की भयानक परीक्षा में भारतीय राजनीति में लम्बे समय से बनी अनेक पुरानी धारणाएं एवं अर्थ-संकेत घुनकर नष्ट हो गए और नए मापदण्डों या मूल्यों ने उनका स्थान ले लिया। जनता सरकार के आने के साथ निष्ठा, संयम एवं सार्वजनिक कर्तव्य भावना जैसे शब्द एवं मुहावरे छलपूर्ण मधुर आवाज मात्र न रहकर नैतिक क्रिया एवं राजनीतिज्ञों के आचरण के मापदण्ड बन गए हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसा हमेशा के लिए हो गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, जनसंघी, जमाती, मुस्लिम लीगी, पुराने कांग्रेसी, भारतीय लोकदल के इन सदस्य— सब एक साथ श्रीमती गांधी के एकाधिकारवादी दमन के कांड के नाच रहे थे। 19 महीनों तक जेल की कोठरियों में एक साथ रहे हैं और उन्होंने कष्ट सहे हैं। वे बहुत निकट से एक दूसरे को जान और समझ गए हैं। एक दूसरे के सिद्धान्तों एवं नीतियों पर निर्मम भाव से विचार करने का और व्यक्तिगत एवं अन्य बातों को चिन्तन का और यहां तक कि एक दूसरे को पसन्द करने का काफी समय उन्हें मिला है। नये नैतिक परिवेश में सम्प्रदायवादी जैसे शब्दों ने अपनी चुभन खो दी है।

इस प्रकार जब वे सब जनवरी और फरवरी 1977 में छूटकर आए, तो उन्होंने अपने अतीत को दफना देने, एक नया पन्ना पलटने, एक दल बनाकर एक मार्ग पर काम करने का दृढ़ संकल्प किया जिससे कि सामान्य एक चरम लक्ष्य को अपनाकर तानाशाही को सदा के लिए बहिष्कृत किया जा सके और इस देश में लोकतन्त्र फिर से लाया जा सके।

आपातस्थिति तथा इसके दुरुपयोग एवं सत्ता के गलत इस्तेमाल से जो सबसे

बड़ा लाभ देश को हुआ वह है 70 प्रतिशत जनता में इस राष्ट्र में आई राजनीतिक जागृति। इस राष्ट्र को अभी दूसरे दिन तक भेड़-बकरियों का राष्ट्र समझा गया था जिसे चालाक राजनीतिज्ञ के संकेत पर जिसे वह चाहे मत देने के लिए मजबूर किया जा सकता था।

इस शुभ क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए हम श्रीमती गांधी एवं उनके पुत्र संजय को धन्यवाद देना चाहिए। मानवों से पशुओं की तरह बरतने के उनके क्रूर मनमाने तरीकों ने ही जनता को विद्रोह करने और अपने मत की शक्ति को पहचानने के लिए उकसाया। अब क्योंकि जनता ने अपना शक्ति पहचान ली है इसलिए वे कभी इस हथियार पर जंग नहीं लगने देंगे और अब से बाद के हर चुनाव में इसका अच्छे प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करेंगे।

अभी भी ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं जब मतदाताओं ने अपनी इच्छा को आग्रहपूर्वक घोषित किया है और नेताओं को बताया है कि वे क्या करें और क्या न करें। लोग सीधे बिहार के मुजफ्फरपुर नगर से चलकर दिल्ली आए और उन्होंने जार्ज फर्नेंडीज से अपनी बात कही और उन्हें आदेश दिया कि वे सरकार में शामिल हो जाएं। इससे पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने के श्री मोरारजी देसाई के निमंत्रण को वे अस्वीकार कर चुके थे। श्री फर्नेंडीज को उनके सामने जाना पड़ा उनसे क्षमा मांगनी पड़ी और उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन देना पड़ा।

श्री जगजीवनराम भी जनता मंत्रिमंडल में शामिल होने से अभी हिचकिचा रहे थे। उनके घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोग यह नाटक बन्द करो की पट्टियां लिए हुए थे। इस प्रदर्शन ने ही बाबूजी को मजबूर किया कि वे फौरन निर्णय लें और मोरारजी सरकार में शामिल हो जाएं।

उत्तर में नौ राज्य विधान सभाओं के लिए नामांकन चाहने वालों ने जो भद्दे दृश्य उपस्थित किए उनका मतदाताओं पर क्या बुरा असर पड़ेगा इससे केन्द्र के दल के मुख्यालय व और राज्यों के सभी नेता बहुत अधिक घबड़ाए हुए थे। वस्तुतः पिछले 30 वर्षों में भारतीय राजनीतिज्ञ को सार्वजनिक आलोचना के प्रति इतना संवेदनशील इतना क्षमायाचक और अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने के लिए इतना प्रस्तुत हमने कभी नहीं पाया था।

अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति कांग्रेसी विधायकों के अतीत के दम्भी रुख की तुलना में यह एक उल्लेखनीय परिवर्तन था। 20 महीनों के दमन के बाद अंततः प्रेस लगता है अति सतर्क और अति आलोचक बनकर सामने आया था।

इसमें दो राय नहीं है कि सजग सतर्क और राजनीतिक दृष्टि से सचेत मतदाता लोकतन्त्र के लिए अनिवार्य है लेकिन सत्ता एक चढ़ने वाली शराब है। मतदाता अपनी इस नव-आविष्कृत शक्ति का दुरुपयोग न करें इसके लिए राज्य

का कर्तव्य हो जाता है कि वह मतदाताओं को उनकी जिम्मेदारियों की शिक्षा भी दे।

एडवर्ड ए० शाईलाच ने चेतावनी दी है कि अशिक्षित जनता जब राजनीति रत हो जाती है तो उसमें चेष्टा का और ऐसी माँगें पेश करने की भारी सामर्थ्य पैदा हो जाती है जो समाज के विकासपरक लक्ष्यों की दृष्टि से संगत नहीं होतीं। इसलिए संकट यह है कि सक्रिय लोकतन्त्र को जनता के सहभाग में शक्ति तो ग्रहण करनी चाहिए पर साथ ही यदि सहभाग ऐसी विशिष्टताएं ग्रहण कर ले जो मूलभूत रूप में विवेकशून्य (अर्थात् क्रियाशीलता की विरोधी) हों तो लोकतन्त्र का अनिवार्य उपकरण उसके विनाश का यन्त्र बन जाता है।

केन्द्र में 30 वर्ष तक अविच्छिन्न चले कांग्रेस के शासन का अन्ततः उलट जाना और उसके स्थान पर समान रूप से अधिकारी और क्षमता सम्पन्न एक नई उत्साही पार्टी का आ जाना लम्बे समय से पल रहे उस सपने की उपलब्धि का प्रतीक है जिसके अनुसार देश में एक स्थायी द्विदलीय प्रणाली की स्थापना अभिप्रेत थी। और यह संसदीय लोकतन्त्र के लिए एक अनिवार्य शर्त भी है।

किसी भारतीय को इस बात का अफसोस नहीं होगा कि कांग्रेस दल अब भी सापेक्षतया ज्यों का त्यों है और नई लोकसभा में उसे 154 सदस्यों की शक्ति प्राप्त है। असल में हम सब तो यह आशा करते हैं कि इंदिरा शासन के कारनामों की छानबीन के लिए नई सरकार ने जो तीन आयोग बिठाए हैं अगले कुछ महीनों के बीच उनके रहस्योद्घाटनों की तेज चमक में कांग्रेस पूरी तरह बिखर नहीं जाएगी। श्री मोरारजी देसाई द्वारा विरोधी दल के नेता को औपचारिक मान्यता दी जाना और सरकार के हर बड़े निर्णय में उनसे परामर्श करने का उनका वचन विशेष रूप से प्रशंसनीय है। इसी प्रकार जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर का यह सार्वजनिक वक्तव्य भी तारीफ के योग्य है कि वे चाहते हैं कि कांग्रेस दल बना रहे।

इसका कारण यह है कि समुचित समान शक्ति का विरोधी पक्ष ही सरकार को चौकन्ना और उसके आचरण को सर्वोत्तम बनाए रख सकता है। पिछले चुनावों तक हमारी राजनीतिक प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसमें सत्ताधारी दल को कोई गम्भीर चुनौती नहीं थी। इस स्थिति ने सरकार को अनुत्तरदायी और खंडित विरोधी पक्ष को गैर जिम्मेदार बना दिया था और दोनों के परस्पर स्थान बदल लेने की कोई आशा ही नहीं रही थी।

लेकिन क्या यह खिचड़ी जनता पार्टी चल पाएगी? क्या यह मिली जुली पार्टी उन सैद्धांतिक दबावों और बोझों को सह पाएगी जो उस समय उसपर आएंगे जब सरकार गम्भीर और उलझी हुई आर्थिक समस्याओं से आमने सामने होगी? और ऐसा शीघ्र ही होने वाला है। देशभक्ति और एक जीवन्त विकल्प देश

को प्रदान करने की सामान्य इच्छा यदि बनी रहे तो कोई कारण नहीं कि जनता पार्टी अपनी कठिनाइयों पर विजय न प्राप्त कर सके और पूरी अवधि तक सरकार न चला सके।

यह ध्यान रखने योग्य है कि आंग्ल सक्सन बिरादरी से बाहर पश्चिमी यूरोप में बहुध्रुवीय राजनीतिक प्रणाली और संयुक्त सरकार अपवाद न होकर नियम हैं और यह प्रणाली समझौते एवं समन्वय के आधार पर काम करती है। दूसरी ओर हमारे देश में तो विरोधी पक्ष एक सामान्य कार्यक्रम एवं सहमत नीति के आधार पर पहले ही एक संगठित दल बन चुका है। सरकार का सुचारु रूप से काम करना इन सब बातों से सहज हो जाना चाहिए।

फिर यदि गहराई से सोचें तो इस देश की जरूरतें इतनी मूलभूत और प्राथमिक हैं कि विभिन्न विचारों वाले अवयवों के बीच एक सामान्य कार्य पद्धति विकसित होना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। विशेषकर इसलिए कि बारीक सैद्धांतिक मतभेदों को यहां स्थान नहीं है। घोर व्यापक गरीबी बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि ये तीन मूलभूत मुद्दे जहां सरकार और राष्ट्र के सामने सबसे पहले उपस्थित हैं वहां शीघ्रतम परिणाम देने वाली एक कामकाजी नीति ही एकमात्र उत्तर है। इस मुद्दे पर मंत्रिमण्डल में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। फिर सभा ने गांधीवादी सिद्धांतों को अपने सामान्य सम्बन्ध सूत्रों के रूप में स्वीकार किया है और सभी उस घोषणापत्र के प्रति वचनबद्ध हैं जिसे लोकसभा के चुनावों के समय जारी किया गया था।

उन टुच्चे झगडालू राजनीतिज्ञों के लिए जो अपने छोटे स्वार्थ के आगे कुछ भी सोचने में असमर्थ हैं यह चेतावनी बस बहुत ही स्पष्ट है यदि जनता पार्टी भारत के लोकतंत्रीय ढांचे में एक विकल्प बनने में विफल रहती है तो मतदाता —और इस बार वे सजीव और राजनीति के प्रति अत्यंत सचेत मतदाता हैं— वितृष्णा और निराशा से भरकर एकदलीय राज्य एवं तानाशाही की ओर मुड़ जाएंगे। क्योंकि जब नौ राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों ने मिली जुली कार्यक्षम सरकारें बनाने में अपनी असमर्थता प्रदर्शित की थी उस 1967 के प्रयोग के बाद ऐसा दूसरी बार होगा कि गैर कांग्रेसी विरोधी पक्ष वांछित कार्य को निभाने में असफल सिद्ध होगा।

वस्तुतः श्रीमती गांधी और उनकी कांग्रेस यह आशा लिए बैठी है कि उलझी हुई समस्याओं वाले इस विशाल देश के शासन की क्रूर वास्तविकताओं के प्रथम स्पर्श में ही जनता की खिचड़ी सरकार टूटकर बिखर जाएगी।

आपातस्थिति ने कुछ और भी अविस्मरणीय पाठ हमें सिखाए हैं

1 हममें से जो लोग ईमानदारी से यह विश्वास करते थे कि एक साथ

विराट उलझी हुई और तत्कालिक इस देश की समस्याओं का जवाब शायद एक उदार तानाशाही ही है उन्होंने अब समझ लिया है कि तानाशाही एक शुद्ध अनिष्ट है और चरम सत्ता, चरम रूप में भ्रष्ट बनाती है।

2 चरम सत्ता वाले व्यक्ति पर, भले ही वह संत क्या न हो विश्वास नहीं किया जा सकता और सत्ता की शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध एक खुला समाज और एक मुक्त प्रेस ही एकमात्र प्रभावी गारंटी हैं। अत सरकार और समाज दोनों की ओर से प्रेस की नींवों को मजबूत करने और उसकी स्वतंत्रता के ढांचे को पुनर्निर्मित करने का एकमन प्रयास होना चाहिए जिससे कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्या न हो उससे खेलने का साहस न कर सके।

लम्बे भयानक सपने के दौरान हमने आतंकपूर्वक पाया है कि सार्वजनिक स्तर पर फैली भय की मानसिकता अन्यथा विवेकशील एवं संवेदनशील व्यक्तियों के साथ क्या कुछ कर सकती है। लोग कीड़े बन जाते हैं और कोड़े की चोट पर सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं।

यह समझकर भी हम धक्का लगा है कि सबसे ऊंचे से लेकर सबसे नीचे तक के हमारे अधिकारी मौका मिलने पर कितने निर्मम और क्रूर बन सकते हैं, इतने कि मानव-व्यक्तित्व में निहित मानसिक रोग के तत्व उनमें उभरे दीख पड़ने लगते हैं।

लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भले ही वे हरियाणा के बंसीलाल हो या बिहार के सीताराम केसरी या महाराष्ट्र के एस० बी० चह्वाण एवं रजनी पटेल या मध्यप्रदेश के शुक्ल बन्धु लालसा का एवं विवेक की पूर्ण हीनता का जो विचित्र दृश्य उपस्थित किया उससे हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। हमें आश्चर्य इस बात से हुआ है कि कांग्रेस के छोटे पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं ने उन सबको चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। तब शायद वे लोग भी उसी मिट्टी से बने थे।

हमने उतने चैन, अमिश्रित हर्ष एवं सुख की वैसी अनुभूति कभी नहीं देखी थी जैसी मार्च 1977 के तीसरे सप्ताह में इन्दिरा सरकार के पतन पर और उसकी जगह जनता सरकार की स्थापना पर देखी गई। तुलना में रखें तो 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता मिलने पर देश में हर्षोल्लास की जो लहर फैल गई थी, वह भी अमिश्रित नहीं थी क्योंकि उसमें भी संशय घुला हुआ था कारण कि विभाजन ने उस ऐतिहासिक घटना को आनन्द से वंचित कर दिया था।

लेकिन दक्षिण में जो ठोस कांग्रेस समर्थक मत पड़ा, उसका क्या स्पष्टीकरण है? इसका साफ जवाब है 'दिल्ली दूर है'।

सार्वजनिक सम्पर्क के माध्यमों पर सरकार के पूर्ण नियन्त्रण को धन्यवाद कि उत्तर के लोग जिस भयानक रात में से गुजर रहे थे, उनसे दक्षिण के लोगों को पूरी तरह अनजान रखा गया। वस्तुतः दक्षिणवासियों ने इतना भी नहीं जाना

कि सरकारी दमन के रूप में उनके एकदम चारों ओर क्या गुज़र रहा है। इसलिए अपने उत्तरी देशवासियों की तरह उग्र प्रतिक्रिया देने में वे विफल रहे और लोकसभा चुनावों में उन्होंने अतीत के ढंग पर ही मत दिए। संजय ने दक्षिण की उतनी अधिक यात्राएं नहीं की थीं जितनी उत्तरी क्षेत्रों की की थीं हर बार जब संजय किसी नगर में जाता था तो कांग्रेस अपने कुछ हज़ार वोट खो देती थी। और ऐसा दक्षिण में नहीं हुआ। तमिलनाडु में तो करुणानिधि की भ्रष्ट सरकार के मुकाबले राष्ट्रपति शासन ने जनता पर अच्छा ही असर छोड़ा था।

अब सेंसर हट गया है और सार्वजनिक सम्पर्क के माध्यम मुक्त हैं तथा इंदिरा सरकार के भयानक कारनामों को पूरा प्रचार मिला है। इसलिए दक्षिण के मतदाता भी उत्तर के भाइयों का अनुकरण करेंगे और राज्य विधान सभाओं के अगले चुनावों में पूरी तरह बदनाम कांग्रेस से अपना मुंह मोड़ लेंगे। ऐसा होगा यदि इस बीच जनता पार्टी अपने अमलनामे को खराब नहीं कर लेती।

मुद्रक भारत आफसेट प्रिंटर्स शाहदरा दिल्ली ३२